# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament Library
On 14-10-92

6th Lok Sabha

(खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद हिन्दी संस्करण
दिनांक 16 मई, 1979/26 वैशाख, 1901 (शक)
का शुद्धि पत्र

...

विषय सूची पृष्ठ (iv) में "मारीच ज्ञापी" के स्थान पर
"मारीच झापो" पढ़िये ।

पृष्ठ 224 पंक्ति 9 और 26 में "प्रो० पी०जी०भावलंकर" के स्थान पर
"प्रो० पी०जी० मावलंकर" पढ़िये ।

लोक सभा वाद विवाद हिन्दी संस्करण
दिनांक 16 मार्च, 1979/25 फाल्गुन, 1900 (शक) का
शुद्धि पत्र

...

विषय सूची पृष्ठ (i) पंक्ति 29 में
आपातकालीन स्थिति की ज्यादतियों की जांच संबंधी प्राधिकरण
के पश्चात "मणिपुर" शब्द रख दिया जाये ।

विषय सूची पृष्ठ (ii) पंक्ति 18 में "श्री जी०एम० बनतवाला" के स्थान पर
"श्री जी०एम० बनातवाला" पढ़िये ।

प्रश्न संख्या 344, 345 और 347 के आगे † के स्थान पर * चिन्ह रखिये ।

पृष्ठ 76 पंक्ति 29 में "श्री दयाराम शाक्स" के स्थान पर
"श्री दयाराम शाक्य" पढ़िये ।

पृष्ठ 86 तथा अन्य पृष्ठों में "श्री जुलफिकार उल्ला" के स्थान पर प्रत्येक
स्थान पर "श्री जुल्फकार उल्लाह" पढ़िये ।

पृष्ठ 172 पंक्ति 13 में "प्रो० पी०जी० मंवलंकर" के स्थान पर
"प्रो० पी०जी० मावलंकर" पढ़िये ।

पृष्ठ 174 पंक्ति 20 में "प्रो० दिल्लीप चक्रवर्ती" के स्थान पर
"प्रो० दिलीप चक्रवर्ती" पढ़िये ।

# विषय—सूची

अंक 57, बुधवार, 16 मई, 1979 / 26 वैशाख, 1901 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | ... | 1 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ... | 1—17 |
| * तारांकित प्रश्न संख्या : 1133 (क), 1135 से 1139, 1144 और 1145 | | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ... | 17—162 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 1140, 1141 से 1143 और 1146 से 1153 | | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 10895 से 10900, 10902 से 11022 और 11024 से 11073 | | |


*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 162—165

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... 166—168

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ... 168

कार्यवाही सारांश

राज्य सभा से संदेश ... 168—170

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ... 170—187

अलीगढ़ में हुई हिंसक घटनाओं में अनेक व्यक्तियों के मारे जाने तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बन्द होने का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर ... 170

श्री एच० एम० पटेल ... 170

श्री ओम प्रकाश त्यागी ... 176

प्रो० समर गुह 181

डा० रामजी सिंह ... 184

श्री पी० एम० सईद ... 186

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ... 188

अलीगढ़ में कुछ संसद सदस्यों के साथ जिला अधिकारियों के कथित अशिष्ट व्यवहार के बारे में ... 188—190

भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये एक समिति की नियुक्ति, उसका गठन तथा उसके निदेश पद 191—193

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक—पुरःस्थापित 194—199

नियम 377 के अधीन मामले ... 199—202

(एक) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया कलकत्ता के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते

श्री मुकुन्द मंडल ... 199

(दो) ग्रोवर आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

श्री चित्त बसु ... 200

(तीन) रेलवे विभाग में बढ़ती हुई अदक्षता

श्री विनायक प्रसाद यादव ... 201

(चार) सन्थाल परगना, बिहार में आदिवासियों और हरिजनों में भुखमरी के कारण मृत्यु के समाचार

फादर एन्थनी मुरमू ... 202

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23वें और 24वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ... 202—252

श्री राम नरेश कुशवाहा ... 203

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी ... 205

श्री महीलाल ... 207

श्री ए० के० राय ... 210

श्री युवराज ... 215

श्री फिरंगी प्रसाद ... 219

श्री राम चरण ... 222

प्रो० पी० जी० मावलंकर ... 224

श्री धनिक लाल मंडल ... 230

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक 252—257, 258—271

विचार करने का प्रस्ताव

श्री घनिक लाल मंडल ... 252

श्री बी० रचैया ... 254

श्री सूरज भान ... 258

फादर एन्थनी मुरमु ... 261

श्री भगत राम ... 262

श्री आर० एल० कुरील ... 265

श्री राम विलास पासवान ... 268

श्री पी० के० कोडियन ... 271

कोयला उद्योग में वेतन ढांचे पर वार्ता के बारे में वक्तव्य ... 257

श्री पी० रामचन्द्रन ... 257

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 271—281, 282—291

मारीच झापी (पश्चिम बंगाल) के शरणार्थियों द्वारा दण्डकारण्य जाने से इंकार

श्री दीनेन भट्टाचार्य ... 271

श्री सिकन्दर बख्त 271

श्री एम० ए० हनान अलहज ... 282

श्री ए० के० साहा ... 283

श्री एस० के० सरकार ... 284

श्री चित्त बसु 287

ब्रिटेन में अश्वेतों पर हो रहे आक्रमणों के बारे में प्रस्ताव 281—282

# लोक सभा

बुधवार, 16 मई, 1979/26 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा दस बजकर 35 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री वेंकटराव तारोडकर के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है, जिनका निधन 54 वर्ष की आयु में 7 मई, 1979 को नादेड़ में हो गया था ।

श्री तारोडकर 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । इससे पूर्व से वह 1962 से 1967 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे ।

सहकारी आन्दोलन में गहरी रुचि रखने वाले श्री तारोडकर महाराष्ट्र में अनेक सहकारी संस्थानों से सम्बद्ध थे ।

वह 1959 से 1962 तक इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट के पद पर रहे ।

उन्होंने हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भी निरन्तर काम किया ।

हम अपने इस मित्र की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदनाएं भेजते हैं ।

सभा दुःख व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी हो ।

(उसके बाद सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### मिजो और नागा विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई

*1133-क. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विदेश मंत्री की यात्रा के बाद चीन अब भी मिज़ोरम और नागालैंड के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सोवियत संघ की एक एजेन्सी ने भी कहा है कि चीन अभी भी मिजोरम और नागालैंड के विद्रोहियों को हथियार तथा प्रशिक्षण दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (ग) यद्यपि सरकार ने भारतीय और विदेशी समाचारों को देखा है किन्तु सरकार को यह मालूम नहीं है कि चीन ने हाल ही में छिपे नागा और मिजो को हथियार सप्लाई किए हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : माननीय विदेश मंत्री ने कुछ महीने पहले चीन की यात्रा की थी । मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने चीनी नेताओं से उन्हें हथियारों की सप्लाई करने और प्रशिक्षण देने के बारे में बातचीत की थी, क्योंकि चीन उन्हें प्रशिक्षण देता रहा है और हथियारों की सप्लाई करता रहा है । क्या चीनी नेताओं द्वारा भारतीय सरकार को कोई आश्वासन दिया गया था ? जहां तक नागालैंड और मिजोरम का संबंध है, चीन के बने कितने हथियार जब्त किये गये हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : नागाओं से अब तक कितने हथियार जब्त किये गये हैं ?

**गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : विदेश मन्त्री ने 21 फरवरी को सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा : "चीनी नेताओं के साथ मेरी वार्ता में हमारे संबन्धों में पीछे आये अवरोधों के बारे में भी बातचीत की गई थी । मैंने इस ओर भी उनका ध्यान दिलाया था कि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के विद्रोहियों को, जो चीन पहुचे हैं, हमारे देश के अन्दर संविधान विरोधी गतिविधियों के लिए नैतिक और भौतिक समर्थन मिला था ।" चीनी नेताओं से यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि ऐसी सहायता की जो पीछे दी गई थी आखिरी ही समझा जाये । जहां तक हथियारों का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी के अनुसार इन लोगों के माध्यम से चीन से कोई हथियार नहीं आया है ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मंत्री महोदय को मालूम होगा कि अभी कुछ रेबल नागाज़ और मीज़ोज़ ने आसाम वार्डर पर हमला करके हमारे कुछ जवानों को मारा था । मैं जानना चाहता हूं कि उस घटना में हमारा कितना नुकसान हुआ है और क्या उसमें उन लोगों का हाथ है, जो चाइना से ट्रेनिंग लेकर आये हैं ।

हिन्दुस्तानी और सोवियत अखबारों में यह जो रिपोर्ट आई है, क्या सरकार ने कोई जांच कराई है कि वह ठीक है या नहीं; अगर कराई है, तो उसका क्या परिणाम है ?

**श्री एच० एम० पटेल** : जहां तक हमले का संबंध है, यह कुछ सप्ताह पहले की बात है और यह नागालैंड और बर्मा की सीमा पर हुआ था । यह हमला घात लगाकर किया गया था, जिसमें आसाम राइफल के हमारे 11 जवान मारे गये थे । यह हमला उन भूमिगत नागाओं द्वारा किया गया था जिन्होंने शिलांग समझौते से सहमति व्यक्त नहीं की थी और जो बर्मा में रह रहे थे । हमारा यह विश्वास है कि वे महसूस करते हैं कि उन्हें नागालैंड़ में उतनी सहायता नहीं मिलेगी जितनी की उन्हें आशा थी ।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : प्रश्न हथियारों और प्रशिक्षण के बारे में है।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या उन्होंने भारत में और विदेशों में छपी प्रैस रिपोर्ट के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो···?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने विदेशी समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की है ?

**श्री एच० एम० पटेल** : हम जांच करते हैं। हम इन रिपोर्टों को पढ़ते हैं और जो जांच आवश्यक होती है वह हम करते हैं।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : बर्मा में रह-रहे नागा और मिजो विद्रोहियों को चीन द्वारा प्रशिक्षण देने तथा हथियारों की सप्लाई करने के बारे में आपको क्या कहना है ? ऐसी रिपोर्ट मिली है कि चीन द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त ये विद्रोही नागा भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और आप इन्हें प्रवेश करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी संख्या जानना चाहता हूँ।

बर्मा के साथ मिलकर कार्यवाही करने के बारे में क्या हुआ ? यह इस सरकार की नीति का एक अंग है। प्रधान मन्त्री भी यहां बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि बर्मा की सरकार संयुक्त कार्यवाही करने के लिए राजी है। चीन ने ऐसा किया है और वे ऐसा करते रहेंगे और सरकार को भी बर्मा के साथ मिलकर कार्यवाही करनी चाहिये। बर्मा की सीमा में ही यह विद्रोही गतिविधि चल रही है और वे यह सब शरारत भारत में कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री एच० एम० पटेल** : मैं अपने पहले दिये गए उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं। घात लगाकर किये गए हमले में 11 जवान नहीं 7 जवान मारे गए थे और 4 घायल हुए थे। जहां तक मेरे मित्र के प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे यह कहना है कि हाल के वर्षों में चीन में कोई नागा नहीं गया और किसी नागा ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। ये पुराने विद्रोही नागा हैं जिन्होंने शिलांग समझौते को नहीं माना और जो अभी भी बर्मा की सीमा से बाहर रह रहे हैं। जहां तक बर्मा की सरकार का सम्बन्ध है, उनकी कार्यवाही अधिक प्रभावी प्रतीत नहीं होती।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या आप संयुक्त कार्यवाही करेंगे ?

**श्री एच० एम० पटेल** : उस सरकार के साथ संयुक्त कार्यवाही कैसे की जा सकती है जो अपनी सीमाओं के अन्दर मामलों पर नियन्त्रण नहीं रख सकती ?

**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या हम यह समझ लें कि चीन की सरकार द्वारा कोई आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है और इन विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई हमारे विदेश मंत्री की चीन यात्रा से बहुत पहले बन्द कर दी गई थी। यदि नहीं, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि दिये गए आश्वासन का उचित रूप से पालन किया जाये ?

**श्री एच० एम० पटेल** : यह मामला हाल में हमारे विदेश मन्त्री और चीन के मंत्री के बीच हुई वार्ता से संबंधित है। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि हमारी जानकारी यह है कि हाल में विशेषकर शिलांग समझौते से लेकर अब तक चीन द्वारा हथियारों की भारी मात्रा में कोई सप्लाई नहीं की गई है।

**भारतीय आर्थिक सेवा को संवर्ग-प्रबन्ध प्रणाली**

*1135. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह भारतीय आर्थिक सेवा की संवर्ग-प्रबन्ध प्रणाली से सन्तुष्ट है;

(ख) इस बारे में संघ लोक सेवा आयोग और भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड की शिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इन शिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संवर्ग-प्रबन्ध प्रणाली में सुधार लाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) से (घ) भारतीय आर्थिक सेवा का संवर्ग-प्रबन्ध पूर्णत: भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड की सलाह पर किया जाता है। इस सेवा के दिन-प्रति-दिन के संवर्ग-प्रबन्ध से संघ लोक सेवा आयोग का सम्बन्ध नहीं है। फिर भी, भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली में संशोधन से सम्बन्धित सभी मामलों पर तथा ऐसे अन्य सभी मामलों पर जहां आयोग से परामर्श करना एक सांविधिक आवश्यकता है, सदा ही आयोग से परामर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी सेवा की तरह, भारतीय आर्थिक सेवा का संवर्ग-प्रबन्ध भी गतिहीन नहीं है और इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये सरकार द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड की सलाह पर इससे सम्बन्धित नीति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को इकानामिक सर्विस आफिसर्ज एसोसिएशन द्वारा उनकी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव या शिकायतें मिली हैं ? यदि मिली हैं, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री एस० डी० पाटिल** : जब कभी हमें विभिन्न निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, हम उनकी जांच करवाते हैं और जहां आवश्यक होता है, हम नियमों के अनुसार शिकायतों को दूर करते हैं।

**श्री रामविलास पासवान** : आर्थिक विकास के महत्व को देखते हुए क्या सरकार ऐसा विचार करती है कि भारतीय अर्थ सेवा की जो सर्विस कण्डीशन्स हैं, उनको आई० ए० एस० के समकक्ष लायेगी ?

**श्री एस० डी० पाटिल** : नियमों की सतत समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है, वहां हम स्थिति का मुकाबला करने के लिये उनमें समुचित परिवर्तन करते हैं।

**प्रो० दिलीप चक्रवर्ती** : क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि भारतीय आर्थिक सेवा के कर्मचारियों को जहां विशेष ज्ञान तथा व्यावसायिक क्षमता आवश्यक होती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा कर्मचारियों के मुकाबले पदों की पेशकश करने के बारे में कोई भेदभाव किया जाता है और क्या वह इन विषमताओं को दूर करना चाहते हैं ?

**श्री एस० डी० पाटिल** : उन व्यक्तियों की, जो भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग में अर्हता प्राप्त हैं, नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यदि कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम उसकी जांच करेंगे।

**बंगला देश से आये अल्प संख्यकों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा जबर्दस्ती वापस भेजा जाना**

*1136. **प्रो० समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने बंगला देश से आये उन अनेक अल्पसंख्यकों को जबर्दस्ती वापस भेज दिया है जिन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं से भारत आने का प्रयास किया था अथवा प्रवेश करने में सफल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा जबर्दस्ती बंगलादेश भेजा गया; और

(घ) उपर्युक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सीमा से बंगलादेश में जबर्दस्ती वापस भेजे गये व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां, श्रीमान। अल्प संख्यक समुदाय एवं बहुसंख्यक समुदाय के लोग जो बंगलादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से भारत में घुसे थे उन्हें सीमा सुरक्षा बल ने वापस खदेड़ दिया।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

1-4-1978 से 31-3-1979 तक की अवधि में सीमा सुरक्षा बल द्वारा वापस भेजे गए अवैध-घुसपैठियों का ब्यौरा

| राज्य | अल्पसंख्यक समुदाय | अन्य | जोड़ |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 2263 | 4280 | 6543 |
| असम, मेघालय और मिजोरम | 2615 | 10763 | 13378 |
| त्रिपुरा | 499 | 3484 | 3983 |
| कुल | 5377 | 18527 | 23904 |

**श्री समर गुह** : विभाजन के समय तथा 1950 में उन्हें दिया गया वचन आपको याद होना चाहिए। परन्तु अब उन्हें जबरदस्ती वापस भेजना आपके लिये आसान है क्या आपने कभी यह पता लगाया कि ये लोग अपना घरबार छोड़कर भारत में शरण क्यों लेते हैं ? यदि हां, तो बंगलादेश से अल्पसंख्यकों के निरन्तर प्रव्रजन के क्या कारण हैं ? यदि इन अल्पसंख्यकों को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे अपनी सम्पत्ति आदि बेचकर तब शरण लेने का प्रयास करें। परन्तु यदि आप उन्हें जबरदस्ती वापस भेजते हैं, तो उनका क्या होगा ? परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप उचित माध्यम से बंगलादेश की सरकार से इस बात का पता लगाते हैं कि वहां से अल्पसंख्यकों के निरन्तर प्रव्रजन के क्या कारण हैं और जिन

लोगों को जबरदस्ती वापस भेजा गया है, क्या उन्हें अपनी छोड़ी गई सम्पत्ति आदि वापस मिली है ?

**श्री धनिक लाल मण्डल** : जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं, बंगला देश से भारत में प्रव्रजन के कारण राजनीतिक, आर्थिक आदि हो सकते हैं।

**श्री चित्त बसु** : सामाजिक !

**श्री धनिक लाल मण्डल** : सामाजिक भी।

बंगलादेश से कुछ लोग भारत इसलिए आते हैं क्योंकि उनके सम्बन्धी सीमा के इस ओर रहते हैं। हम वहां के अधिकारियों के साथ समय-समय पर चर्चा करते हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सीमा-पार के अधिकारियों से चर्चा करते हैं और चमकाओं और मोगाओं के मामले में भी बंगला देश की सरकार से मामला उठाया जाता है और वे इन लोगों को वापस लेने के लिए सहमत हुए थे, तभी उन्हें वापस भेजा गया था।

**प्रो० समर गुह** : प्रधान मंत्री जी ने हाल में बंगलादेश की यात्रा की है। उन्होंने बंगला देश से अल्पसंख्यकों के प्रव्रजन के कारणों के बारे में बंगलादेश के प्रेसीडेंट से वार्ता की थी। क्या प्रधान मंत्री देश को यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है ?

**गृह मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल)** : वापस आने पर प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया; वास्तव में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें आपने देखा होगा कि यह आश्वासन दिया गया था कि बंगलादेश की सरकार न केवल लोगों को जबरदस्ती निकालने में रुचि रखती है, अपितु यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाये। आपको यह भी मालूम होगा कि हम इस बात से सहमत हो गये हैं कि जो लोग देश में 1971 तक पहले से आकर बस गये हैं; हम उन्हें अवश्य यहां रख लेंगे। परन्तु बंगलादेश से आने वाले असंख्य लोगों को यहां बसाना इस देश के लिए सम्भव नहीं है। अतः इस पर प्रतिबन्ध तो लगाना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य को यह भी मालूम होना चाहिये कि बंगलादेश से न केवल अल्पसंख्यक लोग ही भारत में घुसपैठ करते हैं अपितु भारी संख्या में मुस्लिम भी अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए यहां आते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति होनी चाहिए और सरकार की वर्तमान नीति बिना किसी प्रतिबन्ध के इस प्रकार की घुसपैठ को स्वीकार करने की नहीं है।

**प्रो० समर गुह** : मैं गृह मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत में साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी रिपोर्टों को बंगला देश के समाचार पत्रों में तथा रेडियो और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। बंगला देश के समाचार पत्रों में भड़कीले लेख, भड़कीले संपादकीय टिप्पण आदि प्रकाशित हो रहे हैं। इन बारे में मुझे अनेक पत्र मिल रहे हैं। जब लोग जहां पर भड़कीले और साम्प्रदायिक भाषण देते हैं तो वे उनके परिणामों को नहीं समझते। मुझे सैंकड़ों पत्र मिल रहे है जिनमें यह लिखा हुआ है कि बंगलादेश में किसी भी समय साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं और इससे बंगलादेश से भारी संख्या में शरणार्थियों को निकाला जायेगा और उस हालत में सीमा-सुरक्षा दल हजारों या लाखों को मार ही सकता है, उन्हें जबरदस्ती वापस नहीं भेज सकता। इस कारण क्या भारत सरकार

बंगला देश की सरकार को सूचित करने के लिए उचित उपाय करेगी ताकि वे बंगलादेश में शान्ति और साहार्द बनाये रखने के लिए कारगर और उचित कदम उठा सकें और साम्प्रदायिक दंगों को भड़कने से रोक सकें ?

**श्री एच० एम० पटेल** : माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं कि प्रधानमन्त्री ने हाल ही में दौरा किया था। इस अवधि के दौरान हुए समझौते के अनुसार ····· ।

**प्रो० समर गुह** : आपने मेरे प्रश्न को नहीं समझा ।

**श्री एच० एम० पटेल** : मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। इस सम्बन्ध में चर्चा चलती रहती हैं। यदि किसी प्रकार का उपद्रव होता है तो एक ऐसी मशीनरी का गठन किया गया है जिसके अनुसार हमारे उच्च आयुक्तों, हमारे अधिकारियों के बीच वार्ता होती रहती है जिससे वहां की सरकार द्वारा ऐसी स्थिति पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास किया जा सके ।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : लगभग 24 हजार व्यक्तियों को जबरदस्ती वापस भेजा गया है। क्या इस प्रकार जबरदस्ती वापस भेजने में कोई व्यक्ति घायल हुआ है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है ?

इसके अलावा उस देश में ऐसा बार-बार और निरन्तर हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि जब सभी अल्पसंख्यकों को बंगलादेश से निकाला जायेगा। प्रधान मन्त्री ने बंगलादेश सरकार से यह समझौता किया है परन्तु वे इसका पालन कभी नहीं करते। ऐसा अब भी चल रहा है और 1947 से चल रहा है। यह चीज समाप्त होनी चाहिए या हमें भारत में सभी अल्पसंख्यकों को स्वीकार करना चाहिए और उस देश से उतना भू-भाग मांगना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

**प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसे प्रश्न पूछकर स्थिति को और भी गम्भीर न बनायें। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों के हितों की उचित रक्षा की जाए। मुझे इस बारे में आश्वासन दिया गया है और हम निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। यदि आप ऐसा करते रहे और वे भी ऐसा करते रहे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी।

**श्री मृत्युंजय प्रसाद** : मैं इस स्टेटमैंट में यह देखता हूँ कि जो अल्पसंख्यक नहीं हैं, जो दूसरे हैं, वे आ रहे थे और उनको लौटाया गया। यह बात जरा अटपटी-सी लगती है। अल्पसंख्यक दुखी होकर आते हैं, शरणार्थी होकर आते हैं और उन्हें लौटाया जाए, यह बात तो समझ में आती है मगर दूसरे क्यों आते हैं, इस बात की ओर क्या सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है और अगर हुआ है तो उसके कारण क्या हैं, उनको बतलाने की कृपा करेंगे ?

**श्री धनिक लाल मण्डल** : जैसा कहा गया है, उसके आर्थिक कारण हो सकते हैं। आसाम में उनको जमीन मिलने की आशा होती है और दूसरी ओर भी आशाएं होती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वे आ जाते हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : माननीय प्रधानमन्त्री की यात्रा बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। ऐसा मुझे विभिन्न लेखों आदि से पता चला है। परन्तु यह सच है कि बंगला देश में भीषण अकाल पड़ने वाला है जो लाखों लोगों को वहां से निकलने पर मजबूर करेगा और वे लोग इस देश

में ही आयेंगे। अतः मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वहां अकाल की स्थिति पैदा न हो जिससे बंगला देश से और अधिक शरणार्थी भारत न आ सकें।

**श्री एच० एम० पटेल** : यह देखना कठिन है कि बंगला देश में अकाल को रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। परन्तु हम यह कर सकते हैं कि उन्हें सहायता दें। जो अनुरोध मिलते हैं उन पर विचार किया जाता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आपके जहां भरपूर फसल हुई है और आपके पास सुरक्षित भण्डार भी काफी है परन्तु उन्हें और अधिक मात्रा की भी जरूरत हो सकती है।

**श्री एच० एम० पटेल** : जो कुछ सम्भव है वह किया जा रहा है।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : जिन लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है सरकार के अनुसार उन्हें सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया और जब उन्होंने वापस जाने का प्रयास किया तो उन्हें बंगला देश की सीमा चौकियों का सामना करना पड़ा और उन पर गोली भी चलाई गई। अतः क्या मन्त्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि क्या इस प्रकार जबरदस्ती वापस भेजने का अर्थ यह है कि लोगों को ले जाकर सीमा पर बंगला देश की सीमा चौकियों की दया पर छोड़ दिया जाए ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को यह भी शिकायतें मिली हैं कि इस देश के मुस्लिम नागरिकों को भी निर्ममता से धकेला गया और यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में क्या कार्यवाही की गई कि हमारे नागरिकों को इस प्रकार की कार्यवाही का शिकार न होना पड़े।

**प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मेरे माननीय मित्र इस बात से आश्वस्त रहें कि इस देश के किसी नागरिक को भी बाहर नहीं धकेला जाएगा। हम इस बात को अपने लिए शर्मनाक समझते हैं कि हमारा कोई नागरिक देश छोड़कर दूसरे देश जाए। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। वे इसलिए यहां आते हैं क्योंकि यहां के हालात बेहतर हैं। हमें क्या करना है ? क्या हम उन सभी को स्वीकार कर रहे हैं तो इसका क्या इलाज है ? इसका उपचार यह है कि उन्हें वापस अपने देश भेजा जाए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ? वे किस हालात में हैं, यह देखना हमारा काम नहीं है।

**आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फैडरेशन से अपील**

*1137. **श्री भगत राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केन्द्र और राज्य सरकारों से सम्बन्धित राज्य सरकार के कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों के बारे में आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फैडरेशन ने 17 मार्च, 1979 को एक अपील परिचालित की थी, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था; और

(ख) उनकी मांगे क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) तथा (ख) बताया जाता है कि आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फैडरेशन ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक अपील परिचालित की थी। संविधान की 'सातवीं' अनुसूची

की सूची II में प्रविष्ट संख्या 41 के अनुसार राज्य लोक सेवाओं से सम्बन्धित मामले पूर्णतया सम्बन्धित राज्य सरकारों के विषय हैं।

**श्री भगत राम** : मेरे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। अगर माननीय मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का आन्सर दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि उनका रिप्लाई बिल्कुल गलत है बिल्कुल झूठा है और गैर-जिम्मेदारी वाला है। अगर आप मेरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि आन्सर ठीक नहीं दिया गया है। एक तो मैं यही चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप मिनिस्टर साहब को डायरेक्ट कीजिए कि वे इसका ठीक उत्तर दें।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह उत्तर उचित है। आप अपने अनुपूरक प्रश्न पूछें।

**श्री भगत राम** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल देखिये और इनका जवाब देखिये। मेरा सवाल है—क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केन्द्र और राज्य सरकारों से सम्बन्धित राज्य सरकार के कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों के बारे में आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फेडरेशन ने 17 मार्च 1979 को एक अपील परिचालित की थी, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, और उनकी मांगें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सर, इसका जवाब दिया गया है—बताया जाता है कि आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फेडरेशन ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक अपील परिचालित की थी। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो में प्रविष्टि संख्या 41 के अनुसार राज्य लोक सेवाओं से सम्बन्धित मामले पूर्णतया सम्बन्धित राज्य सरकारों के विषय हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सब क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता।

**श्री भगत राम** : अगर मिनिस्टर साहब के पास एम्प्लाईज की मांगे नहीं है तो आप मुझे अलाऊ कीजिए मैं उन्हें पढ़ कर सुना देता हूँ जिससे कि आपको मालूम हो जाएगा कि उनकी कितनी मांगें हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आप भाषण दे रहे हैं। कृपया आप प्रश्न पूछें।

**श्री भगत राम** : उनके मांग पत्र में 12 मांगे हैं जिनके बारे में मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वे राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 12 मांगों में से 9 मांगें वे हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं। इसलिए इनका जो रिप्लाई है उसको मैं झूठा करार देता हूँ। मैं अपील करता हूँ कि जो मांगें हैं मिनिस्टर साहब उनको यहां पेश कर दें।

**श्री एस० डी० पाटिल** : फेडरेशन ने हमें ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है। हमें ऐसा मांग-पत्र प्रश्न-कर्त्ता से प्राप्त हुआ है। इसमें 12 मांगें हैं।

मुख्य मांगें इस प्रकार है : मंहगाई भत्ते के लिये एक राष्ट्रीय फार्मूला जिसमें मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ स्वत: समायोजन का उपबन्ध हो; (2) आवश्यकता पर आधारित सिद्धान्तों, जैसाकि आई० एल० सी० द्वारा निर्धारित किये गये, के फलस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों

के वेतन पुन: निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय वेतन आयोग और अन्त में लिए गए वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 15% पेंशन के रूप में देना और (3) सभी को बोनस। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में हैं। उन्हें वह रिपोर्ट मिल गई है, इस बारे में वह क्या कर सकते हैं ?

**श्री एस० डी० पाटिल** : केन्द्रीय सरकार का इन मांगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ये सभी मांगें राज्य सरकार से सम्बन्धित है और केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है या केन्द्रीय सरकार किसी विशेष ढंग से काम करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश नहीं दे सकती। हम भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन की जांच कर रहे हैं। जब तक हम किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँचते, तब तक हम इस अवस्था में अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते।

**श्री भगत राम** : वैसे तो उनकी सारी की सारी डिमांड्ज आपको पता चल ही गयी होंगी कि सैंटर से सम्बन्धित हैं। लेकिन मिनिस्टर साहब ने सब को पढ़ने की कोशिश नहीं की है। इसलिए मैं दो सप्लीमेंटरी करना चाहता हूँ। आपको तो मालूम ही है कि एक ही स्टेट में सेंटर के जो एम्प्लायीज होते हैं और स्टेट के जो एम्प्लायीज होते हैं उन दोनों के ग्रेड्ज अलग-अलग होते हैं। एक ही शहर में सैंटर के एम्प्लायीज के स्केल्ज अलग हैं और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लायीज के स्केल्ज अलग हैं, एक ही भाव पर खरीदते हैं लेकिन दोनों के ग्रेड्ज अलग-अलग हैं। थर्ड पे कमिशन ने सिफारिश की थी कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एक समान होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर अमल करने के लिए सरकार ने क्या कोई कदम उठाए हैं या उठाने जा रही है।

मैं यह भी जनाना चाहता हूँ कि आर्थिक तौर पर कमजोर प्रान्तों के जो मुलाजिम हैं, उनकी वेतन वृद्धि हो सके इसके लिए क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी सरकारों की कुछ मदद करने जा रही है ?

**श्री एस० डी० पाटिल** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेतन, आय तथा मूल्य आयोग के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। यह सचिव के विचाराधीन है। सरकार ने मांगों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा है। आप अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

**श्री उग्र सैन** : मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से सम्बन्धित ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया है और कहा है उस पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़कर इस नतीजे पर पहुँचे है या नहीं कि उस रिपोर्ट से मन्त्री महोदय के उत्तर का कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या यह सही नहीं है कि उस कमेटी ने इस प्रश्न को छुआ तक नहीं है और अगर कुछ लिखा भी है तो सब भुलभुलंयां हैं और इनके खिलाफ लिखा है ? उस कमेटी की सिफारिशों से केन्द्रीय कर्मचारियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है क्या यह सच बात नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ बोट क्लब पर और कई शहरों में सभायें हुई हैं और प्रदर्शन हुए है क्या यह भी सही नहीं है ? मैं भी उन सभाओं में गया था। इस सब की मन्त्री महोदय को अखबारों के जरिये आकाशवाणी

के जरिए जानकारी मिल गई होगी। केन्द्रीय कर्मचारियों में असन्तोष न फैले इस वास्ते क्या आप उनकी मांगों पर शीघ्रविचार करेंगे और उनको सन्तोष दिलाने की कोशिश करेंगे ?

**श्री एच० एम० पटेल** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह प्रश्न राज्य फेडरेशन से सम्बन्धित है। यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित नहीं है। अतः यह मामला पूर्णतया राज्य सरकार के लिए है। हो सकता है हम जो निर्णय लें उससे उनका निर्णय प्रभावित हो। परन्तु इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं कर सकती।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या केन्द्रीय सरकार इस सिद्धान्त से सहमत है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकारी कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ? हम जानते हैं कि अपने कर्मचारियों की देखभाल करना, उनके वेतनमान आदि निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धित है। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव रखती है ताकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सेवा की समान शर्तों का उपबन्ध किया जा सके ? राज्य सरकार धनाभाव का तर्क देती हैं।

दूसरे, यह मामला केन्द्रीय सरकार से पूरी तरह सम्बन्धित है अर्थात सारे देश के सरकारी कर्मचारियों की यह मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ग) का निरसन किया जाये।

इन दोनों मामलों के बारे में हम केन्द्रीय सरकार के विचार जानना चाहते हैं।

**श्री एच० एम० पटेल** : यह भेदभाव का मामला नहीं है। यह देखना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वेतन या वेतनमान सभी स्थानों पर समान हों क्योंकि राज्य सरकारों को अपने संसाधनों के अनुसार तय करने होते हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार निस्संदेह उनके संसाधनों को ध्यान में रख रही है और उनके विकास के लिए सहायता दे रही है। जहां अपने कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी सेवा की शर्तें आदि तय करना राज्य सरकार का काम है। दूसरे प्रश्न के बारे में मेरा यह कहना है कि निरसन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

**श्री छविराम अर्गल** : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों और केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितना अन्तर है क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है ? इसके साथ ही साथ कुछ पिछड़े स्टेट्स हैं जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है, उन्होंने कई बार डिमांड किया है कि हम अपने राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देना चाहते हैं, उनका वेतन निर्धारण करना चाहते हैं, तो क्या उनकी इस मांग पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। मध्य प्रदेश जैसी पिछड़ी स्टेट में, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से भी वहां के कर्मचारियों का वेतन का है, ऐसे पिछड़े राज्यों के कर्मचारियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा की गई मांग पर क्या आप गम्भीरता से विचार करेंगे ?

**श्री एस० डी० पाटिल** : यह एक व्यापक प्रश्न है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्यों के वेतनमानों में अन्तर के बारे में चर्चा के बिना ऐसा बताना कठिन है। जहां तक प्रत्येक

राज्य की वित्तीय क्षमता का सम्बन्ध है, उन्हें वित्तीय संसाधनों के अनुसार तय करना होता है और इसका उत्तर मेरे वरिष्ठ साथी दे चुके हैं।

**टीन के डब्बों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस का जारी किया जाना**

*1138. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीन के डिब्बों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किये जाने को सरकार ने लघु उद्योगों तक सीमित रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह प्रतिबन्ध कब तक हटाये जाने की सम्भावना है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस)** : (क) और (ख) लघु क्षेत्र में औद्योगिक एकक की स्थापना करने के लिए किसी भी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। प्रत्येक लघु एकक को राज्य के उद्योग निदेशक के कार्यालय में स्वयं को पंजीयित कराना पड़ता है। टीन के डिब्बों का निर्माण करने के लिए लघु एककों की स्थापना पर लगाया गया प्रतिबन्ध यह है कि उन एककों की स्थापना केवल पिछड़े क्षेत्रों में ही की जानी चाहिए। कच्ची सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता तथा क्षमता का कम मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त प्रतिबन्ध को हटाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब तक कि विद्यमान एककों की उपयोग क्षमता इष्टतम स्तर तक पहुँच जाये।

**श्री ईश्वर चौधरी** : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का अभारी हूं कि उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र को काफी प्रोत्साहित किया है और इनकी नीयत से भी स्पष्ट हो जाता है। बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों को ज्यादा लाभ दिलाना चाहते हैं, परन्तु एक ही शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पिछड़ापन है वहां स्थापित किए जायें। तो क्या इस बात की उन्हें जानकारी है कि बड़े उद्योगपतियों ने, जैसे टाटा ने, डिब्बे बनाने वाली टिन भी, उसकी भी बोडी है वह काफी मंहगा नीलाम किया है, कल के अखबारों में आया है कि जहां 1300 रुपये टन था वहां उसकी कीमत 2900 रुपये टन हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में जिनकी मोनोपली है, जो बड़े-बड़े उद्योगकर्त्ताओं के पास धन है, वह सब रिजर्व कर लेते हैं और जो छोटे उद्योग ग्रामीण-क्षेत्रों में अभी विद्यमान हैं, वह इधर-उधर मार खा रहे हैं और वह बड़े मंहगे रेट पर माल लेते हैं। क्या मंत्री महोदय उन छोटे लघु उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कम रेट पर माल उपलब्ध कराने के लिए कोई विचार कर रहे हैं, क्या उनकी कोई ऐसी योजना है ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : छोटे उद्योगों को जो कच्चे माल की आवश्यकता है, उसके बारे में जो समस्याएं आज हैं, उनको दूर करने के लिए हर राज्य के राज्य औद्योगिक निगम को कहा गया है कि वह इन छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में कच्चा माल बनाने वाले लोगों के साथ सीधा सम्पर्क करें और इस काम में हम उनकी मदद भी कर रहे हैं।

**श्री ईश्वर चौधरी** : सब राज्यों के बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, किन्तु बिहार स्टेट निगम की स्थिति यह है कि छोटे उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्ति या जो छोटे उद्योग चला रहे हैं, वह काफी दौड़-धूप करने के बाद भी उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते हैं। जो

बड़े उद्योग वाले है वह आसानी से उन्हें आकृष्ट करना चाहते हैं और कर लेते हैं। इस दरम्यान में मंत्री जी की इच्छा अवश्य है कि छोटे उद्योगकर्त्ताओं को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल दें परन्तु उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन की ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बैंकों को इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्ज दी गई हैं कि उन छोटे उद्योगों को भी फाइनेन्स मुहैया करें ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : बैंकों को इस प्रकार के निर्देश गए हैं और जो समस्याएं लोगों की थीं, उनको दूर करने की दिशा में हम काफी सफल हो गए हैं।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कच्चे माल की काफी कमी है, उससे कुछ कठिनाइयां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देश में कितना माल उपलब्ध है, विदेशों से कितना माल आता है और कितनी कमी है ? क्या यह बात सत्य है कि जो माल देश में बनता है, अक्सर डिब्बों में स्क्रैप काम में आता है, उस माल को उद्योगपति ऊंचे दामों पर नीलाम करते हैं और जो माल वह खरीदते हैं, उसको और भी ऊंचे दामों पर बेचते हैं जिसके कारण देश का लघु उद्योग संकट में है। विदेशों से जो माल आता है, उसको भी बड़े लोग लेते हैं और मनमाने ढंग से उसको बेचते हैं। क्या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप कोई नई व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में माल मिल सके ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : उस दिशा में हम कई कदम उठा चुके हैं और जो परेशानी इस समय महसूस कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री हुकम चंद कछवाय** : मेरे क्वैश्चन का उत्तर नहीं आया है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्वैश्चन लम्बा है, आन्सर छोटा है।

**श्री राम देव सिंह** : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों में जो स्माल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैं, उस राज्य में लघु उद्योग के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति क्या वह कर सकेंगे ? स्टेट में जितनी आवश्यकता है, क्या उसकी सप्लाई कर सकेंगे ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : यही हम लोगों ने राज्य औद्योगिक निगम को निर्देश दिया है। जो हमारी तरफ से मदद उनको इस मामले में मिलनी चाहिए, वह हम दे रहे हैं।

**श्री चन्द्र शेखर सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की यह नीति भी है कि हथकरघा उद्योग और लघु उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह टीन के डिब्बे के बारे में है।

**श्री चन्द्र शेखर सिंह** : हथकरघा भी उससे जुड़ा हुआ है। कई बड़ी कम्पनियां इन टीनों को बनाती हैं और जो हाथ से बनाने वाले हैं उनके द्वारा यह टीन वहां बन सकें।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री चन्द्र शेखर सिंह** : मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है।

टाटा वगैरह भी बनाते हैं और बड़ी मशीनों के इस्तेमाल के बिना हाथ से भी टीन बनाने का काम होता है। तो क्या भारत सरकार या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो चीजें

हाथ से, या बिना विशेष मशीनों के इस्तेमाल के, बन सकती हैं, उनका उत्पादन बड़ी मशीनों के क्षेत्र से हटाकर हस्त उद्योग के क्षेत्र में किया जाए ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : इस समय देश में इस उद्योग का अधिकांश उत्पादन छोटे क्षेत्र में ही है। कुल मिलाकर 1150 छोटे कारखाने हैं, जिनकी कैपेसिटी चार लाख टन है। बड़े कारखाने कुल मिलाकर 38 हैं और उनकी कैपेसिटी लगभग 1 लाख टन है । इस समय ज्यादा उत्पादन छोटे क्षेत्र में हो रहा है। मशीनों के क्षेत्र से हटाकर उसका उत्पादन हाथों से हो पायेगा, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है ।

**जयन्ती अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) में सीमेंट कारखाने की स्थापना**

1139. **श्री पीयूष तिरकी : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती अलीपुरद्वार जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में कोई सीमेंट कारखाना लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जलपाई गुड़ी (पश्चिम बंगाल) जिले के जयन्ती अलीपुर द्वार में ऐसा कोई चूना-पत्थर निक्षेप नहीं पाया गया है जो सीमेंट कारखाने की स्थापना हेतु पर्याप्त हो सके।

**श्री पीयूष तिरकी** : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जयन्ती अलीपुर द्वार हमारे देश में है या भूटान में है। पता नहीं, उनको यह रिपोर्ट कहां से मिली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट उनके पास आई है या नहीं, अगर आई है, तो वह रिपोर्ट क्या है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : यह सवाल जयन्ती अलीपुरद्वार, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल में सीमेंट का छोटा कारखाना खड़ा करने के बारे में है । उस क्षेत्र में लाइमस्टोन का डिपाजिट नहीं है इसलिए वहां पर किसी प्रकार का सीमेंट कारखाना लगाने का सवाल नहीं उठता है।

**श्री पीयूष तिरकी** : पश्चिमी बंगाल की सरकार का कहना है कि वहां पर लाइमस्टोन का भंडार है। अंग्रेजों के समय से उसका पता है। वहां पर डोलोमाइट का पहाड़ है, जहां से डालोमाइट मिलाई और दुर्गापुर ले जाया जा रहा है। मंत्री महोदय को यह सूचना कहां से मिली है ? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या लिख कर भेजा है ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : पश्चिमी बंगाल सरकार से हमारे पास इस बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना मिली नहीं है।

**श्री चित्त बसु** : उत्तर में मन्त्री जी ने कहा कि जलपाई गुड़ी में ऐसे कोई चूना पत्थर निक्षेप नहीं पाये गये हैं जो सीमेंट कारखाने की स्थापना हेतु पर्याप्त हो सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर चूना पत्थर के निक्षेप हैं, परन्तु कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए वे पर्याप्त नहीं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या

उस क्षेत्र में एक मध्यम आकार का या लघु सीमेंट कारखाना लगाने का उनका प्रस्ताव है क्योंकि वहां पर सीमेंट की कमी हैं और हमारा देश बाहर से सीमेंट आयात कर रहा है और इस तरह देश की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। मेरे विचार में लघु सीमेंट कारखाने लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** जहां तक इस विशेष स्थान का सम्बन्ध है, वहां पर लघु सीमेंट कारखाना लगाने की कोई सम्भावना नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में जहां कहीं लघु सीमेंट कारखाने लगाने के लिए पर्याप्त निक्षेप हैं, हमने ऐसे लघु सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर कार्यवाही की है। इस समय दो स्थानों की चर्चा की जा रही है। एक तो पुरुलिया जिले में है, जिसे जबरबान कहते हैं और दूसरा भी पुरुलिया में है जिसे हंस पत्थर कहते हैं।

**मिट्टी विज्ञान की जांच के बारे में भू-विज्ञान आयोग की स्थापना**

*1144. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भू-विज्ञान आयोग की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो मिट्टी विज्ञान की जांच पड़ताल का पर्यवेक्षण शुरू करेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की एजेन्सियों को अपनी परामर्शदात्री सेवायें प्रस्तुत करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एन०आर०एस०ए० और प्रस्तावित आयोग की गतिविधियों में समन्वय लाने की कोई संभावना है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री एस० आर० दामाणी :** मैं उनके मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय जांच की देखभाल करने और अनुसंधान कार्य करने के लिए इस प्रकार का एक आयोग स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे स्थापित न करने के क्या कारण हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने आयोग स्थापित करने का विचार छोड़ दिया है या नहीं ?

**प्रो० शेर सिंह :** जैसा कि मैंने पहले कहा कि भू-विज्ञान आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु अन्तमंत्रालय समितियां काम कर रही हैं। इनमें कुछ समितियां योजना आयोग के तत्वावधान में काम कर रही हैं और हमारे यहां रिमोट सेंसिंग एजेन्सी तथा अन्य संस्थाएं भी हैं, जो यह काम कर रही हैं। समन्वय कार्य एक शासी निकाय द्वारा किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि हैं जो इस कार्य की देखभाल करते हैं।

**श्री एस० आर० दामाणी :** प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी भी सर्वेक्षण कार्य करती है। मैं जानना चाहता हूँ कि एन० आर० एस० ए० द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी पूरी हो चुकी हैं और इस

एजेन्सी की भावी योजनाएं क्या हैं ? इसके अलावा मैं इस एजेन्सी के साथ मिलकर काम करने वाली संस्थाओं के नाम जानना चाहता हूँ।

**प्रो० शेर सिंह** : एन०आर०एस०ए० अप्रैल, 1975 में हैदराबाद में स्थापित की गई थी और इसने चार विमान बनाये, बहुत ऊंचाई के लिए एक केनबरा, मध्यम ऊंचाई के लिए एक एवरो और कम ऊंचाई के लिये दो डैकोटा। हम सर्वेक्षण कर रहे हैं और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में प्राप्त हो रहे विवरण की भी जांच कर रहे हैं। इनका विश्लेषण एन० आर० एस० ए० तथा राज्यों द्वारा किया जाता है। जब वे विश्लेषण के लिये एन०आर०एस०ए० को अपना विवरण भेजते हैं तो एन०आर०एस०ए० उनके लिए यह काम करता है।

**अरविंद आश्रम, पांडिचेरी पर उत्तेजित भीड़ द्वारा हिंसा**

*1145. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1979 में पांडिचेरी में विलय-विरोधी हिंसक आन्दोलन के दौरान वहां का श्री अरविन्द आश्रम उत्तेजित भीड़ की हिंसा का निशाना बना;

(ख) क्या आश्रम के प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया;

(ग) यदि हां, तो क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ बदमाशों के खिलाफ मामले दर्ज किये गए हैं;

(ङ) क्या अपराधियों को सजा दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री धनिक लाल मण्डल )** : (क) तथा (ख) जी हां श्रीमान्।

(ग) श्री अरविन्द आश्रम न्यास के प्रबन्धक न्यासी ने पांडिचेरी प्रशासन को भेजे अपने अभ्यावेदन में आश्रम की सम्पत्तियों को हुई क्षति का अनुमान 1,28,000 रु० लगाया है। इसके अतिरिक्त, श्री अरविन्द आश्रम हरपागोन वर्कशाप न्यास आश्रम वालों द्वारा चलाया जा रहा एक स्वतन्त्र न्यास के न्यासी ने एक लकड़ी कार्य युनिट और एक आटो वर्कशाप के सम्बन्ध में 6.5 लाख रुपये की हानि की सूचना दी है।

(घ), (ङ) तथा (च) भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/427/353/336/188/120 ख/ 380/435/307/506/323/332/448 के अधीन तेरह मामले दर्ज किये गये हैं और इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त 21 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इन मामलों की जांच की जा रही है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : जहां तक मुझे, सभी को तथा आपको पता है कि पांडिचेरी में श्री अरविन्द आश्रम जनवरी में विलय-विरोधी आन्दोलन के दौरान राजनीतिक रूप से तटस्थ रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है कि उन दो दिनों में जनता द्वारा हिंसा का लक्ष्य क्यों बना ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इसके विपरीत कोई रिपोर्ट मिली है कि इसने विलय-विरोधी आन्दोलन का पक्ष लिया था, क्या अरविन्द आश्रम में किन्हीं व्यक्तियों ने विलय-विरोधी या विलय के समर्थन में कोई वक्तव्य जारी किया और क्या इसके

किसी प्रकार का पक्ष लिया। अन्यथा, जनता द्वारा हिंसा का इसे लक्ष्य बनाने के क्या कारण थे और क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ?

**श्री धनिक लाल मंडल :** हम यह नहीं जान सके कि इन लोगों ने इस आश्रम पर आक्रमण क्यों किया। मैं स्वयं यह जानकर हैरान हूं कि विलय-विरोधी लोगों ने इस आश्रम पर हमला क्यों किया, इसलिए मैंने इसकी जांच करने के लिए कहा है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक धारणा यह है कि आश्रम में भी गुटबाजी है, हो सकता है इसका कारण यही हो। हमारी यह कल्पना ही है। हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। परन्तु मैंने इसके लिए कहा है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** आपने आश्रम के अन्दर गुटबाजी के बारे में कुछ कहा। क्या आश्रम के अन्दर गुटों द्वारा हिंसा भड़काई गई ?

**श्री धनिक लाल मंडल :** हम नहीं कह सकते। हमने केवल यह कहा है कि ऐसा सम्भव हो सकता है। आपने स्वयं कहा है कि इस आश्रम का विलय या विलय-विरोध से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक अलग किस्म का आश्रम है। अतः मैंने मामले में रिपोर्ट के लिए कहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त होता है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हाथी द्वारा महिला की मृत्यु

*1140. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 3 अप्रैल, 1979 को बाकुलताला, मिडल अन्दमान में सरकारी स्वामित्व के एक हाथी ने एक गर्भवती महिला श्रीमती पूर्णलक्ष्मी दास और उनकी दो वर्षीय पुत्री को मार डाला था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाकुलताला और इसके आस-पास के गांवों में सरकारी स्वामित्व के हाथियों से जान माल को खतरा हो गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार को उत्तरी और मिडल अन्दमान के गांवों से हाथियों द्वारा की गई क्षति के बारे में बराबर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) से (ग) 2 अप्रैल, 1979 की रात को अन्दमान वन विभाग का एक हाथी जो बाकायदा जंजीरों से बंधा था, रात को चरने के लिए वन में छोड़ दिया गया था। 3 अप्रैल, की सुबह हाथी कालसी ट्राम लेन के नजदीक रिहायशी क्षेत्र में चला गया। इस क्षेत्र के निवासियों ने जिनकी संख्या लगभग 13 थी एकाएक शोर किया और ट्राम लेन के साथ-साथ भागने लगे। हाथी ने भागते हुए व्यक्तियों का पीछा

किया और बाकुलताला की निवासी श्रीमती पूर्णलक्ष्मी, पत्नी श्री नितिपाड़ा दास जो गर्भवती होने के कारण पीछे रह गई थी, को मार दिया। उसकी दो वर्षीय पुत्री जो उस समय उसके साथ थी, उसे हाथी ने दूर फैंक दिया जिससे उसे चोटें आई।

2. हालांकि दुर्भाग्य से यह एकाकी घटना थी लेकिन वन विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि हाथी भटक कर रिहायशी क्षेत्रों में न चले जाएं अधिक सावधानी बरतने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

3. अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि अन्दमान वन विभाग के कुछ हाथी उत्तरी और केन्द्रीय अन्दमान के कुछ गांवों के भीतरी इलाकों में कार्य कर रहे हैं। जानवर चरते समय कभी-कभी ग्रामीणों द्वारा उगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों में ग्रामीणों को, स्थानीय रूप से गठित की गई समिति की सिफारिशों पर, वन विभाग द्वारा पूर्व-निर्धारित दरों पर मुआवजा दिया जाता है। अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि उत्तरी अन्दमान के कुछ गांवों में कभी-कभी जंगली हाथी भी आ जाते हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा के लिए उचित स्थानों पर पुलिस गार्डों को तैनात करके आवश्यक प्रबन्ध किए हैं। जून, 1978 के बाद इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

**फिएट और हैराल्ड कारों का कार्य निष्पादन**

*1141. **श्री सरत कार** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार फिएट और हैराल्ड कारों के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट नहीं है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस)** : देश में निर्मित यात्री कारों के माडल समकालीन डिजाइन के नहीं हैं। ईंधन क्षमता आदि के सम्बन्ध में सुधार की गुंजाइश है। सरकार यात्री कार उद्योग के उन्नयन विशेष रूप से ईंधन क्षमता में सुधार तथा अन्तिम उपयोक्ताओं की विश्वसनीयता के विभिन्न प्रस्तावों पर इस समय विचार कर रही है।

**भारतीय पटसन निगम के गोदाम का जल जाना**

*1142. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन निगम के दो गोदाम जिनमें से एक कूच बिहार जिले तथा दूसरा पश्चिम दीनाजपुर में स्थित थे—गत वर्ष आग दुर्घटना में जल गए; और

(ख) आग के क्या कारण थे और अनुमानतः कितनी हानि हुई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस)** : (क) जी, हां।

(ख) 30 सितम्बर, 1978 को कूच बिहार स्थित जूट कारपोरेशन के भंडार में आग लग गयी थी और 6.27 लाख रुपए मूल्य का 3658 क्विंटल जूट क्षतिग्रस्त हुआ। पश्चिम दिनाजपुर जिले में घटना 20 अक्तूबर, 1978 को हुई थी और 11.92 लाख रुपये मूल्य का 7195 क्विंटल जूट क्षतिग्रस्त हुआ।

दोनों ही केन्द्रों में जूट के स्टाक का अग्नि जोखिम बीमा किया जा चुका था तथा बीमा-कर्ताओं ने कारपोरेशन का पूर्ण दावा स्वीकार भी कर लिया है। पश्चिम दिनाजपुर की घटना के सम्बन्ध मे जो जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी गयी थी उसमें आग लगने का कारण निश्चित नहीं किया जा सका। कूच बिहार में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक ने आग से सम्बन्धित घटना की जांच करने का आदेश दिया है और शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट मिलने की आशा है।

**कार्बी आंगलोंग द्वारा पृथक राज्य के लिए मांग**

*1143. **श्री बीरेन सिंह एंगती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कार्बी आंगलोंग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कार्बी आंगलोंग और एन० सी० हिल्स, आसाम को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में इसके लिए क्या मुख्य आधार दिए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख) सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली में शराब की तस्करी**

*1146. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में शराब की तस्करी के अनेक मामलों की जानकारी मिली है तथा कुछ पकड़े भी गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो संघ राज्यक्षेत्र में उक्त तस्करी को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा 1-1-1979 और 30-4-1979 की अवधि के दौरान शराब की तस्करी के 150 मामलों का पता लगाया गया।

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :

(1) शराब की तस्करी के विषय में नियमित आसूचना एकत्रित की जाती है और बार-बार छापे मारे जाते हैं।

(2) राजधानी में शराब की तस्करी रोकने के लिए सीमाओं पर जांच सख्त कर दी गई है।

(3) शराब की तस्करी का पता लगाने के लिए सीमा पर नाकाबन्दी की जा रही है।

(4) चोरी से शराब की बिक्री करने वाले ज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जाती है।

**राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रमों को चैसिस का वितरण**

*1147. **श्री आर० कोलनथाइबेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने एक राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रम को प्राथमिकता के आधार पर अशोक लेलैंड और बेंज के चेसिस आबंटित करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मामले में केन्द्र द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस)** : (क) यथा (ख) उद्योग मंत्रालय की सलाह के अनुसार बस चेसिसों के निर्माता राज्य परिवहन उपक्रमों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहे है। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा 21-4-79 को बुलाई गई बैठक में तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि राज्य परिवहन उपक्रमों को बस चेसिसों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्हें बताया गया था कि निर्माताओं द्वारा इस प्रकार की प्राथमिकता पहले से ही दी जा रही है।

**वस्त्र मशीन निर्माताओं का विदेशी सहयोग**

*1148. **श्री पी० एम० सईद** :
**श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रोद्यौगिकी में सुधार के लिए विदेशी सहयोग मांगने वाले वस्त्र मशीन निर्माताओं के बीच में न आने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस बारे में इस समय सरकार के पास बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) क्या गत 18 महीनों में सरकार ने केवल 15 समझौतों को मंजूरी दी है और निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये बहुत से प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास अनिर्णीत पड़े है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों को मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस)** : (क) वस्त्र मशीन उद्योग एक महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त जटिलता अन्तर्ग्रस्त है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से होता है। अत: प्रौद्योगिकी के आयात के लिए नये उद्यमियों या विद्यमान मशीन निर्माताओं के आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और तदनुसार निर्णय लिए जाते हैं।

(ख), (ग) और (घ) गत 18 महीनों में वस्त्र मशीनों की विभिन्न वस्तुओं के लिए विदेशी सहयोग हेतु प्राप्त हुए 22 प्रस्तावों में से 18 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। बकाया 4 मामले सम्बद्ध स्वीकृति समितियों को शीघ्र ही भेज दिए जायेंगे।

**"फौना आफ इण्डिया" परियोजना पर कार्य**

*1149. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फौना आफ इण्डिया" परियोजना पर भारत सरकार ने कार्य आरम्भ किया था; और

(ख) क्या इस बारे में आन्ध्र प्रदेश में अभी तक कोई कार्य हुआ है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण "फौना आफ इण्डिया" (भारतीय प्राणिजात) ग्रंथ के संकलन के कार्य में व्यक्त हैं।

(ख) अभी तक लगभग 23 सर्वेक्षण दलों को आन्ध्र प्रदेश में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा लाए गए 50% संग्रह का अभी तक अभिनिर्धारण किया जा चुका है और तत्सम्बन्धी निष्कर्षों को प्रकाशित किया जा चुका है। इन प्रकाशनों की "फौना आफ इण्डिया" ग्रंथ के संकलन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

**विदेशों में लाटरी के टिकटों की बिक्री के लिए अनुमति**

*1150. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विदेशों में लाटरी टिकटों को बेचने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) विदेशों में लाटरी टिकटों को बेचने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**महाराष्ट्र में शक्तिचालित करघे**

1151. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में नये शक्तिचालित करघे लगाने के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनधिकृत शक्तिचालित करघों को कुछ समय पहले से चलते रहने के बहाने नियमित कर दिया जाता; और

(ग) ऐसा गलत काम बन्द करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस)** : (क) 7 अगस्त, 1978 के वस्त्र नीति सम्बन्धी विवरण में बताई गई सरकार की नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्युत करघा क्षेत्र के किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र अथवा अन्य कहीं नए विद्युतकरघों की स्थापना की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) वस्त्र नीति विवरण में विद्यमान अनाधिकृत विद्युतकरघों के विनियमन की व्यवस्था है। इस प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

**उत्पादित कपड़े का 50 प्रतिशत भाग सहकारिता समितियों को दिया जाना**

*1152. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत मिलों को अपना कपड़े के उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से सहकारी समितियों को देना होगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या गैर-सरकारी व्यापार, 30 से 35 प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं जिसका निर्धन उपभोगताओं पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी डीलरों के लाभ की सीमा को कानूनी रूप से 20 प्रतिशत नियत करने का है;

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस)** : (क) जी, नहीं। मिलें कारखाने से निकलते समय की कीमतों पर अपने उत्पादन के क्रास सेक्शन का 10 प्रतिशत भाग सहकारी समितियों को पहले ही देती रही हैं। हाल ही में वे इसे 20 प्रतिशत बढ़ा देने का निर्णय किया गया है। इस समय और वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(ख) कारखाने से निकलते समय मूल्य पर थोक व्यापारियों, अर्द्ध थोक व्यापारियों तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिया जाने वाला लाभ भिन्न-भिन्न होता है जो वितरण के भौगोलिक क्षेत्र तथा उत्पाद के लिए मांग की प्रकृति जैसे विभिन्न कारणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस समय किसी प्रकार का निश्चित लाभ निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन**

*1153. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का नवीनतम प्रतिवेदन अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसे सभा-पटल पर कब तक रखा जायेगा ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) तथा (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से जो एक सरकारी संकल्प दिनांक 21 जुलाई, 1978 द्वारा पिछले एक वर्ष से कम समय में स्थापित किया गया था, सरकार को अभी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

फिर भी 5 जनवरी, 1979 को सरकार को वर्ष 1977-78 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का नवीनतम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन की प्रतियां संसद के प्रत्येक सदन में रखने के राष्ट्रपति के निदेश 23 जनवरी, 1979 को दिये गये थे। प्रतिवेदन का अंग्रेजी रूपान्तर छपने के लिए भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक को भेज दिया गया है। इसका हिन्दी अनुवाद हिस्सों में किया जा रहा है और हिन्दी में छापने के लिए साथ-साथ भारत

सरकार मुद्रणालय नासिक भेजा जा रहा है। जैसे ही प्रतिवेदन की अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तर दोनों में छपी हुई प्रतियां प्राप्त होंगी, प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जाएगा।

**एल्युमिनियम के पेच ढालने के लिये लाइसेंस दिया जाना**

10895. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम के पेचों की ढलाई के लिए व्यापार तथा विकास महानिदेशक ने वर्तमान 20,000 टन से भी कम मांग के विरुद्ध बहुत बड़ी अर्थात 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, लाइसेंस/पंजीकरण क्षमता देश के विभिन्न भागों में 50, विभिन्न फर्मों के लिए स्वीकृत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि और अधिक क्षमता पर प्रतिबल्ब लगाने के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक क्षमता के लाइसैंस देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में ऐसे लाइसेंसधारियों के मस्तिष्क से मंदी और अस्वस्थ प्रतियोगिता का भय दूर करने के उद्देश्य से, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) विद्यमान लाइसेंसिंग नीति के अनुसार ऐल्यूमिनियम सेमिस लाइसेंसीकरण से मुक्त है और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण के अन्तर्गत आता है तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 1,50,000 मी० टन की क्षमता वाले करीब 50 एकक पंजीकृत हैं जबकि अधिष्ठापित क्षमता करीब 30,000 मी० टन है। उसमें से लगभग 18,000 मी० टन उत्पादन हो रहा है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय को पंजीकरण हेतु अभी भी आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं और यदि योजना स्वयं पंजीकरण की शर्तों को पूरा करती है तब उनके पास पंजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उनकी सभी सम्बन्धित प्राधिकरणों के परामर्श से जांच की जा रही है।

**लघु उद्योग संस्थान, मद्रास और रिचर्डसन एण्ड क्रुडस (1972) लिमिटेड में अनु० जा० तथा अनु० जन जा० के कर्मचारियों की पदोन्नति**

10896. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लघु उद्योग सेवा संस्थान मद्रास" तथा "रिचर्डसन एण्ड क्रुडस (1972)" लिमिटेड मद्रास में ग्रुप 'ए' से 'डी' तक सभी संवर्गों में उन आरक्षण आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है जिनमें नियुक्तियों, पदोन्नतियों और स्थायीकरण के समय अनु० जा० तथा अनु० जन जा० के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यदि हां, तो क्यों और पिछले रिक्त पदों को भरने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल अनुसूचित जाति के लिए परिवीक्षा अवधि "रिचर्डसन एण्ड क्रुडस (1972)" लिमिटेड मद्रास में कुछ संवर्गों में लागू की गई है जबकि अन्य मामले में ऐसा नहीं किया गया है; यदि हां, तो यह भेदभाव

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) रिचर्डसन एण्ड क्रुडस (1972) लिमिटेड तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थायी करने में आरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गए निदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(ख) जनवरी/मार्च, 1978 में रिचर्डसन एण्ड क्रुडस में ग्रुप 'ग' तथा 'घ' में 46 कर्मचारी परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रखे गये थे जिनमें से 15 कर्मचारी अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार थे। असंतोषजनक कार्य/उपस्थिति/आचार के कारण 23 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गयी थी जिनमें से 14 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार थे। इस बात पर विचार किये बिना कि क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदायों से सम्बन्धित है अथवा अन्यथा केवल उपरोक्त कारणों से परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई थी। अतः कोई भेदभाव नहीं था।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कथित कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार**

10897. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, बम्बई में कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) क्या यह बात भी उनके ध्यान में आई है कि जो निरीक्षक निदेशकों की इच्छानुसार काम करने की परवाह नहीं करते उन्हें या तो स्थानान्तरित कर दिया जाता है या अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सहायक निगमों में कुप्रबन्ध एवं भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला देखने में नहीं आया है किन्तु मॉडल मिल्स, नागपुर में ग्लास वूल की खरीद विषयक एक अनियमितता का अवश्य पता लगा था। निगम द्वारा जिम्मेवारी निश्चित करने तथा हानि की वसूली करने हेतु कार्यवाही की जा चुकी है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार के सहायक निगमों में कोई भी निरीक्षक नियुक्त नहीं है अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**धर्म परिवर्तन विरोधी अधिनियम**

10898. **श्री एडु आर्डो फैलीरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने मिजोरम में लगभग डेढ़ माह पूर्व एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के हाल ही के एक विधेयक के प्रति जिसे सामान्यतः धर्म परिवर्तन विरोधी अधिनियम कह कर पुकारा जाता है, अपना अनुमोदन व्यक्त किया था;

(ख) यह वक्तव्य उन्होंने किन कारणों से दिया;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद में एक ऐसा ही विधान पेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्य है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने डेढ़ माह पूर्व मिजोरम का दौरा नहीं किया अत: मिजोरम में उनके वक्तव्य देने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि 7 अप्रैल, 1979 को शिलांग की एक प्रेस कान्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश स्वतन्त्र देशज धर्म विधेयक के विषय में पूछने पर प्रधान मन्त्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जायेगा और यह कि सरकार प्रलोभन देकर किए गये धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**ताज को क्षति से बचाने के लिये यूनान से मांगी गई सहायता**

10899. **श्रीमती मोहसिना किदवई**
**श्री वसंत साठे** } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताज को प्रदूषण करने की क्षति से बचाने के लिये यूनान से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार की विशेषज्ञता देश में ही उपलब्ध नहीं है ?

**रक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित रिफाइनरी से होने वाले प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिये विशेषज्ञता देश में ही उपलब्ध है।

**ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि**

10900. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैसी फागूसन, फोर्ड, जीटर एस्कार्ट तथा हिन्दुस्तान ट्रैक्टरों के मूल्यों में कितनी कितनी वृद्धि हुई है और उनके मूल्य इस समय कितने हैं;

(ख) प्रत्येक ट्रैक्टर का लागत मूल्य कितना है, सरकार द्वारा उस पर कितने कर लगाये गये हैं; प्रत्येक मामले में डीलर का कमीशन कितना है और ट्रैक्टरों के लागत मूल्य में अन्य किन-किन चीजों के मूल्य जोड़े जाते हैं; और

(ग) क्या ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि फार्म उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि से कहीं अधिक

होने को देखते हुए, सरकार का विचार उनके मूल्यों में कमी करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) कृषि ट्रैक्टरों पर कानूनी मूल्य नियन्त्रण नहीं है। किन्तु तीन प्रमुख मेक के ट्रैक्टरों पर मूल्य निगरानी रखी जा रही है अर्थात मेसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, मद्रास द्वारा निर्मित एम० एफ-1035 और टैफे-504 और मेसर्स एस्कार्ट्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा निर्मित फोर्ड-3600 पिछले तीन वर्षों में मूल्य निगरानी के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में मूल्य-वृद्धि निम्न प्रकार हुई है :—

| ट्रैक्टर का माडल | अगस्त, 1976 के रेल तक निष्प्रभार गंतव्य स्थान मूल्य | वर्तमान मूल्य (रेल तक निष्प्रभार गंतव्य स्थान |
|---|---|---|
| एम० एफ-1035 | 43,104·40 रुपये | 53,950·50 रुपये |
| टैफे-504 | 57,082·20 रुपये | 62,981·73 रुपये |
| फोर्ड-3600 | 56,169·00 रुपये | 68,680·80 रुपये |

(ख) चूंकि कृषि ट्रैक्टरों पर कानूनी नियन्त्रण नहीं है। अतः विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में मानकीकृत मानकों के आधार पर लागत-आंकड़े संकलित करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

(ग) ट्रैक्टरों के मूल्य मुख्य रूप से अन्तर्वस्तुओं की कीमतों और विभिन्न करों और शुल्कों के प्रभाव पर निर्भर करते हैं। ट्रैक्टरों का निर्माण मितव्ययी आधार पर शुरू करने के उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि करने और व्यवहार्य सीमा तक सम्मरण के प्रतिस्पर्धा स्रोत प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए गये हैं। 1978-79 में देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन 54,600 नग से ज्यादा के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 1977-78 में 40,946 ट्रैक्टरों और 1976-77 में 33,146 ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टरों पर फिर से कानूनी मूल्य नियन्त्रण लगाने का विचार नहीं है।

### एच० एम० टी० द्वारा जीटर ट्रैक्टरों का आयात

10902. **श्री अब्दुल लतीफ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान एच० एम० टी० को कितने जीटर ट्रैक्टरों (अधिक अश्व शक्ति वाले) का आयात करने की अनुमति दी गई और कितने ट्रैक्टरों का आयात अथवा वितरण किया जा चुका है;

(ख) इन ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई और इनके वितरण का कार्य किन एजेन्सियों को सौंपा गया;

(ग) प्रत्येक आयातित ट्रैक्टर के लिये एच० एम० टी० को कुल कितना मूल्य अदा करना पड़ा और किसानों को बिक्री के लिए इसके क्या मूल्य नियत किये गये तथा मूल्यों में भारी विषमता के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य के बारे में कोई मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किये थे ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**लद्दाख के आर्थिक विकास के लिए योजना**

10903. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पिछड़े हुए जिले लद्दाख के तेजी से आर्थिक विकास के लिए एक विशिष्ट अल्पावधि योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री फज़लुर्रहमान)** : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले के त्वरित विकास के लिये एक एकीकृत उप योजना राज्य की योजना में तीसरी योजना की अवधि से शामिल की गई है। राज्य की 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में लद्दाख क्षेत्र के लिए 60 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। राज्य द्वारा प्रस्तावित उप योजना के क्षेत्रीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

| | | (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| (1) | सहकारिता सहित कृषि और संबद्ध सेवाएं | 8.33 |
| (2) | सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण | 6.96 |
| (3) | विद्युत | 22.29 |
| (4) | उद्योग और खनिज | 1.02 |
| (5) | परिवहन और संचार | 10.43 |
| (6) | सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं | 8.89 |
| (7) | आर्थिक और सामान्य सेवाएं | 2.08 |
| | | 60.00 |

उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख की उप योजना को जम्मू और कश्मीर की 1978-83 की योजना के साथ अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

**कागज के उत्पादन में कमी**

10904. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सफेद छपाई के कागज के उत्पादन में कमी हुई है क्योंकि सरकार ने गत पांच वर्षों में उसकी कीमत का पुनरीक्षण नहीं किया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : पिछले पांच वर्षों से छपाई के सफेद कागज के मूल्यों में संशोधन न होने के कारण इसके उत्पादन में काफी कमी नहीं हुई है। हाल के महीनों में, बिजली की कमी, परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां, कोयले की अनुपलब्धता औद्योगिक अशांति जैसे विभिन्न कारणों से कागज तथा गत्ते के कुल उत्पादन में कमी हुई है, तथा उसी के अनुसार सफेद छपाई के कागज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंजीनियरिंग यूनिटों को श्रेणीबद्ध करने के लिए समितयों का गठन**

10905. **श्री बालकराम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की इन्जीनियरिंग यूनिटों को श्रेणीबद्ध करने के लिए वर्ष 1964 से अब तक केवल आठ समितियां बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रशासी निकाय ने 3 अप्रैल, 1979 को एक और समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब तक गठित की जा सकेगी और कब तक यह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

**रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेर सिंह)** ; (क) सी० एस० आई० आर० की इंजीनियरी यूनिट की संगठनात्मक व्यवस्था इत्यादि को केवल अवलोकन करने के लिए वर्ष 1964 से चार समितियां गठित की गई। सम्पूर्ण सी० एस० आई० आर० की कार्मिक नीतियों के अवलोकन के लिए कुछ और समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों ने साथ ही साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की इंजीनियरी यूनिट के पदों के वर्गीकरण का अवलोकन किया।

(ख) इन समितियों पर किये गए व्यय के लिए अलग से लेखे नहीं रखे गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ट्रैक्टरों का आयात**

10906. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ट्रैक्टरों का आयात किया गया है किया जा रहा है यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उक्त निर्यात करने के क्या कारण हैं;

(ख) इन ट्रैक्टरों के वितरण के लिए किसी एजेंसी का चयन किया गया है और प्रत्येक ट्रैक्टर के लिए कितना मूल्य लिया जाता है;

(ग) एच० एम० टी० द्वारा आयातित प्रत्येक जीटर ट्रैक्टर की कुल लागत कितनी है और कृषकों के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना रखा गया है; और

(घ) क्या सरकार अथवा पी० ई० सी० ने एच० एम० टी० की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उन ट्रैक्टरों के उचित मूल्य निर्धारित करने का कोई सूत्र तैयार किया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**औद्योगीकृत क्षेत्र में और नए उद्योगों की स्थापना**

10907. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन क्षेत्रों में पहले ही बहुत से उद्योग स्थापित हो चुके हैं उन्हीं क्षेत्रों में अविकसित क्षेत्रों का विकास करने के बजाय, नए उद्योग स्थापित करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है;

(ख) एक ही स्थान पर उद्योगों के जमाव की पुरानी प्रणाली में परिवर्तन करने में सरकार कितना समय लेगी; और

(ग) क्या उनका विचार गाजियाबाद, मेरठ, सिकन्दराबाद, मोदी नगर, रायबरेली, कानपुर आदि का उदाहरण देखने और विशिष्ट स्थानों पर बड़ी संख्या में नए उद्योगों के जमाव को हतोत्साहित करने का है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक नीति विवरण में सरकार ने भविष्य में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर दी है । सम्बद्ध पैरा नीचे दिया गया है :—

सरकार देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बहुत अधिक महत्व देती है ताकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की असमानताओं को प्रभावी रूप से कम किया जा सके। सरकार ने इस तथ्य को काफी चिन्तापूर्वक देखा है कि हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ अधिकतर औद्योगिक विकास महानगरीय क्षेत्रों और बड़े शहरों के आसपास ही सीमित रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों की विशेष करके बड़े शहरों में काम करने वाले वर्ग की रहन-सहन की स्थिति में गिरावट आई है। तथा स्लमों और वातावरण प्रदूषण आदि की समस्या उग्र हुई है। सरकार ने निश्चय किया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े महानगरों की और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में कुछ निश्चित सीमाओं तक नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए और अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से भी इन क्षेत्रों में उन नए उद्योगों को जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती स्थापित करने में समर्थन न देने का अनुरोध किया जाएगा। भारत सरकार घनी आबादी वाले महानगरों से अनुमोदित पिछड़े क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थानान्तरित करने के इच्छुक विद्यमान बड़े उद्योगों को सहायता देने पर भी विचार करेगी ।

**तदर्थ हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं का विस्तार**

10908. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में काम कर

रहे हिन्दी अधिकारियों आदि के लिए केन्द्रीय संवर्ग गठित करने में थोड़ा और समय लगने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तदर्थ हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं को और एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए आदेश जारी करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों आदि से पहले ही कहा गया है कि प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल होने वाले पदों पर काम कर रहे उन कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें सन्तोषजनक हैं, वित्त मन्त्रालय के परामर्श से, और आवश्यक होने पर, संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से, प्रस्तावित सेवा के बनने तक या 30-6-79 तक, जो भी पहले हो, अपने-अपने पदों पर बने रहने दिया जाए और उन्हें अपने मूल कार्यालयों और पदों पर केवल इसलिए वापिस न भेजा जाए कि उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई है। आवश्यकता पडने पर इस अवधि को बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

**ग्रुप 'डी' ( चतुर्थ श्रेणी ) अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर**

10909. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मन्त्री ग्रुप 'डी' (चतुर्थ श्रेणी) अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों के बारे में 21 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 4162 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में 26 मई, 1975 को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार ग्रुप 'डी' (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिए क्या मापदण्ड हैं;

(ख) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में मई, 1975 से रिकार्ड सार्टर/रिकार्ड कीपर का केवल एक ही पद बनाने के क्या कारण हैं और उक्त पद किस तारीख से बनाया गया था;

(ग) मई, 1975 में आदेशों के जारी किये जाने के बाद गृह मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय में ऐसे कितने पद बनाये गये; और

(घ) क्या 20 मई, 1975 को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किए गए उक्त आदेशों की एक प्रति सरकार सभा पटल पर रखेगी ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) तथा (घ) ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को रिकार्ड सार्टर/रिकार्ड कीपर के पद पर पदोन्नति के मापदण्डों से सम्बन्धित 26 मई, 1975 के आदेशों की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में रिकार्ड कीपर के एक पद का सृजन दिनांक 9-5-78 से किया गया था अभिनिर्धारित नयी लिपिकीय कार्य से रिकार्ड कीपर के मात्र एक पद के सृजन का औचित्य सिद्ध हुआ था।

(ग) गृह मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय में ऐसे किन्हीं भी पदों का सृजन नहीं किया गया है।

**विवरण**

चपरासियों तथा दफ्तरियों आदि के ग्रेड से पदोन्नति के लिये रिकार्ड सार्टरों/रिकार्ड कीपरों आदि के समतुल्य नौकरियों के सृजन से सम्बन्धित तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश संख्या 50 (111)।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 8 (भाग-1) में सिफारिश [सिफारिश संख्या 50 (111)] की थी कि नेमी लिपिकीय कार्य, जिन्हें कुछ विभागों में रिकार्ड कीपरों आदि के पदों को सौंपा जाता है, को पहचान करने और ऐसे पदों (रिकार्ड कीपरों के समतुल्य) जो निरपेक्ष रूप से श्रेणी-IV के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाने चाहिए, का सृजन करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये । आयोग की इन सिफारिशों को अब स्वीकार कर लिया गया है तथा वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि आंतरिक कार्य अध्ययन एकक के सहयोग से और कर्मचारी निरीक्षण एकक से भी, यदि आवश्यक हो, नेमी लिपिकीय कार्य की पहचान करें और विहित कार्यविधियों का पालन करते हुए रुपए 225-308 के संशोधित वेतनमान में रिकार्ड कीपरों के पद का सृजन करें। इन नए पदों का सृजन अवर श्रेणी लिपिकों की विद्यमान पद संख्या में उपयुक्त पुनर्समायोजन करके किया जायेगा, क्योंकि वे अपने कुछ कार्य त्याग देंगे, इसलिए, ऐसे पदों पर अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी । यह भी निर्णय किया गया है कि इस प्रकार पता लगाए गए पदों को ऐसे श्रेणी-IV के कर्मचारियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा जो कम से कम मिडिल पास की शैक्षिक अर्हता रखते हों ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से आगे अनुरोध है कि उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पता किये गये नये पदों में पदोन्नति हेतु पात्र श्रेणी-IV कर्मचारियों को उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिये उचित परीक्षा निर्धारित करें। मंत्रालय/विभाग इन पदों को भरने के लिए उचित भर्ती नियमों को बनाने के प्रश्न को इस विभाग के साथ उठा सकते हैं।

**लवण पर उपकर लगाया जाना**

10910. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लवण पर उपकर लगाया जाता है और यदि हां, तो किस प्रकार तथा कितना;

(ख) वर्ष 1970-77, 1977-78 और 1978-79 में वर्ष वार और राज्यवार लवण पर उपकर लगाये जाने से कितनी आय हुई;

(ग) जिन-जिन राज्यों से यह लवण उपकर आता है वे लवण उपकर इन राज्यों में बांट देने की कोई योजना है या बनाई जाएगी तथा कब और यह योजना कैसे बनाई जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, हां । नमक उपकर अधिनियम, 1953 तथा नमक उपकर नियम, 1964 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत में बनाये गये नमक पर 3.50 रु० प्रति मी० टन की दर से निम्नलिखित छूटों के अधीन उपकर लगाया जाता है;

(1) 4.04686 हैक्टेयर से कम क्षेत्र में बनाये गये नमक तथा सहकारी समितियों, जिसके सदस्यों के पास 4 04686 हैक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है, द्वारा बनाये गये नमक को नमक उपकर से छूट मिली हुई है।

(2) 4.04686 तथा 40.4648 हैक्टेयर में तैयार किये नमक अथवा सहकारी समितियों जिनके सदस्यों के पास 4.04686 तथा 40.4648 हैक्टेयर के बीच क्षेत्र है, वे निर्धारित दर के 50 प्रतिशत तक उपकर देना पड़ता है।

(3) समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात किये जाने वाले अथवा नेपाल को भेजे जाने वाले उपकर के भुगतान से छूट मिली हुई है।

(ख) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किया गया नमक उपकर लगाने वाला विवरण संलग्न है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1978 में (31-12-78 तक) सभी राज्यों से 96,16,195 रु० उपकर के रूप में इकट्ठें किये गये थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नमक उपकर अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत, जिसमें उपकर से होने वाली आय को इस्तेमाल करने की पद्धति निर्धारित की गयी है, राज्यों को उपकर से होने वाली आय में से प्रत्यक्ष कुछ भी राशि आबंटित नहीं की जाएगी। किन्तु सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय नमक जांच समिति, अन्य बातों के साथ-साथ नमक उपकर अधिनियम तथा नमक उपकर नियमों के कार्य संचालन की समीक्षा करेगी ताकि सभी नमक उत्पादक क्षेत्रों के बराबर लाभ मिलने का सुनिश्चय किया जा सके और वह उचित सुझाव भी देगी।

**विवरण**

( लाख रु० में )

| राज्य | 1976-77 | 1977-78 |
|---|---|---|
| अन्ध्र प्रदेश | 4.30 | 4.22 |
| गोआ, दमन एण्ड द्वीप | 0.38 | 0.15 |
| गुजरात | 75.99 | 83.97 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.15 | 0.14 |
| कर्नाटक | 0.05 | 0.04 |
| महाराष्ट्र | 12.20 | 14.55 |
| उड़ीसा | 1.54 | 1.11 |
| पांडिचेरी | 0.01 | 0.01 |
| राजस्थान | 6.49 | 8.08 |
| तमिलनाडु | 11.31 | 15.28 |
| पश्चिम बंगाल | 0.46 | 0.27 |

## मैसर्स प्योर ड्रिंक्स की क्षमता

10911. **श्री गोविन्द गुण्डा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स उद्योग समूह के विभिन्न एककों की लाइसेंस प्राप्त एवं अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों में गत 5 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उनके कुछ संयंत्रों की क्षमता सरकार द्वारा नियत नहीं की गई है; और

(घ) संगत सरकारी अधिसूचना के सन्दर्भ में अपने दायित्वों को पूरा न करने में फर्मों की असफलता पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) तथा (ग) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि०, बम्बई, मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० तथा मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (कलकत्ता) लि० के पास उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए पंजीकृत प्रमाण पत्र हैं जिनमें क्षमता के बारे में नहीं बताया गया है। मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के पास 1,60,000 केसों की मासिक क्षमता के हेतु कार्बोनेटिड पेय फलों का रस (फ्रूट जूस) तैयार करने के भी लाइसेंस हैं। मैसर्स सदर्न बोटलर्स प्रा० लि०, मद्रास तथा मैसर्स पंजाब बीवरेजिज लि०, चंडीगढ़ के पास तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए क्रमश: 60,930 तथा 86,400 लाख बोतल की स्वीकृत क्षमता वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन संयंत्रों में हुए उत्पादन को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) कम्पनी को अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

**विवरण**

| क्र० सं० | फर्म का नाम | स्थापना स्थल | सोफ्ट ड्रिंक्स का उत्पादन (दस लाख बोतलों में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
| 1. | मै० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड | नई दिल्ली | 88.94 | 108.51 | 108.71 | 97 31 | 68.64 |
| 2. | मै० प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लि० | बम्बई | 75.83 | 49.80 | 57.29 | 30.37 | 24.88 |
| 3. | मै० प्योर ड्रिंक्स (कलकत्ता) लिमिटेड | कलकत्ता | 25.04 | 41.69 | 35.51 | 37.11 | 13.95 |
| 4. | मै० साऊदर्न बोटलर्स प्राइवेट लि० | मद्रास | 19.86 | 12.41 | 14.22 | 8 74 | 5.08 |
| 5. | मै० पंजाब बीव्रेजिज लि० | चंडीगढ़ | 45.70 | 34.69 | 42.45 | 29.57 | 9.65 |

**दियासलाई उद्योग में पंजीकृत क्षेत्र के उद्योगों के नाम**

10912. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दियासलाई उद्योग में पंजीकृत क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ख) दियासलाई उद्योग के पंजीकृत तथा लघु उद्योगों में इस समय दिए जा रहे रोजगार के बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) मशीनीकृत क्षेत्र में दियासलाइयों का उत्पादन केवल मैसर्स विमको लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है तथा इसके पांच एकक हैं जो घुबरी (आसाम), आलम बाजार (कलकत्ता), अम्बरनाथ (बम्बई), मद्रास (तमिलनाडु) व बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

(ख) अनुमान है कि मशीनीकृत क्षेत्र में लगभग 6988 व्यक्तियों को व गैर मशीनी क्षेत्र में 54,229 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

**प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) पर पुलिस की कार्यवाही**

10913. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पुलिस इसके पास प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं;

(ग) क्या पुलिस ने ऐसे एक मामले पर, जो 20 फ़रवरी, 1979 को कृष्णाकुंज यमुनापार, दिल्ली में हुआ था, जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई थी, कोई कार्यवाही नहीं की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) तथा (ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) तथा (घ) कृष्णा कुंज, खुरेजी, शाहदरा के श्री महाबीर सिंह यादव नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई एक लिखित शिकायत पुलिस उपायुक्त (पूर्वी जिला) द्वारा प्राप्त की गई थी जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसके पुत्र को पीटने का आरोप लगाया गया था। एस० एच० ओ० गांधीनगर द्वारा आरोपों की जांच की गई थी परन्तु वे साबित नहीं हुए। इस समय सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर मामले की जांच कर रहे हैं।

**सीलमपुर पुलिस चौकी पर दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट**

10914. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० एच० आर० 1936 तीन पहिये वाले स्कूटर से हुई एक दुर्घटना में एक 10 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित मामले में सीलमपुर पुलिस चौकी

पर 22 मई, 1978 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1348, डी० डी० नं० 15-ए दायर की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) क्या यह सच है कि सीलमपुर पुलिस थाने के एस० एच० ओ० ने लड़की के पिता से मिलने से इन्कार कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और एस० एच० ओ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 अप्रैल, 1979 के हिन्दी 'जनयुग' दिल्ली में प्रकाशित एक पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि दुःखी पिता के साथ न्याय किया जाए ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (च) तीन पहिये वाले स्कूटर संख्या डी० एच० आर० 1936 से हुई एक दुर्घटना में एक 10 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सीलमपुर पुलिस स्टेशन में तारीख 22-5-1978 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 348 दर्ज की गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279/, 3371, 304-क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और स्कूटर के चालक को गिरफ्तार किया गया। मामला अब न्यायालय में विचारणाधीन है। सरकार को तारीख 26-4-1979 को हिन्दी जनयुग में प्रकाशित लेख की जानकारी है। 'ख' और 'ग' में लगाए गए आरोप सही नहीं है।

## स्टेनोग्राफर सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को क्रियान्विति

10915. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 27/2/71 एस्टेब्लिशमेंट (एस० सी० टी०) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 द्वारा दिए गए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड सी० से ग्रेड बी० और ग्रेड बी० से ग्रेड ए० में पदोन्नति करते समय लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफ़र सेवा के ग्रेड ए० और बी० में पदोन्नत किया गया ?

**गृह मंत्रालय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**खादी तथा ग्रामोद्योग भवन में भर्ती नियमों का उल्लंघन**

10916. **श्री राजेविश्वेश्वर राव** : क्या उद्योग मंत्री 18 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7418 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली में भरती तथा पदोन्नति के मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को पदोन्नति के कुछ मामलों में वरिष्ठता तथा योग्यता पर भी विचार नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों में व्याप्त ऐसे असन्तोष को दूर करने हेतु इन शिकायतों को दूर करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1 अक्तूबर, 1974 से खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों की संवर्ग वार वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कर्मचारी चयन के समिति की स्वीकृति से वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नतियां की गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**मध्य प्रदेश की मिलों में एन० टी० सी० एजेन्टों की संख्या**

10917. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मन्त्री 21 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जनवरी, 1976 से मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान वहां निर्मित कपड़े को बेचने के लिये मिल-वार (एन० टी० सी०) कितने एजेंट नियुक्त किये गये और क्या यह सच है कि एजेंटों ने कपड़ा बेचने के लिए कुछ राशि जमा कराई है और यदि हां, तो प्रत्येक एजेन्ट ने कितनी राशि जमा कराई है; और

(ख) इन एजेंटों को कमीशन किस आधार पर दिया जाता है तथा प्रत्येक एजेंट को अब तक कमीशन की कितनी राशि दी गई है और कितने एजेंटों को अभी कमीशन दिया जाना है तथा इस मद में कितनी राशि दी जानी है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जनवरी, 1976 से मार्च, 1977 की अवधि में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० में 40 एजेंट (अभिकर्त्ता) नियुक्त किये थे। इसके अलावा सहायक निगमों के अधीन अलग-अलग मिलों द्वारा भी कुछ एजेंट नियुक्त किये गये थे। ऐसे एजेंटों की सही संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। इन एजेंटों द्वारा 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच धनराशि जमा कराई गई है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**मध्य प्रदेश में सोयाबीन उद्योगों की स्थापना के लिये आवेदन-पत्र**

10918. **श्री राघवजी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए गत दो वर्षों में किन एजेंसियों ने केन्द्रीय सरकार को आवेदन-पत्र दिये;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन एजेंसियों को अब तक आशय पत्र जारी नहीं किये गए हैं; और

(ग) उनको आशय पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं तथा उनको आशय पत्र कब तक जारी किए जायेंगे ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :** (क) विगत दो वर्षों में मैसर्स ब्रिटानियां बिस्कुट कं० लि०, बम्बई ही एक ऐसी कम्पनी थी जिसने मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित उद्योग की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार से उक्त राज्य में सोयाबीन पर आधारित उद्योग की स्थापना करने हेतु मैसर्स फूड स्पेशियेलिटीज लि० तथा मैसर्स काडबरी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरोध किया गया है जिसको राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। उनसे मध्य प्रदेश के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु औपचारिक आवेदन पत्र नहीं मिला है।

(ख) मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लि०, बम्बई।

(ग) कम्पनी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

**विद्रोही मिजो द्वारा मारे गये व्यक्ति**

10919. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में अब तक विद्रोही मिजो लोगों ने मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और आस पास के अन्य क्षेत्रों में कितने व्यक्ति मार दिये हैं;

(ख) उस अवधि में मिजो लोगों के द्वारा किये गये हमलों की प्रमुख घटनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा हताहत/उनके परिवारों को पुनर्वास तथा मुआवजा दिये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) 1 जनवरी, 1979 से 30 अप्रैल, के दौरान मारे गये व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| मिजोरम | 2 |
| मणिपुर, त्रिपुरा और आसपास के अन्य क्षेत्र | शून्य |

(ख) 1 जनवरी, 1979 से 30 अप्रैल, तक मुख्य घटनाओं का विस्तृत विवरण :—

**मिजोरम**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | सुरक्षा बल के कार्मिक जो गोली से मारे गए | 2 |
| (2) | सरकारी हाईजेक किये गये वाहन | 2 |
| (3) | सरकारी धन जो लूट लिया गया/चोरी हो गया (2,36,350 रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है) | 3 |
| (4) | अपहरण किए गये पुलिस पदाधिकारी (बाद में छोड़ दिए गए) | 1 |
| (5) | सुरक्षा बल गश्ती दल पर चलाई गई गोली | 2 घटनाएं (प्रत्येक घटना में एक जवान घायल हुआ) |

मणिपुर, त्रिपुरा और आसपास के अन्य क्षेत्रों में कोई मुख्य घटना नहीं हुई ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली में डकैतियां**

10920. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकुओं के एक गिरोह ने महरौली, दिल्ली में अनेक डकैतियां डाली और कम से कम एक दर्जन व्यक्तियों पर, जिन्होंने उनका विरोध किया था; गोली मार कर तथा उन्हें घायल करके नकदी तथा जवाहरात लेकर भाग गये;

(ख) क्या इस बीच कोई डकैत पकड़ा गया है;

(ग) डकैतों को पकड़ने में पुलिस की विफलता के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से राजधानी में डकैतियों के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। डकैती के दो मामले महरौली थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173 और 174 दिनांक 2-5-79 दर्ज किए गए थे । इन मामलों में डाकुओं के आक्रमण का मुकाबला करने के प्रयास में ग्यारह व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और जांच की जा रही है ।

(घ) और (ङ) 1-1-1979 से 30-4-1979 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में डकैती के उन्तीस मामले सूचित किए गए थे जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान ऐसे 32 मामले सूचित किये गए थे ।

**भारतीय पटसन निगम के चेयरमैन के कार्यालय का स्थान**

10921. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पटसन निगम के चेयरमैन का कार्यालय कहां पर स्थित है और वहां से उसके क्या-क्या कार्य किये जाते हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : भारतीय पटसन निगम के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। अध्यक्ष निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बोर्ड कम्पनी की कार्य व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी है।

**विद्युत चालित करघों को परमिट देना**

10922. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को उत्पादन शुल्क विभाग ने 1976 से मार्च 1979 की अवधि के लिये पीतल दर पर लेवी लगाकर परमिट जारी कर दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त विद्युत चालित करघों को कपड़ा लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं; और

(ग) क्या उनको परमिट जारी न करके सरकार द्वारा इन विद्युत चालित करघों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है और यदि नहीं, तो परमिट कब जारी किए जायेंगे ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अप्राधिकृत विद्युत करघों को विनियमित करने की प्रक्रिया के तरीकों का पता लगाया जा रहा है। जैसे ही इनको अतिन्म रूप दे दिया जाएगा ऐसे सभी विद्युत-करघों को वस्त्र अनुज्ञा (टेक्सटाइल परमिट) स्वीकृत कर दी जाएगी।

**मैसर्स पोररिटस एंड स्पेंसर्ज (फेल्ट) द्वारा नमदो (फैल्ट) की उत्पादन क्षमता**

10923. **श्री अनन्त दवे** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स पोररिटस एंड स्पेंसर्ज स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त नमदों का उत्पादन कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**कम्पनियों द्वारा क्षमता बढ़ाया जाना**

10924. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया है जबकि उनके विरुद्ध जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) कम्पनियों से उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत क्षमता का विस्तार करने हेतु मिले प्रस्तावों पर इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। अन्य

कानूनों के माध्यम से की गई पूछताछ के अधीन कम्पनियों की क्षमता को प्रतिबन्धित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री रजनीश आश्रम के लिए डाक का सेंसर किया जाना**

10925. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे स्थित श्री रजनीश आश्रम को भेजी जाने वाली निजी तथा व्यापारिक डाक निरन्तर सेंसर की जाती है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक शिकायत संचार मन्त्री को भेजी गई है और यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, पुणे ने शिकायत को सत्यापित किया है; और

(घ) निरन्तर सेंसर किये जाने के क्या कारण है और क्या इसको जारी रखा जायेगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री घनिक लाल मण्डल )** : (क) से (घ) संचार मंत्री को एक शिकायत प्राप्त हुई है कि रजनीश आश्रम को भेजे गए बहुत से पत्र खुले हुए मिले हैं। शिकायत के साथ पूना के सहायक पोस्ट मास्टर द्वारा प्रमाण-पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न की गई थी। महाराष्ट्र सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

**संगणक पद्धति का लागू किया जाना**

10926. **श्री लाल जी भाई** : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान संगणक पद्धति लागू की गई है;

(ख) इन संगणकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(ग) संगणक पद्धति के लागू करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रत्येक कार्यालय में कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) तथा (ख) जिन सरकारी संस्थानों, विभागों तथा कम्पनियों के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिकी विभाग ने 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1979 के बीच आयातित कम्प्यूटर प्रणालियों को लगाने का अनुमोदन प्रदान किया है, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है। इन कम्प्यूटरों के आयात के लिए अनुमानतः 34 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अनुमोदित की गई है। उक्त अवधि में विभिन्न कम्प्यूटरों को लगाने/प्रतिष्ठापित करने की वास्तविक तारीखों के सम्बन्ध में कोई निश्चित तथा सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है और न ही इस आशय की कोई निश्चित और पूरी सूचना उपलब्ध है कि उक्त अवधि में कम्प्यूटरों के आयात पर वस्तुतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

## विवरण

सरकारी संस्थानों, विभागों तथा कम्पनियों में लगाये जाने के लिए 1-4-1976 से 31-3-1979 तक अनुमोदित कम्प्यूटर-प्रणालियों का विवरण-पत्र

| क्रम संख्या | आयात करने वाले संगठन का नाम |
|---|---|
| 1. | कृषि अनुसंधान सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली । |
| 2. | इंडियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली । |
| 3. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून । |
| 4. | भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग पुणे । |
| 5. | लड़ाकू वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, मद्रास । |
| 6. | भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई । |
| 7. | दूर संचार अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली । |
| 8. | हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड, बंगलौर । |
| 9. | योजना आयोग |
| 10. | एयर इंडिया, बम्बई । |
| 11. | टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, बम्बई । |
| 12. | भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, दिल्ली । |
| 13. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून । |
| 14. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । |
| 15. | रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । |
| 16. | क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, पुणे । |
| 17. | क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चण्डीगढ़ |
| 18. | एयर इंडिया, बम्बई । |
| 19. | राष्ट्रीय दुग्ध उद्योग विकास बोर्ड, आनन्द । |
| 20. | भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता । |
| 21. | टिटेन परियोजना, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, दिल्ली । |
| 22. | बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो बिहार । |
| 23. | संयुक्त गुढ़ लिपि (साइफर) ब्यूरो, नई दिल्ली । |
| 24. | भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, दिल्ली । |
| 25. | भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार । |
| 26. | कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर । |
| 27. | मौसम-रेडार के लिए त्रि-आयामीय क्रमवीक्षक (स्केनर) संलग्नक । |
| 28. | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बंगलौर । |
| 29. | भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई । |
| 30. | सेना मुख्यालय, ई०डी०पी० केन्द्र, नई दिल्ली । |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 31. | रेडियो खगोल-विज्ञान केन्द्र, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, उन्टी । |
| 32. | क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद । |
| 33. | भारतीय प्रौयोगिकी संस्थान, कानपुर । |
| 34. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर । |
| 35. | इलेक्ट्रानिकी विभाग । |
| 36. | भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद । |
| 37. | रेडार तथा दूर-संचार परियोजना कार्यालय, रक्षा मंत्रालय । |
| 38. | राष्ट्रीय भौतिकी तथा समुद्र-विज्ञानीय प्रयोगशाला, कोचीन । |
| 39. | राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली । |
| 40. | एयर इंडिया बम्बई । |
| 41. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली । |
| 42. | सांख्यिक विभाग । |
| 43. | भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल लिमिटेड तिरुचि । |
| 44. | कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम, बम्बई । |
| 45. | इलेक्ट्रानिकी विभाग (प्रणाली दल) |
| 46 | रक्षा इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद । |
| 47. | क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता । |
| 48. | आयल इंडिया लिमिटेड, दुलिजन, असम । |
| 49. | बंगलौर स्थित भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड के लिए प्रत्यक्ष आंकड़ा प्रविष्ट प्रणाली (डाइरेक्ट डेटा एंट्री सिस्टम) । |
| 50. | भारत का महापंजीयक, दिल्ली । |
| 51. | कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी, बंगलौर । |
| 52. | वैमानिकीय विकास स्थापना, बंगलौर । |
| 53. | राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम । |

**संसद सदस्यों द्वारा विदेशी सरकारों से यात्रा अनुदान, आतिथ्य सत्कार और रख-रखाव भत्ता तथा मानदेय स्वीकार किये जाने के बारे में नियम**

10927. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा विदेशी सरकारों अथवा विदेशी वित्तपोषक एजेंसियों से प्रतिदिन यात्रा अनुदान, आतिथ्य सत्कार रख-रखाव और मानदेय स्वीकार किये जाने के बारे में कोई नियम बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जून, 1978 से जनवरी, 1979 तक की अवधि में अमरीका सरकार से उक्त नियमों के अधीन इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा के 9 अनुसार सांसदों सहित कुछ वर्गों के व्यक्तियों

द्वारा विदेशी आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है ।

(ख) इस अवधि के दौरान विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 9 के अधीन अमेरिका सरकार से आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के लिए श्री कंवर लाल गुप्ता, श्रीमती मृणाल गोरे, श्री लालू ओरान और श्री नाना जी देशमुख को अनुमति दी गई ।

**सरकारी क्षेत्र का सुधार**

10928. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अप्रैल, 1979 के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित श्री घनश्याम दास बिडला के उस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है, जिसमें यह कहा गया है कि "सरकारी क्षेत्र में कभी सुधार नहीं होगा ।"

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) श्री जी० डी० बिरला द्वारा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के महासंघ की 1 अप्रैल, 1979 को हुई 52 वीं वार्षिक महासभा के मध्यान्ह भोजन के समय दिया गया भाषण सरकार ने देख लिया है जिसमें उन्होंने सरकारी क्षेत्र के कार्य तथा इस क्षेत्र द्वारा उठाई जाने वाली हानि का उल्लेख किया है ।

(ख) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 21 में सरकार ने सरकारी क्षेत्र की भावी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर दी है । औद्योगिक नीति विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की यह कोशिश होगी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभ पर चलाया जाये और उनका कुशल संचालन किया जाये ताकि इन उद्योगों में किये गये निवेश से समाज को पर्याप्त लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके ।

**कर्नाटक की वार्षिक योजना**

10929. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के लिए कर्नाटक की वार्षिक योजना कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है और केन्द्र सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परिव्यय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उस राज्य की वार्षिक योजना के अन्तर्गत कृषि और उद्योग सम्बन्धी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) और (ख) 1979-80 के लिए कर्नाटक राज्य की वार्षिक योजना के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया है । राज्य योजना के निश्चित आकार और क्षेत्रकीय वितरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि राज्य को अन्तरित की जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कारण राज्य योजना में दी जाने वाली धनराशि तय की जा रही है ।

(ग) योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा कृषि और औद्योगिक वृद्धि के अनुमान तय किए जाएंगे।

**हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निगम के उत्पादन के वितरण के बारे में कथित शिकायतें**

10930. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निगम के उत्पादन के वितरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस निगम के उत्पादों की वितरण पद्धति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क( से (ख) आयातित माल के आने में विलम्ब होने व हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) में हड़ताल/तालाबन्दी होने के कारण हाल ही में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकतानुसार फिल्में प्राप्त करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तालाबन्दी उठा ली गई है और कंपनी को कहा गया है कि वह विभिन्न स्थानों की मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद शीघ्र भेजने के प्रबन्ध करें। विद्यमान कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में तैयार रोल फिल्मों का आयात करने का भी निर्णय किया है।

कम्पनी ने अपने उत्पादों के प्रयत्क्ष वितरण सम्बन्धी कार्य को 1 अक्तूबर, 1978 से पूर्णत: अपने हाथ में ले लिया है। सिने उत्पादों व मैडिकल एक्स-रे फिल्मों का उपभोक्ताओं को सीधे संभरण किया जाता है तथा फोटो कागज व रौल फिल्में देश में 1800 बिक्री केन्द्रों के जरिए बेची जाती है। विद्यमान सात डिपुओं के अलावा चार और डिपो शीघ्र खोलने का प्रस्ताव है। विद्यमान वितरण व्यवस्था संतोषजनक रूप से चल रही है।

**रोल फिल्म का आयात**

10931. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ निहित स्वार्थ एच० पी० एफ० की कीमत पररोल फिल्मों के आयात में सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और एच० पी० के उत्पादन को जानबूझ करके कम किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) रोल फिल्मों (ब्लैक एन्ड व्हाइट) सम्बन्धी देश की विद्यमान आवश्यकता को आंशिक रूप से हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी (एच० पी० एफ०) द्वारा आयातित—जम्बो रोलों को परिवर्तित करके 9 आंशिक रूप से तैयार रोल फिल्मों का भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात करके पूरा किया जाता है। प्रतिवर्ष मांग व एच० पी० एफ० द्वारा किये जाने वाले संभरण के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक आयात की जाने वाली निर्मित फिल्मों की मात्रा का निर्धारण एच० पी० एफ० व राज्य व्यापार निगम की फोटो सम्बन्धी वस्तुओं की

सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में रोल फिल्मों की अखिल भारतीय वार्षिक उपभोग की स्थिति निम्न प्रकार रही :

(लाख रोलों में)

| | 19 4-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 |
|---|---|---|---|---|
| आयात | 96 | 71 | 50 | कुछ नहीं |
| एच० पी० एफ० द्वारा किया गया संकरण | 14 | 38 | 66 | 99 |
| | 110 | 109 | 116 | 99 |

उपर्युक्त की तुलना में एच० पी० एफ० में पिछले 4 वर्षों में रोल फिल्मों के परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार उत्पादन किया गया :—

(लाख रोलों में)

| | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
|---|---|---|---|---|
| लक्ष्य | 40 | 69 | 105 | 120 |
| वास्तकिक | 39·27 | 88·41 | 99 | 116 (अनुमानित) |

इस प्रकार से बहुत थोड़ी सी कमी को छोड़कर एच० पी० एफ० देश के रोल फिल्मों के संभरण सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अनुमान लगाया गया था ? वर्ष 1977-89 में 200 लाख रोल फिल्मों की मांग होगी तथा एच० पी० एफ० 120 लाख रोलों का संभरण करेगा और शेष मांग को निर्मित रोलों का आयात करके पूरा किया जायगा।

अनुमान है कि देश में वर्ष 1979-80 में 200 लाख रोल फिल्मों की मांग होगी तथा आशा है कि एच० पी० एफ० 150 लाख रौल फिल्मों का संभरण करेगा 15 लाख रोलों की दोष आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाय।

अतः एच० पी० एफ० को हानि पहुँचाकर निहित स्वार्थों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एच० पी० एफ० के उत्पादन को जानबूझकर कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**टायरों के मूल्यों में वृद्धि करना**

10932. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान टायर निर्माता कम्पनियों ने अपने टायरों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की ;

(ख) इनमें से कितनी बार सम्बन्धित कम्पनियों ने उक्त वृद्धि के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त की; और

(ग) टायर-कम्पनियों की इस कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) पिछले एक वर्ष में टायर निर्माण करने वाली कम्पनियों ने दो से लेकर पांच बार अपने टायरों के मूल्यों में वृद्धि की है।

(ख) तथा (ग) चूंकि इस समय टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है, अत: टायर निर्माण करने वाली कम्पनियों को टायरों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु, सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशी बड़े एककों के हक में टेंडर खोया जाना**

10933. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1979 के इण्डियन एक्सप्रेस "भेल लूजिंग टेंडर्स टू बिग फारेन यूनिट्स" (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बड़े विदेशी एककों के हक में टेंडर खोया जाना) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बड़े विदेशी एककों के हक में टेंडर खोये जाने का समाचार वास्तव में कहां तक सच है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर विदेशी एककों के साथ प्रतियोगिता के सन्दर्भ में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई प्रशासनिक त्रुटि की है तो उसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, हां।

(ख) हाल के महीनों में बी० एच० ई० एल० ने टर्बाइनों स्विचगियरों आदि के कुछ क्रयादेश खाये हैं। ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) मै० हिन्दालको द्वारा 2×67.5 मे० वा० के लिए अपेक्षित तकनीकी विशिष्टयों को बी० एच० ई० एल० अपने विद्यमान डिजाइनों के आधार पर अपने आप ही पूरा नहीं कर सका। हिन्दालको ने बी० एच० ई० एल० और सीमेंस के एक कन्सार्टियम को क्रयादेश दिया है, जिसके अन्तर्गत सीमेंस एक टी० जी० को पूरी तरह दे रहा है, और दूसरे टी० जी० का लगभग 50% दे रहा है। इस क्रयादेश का मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये था।

(2) स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने 30 करोड़ रुपये मूल्य के 60 मे० वा० के पांच टर्बो जनरेटरों की सप्लाई के लिए एक टेंडर जारी किया। बी० एच० ई० एल० इस सप्लाई की बोली लगाने में असमर्थ था क्योंकि ग्राहक द्वारा अपेक्षित मशीनों की तकनीकी विशिष्टयों को पूरा करना सम्भव नहीं था।

(3) 2×60 मे० वा० की मशीनों की सप्लाई के लिऐ विश्व निविदा साइप्रस ने जारी की थी जिसका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपये था। बी० एच० ई० एल० भाव नहीं बता सका क्योंकि ग्राहक द्वारा अपेक्षित तकनीकी विशिष्टियों को पूरा करने में यह समर्थ नहीं था।

(4) बी० एच० ई० एल० ने सिंगरोली सुपर थर्मल स्टेशन, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्डों के लिए स्विचगियर की सप्लाई के क्रयादेश खोये हैं/खो सकता है क्योंकि हाई वोल्टेज श्रेणी में इस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी से बी० एच० ई० एल० द्वारा बनाये जा रहे स्विचगियर ग्राहक द्वारा निर्धारित की गई तकनीकी आवश्यकताओं, अर्थात एस० एफ०-6 को पूरा नहीं करते हैं। इस क्रयादेश का मूल्य 13 करोड़ रुपये है। यदि स्विचगियर प्रौद्योगिकी को शीघ्रता से उन्नत नहीं किया जाता है तो भविष्य में क्रयादेशों में भारी हानियां होने की सम्भावना है। (लगभग 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक)।

(5) ट्राम्बे में 500 मे० वा० के थर्मल पावर स्टेशन को मोटरों की सप्लाई के लिए बी० एच० ई० एल० के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इनसे ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रही थीं।

(ग) प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

**विवरण**

| क्र० सं० | राज्य का नाम | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
|---|---|---|---|---|
| | | नग | नग | नग |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 91 | 55 | 116 |
| 2. | असम | 14 | — | 8 |
| 3. | बिहार (पैक्स सहित) | 612 | 836 | 598 |
| 4. | दिल्ली | 5 | 30 | 80 |
| 5. | गुजरात | 112 | 111 | 171 |
| 6. | हरियाणा | 297 | 1303 | 1618 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 30 | 15 | 29 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 18 | 10 | 21 |
| 9. | कर्नाटक | 22 | 52 | 113 |
| 10. | केरल | 44 | 7 | 28 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 689 | 19 | 388 |
| 12. | महाराष्ट्र | 58 | 53 | 169 |
| 13. | उड़ीसा | 42 | 7 | 45 |
| 14. | पंजाब | 303 | 2604 | 2477 |
| 15. | राजस्थान | 82 | 313 | 373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | तमिलनाडु | 35 | 28 | 13 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 907 | 2181 | 1733 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 70 | 14 | 81 |
| 19. | चण्डीगढ़ | 112 | 34 | 14 |
| 20. | नेपाल | 23 | 12 | — |
| 21. | अन्य (निर्यात सहित) | — | 5 | 4 |
| | योग | 3566 | 7689 | 8079 |

**सिक्किम में चुनाव**

10934. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने अपनी हाल की सिक्किम यात्रा के दौरान इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था कि सिक्किम को भारतीय संघ के साथ जल्दी में मिलाया गया और चुनाव कराने से पूर्व सिक्किम में अनेक कानून लागू करने होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस जल्दी के क्या कारण थे;

(ग) कौन से कानून अभी लागू किये जाने हैं; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (घ) प्रधान मन्त्री द्वारा अपनी सिक्किम यात्रा के दौरान इस मामले पर कही गई बातों का कोई लिखित रूप नहीं है। जब वे इस मामले के विषय में बोले थे तो शायद उनका इरादा यह बतलाता था कि तत्कालीन विद्यमान राजनैतिक परिस्थितियों में विलय बहुत जल्दी किया गया था अत: कानून को लागू करने के लिए पूर्ण और अन्तिम निश्चय नहीं किया जा सका।

2. जहां तक कानूनों को लागू करने का सम्बन्ध है संविधान में सिक्किम की स्थिति को अनुच्छेद 371 (एफ) में परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के खण्ड (एन) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा भारत के किसी राज्य में लागू किसी कानून को कुछ प्रतिबन्धों और संशोधनों के साथ जिसको वे सिक्किम राज्य के लिए उपयुक्त समझते हों, अधिसूचना की तारीख से लागू कर सकते हैं और उसी अनुच्छेद के खण्ड (के) में यह व्यवस्था है कि सिक्किम राज्य की सीमा में निर्धारित तिथि से तत्काल पूर्व लागू सभी कानून और उनका कोई भाग तब तक लागू रहेगा जब तक सक्षम विधान अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित या निरस्त न किया जाए। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विलय के समय देश के अन्य भागों में लागू कानून को सिक्किम राज्य में लागू करने की आवश्यकता पर शुरू में विचार किया गया था और राज्य की विशेष मांग को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता रहा है। 84 केन्द्रीय कानूनों को सिक्किम राज्य में पहले ही लागू कर दिया गया है। अन्य केन्द्रीय कानूनों को लागू करने का प्रश्न अभी राज्य सरकार के साथ परामर्श में विचाराधीन है।

**हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निगम के मुनाफे का वितरण**

10935 **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निगम द्वारा अब तक नियुक्त किये गये वितरकों के नाम और उनकी संख्या क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि करोड़ों रुपये के मुनाफे का वितरण सीमित संख्या के परिवारों को हो रहा है, यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस कम्पनी द्वारा अपने वितरकों को कमीशन के रूप में कितनी राशि अदा की गई है; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निगम के उत्पादों को वितरकों के बगैर सीधे ही बेचने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने अपने सभी उत्पादों का वितरण सम्बन्धी कार्य को 1 अक्तूबर 1978 से पूर्णत: अपने हाथ में ले लिया है जिसके फलस्वरूप सभी वितरक विपणन सम्बन्धी कार्यक्षेत्र से हट गए हैं ।

**विवरण**

| क्र० सं० | फर्म/परिवार का नाम | अर्जित कमीशन (रुपयों में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **सिने** | | | |
| 1. | मै० रेगे सिने फिल्मस, बम्बई (श्री बी० एम० धिया के नेतृत्व में) | 16,56,830 | 15,55,150 | 16,19,890 |
| 2. | मै० इन्दु सिने एजेन्सी, मद्रास (श्री ए० वी० मायाप्पन से सम्बद्ध) | 1,89,407 | 2,57,306 | 3,02,995 |
| 3. | मै० सेन्ट्रल केमरा कं० (प्रा०) लि०, बम्बई (श्री पी० जे० पटेल के नेतृत्व में) | 1,90,032 | 2,35,149 | 2,30,136 |
| 4. | मै० ओरवो फिल्मस (ईस्टर्न यूनिट), मद्रास (श्री ए० वी० मायाप्पन से सम्बद्ध) | 9,14,004 | 18,34,672 | 21,16,650 |
| 5. | मै० ओरवो फिल्मस (वेस्टर्न यूनिट), बम्बई (श्री पी० जे० पटेल से सम्बद्ध) | 10,41,773 | 25,14,325 | 26,66,022 |
| 6. | मै० एफगा गीवेरेट इंडिया लि०, बम्बई (श्री बी० एम० धिया के स्वामित्व वाली) | — | 3 89,321 | 7,56,098 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | मै० पटेल इंडिया (प्रा०) लि०, बम्बई (श्री रमेश पटेल के नेतृत्व में) | — | — | 1,87,165 |
| **एक्स-रे** | | | | |
| 1. | रेगे सिने फिल्मस लि०, बम्बई | 21,59,613 | 33,75,042 | 38,77,555 |
| 2. | एक्स-रे एण्ड एलाईड प्रोडक्टस, मद्रास | 12,81,878 | 14,51,907 | 15,47,077 |
| 3. | चौकसी ब्रादर्स, बम्बई | 4,76,906 | 10,36,052 | 11,75,285 |
| 4. | ओरवो फिल्मस (पूर्वी एकक), मद्रास | 2,94,903 | 5,75,684 | 8,25,898 |
| 5. | ओरवो प्रा० लि० बम्बई | 4,70,553 | 6,38,681 | 8,07,269 |
| **स्टिल सामग्री** | | | | |
| 1. | सेन्ट्रल केमरा कम्पनी (प्रा०) लि० बम्बई । | 5,31,473 | 10,14,563 | 12,97,905 |
| 2. | एशियाटिक मरकेन्टाइल एजेन्सी, मद्रास । | 2,59,267 | 5,66,927 | 6,16,393 |
| 3. | गोपाल फिल्म, बंगलोर | 2,*3,716 | 3,43,725 | 5,11,938 |
| 4. | लिबर्टी मार्केटिंग कम्पनी, सिकन्दराबाद । | 2,34,986 | 3,54,956 | 4,39,975 |
| 5. | ए० आर० दत्ता एण्ड सन्स, दिल्ली । | 7,25,235 | 14,03,141 | 18,46,880 |
| 6. | केपिटल फोटो सर्विस (प्रा०) लि०, कलकत्ता । | 3,38,030 | 8,27,125 | 11,45,408 |
| 7. | जैमिनी इन्दू डिस्ट्रीब्यूशन, भोपाल | 74,158 | 1,90,284 | 1,79,708 |
| 8. | ओरवो फिल्मस (ईस्टर्न यूनिट), मद्रास । | — | 1,91,269 | 2,57,076 |
| 9. | ओरवो (प्रा०) लि०, बम्बई । | — | 1,62,302 | 2,83,088 |

**तमिलनाडु में कुटीर उद्योगों द्वारा माचिसों का निर्माण**

10936. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्तर्गत 68 प्रतिशत माचिसों की मांग तमिलनाडु में गैर मशीनीकृत क्षेत्र (स्वामित्व और भागीदारी) की कम्पनियों द्वारा पूरी की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अन्तर्गत माचिसों की 10 प्रतिशत मांग तमिलनाडु स्थित 2700 कुटीर एककों द्वारा पूरी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में एककों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, हां।

(ख) देश की दियासलाइयों की लगभग 10 प्रतिशत मांग अधिकांशत: तमिलनाडु में स्थित 2700 कुटीर एककों द्वारा पूरी की जा रही है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में प्रागामी विस्तार करने के लिए दियासलाइयों की भावी मांग, क्षमता तथा समर्थता को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य भागों में प्रावस्थाबद्ध तरीके से दियासलाई बनाने वाले एककों की स्थापना हेतु एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है।

## टायरों के मूल्यों में वृद्धि

10937. **श्री रामधारी शास्त्री**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, 16 ए, आसफअली रोड, नई दिल्ली का 7 अप्रैल, का ज्ञापन देखा है जिसमें कांग्रेस ने सामान्य रूप से सभी किस्मों के टायरों और विशेष रूप से मोदी टायरों के मूल्यों में भारी वृद्धि पर चिंता प्रकट की है तथा मोदी टायरों का बहिष्कार करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो टायरों के मूल्य कम करने और भविष्य में उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्यो मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क), जी, हां।

(ख) फिलहाल टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अत: टायर बनाने वाली कम्पनियों को टायरों के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

## विदेशी पर्यटकों के ठहरने की अवधि

10938. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी पर्यटकों को सामान्य तौर पर कितनी अवधि तक ठहरने की अनुमति दी जाती है;

(ख) किसी विदेशी पर्यटक को अधिक से अधिक कितनी अवधि तक ठहरने की अनुमति दी गई और इस अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों ने भारतीय नागरिकता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनिकलाल मण्डल)** : (क) और (ख) विदेशियों को वीजा यात्रा का उद्देश्य, किए जाने वाले कार्य और भारत यात्रा के कारणों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मामले के व्यक्तिगत गुणदोष के आधार पर दिए जाते हैं। भारत में ठहरने की

अवधि इन बातों और देश में उसके लगातार ठहरने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। चूंकि व्यक्तिगत रूप से विदेशियों के ठहरने के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, अतः सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जो विदेशी सांविधिक, आवासीय और अन्य योग्यताओं को पूरा करते हैं, वे भारतीय नागरिकता की मंजूरी के लिए आवेदन करते रहे हैं। उनके आवेदन जब प्राप्त होते हैं तो उन पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार के स्कूलों के शिक्षक**

10939 **श्री बृजराज सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार के शिक्षा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन मान दिये जाते हैं, अथवा राज्य वेतन-मान;

(ख) क्या वेतन तथा मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त उन्हें मकान किराया भत्ता, छुट्टी यात्रा सुविधा (एल० टी० सी०), चिकित्सा व्यय पुनर्भुगतान, पेंशन उपदान आदि जैसे लाभ भी दिये जाते हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड दिये गये हैं, यदि किसी को भी नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन स्कूलों के कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन पा रहे हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) बी० एच० ई० एल० शक्षिक प्रबन्ध मन्डल, रानीपुर, हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अध्यापन स्टाफ को स्वयं प्रबन्ध मंडल द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये गये हैं।

(ख) वेतन तथा महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अध्यापन स्टाफ को अंशदायी भविष्य निधि बी० एच० ई० एल० के अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा मंडल के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लाभ भी प्राप्त हैं। अशदायी भविष्य निधि योजना के प्रावधान के कारण पेन्शन सुविधा नहीं दी जाती है। मकान किराया भत्ता, एल० टी० सी० तथा ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) सलेक्शन ग्रेड लागू करने का एक प्रस्ताव प्रबन्ध मन्डल के विचाराधीन है।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है अध्यापन स्टाफ बी० एच० ई० एल० के शैक्षिक प्रबन्ध मन्डल द्वारा निर्धारित वेतनमान पर काम कर रहे हैं। ये वेतनमान निर्धारित करते समय मन्डल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के संबंध में अपनाई गई पद्धति को ध्यान में रखा है।

**अशोक पेपर मिल्स आसाम का उत्पादन**

10940. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक पेपर मिल्स, आसाम में उसकी स्थापना के समय से अब तक कितना उत्पादन लक्ष्य रहा है तथा कितना उत्पादन होता रहा है;

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण जो बराबर होती रहती है, उत्पादन लक्ष्य पिछड़ गए हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए/किए जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) मैसर्स अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, आसाम एकक ने 27000 मी० टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के साथ वर्ष 1976 में उत्पादन करना शुरू किया था। इस एकक में नियमानुसार उत्पादन हुआ :—

| वर्ष | उत्पादन |
|---|---|
| 1976 | 4,770 मी० टन |
| 1977 | 17,362 मी० टन |
| 1978 | 16,541 मी० टन |

(ख) और (ग) बताया गया है कि बिजली की कमी के कारण उत्पादन कम हुआ है तथा अपेक्षित मात्रा में बिजली के संभरण के लिए कम्पनी ने राज्य विद्युत निगम से सम्पर्क किया है ;

**विदेशों का दौरा करने वाले अधिकारी**

10941. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत विदेशों का सरकारी दौरा करने वाले सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों (अध्यक्षकों/निदेशकों आदि) के नाम तथा पद नाम क्या हैं ?

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का तथा किन-किन प्रयोजनों से दौरा किया; और

(ग) प्रत्येक अधिकारी ने विदेशों में कुल कितने दिन व्यतीत किए और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**लाइसेंस दिया जाना**

10942. **श्री दलपत सिंह परास्ते** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, क्षेत्रवार, कितने औद्योगिक लाइसेंस दिए गए और कितने लाइसेंस रद्द किये गए; और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की मुख्य बातें क्या हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम), 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत 1976 से 1978 तक जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण संलग्न है :—

(1) 1975 से 1978 तक जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण । (विवरण—1)

(2) 1976 से 1978 तक जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस की संख्या का उद्योगवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण । (विवरण— 2)

(3) 1976 से 1978 तक रद्द/प्रतिसंहृत औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण । (विवरण—3)

**विवरण—1**

1976 से 1978 तक जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | 1976 | 1977 | 1978 |
|---|---|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 51 | 27 | 17 |
| 2. अण्डमान और निकोबार | — | — | 1 |
| 3. आसाम | 6 | 2 | 11 |
| 4. बिहार | 17 | 16 | 12 |
| 5. चण्डीगढ़ | 22 | — | 1 |
| 6. दादरा नागर हवेली | 1 | — | — |
| 7. दिल्ली | 10 | 5 | 6 |
| 8. गोवा, दमन और द्वीप | 7 | 11 | 2 |
| 9. गुजरात | 83 | 60 | 46 |
| 10. हरियाणा | 27 | 23 | 13 |
| 11. हिमाचल प्रदेश | 3 | 2 | 4 |
| 12. जम्मू और कश्मीर | 3 | 1 | 2 |
| 13. कर्नाटक | 43 | 45 | 26 |
| 14. केरल | 25 | 16 | 7 |
| 15. मध्य प्रदेश | 18 | 8 | 8 |
| 16. महाराष्ट्र | 143 | 150 | 101 |
| 17. मणीपुर | 1 | — | — |
| 18. मेघालय | 1 | 1 | — |
| 19. नागालैंड | — | — | — |
| 20. उड़ीसा | 7 | 2 | 2 |
| 21. पाण्डीचेरी | — | — | — |
| 22. पंजाब | 25 | 23 | 9 |
| 23. राजस्थान | 16 | 17 | 10 |
| 24. तमिलनाडु | 61 | 32 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. त्रिपुरा | 1 | — | — |
| 26. उत्तर प्रदेश | 55 | 41 | 26 |
| 27. पश्चिम बंगाल | 56 | 40 | 23 |
| 28. राज्य का उल्लेख नहीं किया गया | 56 | 6 | 3 |
| योग | 662 | 518 | 348 |

**विवरण** –2

1976-1978 तक जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का उद्योग वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

| | **अनुसूचित उद्योग** | 1976 | 1977 | 1978 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | धातुकर्मीय उद्योग | 79 | 55 | 24 |
| 2. | ईंधन | 2 | 1 | 1 |
| 3. | बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र | 1 | — | — |
| 4. | प्राईम (मूवर्स विद्युत जनित्रों से भिन्न) | 2 | 1 | 3 |
| 5. | बिजली के उपस्कर | 79 | 90 | 58 |
| 6. | दूर संचार | 2 | 4 | 3 |
| 7. | परिवहन | 15 | 17 | 13 |
| 8. | औद्योगिक मशीनरी | 53 | 46 | 29 |
| 9. | मशीन टूल्स | 14 | 12 | 9 |
| 10. | कृषि मशीनरी | 8 | 1 | 1 |
| 11. | मिट्टी हटाने वाली मशीनें | 1 | 1 | 1 |
| 12. | विविध मैके० तथा इंजीनियरी उद्योग | 31 | 12 | 11 |
| 13. | वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर | 1 | 4 | — |
| 14. | चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा क्रिया उपकरण | 2 | — | — |
| 15. | औद्योगिक उपकरण | 5 | 9 | 6 |
| 16. | वैज्ञानिक उपकरण | — | 3 | 1 |
| 17. | मैथी मेटिकल सर्वेईंग, तथा ड्राईंग उपकरण | — | — | — |
| 18. | उर्वरक | 6 | 3 | — |
| 19. | रसायन (उर्वरक से भिन्न) | 103 | 79 | 52 |
| 20. | फोटोग्राफिक रा फिल्म व पेपर | 1 | 1 | — |
| 21. | रंजक पदार्थ | 7 | 4 | 9 |
| 22. | औषधियां एवं भेषजें | 55 | 39 | 43 |
| 23. | वस्त्र (रंगे छपे अथवा परिष्कृत) | 45 | 20 | 19 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | कागज तथा लुग्दी (कागज उत्पाद सहित) | 29 | 9 | 4 |
| 25. | चीनी | 23 | 29 | 14 |
| 26. | किण्वन (फर्मेन्टेशन) उद्योग | 21 | 32 | 8 |
| 27. | खाद्य परिशोधन उद्योग | 20 | 7 | 7 |
| 28. | वनस्पति तेल तथा वनस्पति | 22 | 6 | 4 |
| 29. | साबुन, श्रृंगार सामग्री व अंग राग सामग्री निर्माण | 1 | 1 | 1 |
| 30. | रबड़ की वस्तुएं | 10 | 6 | 1 |
| 31. | चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं | 10 | 13 | 12 |
| 32. | ग्ल्यू और जिलेटिन | 1 | — | 2 |
| 33. | कांच | 3 | 3 | 2 |
| 34. | तैरामिक्स | 4 | 2 | 3 |
| 35. | सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद | 5 | 4 | 4 |
| 36. | लकड़ी उत्पाद | — | 3 | 2 |
| 37. | सुरक्षा उद्योग | — | 1 | — |
| 38. | विविध उद्योग | 1 | — | 1 |
| | योग | 662 | 518 | 348 |

**विवरण—3**

1976 से 1978 तक रद्द/प्रतिसंहृत औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | 1976 | 1977 | 1978 |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 6 | 19 | 7 |
| आसाम | 4 | 1 | — |
| बिहार | 5 | 2 | 3 |
| गुजरात | 15 | 7 | 15 |
| हरियाणा | 7 | 9 | 10 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 1 |
| केरल | 1 | — | 13 |
| कर्नाटक | 5 | 10 | 7 |
| मध्य प्रदेश | 7 | 2 | 8 |
| महाराष्ट्र | 22 | 30 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मेघालय | 1 | — | — |
| उड़ीसा | 3 | 1 | 3 |
| पंजाब | 2 | 13 | 3 |
| राजस्थान | 6 | 10 | 2 |
| तमिलनाडु | 9 | 6 | 17 |
| उत्तर प्रदेश | 12 | 13 | 13 |
| पश्चिम बंगाल | 10 | 13 | 10 |
| दिल्ली | 4 | 3 | — |
| गोवा दमन और द्वीप | 1 | — | — |
| योग | 121 | 140 | 138 |

**दिल्ली में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी**

10943. **श्री वीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 47 अधिकारी नियुक्त हैं;

(ख) क्या 47 अधिकारियों में से 41 अधिकारी 150 और 300 रुपए के बीच विशेष वेतन पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली वित्तीय निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम और दिल्ली पर्यटन विकास निगम सहित दिल्ली प्रशासन में 47 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात हैं।

(ख) और (ग) 47 अधिकारियों में से 3 अधिकारी छुट्टी पर हैं। अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जा रहा विशेष वेतन नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| (1) 300 रुपए प्रतिमाह विशेष वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या। | 13 |
| (2) 200 रुपए प्रतिमाह विशेष वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या, | 10 |
| (3) 150 रुपए विशेष वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या, | 6 |
| (4) ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्हें कोई विशेष वेतन नहीं मिलता। | 15 |

**इंजीनियरों और वास्तुशिल्पियों का वर्गीकरण**

10944. **डा० रामजी सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री 1 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या : 6677 और 6712 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरों और वास्तुशिल्पियों का वर्गीकरण "प्रशासनिक" पदों के रूप में करने और उनके अधीन सीधे काम कर रहे कर्मचारियों का "तकनीकी" पदों के रूप में वर्गीकरण करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या माली, प्लम्बर, मेसन, वेल्डर, पालिशर, मेट बढ़ई जैसे व्यक्ति, जिन्हें तकनीकी माना गया है, अनुसंधान में योगदान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तकनीकी श्रेणी से इंजीनियरों, वास्तुशल्पियों, डाक्टरों, नर्सों और कम्पाउन्डरों आदि को बाहर रखने के क्या कारण है ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रोफेसर शेर सिंह)** : (क) से (घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा में पहिले से चल रही कर्मचारियों की चार श्रेणियों-वैज्ञानिक, तकनीकी, सहायक-तकनीकी और प्रशासनिक के स्थान पर कर्मचारियों की तीन-श्रेणियों-वैज्ञानिक, तकनीकी, और प्रशासनिक—में पुनर्वर्गीकृत करने का निर्णय किया। प्लम्बरों, मैसनों, वैल्डरों आदि के पदों जिन्हें पहिले-"सहायक-तकनीकी" वर्गीकृत किया गया था, अब "तकनीकी" के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। शासी-सभा ने उस समय यह निर्णय किया था कि सी० एस० आई० आर० के इंजीनियरों और वास्तु-शिल्पियों को "प्रशासनिक" वर्गीकृत किया जाये। डाक्टरों, नर्सों और कम्पाउन्डरों की सेवाएं सामाजिक/सामुदायिक सेवाओं से सम्बन्धित हैं, इसलिए उन्हे "तकनीकी" श्रेणी से अलग रखा गया है।

इंजीनियरों और वास्तुशिल्पियों के पदों को "प्रशासनिक" वर्गीकृत करने की स्थिति कुछ असामान्य है। अतः मामला पुनः विचाराधीन है। इस स्तर पर इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

**पूर्वोत्तर राज्यों में बंगलादेश के राष्ट्रिकों द्वारा घुसपैठ**

10945. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के बहुत सारे राष्ट्रिक भारत में क्या विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों जैसे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आदि में घुस आये है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1979 तक उनकी राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने इन घुसपैठियों के आव्रजन के मामले पर बंगलादेश सरकार से कोई बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर बांगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) लगभग 4000 योग आदिवासियों जिन्होंने पिछले वर्ष त्रिपुरा में प्रवेश किया और बंगला देश से कुछ चकमाओं के भारी

संख्या में मिजोरम में हाल के प्रवेश के अतिरिक्त, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि बंगला देश से भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है।

(ख) भारत के विभिन्न राज्यों में उपस्थित ऐसे घुसपैठियों की सही संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि जातीय एवं भाषाई एकरूपताओं के कारण ऐसे अवैध घुसपैठियों की पहचान करना कठिन है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान् बंगला राष्ट्रिकों के भारत में गैर कानूनी अप्रवासन के प्रश्न पर बंगला देश की सरकार के साथ बहुत अवसरों और विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया गया। हाल ही में प्रधान मन्त्री की 16 अप्रैल, से 18 अप्रैल, 1979 तक बंगला देश की यात्रा के दौरान मामले पर विचार विमर्श किया गया था। इन विचार विमर्शों के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि दोनों सरकारें सीमा के पार गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये एक दूसरे को सहयोग करेंगे। हमें आश्वासन दिया गया कि गैर कानूनी रूप से भारत में आये बंगला देश राष्ट्रिकों को बंगलादेश वापस ले लेगा।

**उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना**

10946. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में सरकार ने उड़ीसा राज्य में कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) अब तक स्थापित किये गये केन्द्रों का उत्पादन लक्ष्य और उत्पादन कितना है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :** (क) वर्ष 1978 की अवधि में ही जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के सभी 13 जिले आ गये थे।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र सवर्धकारी संस्थाएं हैं तथा उत्पादन के कार्यकलाप में संलग्न नहीं है। उड़ीसा से मिली हुई प्रगति रिपोर्ट से यह देखा गया है कि 6713 उद्यम कर्ताओं का पता लगाया गया है वे उद्यम के उचित अवसरों का चयन करने हेतु उनकी सहायता हेतु 1405 परियोजनाओं की रूपरेखा बनाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप विकेन्द्रीकृत उद्योग क्षेत्र में 2385 एककों की स्थापना हुई है व 11434 लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की व्यवस्था हुई है। 3082 एककों के अनन्तिम अथवा स्थायी रजिस्ट्रेशन किये गये हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा 290.22 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई है तथा 114 एककों के लिये 31.28 लाख रुपये नकद की राजसहायता देने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार को जिलों में 1300 लघु एककों तथा 7405 कारीगर आधारित एककों का संवर्धन करने का विचार है आशा है कि इनसे लगभग 1520 लाख रुपये वार्षिक माल का उत्पादन होगा तथा वर्ष 1979-80 में 22154 लोगों के लिए रोजगार मिलेगा।

**गुलवर्गा (कर्नाटक) में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र**

10947. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला गुलवर्गा (कर्नाटक) में सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) तीन ।

(ख) आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है ।

**कम्पनियों के नाम, उनकी पूंजी तथा विदेशी सहयोग से बनाई जाने वाली वस्तुएं**

10948. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशियों के साथ कितने नये सहयोग किए गए;

(ख) गत दो वर्षों में सहयोग करने वाली भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके विदेशी सहयोग कर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन सहयोगों से कौनसी वस्तुयें बनायी जा रही हैं अथवा बनायी जाएगी;

(घ) गत दो वर्षों में इन सहयोगों के परिणामस्वरूप भारत में कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ङ) सहयोग के लिए भारतीयों ने विदेशियों को कितनी धनराशि दी है और सहयोग के लिए वेतन तथा परिलब्धियों के रूप में विदेशियों को कितनी धनराशि दी गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 1977 तथा 1978 में विदेशी सहयोग के 574 प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी । भारतीय पार्टियों के नाम, विदेशी सहयोगियों के नाम तथा उत्पादन की वस्तु के बारे में विस्तृत ब्यौरा बताने वाली त्रैमासिक सूचियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में वर्ष 1977 में 400 लाख रु० तथा वर्ष 1978 में 940 लाख रु० तक के विदेशी निवेश भी शामिल हैं ।

(ङ) भारतीयों द्वारा विदेशियों को वेतन या परिलब्धियों के रूप में किए गए भुगतान के बारे में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**आटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी सहयोग**

10949. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग चाहने वाले सरकारी उपक्रमों और प्राइवेट फर्मों से प्राप्त हुए अनुरोधों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे सरकारी उपक्रमों/फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है और किन-किन देशों के साथ और किन-किन शर्तों पर सहयोग की अनुमति दी गई है; और

(ग) बाकी अनुरोधों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । जैसा इस विवरण में बताया गया है, इस प्रकार के किसी भी अनुरोध को नामंजूर नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## विवरण

वाणिज्यिक गाड़ियों और यात्री कारों के निर्माताओं से गत तीन वर्षों में प्राप्त-विदेशी सहयोग के लिए अनुरोध/तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन अनुरोध दिखाने वाला विवरण

| क्र० सं० | फर्म का नाम | वस्तु | विदेशी सहयोगकर्ता का नाम | शर्तें | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए विदेशी सहयोग हेतु अनुरोध** | | | | |
| 1. | मै० हिन्दुस्तान मोटर्स, लिमिटेड, कलकत्ता | वाणिज्यिक गाड़ियां | मै० बाक्सहाल मोटर्स लिमिटेड, यू० के० | 3-5 टन क्षमता की गाड़ियों के लिए 60,000 पौंड एक-मुश्त और 5% रायल्टी कराधीन। 7-1/2 टन क्षमता के लिए 90,000 पौंड एकमुश्त और 5% रायल्टी, कराधीन। | विचाराधीन |
| 2. | मै० अशोक लेलैंड लिमिटेड, मद्रास। | इन्टीग्रल बसें | मै० लेलैंड्स, यू० के० | 50,000 पौंड का एकमुश्त भुगतान और 3% की रायल्टी, कराधीन। | विचाराधीन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **गाड़ी निर्माताओं से केवल इन्जनों के लिए विदेशी सहयोग के मामले** | | | | |
| 3. | मैं० बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना । | इंजन का उन्नयन | मैं० डैमलेर बेंज आफ वेस्ट जर्मनी | 4.2 मिलियन डी० एम० (176.4 लाख रुपए) का एकमुश्त भुगतान । | स्वीकृत |
| 4. | मैं० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई । | डीजन इंजन का उन्नयन | मैं० प्यूगोट आफ फ्रांस | भारतीय करों के निवल 12 मिलियन फ्रांस के एक फ्रैंक का एकमुश्त भुगतान । | विचाराधीन |
| | **तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकीय विकास के लिए वाणिज्यिक गाड़ियों और यात्री कारों के निर्माताओं से प्राप्त मामले** | | | | |
| 5. | मैं० टाटा इंजी० एंड लोकी० कम्पनी लि०, बम्बई । | इंजन के उन्नयन हेतु टर्बो चार्जर के निर्माण के लिए | मैं० क्युनहाली कोप एंड कन्स्च आफ जर्मनी | 2.5 लाख अमरीकी डालर (22.5 लाख रुपये) का एकमुश्त भुगतान । | स्वीकृत |
| 6. | मैं० बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना | गियर बाक्स के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन | मैं० जेड० एफ० आफ वेस्ट जर्मनी | 25,000 डी० एम० का एकमुश्त भुगतान | स्वीकृत |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | मै० अशोक लेलैंड लिमिटेड, मद्रास | सुधरे हुए इंजनों, गियर बाक्स और पिछली धुरी के लिए ड्राइंगों/डिजाइन का आयात | मै० ब्रिटिश लेलैंड आफ यू० के० | 5 लाख डालर का एकमुश्त भुगतान | स्वीकृत |
| 8. | मै० बजाज आटो लिमिटेड, पूना | म्युनिसिपल स्वीपिंग गाड़ियों के लिए बाडी का निर्माण करने हेतु डाक्युमेंटेशन | मै० कोबो एंड कंपनी, प० जर्मनी | 50,000 डी० एम० का एकमुश्त भुगतान। | स्वीकृत |
| 9. | मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता | कार के नए माडल के उत्पादन हेतु ड्राइंगों और स्पेसिफिकेशन्स का आयात | मै० बाक्सहाल मोटर्स, लिमिटेड, यू० के० | 107000/- डालर का एकमुश्त भुगतान। | पूंजीगत सामान के आयात के आवेदन की मंजूरी की शर्त के अधीन स्वीकृत |
| 10. | —वही— | नए माडल की कार पर लगाने के लिए पेट्रोल इंजन का उन्नयन। | मै० ब्रिटिश लेलैंड आफ यू० के० | 25,000 पौंड का एकमुश्त भुगतान। | स्वीकृत |

**सचिवों की वार्धक्य आयु में असमानता**

10950. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सचिवों की वार्धक्य आयु 58 वर्ष है और जबकि सरकार से बाहर स्वायत्त तथा स्वतन्त्र संगठनों कार्यालयों में यह आयु 60 वर्ष तक पहुंच जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं तथा वार्धक्य आयु में इस असमानता का क्या औचित्य है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है तथा इसे समान रूप से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने ऐसे प्रतिष्ठानों, जहां वार्धक्य आयु 60 वर्ष है, को कोई निदेश दिये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यालयों को इस बारे में आवश्यक निदेश देने का है और यदि हां, तो क्या ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) तथा (ग) भारत सरकार के सचिवों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु एफ०आर० 56 के उपबन्धों द्वारा समानरूप से विनियमित की जाती है। किसी कामगार अथवा 1938 से पहले सेवा में प्रविष्ट हुए अथवा समूह (घ) के किसी कर्मचारी को छोड़ कर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अन्तिम दिन के अपरान्ह को सेवा निवृत्त होगा जिस महीने में वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। यदि ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्वायत्त अथवा स्वतन्त्र संगठन/कार्यालय में कार्यरत है तो उसकी सेवा निवृत्ति की आयु में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) ऐसी कोई सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं; श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**राजस्थान वूलन एंड साडी मिल्स**

10951. **श्री ओ० बी० अलगेशन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान वूलन एण्ड शाडी मिल्स एसोसिऐशन ने राज्य में छोटे एककों को अपने उत्पाद बेचने के सम्ब्रन्ध में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री जगदम्बी प्रसाद यादव )** : (क) और (ख) राजस्थान वूलन एण्ड साडी मिल्स एसोसियेशन ने कार्डेड गिल्ड सिल्वर जिसमें रेशे के आधार पर ऊन का भार 50 प्रतिशत से अधिक होता है के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क चालू रखने हेतु अभ्यावेदन दिया है। यह शुल्क 1979-80 के लिये बनाये गये बजट से प्रारम्भ किया गया था।

एसोसियेशन ने इस तर्क के आधार पर नये उत्पादन शुल्क को चालू रखने हेतु कहा है कि इससे गलीचों का धागा बनाने वाले बड़े यंत्रीकृत एककों तथा लघु कताई एककों के बीच होनेवाली अनुचित प्रतियोगिता का निवारण हो सकेगा । इस शुल्क को हटाने के विरोध में भी कुछ अभ्यावेदन हुए हैं ।

**असिस्टेंटों के साथ ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफरों को समानता**

10952. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफर केन्द्रीय सरकार के असिस्टेंटों के समान स्तर पर माने गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री एस० डी० पाटिल )** : (क) तथा (ख) चूंकि ग्रेड 'सी' आशुलिपिक और सहायक दो अलग-अलग सेवाओं से सम्बन्धित हैं, अत: उनको समान स्तर के मानने का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में 28 प्रतिशत रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जानेवाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सहायकों के साथ ही ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को भी प्रतियोगिता में बैठने की अनुमति दी जाती है । समतुल्य संवर्ग-बाह्य पदों के लिए सहायकों के साथ ही उन पर भी विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

**श्रीलंका द्वारा आटो सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध**

10953. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका ने भारत से आटो सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती आभा माईति )** : (क) तथा (ख) भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग की जून, 1978 में हुई बैठक में यह संकेत दिया गया था कि मोटरगाड़ी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए श्रीलंका सरकार विदेशी सहयोग कर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी । इच्छुक भारतीय कम्पनियों को भी अपने प्रस्ताव भेजने का अवसर मिल सकेगा ।

**औद्योगिक संकट ग्रस्त एककों की परिभाषा**

10954. **श्री के० मालन्ना**
**श्री जी० वाई० कृष्णन** } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक संकट ग्रस्त एककों की परिभाषा क्या है;

(ख) इस परिभाषा के अनुसार राज्यवार संकटाग्रस्त के कितने मामलों का पता लगा है; और

(ग) उन तीन संकट ग्रस्त मिलों की प्रगति की क्या स्थिति है जिन्हें सरकार द्वारा सहायता दी गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री जगदम्बी प्रसाद यादव )** : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक एकक की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है । अतः राज्यवार रुग्ण औद्योगिक एककों की ठीक-ठीक सख्या बता पाना कठिन है । बैंक के प्रतिमानों के अनुसार जो रुग्ण एकक बैंक से 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की अग्रिम राशि के ऋण लेते हैं उनके बारे में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि की सूचना इकट्ठी करती है । 1978 के अंत में ऐसे ऐककों की संख्या 325 थी और उन पर 956.08 करोड़ रुपये का ऋण था । रुग्ण लघु उद्योग एककों के बारे में कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते हैं । किन्तु अनुमान है कि लगभग 8000 लघु उद्योग एककों पर 200 करोड़ रुपये का ऋण रुका हुआ है वे रुग्ण हैं । रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः जीवित करना व उनका पुनः निर्माण किसी एक अभिकरण की जिम्मेदारी नहीं किन्तु इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, श्रमिक वर्ग, विभागीय संस्थान, बैंक, प्रबंधक वर्ग और शेयरधारियों आदि सभी सम्बन्धितों द्वारा उचित अंशों में निभाये जाने पर इस काम को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। सरकार की नीति के परिणाम कुछ समय व्यतीत होने पर अनुभव किए जा सकेंगे ।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्वयं रोजगार की योजना**

10955. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई गई उस स्वयं रोजगार योजना का ब्यौरा क्या है जिसका वित्त पोषण स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) क्या ऐसी ही योजना अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित करने की आशा है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० द्वारा बिहार सहित समूचे देश में चलाई गई स्वयं रोजगार योजना का ब्यौरा निम्न-लिखित है :—

1. एन० टी० सी० वस्त्रों की कमीशन के आधार पर बिक्री के लिए बिक्री प्रतिनिधियों के पदों पर कार्य करने हेतु 18 से 35 वर्ष तक की उम्र के उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया जाता है ।
2. उम्मीदवारों को विपणन तथा लेखा आदि कार्यों में 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
3. चुने हुए बिक्री प्रतिनिधियों को जहां उन्हें काम करना होता है वहां की विपणन सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में मार्ग-दर्शन दिया जाता है ।
4. बिना बिका हुआ माल यदि वह कटा-फटा तथा क्षतिग्रस्त नहीं होता है तो उसे वापिस ले लिया जाता है ।
5. कैंची तथा नापने के मीटर मुफ्त प्रदान किए जाते हैं ।
6. भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी कपड़े खरीदने के लिये 1,000 रु० तथा साइकिल खरीदने के लिये 300 रु० से 400 रु० तक ऋण देते हैं ।

7. व्यापारिक ऋण पर ब्याज में रियायत दी जाती है ।

8. बैंक ऋण व्यक्तिगत गारन्टी पर दिये जाते हैं ।

9. बिक्री प्रतिनिधि एन० टी० सी० के सब प्रकार के वस्त्रों का विपणन करेंगे ।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है ।

(ख) यह योजना समग्र देश में कार्यान्वित की जा चुकी है ।

**आपातकाल के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किया जाना**

10956. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कुछ कर्मचारियों की सेवायें आपातकाल के दौरान समाप्त कर दी गयी थीं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों की सेवायें केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत समाप्त की गई थीं;

(ग) क्या ऐसे अधिकांश कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है जिनकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गई थीं;

(घ) क्या ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें बहाल कर दिया गया परन्तु उन्हें उनका पिछला वेतन नहीं दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) तथा (ख) जी, हां । 20 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई थीं ।

(ग) से (ङ) बाद में उनमें से 5 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया । कर्मचारियों को उस अवधि का पिछला वेतन नहीं दिया गया है जिसके लिये उन्हें असाधारण छुट्टी पर माना गया था । यह कार्रवाही इस विषय से सम्बद्ध वर्तमान नियमों के अनुरूप है ।

**दिल्ली पुलिस विधेयक के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतें**

10957. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस विधेयक, के खण्ड 28 (1) (ओ) के अन्तर्गत दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली पुलिस विधेयक के खंड 32 (1) के अन्तर्गत 1 जुलाई से 1 नवम्बर, 1978 की अवधि के दौरान दिल्ली के निवासियों से दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कार्यवाही हेतु कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 28 (1) (ओ) के अधीन दिल्ली पुलिस द्वारा कोई विनियम जारी नहीं किए हैं ।

(ख) और (ग) पुलिस आयुक्त को केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके सम्बन्ध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय में पेश किया गया था जिसने उस पर दिनांक 11-9-78 को 30 रुपये जुर्माना किया था। इसके अतिरिक्त बिना आज्ञा के लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने के लिए 1 जुलाई, से 1 नवम्बर, 1978 तक की अवधि के दौरान 14 व्यक्तियों के चालान किए गए थे।

**नागा लोगों के लिए नागरिक अधिकारियों की मांग के बारे में संकल्प**

10958. **श्री होंपिंगस्टोन लिंगडोह**
**श्री पी० ए० संगमा** } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री वी० एन० तारकुंडे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक सार्वजनिक सभा में पारित एक संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें नागा लोगों को पुनः नागरिक अधिकार देने और तंग-परेशान किये जाने को रोकने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) बैठक के बारे में सरकार ने प्रैस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) नागालैंड सरकार ने सूचित किया है कि उनको नागालैंड के लोगों के उत्पीड़न अथवा नागरिक अधिकारों से इन्कार किये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण बढ़ाया जाना**

10959. **श्री बागुन सम्बरुई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद के कुछ जनजाति सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केवल अनुसूचित जनजातियों की समस्या के साथ निपटने के लिए पृथक विभाग बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) तथा (ख) एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि सेवाओं में आरक्षण 1980 से आगे बढ़ाया जाये, अलग सेवा परीक्षाएं और साक्षातकार बोर्ड आवश्यक हैं, जनजातीय व्यक्तियों के लिये रिक्तियां अनुसूचित जातियों अथवा अन्य के पक्ष में अनारक्षित नहीं की जाएं और ग्राम से प्रशासन स्तर तक कार्यों के लिए अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों को योग्य बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में कृषि, सिंचाई, यांत्रिकी, मत्स्य उद्योग, शिक्षा, संचार, उद्योगों के

विकास, भूमि तथा मकान स्थानों का आवंटन, धन के उचित तथा पूर्ण उपयोग और शोषण को रोकने के लिये भी सुझाव दिये गये हैं।

(ग) तथा (घ) गृह मंत्रालय में स्थापित जनजाति विकास प्रभाग केवल अनुसूचित जन-जातियों की समस्याओं पर कार्यवाही करता है। एक अलग विभाग स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**सरकारी सेवाओं में संघों/संगठनों की सदस्यता का सत्यापन**

10960. **श्री भगतराम**
**श्री अजित कुमार साहा** } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में संघों/संगठनों का सदस्यता का सत्यापन करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी उक्त प्रकिया सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनी प्रक्रिया से भिन्न है ?

**गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**स्मारिका मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

10961. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब स्मारिका मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही थी तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पता चला था कि श्री के० के० बिड़ला विदेश जाने वाले थे;

(ख) यदि हां, तो उनका पारपत्र रद्द करने के लिये अथवा उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) श्री बिड़ला के मामले में छूट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्मारिका मामले की 3-10-1977 को जांच आरम्भ की थी। उस समय श्री के० के० बिड़ला पहले ही 16-9-77 को देश छोड़कर, बाहर चले गए थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले के सम्बन्ध में सूचना पाकर श्री के० के० बिड़ला ने पूर्वानुमानित जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी जो 10-10-1977 को मंजूर कर ली गई थी। इस प्रकार मामला दर्ज करने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उन्हें विदेश जाने से रोकने अथवा सरकार द्वारा उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए उनके पासपोर्ट को रदद करने के कदम उठाए जाने का प्रश्न नहीं उठता। श्री बिड़ला को छूट दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं था।

**अशोधित तेल की सप्लाई के लिए भारत और अल्जीरिया में समझौता**

10962 **श्री डी० डी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल की सप्लाई करने के बारे में भारत के उद्योग मन्त्री और अल्जीरिया में हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) क्या अल्जीरिया भारत को जून 1979 में 10 लाख टन अशोधित तेल सप्लाई करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) अल्जीरिया के भारी उद्योग मन्त्री के हाल के दौरे के दौरान केन्द्रीय उद्योग मन्त्री के साथ विचार विमर्श के दौरान सहयोग की कई औद्योगिक परियोजनाओं का पता लगाया गया जिनमें भारतीय फर्मों की सहभागिता की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में दोनों मंत्रियों के मध्य एक सूझबूझ ज्ञापन सम्पन्न हुआ। अल्जीरिया से लम्बी अवधि के आधार पर भारत द्वारा तेल खरीदने की संभावनाओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस बात पर सहमति हुई, कि इस मामले पर आगे बातचीत दोनों ओर के सम्बन्धित संगठनों के बीच होगी।

**मध्य प्रदेश में बांस-आधारित कागज बनाने का संयंत्र का स्थापित किया जाना**

10963. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में बांस बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और वहां पर बांस पर आधारित कागज बनाने का एक नया संयंत्र स्थापित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) नेशनल न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर मिल्स लि० द्वारा तैयार किये गये अखबारी कागज का विक्रय मूल्य 21-4-79 से 3200/-प्रति मी० टन तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) तथा (ग) बांस तथा हार्ड वुड पर आधारित विभिन्न प्रकार के कल्चरल तथा औद्योगिक कागज का 50,000 मी० टन तक प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए बालाघाट जिले में (मध्य प्रदेश) में एक एकक स्थापित करने हेतु मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर मिल्स की योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भी बांस और हार्ड वुड पर आधारित छपाई तथा सिखाई के 50,000 मी० टन तक कागज बनाने के लिए जिला बस्तर (म० प्र०) में एक एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है।

**राजनैतिक प्रदर्शनकारियों की सभाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण**

10964. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राजनैतिक आन्दोलनकर्ताओं तथा प्रदर्शनकारियों की सभाओं तथा भीड़ से कामगर तथा सम्मानजनक ढंग से निपटने के लिए वरिष्ठ तथा अनुभवी पुलिस अधि-

कारियों को कोई प्रशिक्षण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

**विवरण**

पुलिस सहायक अधीक्षकों के पद के वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मूल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है । देश में कई राज्यों द्वारा पुलिस उप अधीक्षक के पद के जिन अधिकारियों को भरती किया जाता है, उनको अपने-अपने पुलिस प्रशिक्षण कालेजों में प्रशिक्षण दिया जाता है । राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पुलिस सहायक अधीक्षक और राज्य पुलिस प्रशिक्षक कालेजों में पुलिस उप अधिक्षण के प्रशिक्षक के विषय वही हैं जो पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धी उस समिति द्वारा निर्धारित किये गये थे, जिसने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । सभाओं और भीड़ से निपटने के लिए मामले से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के विषय इस प्रकार हैं :—

**आंतरिक :**

**व्यवस्था बनाए रखने :**

(i) परामर्श तथा मध्यस्तता ।

(ii) वैध तथा अवैध सभाओं का नियंत्रण ।

(iii) आन्दोलन-राजनैतिक, साम्प्रदायिक, भाषाई, कृषक, मजदूर और छात्र ।

**तत्सम्बन्धी कानून :**

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 और 1961, आपराधिक तथा निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1969, आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971, अवैध गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1967, राजद्रोही सभाएं निरोध अधिनियम, 1911, भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923—आपातस्थितियों के दौरान इनका कार्य क्षेत्र ।

**बाह्य :**

**भीड़ नियन्त्रण :**

(क) लाठी कवायद,

(ख) भीड़ तितर-बितर कवायद (दंगा गवायद),

(ग) अश्रु गैस,

**क्षेत्रकला तथा दाव पेच :**

**निहत्था संघर्ष :**

उपर्युक्त दिये गये प्रशिक्षण के अतिरिक्त सभाओं और भीड़ से कारगर ढंग से निपटने के लिए माउंट आबू में आन्तरिक सुरक्षा अकादमी द्वारा विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं । इन

पाठ्यक्रमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) पुलिस उप आयुक्त के लिए 3 सप्ताह का आन्तरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम (प्रतिवर्ष 8 पाठ्यक्रम)।

(2) जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस वरिष्ठ अधीक्षकों के लिए 10 दिन का आन्तरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम (प्रति वर्ष 4 पाठ्यक्रम)।

(3) पुलिस उप महानिरीक्षक के लिए 6 दिन का आन्तरिक सुरक्षा सेमीनार (प्रति-वर्ष 4 सेमीनागर)।

ये पाठ्यक्रम सभी केन्द्रीय संगठनों, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए खुले हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम की औसत क्षमता लगभग 20 हैं। अब तक आन्तरिक सुरक्षा अकादमी ने 154 पुलिस उप अधीक्षकों, 68 पुलिस वरिष्ठ अधीक्षकों तथा जिला मजिस्ट्रेटों, 74 पुलिस उप महानिरीक्षकों को प्रशिक्षित किया है। समझा जाता है कि आगामी वर्षों में वरिष्ठ स्तर के अधिकांश अधिकारी इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।

**परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता और असफलता का मूल्यांकन करने हेतु कार्यकारी दल**

10965. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जनसंख्या नीति के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल स्थापित किया;

(ख) क्या कार्यकारी दल परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता और असफलता तथा वर्तमान और बाद की योजनाओं के लिए जनांककीय स्थिति पर विचार करेगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदनों को पूरा करने के लिए कितना समय लिया गया है, अथवा लिए जाने की संभावना है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय और इस दल को अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बताया गया समय विवरण में दिया गया है। इस दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट मार्च, 1979 में प्रस्तुत कर दी है।

**विवरण**

(1) जनांकिकीय स्थिति, उपलब्धियों और संभावनाओं पर विचार करना तथा योजना की वर्तमान अवधि और बाद की अवधियों के लिए प्रजनन शक्ति नियन्त्रण कार्यक्रम और उसके साथ उपलब्धियों के साध्य स्तरों का सुझाव देना, जिसमें प्रजनन दर को कम कर सकने वाले तत्वों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं बताते हुए वास्तविक जनांकिकीय लक्ष्यों का सुझाव शामिल है;

(2) प्रजनन शक्ति नियन्त्रण और परिवार कल्याण से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तकों का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और उपयुक्त उपायों तथा सम्बन्धित विकास कार्यक्रम का सुझाव देना;

(3) परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई जो विभिन्न स्कीमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है उनको कैसे एकीकृत किया जाए इसका सुझाव देना जिससे कि आवश्यक संबद्धताएं उत्पन्न करके प्रजनन शक्ति नियन्त्रण कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय और प्रभावी बनाया जा सके ।

यह कार्यकारी दल योजना आयोग को 6 महीने में अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस अन्तरिम रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के और 6 महीने बाद अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । इस कार्यकारी दल का कुल कार्यकाल आवश्यक विभिन्न जनांकिकीय और अन्य अध्ययनों के पूरा होने पर निर्भर होगा ।

**दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के विरुद्ध जांच**

10966. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने दिल्ली लघु उद्योग निगम के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं, कुप्रबन्ध तथा भष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) तथा (ख) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध के आरोपों के सभी प्रकरणों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । किन्तु कुछ प्रकरणों में केन्द्रीय जांच ब्यूरों से प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और एक प्रकरण के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भी अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इन प्रकरणों में अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

**त्रिनगर, दिल्ली में हिंसा उतारू भीड़**

10967. **श्री चिमन भाई एच० शुक्ल**
**श्री मुख्तियार सिंह मलिक** } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अप्रैल, 1979 की हिंसा पर उतारू भीड़ पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या स्थानीय पुलिस उस पर काबू नहीं पा सकी;

(ग) उस घटना का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) इस क्षेत्र के

जनता पार्टी मण्डल के चुनावों से उत्पन्न लोगों के दो वर्गों क बीच विवाद के कारण 15-4-79 को त्रि-नगर बस अड्डे के पास तनाव की स्थिति हो गई थी। स्थानीय पुलिस इलाके के कुछ जिम्मेदार नागरिकों की सहायता से स्थिति के हिंसा में बदलने से पूर्व उस पर नियंत्रण कर सकी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुमुक बुलाई गई थी, परन्तु वह स्थिति के नियन्त्रण में लाने के बाद घटनास्थल पर पहुँची थी। इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये तीन मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है। कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं।

(घ) जिन क्षेत्रों में तनाव होने की संभावना होती है उनके बारे में यदि आसूचना प्राप्त होती है तो आवश्यक निरोधात्मक उपाय किए जाते हैं।

**पांडिचेरी विद्युत विभाग में वेतन सम्बन्धी विशेषताएं**

10968. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी विद्युत विभाग के लाइन-मैन, लाइन इन्सपैक्टर आदि जैसे कुछ श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन सम्बन्धी विषमताओं को दूर करने का मामलों निलम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे केन्द्रीय सरकार के तीसरे वेतन आयोग की घोषणा तिथि से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि इसे क्रियान्वित किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (ग) पांडिचेरी विद्युत विभाग के लाइन मैन और लाईन इन्सपेक्टर के पदों के लिए संशोधित वेतनमान का प्रश्न पांडिचेरी प्रशासन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि पांडिचेरी विद्युत विभाग के लाईनमैन और लाईन इन्सपेक्टरों का मूल वेतन क्रमशः 330 रुपए और 380 रुपए निर्धारित किया जाय। फैसला सरकार के विचाराधीन है।

**अशोक लीलैण्ड तथा बैज द्वारा चेसिस का उत्पादन**

10969. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक लीलैंड और बैज द्वारा चेसिस का कितना उत्पादन किया जाता है और इस उत्पादन द्वारा कितनी मांग पूरी होगी;

(ख) मांग को पूरा करने के लिए इन दोनों कम्पनियों द्वारा अपनाये गये वितरण के तरीके क्या हैं;

(ग) क्या समान वितरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उचित वितरण को सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन दोनों कम्पनियों की चेसिस की संख्या कितनी है जो वितरित किये गये और गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जनता द्वारा सड़क पर लाने हेतु पंजीकृत कराये गये ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) अशोक लीलैंड तथा

टैल्को चेसिसों का 1978-79 के दौरान क्रमशः 11,392 तथा 33,046 उत्पादन हुआ। इन वाहनों के लिए काफी बड़ी प्रतीक्षा सूची है।

(ख) से (घ) इन वाहनों के निर्माताओं ने मांग के रजिस्ट्रेशन के अनुसार वाहनों के संभरण की पद्धति अपनाई है। तथापि, सार्वजनिक परिवहन को आवश्यकताओं की प्राथमिकता दी जाती है तथा शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, ट्रांसपोर्ट आपरेटरों की सहकारी समितियों, राष्ट्रीय/कम्पोजिट परमिट धारकों तथा उन आवेदकों को जिन्हें कि विशिष्ट अवधि के भीतर अपने चेसिसों को बदलना होता है, प्राथमिकता के आधार पर चेसिस रिलीज करने के सम्बन्ध में निर्माताओं को सलाह दी गई है। वितरण आदि से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है तथा कदाचार की गुंजाइश को कम करने के उद्देश्य से उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकार ने 21 मार्च, 1979 को एक आदेश जारी करके नये वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पर खरीदने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक पुनः बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्पादन वृद्धि के लिए भी कदम उठाये गये हैं। टेल्को तथा अशोक लीलैंड के बढ़े हुए उत्पादन के सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है।

| | 1977-78 | 1978-79 |
|---|---|---|
| टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड | 23,069 | 33,046 |
| अशोक लीलैंड लिमिटेड | 8,347 | 11,572 |

(ङ) पिछले दो वर्षों में दोनों कम्पनियों द्वारा तमिलनाडु में वितरित चेसिसों की संख्या जैसा कि निर्माताओं ने बताया है निम्न प्रकार है :—

| | बेचे गये वाहनों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 1977-78 | 1978-79 |
| टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड | 830 | 1306 |
| अशोक लीलैंड लिमिटेड | 1,706 | 1956 |

**अशोक लीलैंड और बैज द्वारा चैसिस का उत्पादन**

10970. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक लीलैंड तथा बैज द्वारा चैसिस का कितना उत्पादन किया जाता है, भारत में वितरण के लिए कितनी मात्रा उपलब्ध है; और कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(ख) देश में पूरी न की गई मांगों को देखते हुए इसका निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| चैसिसों की मेक | 1978-79 में उत्पादन | भारत में वितरण | निर्यात की मात्रा |
|---|---|---|---|
| लीलैंड | 11,392 | 11,582 | 938 |
| टाटा | 33,046 | 28,448 | 3,598 |

(ख) पहले से किये गये वायदों तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा मंडियों में कठिनाई से प्राप्त प्रवेश को बहाल रखने के लिए निर्यात किये गये हैं।

**एच० एम० टी० द्वारा निर्मित ट्रैक्टर**

10971. **श्री अब्दुल लतीफ** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया और विभिन्न राज्यों को प्रति वर्ष उनका कितना वितरण किया;

(ख) हाल ही में प्रत्येक राज्य में कितने प्राईवेट डीलर नियुक्त किए गए और इन वितरकों को किन शर्तों पर वितरण की अनुमति दी गई; और

(ग) हाल ही में ट्रैक्टरों के मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप एच० एम० टी० द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिए कितने अनुरोध पत्र तथा कितने ट्रैक्टरों की मांग प्राप्त हुई, कृषकों तथा प्राइवेट डीलरों को कुछ सप्ताह पूर्व हुई उक्त मूल्य वृद्धि से दो मास पूर्व कितने ट्रैक्टर सप्लाई किए गए ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) एच० एम० टी० जीटर ट्रैक्टरों का पिछले तीन वर्षों में उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

| | |
|---|---|
| 1976-77 | 4500 नग |
| 1977-78 | 6457 नग |
| 1978-79 | 8500 नग |

ट्रैक्टरों के वितरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मै० एच० एम० टी लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों के दौरान 8 प्राइवेट डीलरों (बिहार में 7 तथा तमिलनाडु में 1) की नियुक्ति की गई। डीलरों की नियुक्ति नान एक्सक्लूसिव आधार पर एक वर्ष अथवा इससे कम 31 मार्च, तक की जाती है, जीटर-2511 पर 1600/- रुपये तथा जीटर-5711 पर 2000/-रुपये प्रति ट्रैक्टर कमीशन पर अगले वित्त वर्ष के लिए नवीनीकरण होता है।

(ग) मै०एच०एम०टी० लिमिटेड ने बताया है कि मूल्यों में वृद्धि से पूर्व जो कि 28 मार्च, 1979 से लागू हुई थी, कोई विशेष मांग नहीं थी।

देश में किसानों इत्यादि को ट्रैक्टरों का वितरण मैं० एच० एम० टी० लिमिटेड राज्य कृषि उद्योग निगमों और प्राइवेट डीलरों के माध्यम से करती है। मैं० एच० एम० टी० लिमिटेड द्वारा प्राप्त ट्रैक्टरों की सप्लाई की आवश्यकता तथा जनवरी-मार्च, 1979 की अवधि में की गई वास्तविक सप्लाई से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है :—

| | प्राप्त मांग | की गई सप्लाई |
|---|---|---|
| जनवरी, 1979 | 913 | 600 |
| फरवरी, 1979 | 721 | 182 |
| मार्च, 1979 | 1,246 | 1,237 |

**विवरण**

| क्र० सं० | राज्य का नाम | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | संख्या | संख्या |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 91 | 55 | 116 |
| 2. | आसाम | 14 | — | 8 |
| 3. | बिहार (पैकों सहित) | 612 | 836 | 598 |
| 4. | दिल्ली | 5 | 30 | 80 |
| 5. | गुजरात | 112 | 111 | 171 |
| 6. | हरियाणा | 297 | 1303 | 1618 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 30 | 15 | 29 |
| 8. | जम्मू तथा काश्मीर | 18 | 10 | 21 |
| 9. | कर्नाटक | 22 | 52 | 113 |
| 10. | केरल | 44 | 7 | 28 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 689 | 19 | 388 |
| 12. | महाराष्ट्र | 58 | 53 | 169 |
| 13. | उड़ीसा | 42 | 7 | 45 |
| 14. | पंजाब | 303 | 2604 | 2477 |
| 15. | राजस्थान | 82 | 313 | 373 |
| 16. | तमिलनाडु | 35 | 28 | 13 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 907 | 2181 | 1733 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 70 | 14 | 81 |
| 19. | चण्डीगढ़ | 112 | 34 | 14 |
| 20. | नेपाल | 23 | 12 | — |
| 21. | अन्य (निर्यात सहित) | — | 5 | 4 |
| | कुल : | 3566 | 7689 | 8079 |

**सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से चुराये गये वाहन**

10972. **श्री राम विलास पासवान**
**श्री यादवेन्द्र दत्त**
**श्री ए० सुन्ना साहिब** } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में आई है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों एवं रोगियों/जनता के आदमियों के बहुत से स्कूटर और अन्य वाहन 30 मार्च,1979 को एक ही दिन में उक्त अस्पताल के परिसर से चुरा लिए गये थे;

(ख) क्या वह मार्च और अप्रैल, 1979 के दौरान उक्त अस्पताल से चुराये गये ऐसे सभी वाहनों में प्रत्येक वाहन की संख्या और 'मेक' तथा उसके मालिक का नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे;

(ग) क्या चुराया गया कोई वाहन इस बीच बरामद करके उसके मालिक को लौटा दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने चुराये गये वाहनों का पता लगाने और उक्त अस्पताल में कार्यरत चोरों के गिरोह को पकड़ने के मामले में ढील दिखाई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) केवल एक मामला 30-3-1979 को सफदरजंग अस्पताल से एक स्कूटर नं० डी० एच० आई० 4462 की चोरी का सूचित किया गया था।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) शेष तीन वाहनों का जो अभी तक गुम हैं पता लगाने के लिए अभी तक प्रयत्न किये जा रहे हैं। जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की कोई ढील ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

| क्रम सं० | प्र० सू० रि० | दिनांक | कानून की धारा | वाहन का मेक और नं० | मालिक का नाम | बरामद हुआ या बरामद नहीं हुआ | मालिक को लौटा दिया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 155 | 17-3-79 | 379 आई० पी० सी० | स्कूटर नं० डी० एच० बी० 5580 लम्ब्रेटा | श्री वी० बी० बहुगुणा, निवासी 187, राज नगर, नई दिल्ली (एस० जे० एच० क्वार्टर) | बरामद हुआ | मालिक को लौटा दिया गया |
| 2. | 163 | 21-3-79 | मा० दं० सं० 379 | स्कूटर नं० यू० टी० बी० 7071 | श्री मोहिन्दर कुमार मदगिल सुपुत्र श्री एम० एल० शर्मा, निवासी डिफैन्स सर्विस एन्क्लेव। | बरामद हुआ | मालिक को लौटा दिया गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 183 | 30-3-79 | मा० दं० सं० 379 | स्कूटर नं० डी० एच० आई० 4462 | डा०जी०एल० सब्रावल निवासी 169, नरेशपुरा, साऊथ मोती बाग, नई दिल्ली । | बरामद नहीं हुआ | — |
| 4. | 186 | 31-3-79 | मा० दं० सं० 379 | स्कूटर नं० डी० एच० के० 2205 | श्री एच० सी० बन्जाल, निवासी क्वार्टर नं० 57, मस्जिद मोठ, ए० आई० आई० एम० एस० क्वार्टर | बरामद हुआ | मालिक को लौटा दिया गया |
| 5. | 208 | 12-4-79 | मा० दं० सं० 379 | मोटर साइकिल डी० ई० डब्ल्यू० 2413 रायल एनफील्ड | श्री प्रेम इशाराजी, निवासी III जी-21, लाजपत नगर, नई दिल्ली । | बरामद नहीं हुआ | — |
| 6. | 213 | 15-4-79 | मा० दं० सं० 379 | स्कूटर नं० डी० एच० वी० 9138 वैस्पा | डा० के० एल० ठाकुर, निवासी ई-56, अन्सारी नगर, नई दिल्ली । | बरामद नहीं हुआ | — |

**नाई बस्ती, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली में छुरेबाजी**

19973. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाई बस्ती, गली संख्या 13 आनन्द पर्वत के लोगों द्वारा 27 जनवरी, 1978 को हुई छुरेबाजी की घटना के बारे में की गई संयुक्त शिकायत में क्या-क्या मुद्दे उठाये गये हैं और उन पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, किन-किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की तारीखें क्या-क्या हैं और इस समय उनके विरुद्ध कितने मामले धारा-वार, पुलिस के विचाराधीन हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** (क) और (ख) शिकायत का सम्बन्ध, जगदीश चन्द्र और ओम प्रकाश द्वारा सर्वश्री उमराव सिंह और घासी राम को तथा-कथित छुरा घोंपने और नाथूराम को लाठी मारने से था। मामला उपर्युक्त दो अभियुक्तों द्वारा उमराव सिंह जो पीड़ितों में से एक है, की बहन को छेड़ने से उठा। गली नं० 13 नाई बस्ती, आनन्द पर्वत के निवासियों ने 28-1-78 की अपनी शिकायत में अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की थी। नाई बस्ती, आनन्द पर्वत के श्री जगदीश चन्द्र और श्री ओम प्रकाश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/324/34 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 30-1-78 और 4-2-1978 को पुलिस स्टेशन पटेल नगर में गिरफ्तार किया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य कोई अपराधिक मामले विचाराधीन नहीं हैं।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकारियों का स्थानांतरण**

10974. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय संवर्ग के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें आपात स्थिति के दौरान/इससे पहले अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया था, के स्थानान्तरण के लिए तत्कालीन गृह मन्त्री श्री चरण सिंह द्वारा फाइल में आदेश जारी कर दिये गये थे;

(ख) क्या मन्त्री महोदय के उक्त आदेशों का पालन किया गया था; यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे कुछ अधिकारी सेवा-निवृत होने वाले हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** (क) से (ग) श्री चरण सिंह ने, जब वे गृह मन्त्री थे, यह इच्छा प्रकट की थी कि अन्दमान और निकोबार प्रशासन में कार्य कर रहे एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाय। सम्बन्धित अधिकारी की जगह पर उपयुक्त स्तर पर कोई वैकल्पिक तैनाती सम्भव नहीं हुई अतः उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। अधिकारी सेवा से 30 जून, 1979 के अपराह्न से निवृत होने वाला है।

**पोर्ट ब्लेयर में साऊथ प्वाइन्ट तथा डुग्गोनाबाद में मकानों के लिए भू-स्थलों का आवंटन**

10975. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के नगरपालिका क्षेत्र में साउथ प्वाइंट तथा डुग्गोनाबाद में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार मकानों के लिये कितने भू-स्थलों का आवंटन किया गया;

(ख) उनमें से कितने आवंटियों ने वस्तुत: मकान बना लिये हैं और कितनों ने अपने मकानों के प्लाट दूसरों को बेच दिये;

(ग) उक्त भू-स्थलों को बेचने वालों तथा उन्हें खरीदने वालों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या उक्त बिक्री के लिए प्रशासन अनुमति देता है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) और (ख) पिछले तीन सालों में साऊथ प्वाइंट में केवल एक आवास स्थल को आवंटित किया गया, जहां पर आवंटी ने अपना मकान बना लिया है। डुग्गोनाबाद में कोई आवास स्थल आवंटित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**भू-निरीक्षण के लिए उपग्रह छोड़ने में विलम्ब**

10976. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की दूसरी तिमाही में जो भू-निरीक्षण के लिए उपग्रह छोड़ा जाना था अब उसके छोड़े जाने में विलम्ब हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पृथ्वी संबंधी निरीक्षण का स्वरूप क्या होगा तथा किस हद तक उक्त सर्वेक्षण किया जाएगा ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भू-प्रेक्षण उपग्रह (एस० ई० ओ०) के पर्यवेक्षण का स्वरूप मुख्यतया उपग्रह में रखे हुए दूरदर्शन कैमरों और माइक्रोवेव रेड़ियोमीटरों की सहायता से भारतीय क्षेत्र के ऊपर सुदूर संवेदन सम्बन्धी पर्यवेक्षण करना है। इस प्रकार प्राप्त बिम्बावली से वानिकी, जलविज्ञान, जल संसाधनों, हिम आच्छादन, हिम गलन और वृहत् जल तथा भू-संहतियों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होगी। माइक्रोवेव रेडियोमीटर समुद्री सतह की हवाओं, समुद्री तापमान और जल-वाष्प की मात्रा, जो कि मौसमविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण निवेश हैं, के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करेगा। यह उपग्रह एक्स-किरण तारकों से एक्स-किरणों के पर्यवेक्षण का भी परीक्षण करेगा तथा यह उपस्थिति निरपेक्ष प्लेटफार्मों से मौसमविज्ञान सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्र करेगा।

**सेटेलाईट लांच व्हिकिल (एस० एल० वी०-3) द्वारा परीक्षण उड़ान**

10977. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सेटेलाईट लांच व्हकिल की परीक्षण उड़ान 1979 के मध्य में होगी;

(ख) क्या उसमें विलम्ब होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सेटेलाईट लांच व्हकिल किस ऊंचाई पर एवं किस गति से उड़ेगा ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) भूमि से उठने के बाद, एस० एल० वी०-3 लगभग 300 किलोमीटर की अनुमानित ऊंचाई पर लगभग 7.8 प्रति सैकन्ड की अधिकतम गति से पूर्व-प्रोग्रामी प्रक्षेप पथ का अनुगमन करेगा।

**फोटोग्राफी कैमरों का उत्पादन**

10978. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी उपक्रम द्वारा उच्च किस्म के 35 एम० एम० "एमेच्चोर प्रोग्रासी" तथा एक लेंस वाले "रिपलेक्स" प्रकार के फोटोग्राफी कैमरों का उत्पादन किए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थल का चयन किया गया है;

(ग) क्या इसे सहयोग से स्थापित किया जाएगा या स्वदेश में;

(घ) यदि सहयोग से करना है तो सहयोग किस देश के साथ और किन-किन शर्तों पर; और

(ङ) यदि देश में करना है तो क्या पुर्जों का आयात किया जाएगा या देश में ही बनाए जायेंगे ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ङ) जर्मनी की मैसर्स रेगुला वर्क किंग के० जी० के तकनीकी सहयोग से एकमुश्त धनराशि तथा रायल्टी की अदायगी पर 35 एम० एम० लेंस शटर कैमरों तथा एकललेंस "रिफ्लेक्स" कैमरों का उत्पादन करने सम्बन्धी नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता के प्रस्ताव पर सरकार ने 1976 में स्वीकृति दे दी थी। उत्पादन करने की इस योजना में पुर्जों का आयात भी शामिल है।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के इन्जीनियरिंग यूनिट में अवरोध**

10979. **श्री युवराज** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के इन्जीनियरिंग यूनिट में बारह-अठारह वर्ष की सेवावधि वाले कर्मचारी एक ही पद पर अवरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार, संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) और (ख) सी० एस० आई० आर० के इंजीनियरी यूनिट के निम्नलिखित कर्मचारी बारह वर्ष से अधिक समय से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | सिविल इंजीनियर | ... | 11 |
| (दो) | कनिष्ठ इंजीनियर | ... | 14 |
| (तीन) | वरिष्ठ वास्तु-सहायक | ... | 1 |
| (चार) | वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन | ... | 2 |

(ग) विशेष श्रेणी के पदों के सृजन की एक योजना है इस योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ इंजीनियरों, वरिष्ठ वास्तु-सहायकों और वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैनों के भी पद हैं ।

इस योजना के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में, जो तीन वर्षों या अधिक समय से वर्तमान है, के लिए पदों की कुल संख्या के बीस-पच्चीस प्रतिशत तक विशेष श्रेणी के पदों का सृजन किया जा सकता है । विशेष श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नीचे के पद पर ग्यारह वर्ष की सेवा, योग्यता के रूप में निर्धारित की गई हैं ।

हाल ही में वास्तु और इंजीनियरी सेवाओं को काडरकृत किया गया है और विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा रहा है ।

**सीमेंट के मूल्य में वृद्धि**

10980. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कीमतों में गत पांच वर्षों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में हुई मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इस समय, 1979-80 में क्या कीमत है काफी अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या सीमेंट की उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य में काफी अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्पादन लागत तथा विक्रय मूल्य को कम करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1974 से 3 मई, 1979 तक की अवधि के सीमेंट के रेल तक का भाड़ा मुक्त मूल्य, उत्पादन शुल्क व पैकिंग व्ययों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । सीमेंट की उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए उत्पादकों को अनुमत संधारण मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है ।

(ग) उत्पादन लागत को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं । सीमेंट की उत्पादन लागत को कम करने के लिए प्री-केल्सीनेटर प्रौद्योगिकी अपनाने, सूखी प्रक्रिया के स्थान पर गीली प्रक्रिया अपनाने व सीमेंट के उत्पादन में पेजलानिक माल का अधिक उपयोग करने आदि जैसे कुछ तरीके अपनाए गए हैं ।

**विवरण**

1 अप्रैल, 1974 से अब तक के सीमेंट के रेल भाड़ा मुक्त मूल्य, उत्पादन शुल्क व पैकिंग व्ययों को दर्शाने वाला विवरण

| वर्ष | अवधि | खुली सीमेंट के प्रति मी० टन के रेल तक भाड़ा भुक्त मूल्य | प्रति मी० टन उत्पादन शुल्क | प्रति मी० टन पैकिंग व्यय | प्रति मी० टन कुल रेल भाड़ा भुक्त मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | रुपए | रुपए | रुपए | रुपए |
| 1974 | 1-4-74 से 16-5-74 | 151.00 | 37.75+ 3.775+ | 38.19 | 230.715 |
| | 17-5-74 से 30-6-74 | 155.00 | 38.75+ 3,875 | 38.19 | 235.815 |
| | 1-7-74 से 31-7-74 | 155.00 | 38.75+ 3.875 | 43.33 | 240.955 |
| | 1-7-74 से 1-8-74 | 155.00 | 46.504+ 4.650 | 43.33 | 249.480 |
| | 2-8-74 से 14-9-74 | 190 00 | 57.00— 5.700 | 43.33 | 296.030 |
| | 15-9-74 से 30-9-74 | 202.50 | 60.75+ 6.075 | 43.33 | 312.655 |
| | 1-10-74 से 31-12 74 | 202.50 | 60.75+ 6.075 | 43.60 | 312.925 |
| 1975 | 1-1-75 से 28-2-75 | 202.50 | 60.75+ 6.075 | 48.17 | 317.495 |
| | 1-3-75 से 31-3-75 | 202.50 | 70.88+ 7.088 | 48.17 | 328.638 |
| | 1-4-75 से 30-6-75 | 202.50 | 70.88+ 7.088 | 48.91 | 249.378 |
| | 1-7-75 से 30-9-75 | 202.50 | 70.88+ 7.088 | 46.37 | 326.838 |
| | 1-10-75 से 31-12-75 | 211.00 | 73 85+ 7.385 | 40.98 | 333.216 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1-1-76 से 15-3-76 | 211.00 | 73.85+ 7.385 | 41.00 | 333.235 |
| | 15-3-76 से 30-6-76 (5 बजे सायं) | 211.00 | 82.00 | 41.00 | 334.00 |
| | 1-7-76 से 30-9-76 | 213.65 | 82.00 | 41.56 | 337.21 |
| | 1-10-76 से 31-12-76 | 214.65 | 82.00 | 40.94 | 337.59 |
| 1977 | 1-1-77 से 26-1-77 | 214.65 | 82.00 | 40.95 | 337.60 |
| | 27-1-77 से 31-1-77 | 214.65 | 65.00 | 40 95 | 320.60 |
| | 1-2-77 से 31-3-77 | 231.65 | 65.00 | 40.95 | 337.60 |
| | 1-4-77 से 30-6-77 | 231.65 | 65.00 | 41.77 | 338.42 |
| | 1-7-77 से 30-9-77 | 231.65 | 65.00 | 41 62 | 338.27 |
| | 1-10-77 से 31-12-77 | 231.65 | 65.00 | 41.65 | 338.30 |
| 1978 | 1-1-78 से 6-1-78 | 231.65 | 65.00 | 41.63 | 338.28 |
| | 7-1-78 से 28-2-78 | 248.65 | 65.00 | 41.63 | 335.28 |
| | 1-3-78 से 31-3-78 | 248.65 | 68.25 | 41.63 | 358.53 |
| | 1-4-78 से 30-6-78 | 248.65 | 68 25 | 47.34 | 364.24 |
| | 1-7-78 से 2-7-78 | 248.65 | 68.25 | 47.35 | 364.25 |
| | 3-7-78 से 30-9-78 | 253.35 | 68.25 | 47.35 | 368.95 |
| | 1-10-78 से 6-12-78 | 253 35 | 68.25 | 47.27 | 368.87 |
| | 7-12-78 से 31-12-78 | 293.26 | 68.25 | 47.27 | 408.78 |
| 1979 | 1-1-79 से 31-3-79 | 293.26 | 68.25 | 50.79 | 412.30 |
| | 1-4-79 से 2-5-79 | 293.26 | 68.25 | 52.50 | 414.01 |
| | 3-5-79 से आज तक | 318.25 | 68.25 | 52.50 | 439.69 |

× 1-3-1974 से उत्पादन शुल्क पर 10 प्रतिशत सहायक शुल्क लगाया गया था। सीमेंट नियन्त्रित किस्मों की सीमेंट पर जिन पर कि निश्चित शुल्क लगाया जाता है अब यह शुल्क नहीं लगाया जाता।

**लघु उद्योगों के उत्पादकों की बिक्री के लिए गुजरात में बाजारों का निर्माण**

10981. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के जूनागढ़, राजकोट और जामनगर जिलों में ग्रामीण और लघु उद्योगों के उत्पादकों की बिक्री के लिए बाजारों का निर्माण किया है और यदि नहीं तो उक्त बाजारों का निर्माण कब तक किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उद्योगों को अपने उत्पादकों को बेचने में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और यदि अभी कार्यवाही की जानी है तो कार्यवाही कब तक की जायेगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) गुजरात जूनागढ़, राजकोट तथा जामनगर जिलों में ग्राम तथा लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए गए गजट के लिए अलग से किसी बाजार की स्थापना नहीं की गई है ।

(ख) उपर्युक्त जिलों में उत्पादों के बेचने से सम्बन्धित कठिनाइयों के बारे में लघु तथा ग्रामोद्योगों से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की देयतायें**

10982. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता जो भारत सरकार के प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन है, की कई पार्टियों की भारी देयतायें हैं, यदि हां, तो ऐसी पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके 8 लाख रुपये से अधिक राशि के दावे इस कम्पनी पर बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी द्वारा देयताओं के भुगतान को स्थगित कर दिया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह स्थगन कब किया गया था और इसे कब उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसी पार्टियों को, जिनके दावे बकाया हैं, देय राशि के भुगतान न किये जाने के कारण भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में इस देयता परिसमापन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (घ) यह सच है कि नेशनल कं० लि०, जो भारत सरकार के प्रबन्ध के अधीन है, की कई सम्मरणकर्ताओं आदि की भारी देयताएं हैं । किन्तु, इस कम्पनी पर अधिग्रहण के समय जिन पार्टियों के 8 लाख रु० से अधिक राशि के दावे बकाया थे, वे ये थीं, भारतीय जूट निगम तथा श्री कृष्ण ट्रेडिंग कम्पनी लि० उपक्रम को सहायता देने तथा ऋणदाताओं द्वारा इसे परिसमापन के अन्तर्गत लाने की सम्भाव्यता को टालने के लिए भारत सरकार ने कम्पनी द्वारा अधिग्रहण से पहले की देयताओं के भुगतान को स्थगित करने की घोषणा की है । पहली बार 1-11-1977 को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगन किया गया था जिसे 1-11-1978 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था । सम्मरणकर्ताओं आदि को बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, परन्तु कम्पनी को पुनर्जीवित करने के हित में स्थगन में तत्काल ढील देने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

**नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना**

10983. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान कलकत्ता स्थित नेशनल कम्पनी लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, यदि हां, तो इसको नियंत्रण में लिये जाने की तारीख क्या है और इस तारीख को कम्पनी की कुल देयता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी ने इस बीच मुनाफा अर्जित करना शुरू कर दिया है; यदि हां, तो कम्पनी द्वारा कमाये गये मुनाफे का महीने वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मुनाफे के बावजूद कम्पनी ने अभी तक अपनी देयताओं का परिसमापन शुरू नहीं किया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) 30-7-1975 को सरकार ने नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया था अधिग्रहण के समय कम्पनी की कुल देनदारियां लगभग 1605 लाख रुपये बताई गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**डीजल कारों का निर्माण**

10984. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को 300 डीजल कारों का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी, उक्त कारें कब बनकर तैयार हुई और किन-किन व्यक्तियों को ये कारें सप्लाई की गई थीं;

(ख) देश में पेट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए अधिक संख्या में डीजल कारों का निर्माण करने की अब तक अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के अलावा किसी अन्य कम्पनी को भी डीजल कारों का निर्माण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उक्त कम्पनी का नाम क्या है; और

(घ) क्या मन्त्री महोदय प्राथमिकता के आधार पर संसद सदस्यों को डीजल कारों का आवंटन करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को 1489 सी० सी० डीजल इंजन वाली 300 अम्बेसेडर कारों का निर्माण करने और परीक्षण तथा प्रदर्शन के लिए उन्हें अपनी पसन्द के ग्राहकों को बेचने हेतु तदर्थ अनुमति दी गई है जिससे वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में डीजल वाली कारों के काम के बारे में वे प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकें । फर्म ने बताया है कि उन्होंने ये कारें विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों को बेची/आवंटित की हैं, जिनमें से अधिकांश टैक्सी व्यवसाय करते हैं ।

(ख) मोटरगाड़ी उद्योग को अद्यतन बनाने के लिए अनेक अध्ययन किए जा रहे हैं, जिनमें यात्री कारों की ईंधन क्षमता में सुधार करना और मांग की तुलना में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कारों का डीजलीकरण और डीजल का प्रयोग शुरू करने के तकनीकी आर्थिक और प्रौद्योगिकीय पहलू सम्मिलित हैं।

(ग) किसी अन्य निर्माता से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) डीजल वाली कारों के आवंटन के लिए सरकार के पास कोई कोटा नहीं है। संसद सदस्यों के प्रार्थना पत्र निर्माताओं के पास भेज दिए गये हैं।

**अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्कूल लेन पंचायत एरिया में निर्धन लोगों को अलाट किए गए आवास स्थल**

10985. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 के दौरान अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्कूल लेन, पंचायत क्षेत्र में समाज के निर्धन और कमजोर लोगों को अनेक आवास स्थल आवंटित किये गये; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) और (ख) वर्ष 1977 के दौरान अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्कूल लेन, पंचायत क्षेत्र में 280 आवास स्थल आवंटित किए गए। उपर्युक्त मामलों में से 18 मामलों को प्रशासन ने रद्द कर दिया है क्योंकि आबंटन वर्तमान राजस्व नियमों और विनियमनों और इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा रखी गई आवंटन के लिए प्राथमिकताओं का उल्लंघन करके किया गया था।

**उड़ीसा सरकार द्वारा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन की व्यवस्था**

10986. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन की व्यवस्था की है;

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त वर्षों में आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के लिये धनराशि नियत की है, कितनी धनराशि मन्जूर की गई और कितनी खच की गई;

(ग) इन क्षेत्रों में कौन-सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें आरम्भ की गई है और कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) उन वर्षों के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के कुल परिव्यय में प्रशासनिक व्यय और विकास परिव्यय कितना है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के उड़ीसा की राज्य योजना के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के अनुमोदित आवंटन (क्षेत्र वार) विवरण में दिए गए हैं। खर्च के आंकड़े अभी राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) गृह मन्त्रालय द्वारा संचालित अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और वर्ष 1978-79 के लिए उड़ीसा सरकार को इन योजनाओं के लिए दी गई धनराशियां नीचे दी गई हैं :—

| योजना का नाम | 1978-79 के लिए दी गई धनराशि (रु० लाखों में) |
|---|---|
| मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (अनुसूचित जनजातियों के लिये) | 14.00 |
| अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावास | 3.75 |
| अनुसंधान और प्रशिक्षण | 2.00 |

इन योजनाओं के लिए वर्ष 1979-80 के लिये आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है।

(घ) उड़ीसा के लिये वर्ष 1978-79 के 5711.59 लाख रुपये के (राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता से) कुल आवंटन में से 94.00 लाख रुपये आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के लिये आवंटित किये गये थे। वर्ष 1979-80 के लिये प्रस्तावित आंकड़े क्रमशः 6690.76 लाख रुपए और 13.00 लाख रुपए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटनों में प्रशासनिक खर्च का एक तत्व हो सकता है।

**विवरण**

(रुपए लाखों में)

| क्रम सं० | विकास के शीर्ष/उपशीर्ष | राज्य योजना से उप योजना तक अनुमोदित आवंटन | |
|---|---|---|---|
| | | 1978-79 | 1979-80 |
| 1. | **कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र** | | |
| | 1. भूमि सुधार को निकाल कर कृषि | 325.00 | 361.24 |
| | 2. भूमि सुधार | 50.00 | 27.77 |
| | 3. भूमि और पानी संरक्षण | 30.00 | 52.22 |
| | 4. पशु पालन और डेरी विकास | 40.00 | 61.76 |
| | 5. मछली उद्योग | 4.85 | 36.42 |
| | 6. वानिकी | 45.00 | 55.57 |
| | 7. सामुदायिक विकास और पंचायत | 21.53 | 17.13 |
| | 8. लघु सिंचाई | 376.30 | 443.47 |
| | 9. क्षेत्रीय विकास (डी० पी० ए० पी०) अन्य | 32.20 | 2.00 |
| | 10. कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश | — | 32.00 |
| | जोड़ (1) | 924.88 | 1079.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | सहकारिता | 180.00 | 130.58 |
| 3. | पानी और बिजली विकास | | |
| | 1. सिंचाई | 877.01 | 1302.00 |
| | 2. बाढ़ नियन्त्रण | | |
| | 3. बिजली परियोजना | 1445.00 | 2282.81 |
| | जोड़ (2) | 2322.01 | 3584.81 |
| 4. | उद्योग एवं खनिज | | |
| | 1. बड़े पैमाने के और मझले उद्योग | 12.00 | 40.50 |
| | 2. ग्रामीण और लघु उद्योग | 50.00 | 22.76 |
| | 3. खान एवं खनिज उद्योग | 109.83 | 33.46 |
| | जोड़ (4) | 171.83 | 96.72 |
| 5. | परिवहन और संचार | | |
| | 1. सड़कें और पुल | 312.07 | 338.38 |
| | 2. सड़क परिवहन | — | — |
| | 3. पर्यटन | 1.50 | — |
| | जोड़ (5) | 313.57 | 338.38 |
| 6. | सामाजिक और सामुदायिक सेवायें | | |
| | 1. सामान्य शिक्षा | 340.19 | 237.42 |
| | 2. तकनीकी शिक्षा | 9.58 | 15.22 |
| | 3. चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एवं सफाई | 73.32 | 93.41 |
| | 4. मल निकास और जल पूर्ति | 135.00 | 138.40 |
| | 5. आवास और शहरी विकास | 42.05 | 41.16 |
| | 6. सूचना और प्रचार | — | — |
| | 7. अनु० जाति/अनु० जनजाति और अन्त पिछड़ी जाति कल्याण | 75.92 | 38.75 |
| | 8. मजदूर कल्याण | 7.89 | 12.49 |
| | 9. सामाजिक कल्याण | 0.35 | — |
| | 10. आहार/अन्य | 125.00 | 43.90 |
| | जोड़ (6) | 809.30 | 620.69 |
| | आर्थिक सेवाएं | — | — |
| | सामान्य सेवाएं | 30.00 | — |
| | कुल जोड़ | 4751.59 | 5860.76 |

**आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए बनाये गये अधिनियम**

10987. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोषण से आदिवासियों को बचाने के लिए अब तक कौन से अधिनियम, राज्यवार, बनाये गये हैं और उन अधिनियमों/विधियों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन अधिनियमों और विधियों से आदिवासियों के हितों की कहां तक रक्षा हो पाई है;

(ग) क्या इन अधिनियमों और विधियों में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि इस मंत्रालय ने सामाजिक विधान के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं तो वे क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री धनिक लाल मंडल )** : (क) अधिकांश राज्यों ने भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, साहूकारी का विनियमन, ऋण मुक्ति, बंधक मजदूरी आदि का उन्मूलन के लिए कानून बनाये हैं और वे इन कानूनों के अनुसार कदम उठा रहे हैं । उपलब्ध अधिनियमों का एक विवरण इसके साथ संलग्न है ।

(ख), (ग) और (घ) समय-समय पर किए गए पुनरीक्षणों से संकेत मिलता है कि आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए कानूनों का अधिक कठोरता से कार्यान्वयन आवश्यक है । इस समय कानूनों में कोई भारी परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया गया है । किन्तु उन त्रुटियों को जो ध्यान में आती हैं दूर करने के प्रस्ताव हैं । राज्यों को हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस बात पर बल दिया गया है कि शोषण को समाप्त करने के लिए उठाए गए उपायों को तेज किया जाए और उनके लाभों को समेकित किया जाए ।

**विवरण**

| राज्य | अधिनियम का नाम |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि हस्तांतरण (संशोधन) विनियम 1971 । |
| आसाम | 1964 में यथा संशोधित असम भूमि एवं राजस्व विनियम 1886 । |
| बिहार | (1) छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ।<br>(2) संथाल परगना काश्तकारी ( पूरक उपबन्ध ) अधिनियम 1948 ।<br>(3) अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 । |
| गुजरात | बम्बई भू-राजस्व संहिता, 1879 । |
| केरल | (1) केरल भूमि आबंटन नियम 1964 ।<br>(2) केरल अनुसूचित जनजाति ।<br>(भूमि हस्तांतरण रोक एवं हस्तांतरित भूमि वापसी) अधिनियम 1975 । |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | (1) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959।<br>(2) मध्य प्रदेश भूमि वितरण अधिनियम 1964। |
| मणिपुर | भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1975। |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं कास्तकारी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1974, महाराष्ट्र (अनुसूचित जाति की भूमि की वापसी) अधिनियम 1974। |
| उड़ीसा | (1) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति हस्तांतरण (अनु० जनजाति) विनियम 1956।<br>(2) 1965 में यथा संशोधित उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम 1960। |
| राजस्थान | (1) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955।<br>(2) पंजीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1976। |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा भू-राजस्व एवं भूमि सुधार अधिनियम 1974। |
| पश्चिम बंगाल | 1971 में यथा संशोधित पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1959। |

**साहूकारी नियंत्रण के लिए लागू कानून**

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | लागू कानून |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | (1) आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र विनियम) अनुसूचित क्षात्र साहूकारी विनियम, 1960।<br>(2) आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र अनु० जनजाति) ऋण राहत विनियम, 1960।<br>(3) ऋण बंधन एजेन्सी उन्मूलन विनियम 1964। |
| 2. असम | (1) असम साहूकार अधिनियम 1934।<br>(2) लूशा पहाड़ी जिला (गैर जनजातियों द्वारा साहूकारी) विनियम, 1953।<br>(3) मिफिर पहाड़ी जिला (गैर जनजातियों द्वारा साहूकारी) विनियम 1953। |
| 3 बिहार | (1) बिहार साहूकार अधिनियम 1938।<br>(2) बिहार साहूकार (लेन देन विनियमन 1939।<br>(3) बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4. गुजरात | बम्बई साहूकार अधिनियम 1946 । |
| 5. कर्नाटक | मैसूर साहूकार अधिनियम 1961 । |
| 6. केरल | (1) केरल कृषक ऋण राहत अधिनियम, 1958 । |
| | (2) केरल साहूकारी अधिनियम, 1958 । |
| 7. मध्य प्रदेश | (1) मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण राहत (संशोधन) विनियम 1963 । |
| | (2) मध्य प्रदेश अनु० जनजाति ऋणी सहायता अध्यादेश 1966 । |
| 8. महाराष्ट्र | बम्बई साहूकार अधिनियम 1946 । |
| 9. उड़ीसा | (1) उड़ीसा साहूकार अधिनियम 1939 । |
| | (2) उड़ीसा साहूकार (कुछ उपबन्ध लागू करना) विनियम 1950 । |
| 10. राजस्थान | (1) राजस्थान कृषि ऋण राहत (संशोधन) अधिनियम 1962 । |
| | (2) राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963 । |
| | (3) राजस्थान समरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1961 । |
| 11. तमिलनाडु | मद्रास साहुकार अधिनियम 1957 । |
| 12. पं० बंगाल | बंगाल साहूकार अधिनियम 1940 । |
| 13. हिमाचल प्रदेश | पंजाब बंधक मुक्ति अधिनियम 1913 । |
| 14. मणिपुर | बम्बई साहूकार अधिनियम 1946 जो इस संघ शासित क्षेत्र में लागू किया गया है । |
| 15. त्रिपुरा | बम्बई साहूकार अधिनियम 1946 जो संघ शासित क्षेत्र में लागू किया गया है । |

**बन्धक मजदूर**

बन्धक मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 दिनांक 9 फरवरी, यह सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है ।

**जनजाति परामर्शदाता बोर्ड**

10988. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के जनजाति परामर्शदाता बोर्ड का पुनर्गठन करने के बारे में अब तक विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था और इसको कब भंग किया गया;

(ग) केन्द्रीय स्तर पर बोर्ड को भंग करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या निकट भविष्य में बोर्ड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (घ) जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड प्रथम बार 1956 में स्थापित किया गया था। अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों सम्बन्धी संसदीय समिति 1968 में गठित की गई थी और दोहरी सलाह मशविरे तथा विदेशों से बचने के लिए बोर्ड समाप्त कर दिया गया था।

**जामपुई की पहाड़ियों में मिजो विद्रोहियों द्वारा विनाश**

10989. **श्री कीरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो अक्सर सीमा पार करके त्रिपुरा में आ जाते हैं और जामपुई की पहाड़ियों में सीमावर्ती गांवों में विनाश करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष ऐसी घटनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है और उनमें कितने जन-धन की हानि हुई; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने तथा इनसे सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारों ने क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क), से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**"इन फाइटिंग थ्रे टेन्स कामानी ग्रुप" के शीर्षक से समाचार**

10990. **श्री ए० के० राय**
**श्री के० ए० राजन** } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 अप्रैल, 1979 के इक्नामिक टाइम्स, नई दिल्ली में प्रथम पृष्ठ पर "इन फाइटिंग थ्रे टेन्स कामानी ग्रुप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(क) क्या उन्हें इस बारे में 10 अप्रैल, 1979 का एक ज्ञापन कामानी कर्मचारी संघ से प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) तथा (ख) कामानी ग्रुप के उद्योगों में कुछ व्यापारिक कम्पनियां और कुछ वे कम्पनियां है जो सामान तैयार करने गतिविधियों में लगी हुई है चूंकि प्राप्त किए गए अभ्यावेदन संभवत: कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने से सम्बन्धित थे अत: कम्पनी कार्य विभाग से अनुरोध किया गया था कि वे इस सम्बन्ध में सूचित करे कि क्या कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इन उपक्रमों के कार्यों की जांच करना संभव होगा।

कम्पनी अधिनियम की धारा 209 क के अन्तर्गत कमानी ग्रुप से सम्बन्धित 10 कम्पनियों की जांच की गई थी जिसमें कमानी मेटेलिक आक्साइस लि०, तथा कामानी ट्यूब लि० शामिल है जैसाकि 10 अप्रैल, 1979 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचारों में बताया गया है। इन रिपोर्टों के बारे में, कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन उचित कार्यवाही की जा रही है। कामानी मेटेलिक आक्साइड्स लि० के बारे में समापन तथा श्रमिक समस्याओं की ओर ध्यान

दिलाते हुए कामानी इम्पलाइज यूनियन से दिनांक 10 अप्रैल, 1979 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी कम्पनी कार्य विभाग में जांच की जा रही है। जहां तक कमानी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन का सम्बन्ध है, परिवारिक झगड़ों के कारण कम्पनी सातवें दशक के आरम्भ से हानि होनी शुरू हो गई थी और कम्पनी का प्रबन्ध नवम्बर, 1975 में वित्तीय संस्थानों के हाथ में चला गया। तब से एकत्रित हुई हानि समाप्त हो गई है और कम्पनी ने लाभ कमाना और लाभांश घोषित करना शुरू कर दिया है।

इस समूह में आने वाले एक उपक्रम अर्थात मैसर्स जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०, के कार्यों की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत जांच की गई थी। रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों के बारे में अग्रेत्तर कार्यवाही पर विचार करने हेतु गठित की गई जांच समिति ने कुछ अभ्युपायों की सिफारिश की है जिनकी वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकारों द्वारा जांचे की जा रही हैं।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा अभिगृहीत की गई खाली भूमि**

10991. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए अभिगृहीत की गई भूमि का एक तिहाई भाग खाली पड़ा है; यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक भूमि का अभिग्रहण करने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का इस अतिरिक्त भूमि को किस प्रकार उपयोग में लाने का विचार है?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) तथा (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 7187·43 एकड़ है। निगम ने संयंत्र के विकास तथा बस्ती के लिए 5262·03 एकड़ क्षेत्रफल को काम में लिया है तथा शेष 1925.40 एकड़ जो कि कुल क्षेत्रफल का 27% होता है अभी भी खाली पड़ा है। आरम्भ में एच० ई० सी० द्वारा भूमि का अधिग्रहण संयंत्र सुविधाओं तथा बस्ती और नागरिक सुविधाओं के लिए भविष्य में विस्तार के लिए आम तथा सही रीति के अनुसार था। यद्यपि विभिन्न कारणों से अब तक संयंत्र सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया है लेकिन निकट भविष्य में इसकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। तथापित भूमि का एक भाग धीरे-धीरे आवासीय मकानों, स्कूलों तथा बाजार आदि के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

**हिंसा का प्रदर्शन करने वाले फिल्म पोस्टर**

10992. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिंसा का प्रदर्शन करने वाले ऐसे बड़े-बड़े फिल्म पोस्टरों की जानकारी है जिनका युवकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो उनमें हिंसक प्रकृति उभारते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पोस्टरों के प्रदर्शन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) और (ख) सरकार को ऐसे पोस्टरों के प्रदर्शनों की जानकारी है। किन्तु युवकों पर उनके तथाकथित प्रतिकूल प्रभाव के

सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसे पोस्टरों का प्रदर्शन कोई अपराध प्रतीत नहीं होता है।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गई ठेका और कारोबार सुविधाओं का दुरुपयोग का समाचार**

10993. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि जिन ठेकों तथा व्यापारिक सुविधाओं के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है उन्हें कुछ अन्य लोग अनुसूचित जाति तथा जनजाति के ऐसे फर्जी व्यक्तियों के नाम में तथा उनके हस्ताक्षर करने के बदले नाम मात्र की कुछ राशि अदा कर दी जाती है वे ठेके तथा सुविधायें प्राप्त कर लेते हैं;

(ख) क्या इस प्रकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बन्धित न होने वाले ऐसे व्यक्ति इन रियायतों आदि का लाभ उठा जाते हैं क्योंकि उक्त ठेके आदि उक्त निष्क्रिय (दडमी) व्यक्तियों के नाम से ही चलते हैं;

(ग) क्या इन चालाकियों के कारण पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सरकारी राजस्व कर तथा शुल्क की करोड़ों रुपए की राशि के पीछे जो उद्देश्य है वह असफल हो जाता है; और

(घ) ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**दिल्ली में गैर-सरकारी जासूसी ऐजंसियां**

10994. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी जासूसी एजेंसियों के नाम, पते और ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में निम्नलिखित गैर-सरकारी, जासूसी एजेंसियों, अर्थात, (एक) मैसर्स गोलिस्थ डिटेक्टिव प्राइवेट लि० तथा (दो) मैसर्स फाइडली फैक्ट्स प्रा० लि० के मालिक कौन हैं;

(ग) इन एजेंसियों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इन दोनों कम्पनियों के मालिकों के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) दिल्ली में निम्नलिखित जासूसी एजेंसियां कार्य कर रही है :—

1. ग्लोब जासूसी एजेंसी, 601 मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
2. मोर्डन मलेक्टिव डिटेक्टिव सर्विस, 138, बाबा गंग नाथ मार्किट मुनीरका, पुलिस स्टेशन—बंसत बिहार, नई दिल्ली।

3. मैसर्स गौलिस्थ डिटेक्टिव, 39 बड़ा बाजार मार्ग, पुलिस-स्टेशन, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।

4. मैसर्स एलडीएल फैक्ट्स प्रा० लि०, 39, बड़ा बाजार मार्ग, पुलिस स्टेशन, राजेन्द्र-नगर, नई दिल्ली।

(ख) श्री आर० सी० मदान।

(ग) मुख्यत: विभिन्न संगठनों को निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई जांच नहीं की गई।

**घटिया किस्म के विस्फोटकों की सप्लाई**

10995. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय फर्म, सरकारी क्षेत्र में स्थित कोयला खानों को घटिया किस्म के विस्फोटकों की सप्लाई कर रही है जिसके परिणामस्वरूप खानों में दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) 15-6-78 को माटड़ी कोयले की खदान में हुई एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक कामगर के बुरी तरह जलजाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना का इन्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई सोलोजेक्स विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाना बताया जाता है। तत्पश्चात खान सुरक्षा मह निदेशक ने डिग्री—II तथा डिग्री—III गैसीय कोयले की खानों में विस्फोटन में सोलिजेक्स विस्फोटक सामग्री का उपयोग करना वर्जित कर दिया है। महानिदेशक को इस दुर्घटना के लिए दोषी पाये गए व्यक्तिओं के विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई करने के बारे में कहा गया है।

**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई साक्षात्कार को नई प्रणाली**

10996. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षात्कार को अधिक वैज्ञानिक बनाने के विचार से संघ लोक सेवा आयोग ने प्रत्याशियों के साक्षात्कार के लिए एक नई प्रणाली निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के साक्षात्कार की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को घाटा**

10997. **श्री सरत कार**
**श्री के० मालन्ना**
**श्री बाला साहिब विखे पाटिल** } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के, साईमन्स के साथ विवादास्पद प्रस्तावित सतर्कता सहयोग को सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने में अत्याधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप, 100 करोड़ रुपये के मूल्य के क्रयादेश रद्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि पांच वर्ष पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड लगभग सभी विद्युत उपकरणों में अपने प्रतियोगियों को आसानी से पराजित कर सकती थी परन्तु अब गैर-सरकारी क्षेत्र की बहुत सी फर्मों ने अपना आधुनिकीकरण कर लिया है और नए सम्बन्धों के अभाव में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बहुत सी वस्तुओं में स्पर्धा करना कठिन है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) यद्यपि बी० एच० ई० एल० हाल के महीनों में टर्बाइनों, स्विचगियरों आदि के लिए ग्राहकों द्वारा निर्धारित विशिष्टियों (उत्पादों के लिए) को पूरा करने में अपनी असमर्थता के कारण कुछ निविदाओं में भाग नहीं ले सका है, लेकिन इस प्रक्रिया में खोये गए क्रयादेशों के मूल्य के सही आंकड़ों (जैसे 100 करोड़ रुपये) का अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) यद्यपि सीमेंस के साथ सहयोग करार करने के लिए बी० एच० ई० एल० के आवेदन पर कार्रवाई करने में सामान्य से अधिक समय लिया गया है, लेकिन मामला अभी भी सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

(ग) कुछ गैर-सरकारी फर्मों जिन्होंने कुछ उत्पादों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बना लिया है, से प्रतियोगिता बी० एच० ई० एल० के लिये और भी कठिन हो रही है तथा यदि यह अपने उत्पादों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी अद्यतन नहीं बना लेता है तो शीघ्र ही इसे बाजार से अलग कर दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

**शाह आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति**

10998. **प्रो० समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाह आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में की गई कार्यवाही की अन्तिम स्थिति क्या है; और

(ग) आपात स्थिति के अपराधियों के विरुद्ध प्रस्तावित कानूनी कार्यवाही प्रभावी करने में क्या प्रगति हुई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान, सरकार ने शाह आयोग की सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय किए हैं।

प्रत्येक सिफारिश पर सावधानी से विवेचन और विचार किया गया है और कोई कार्रवाई जो अपेक्षित है चाहे वह विधायी, संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक अथवा विभागीय थी अत्यधिक शीघ्रता से की गई है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 19 आपराधिक मामले दर्ज किये हैं। दो मामलों में अभियोग-पत्र दाखिल किए गए हैं और शेष मामलों की जांच की जा रही है।

संसद के दोनों सदनों ने अब विशेष न्यायालय विधेयक पारित कर दिया है।

**नारगवाला के मामले में कानूनी सलाह**

10999. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरवाला के मामले को पुनः खोलने के विचार से सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा कुछ कानूनी सलाह मांगी गई है जिससे कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के दोषी अधिकारियों की चूकों एवं कर्त्तव्यों की अवहेलना के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सलाह दी गई है; और

(ग) सलाह प्राप्त करने वाले अधिकारियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मडल)** (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अनवरत योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की मूल्यांकन पद्धति और प्राप्त किए गए लक्ष्य**

11000. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान अनवरत योजना के अधीन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बारे में अपनाई गई मूल्याकन पद्धति का ब्यौरा क्या है और क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) वर्तमान योजना को तैयार करने के लिए विभिन्न मदों के लिए (मदवार) जो व्यापक आंकड़े लिए गए हैं, वे किन-किन वर्षों के लिए गए हैं और तत्सम्बन्धी स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या पुराने आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई योजना में तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में आवश्यकताएं प्रतिबिम्बित कर सकती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**योजना आयोग में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) पंचवर्षीय योजना का प्रारूप (1978-83) राष्ट्रीय विकास परिषद् को मार्च, 1978 में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उक्त योजना का तकनीकी और आरंभिक काम वर्ष 1977-78 से पहले पूरा हो गया था, जो आधार वर्ष के रूप में माना गया था। इसके परिणामस्वरूप 1977-78 की अवधि में अर्थ-व्यवस्था के निष्पादन का मूल्यांकन तब उपलब्ध सूचना के आधार पर ही किया जाना था।

पहले समग्र राष्ट्रीय लक्ष्य और क्षेत्रकीय अनुमान, योजना आयोग में किये गये तकनीकी अध्ययनों तथा योजना आयोग और मन्त्रालयों द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दलों, कृतिक दलों, आदि द्वारा किए गए कार्य के आधार पर तैयार किए गये थे। इन लक्ष्यों के तकनीकी आधार में स्थिर क्षेत्रकीय वृद्धि दरों को प्राप्त करने के लिए निवेश-उत्पादन सारणी तथा प्रमुख कृषि

और औद्योगिक उत्पादनों के लिए और साथ ही विद्युत और रेल भाड़ा यातायात के लिए मांग के अनुमान प्राप्त करने के लिए माल शेष अभ्यास निहित थे।

चुने हुए क्षेत्रकों में योजना के निष्पादन और समीक्षाओं के प्रबोधन की प्रणाली के जरिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों में उपलब्धियां बताने के लिये तथा वार्षिक योजना के लक्ष्यों के नियतन के लिये सूचना तैयार की जा रही है।

(ख) 1977-78 के आधार वर्ष के लिये या, इसके अभाव में सबसे अधिक हाल के वर्ष के लिए उपलब्ध आंकड़ों को योजना निर्माण के लिए आरम्भ माना गया। तथापि, किसी एक ही वर्ष के आंकड़ों पर बिलकुल पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा गया। सामान्य रूप से अधिक लम्बी अवधि के आंकड़ों पर भविष्य का अनुमान लगाने के लिये विचार किया गया। यह सूचना केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अनुसंधान और सर्वेक्षण संगठनों से प्राप्त की गई थी। उपलब्ध सूचना में अलग-अलग क्षेत्रकों में साधनों और अद्यतन वर्ष तथा उपबन्ध सूचना की अवधि दोनों ही दृष्टियों से बहुत अधिक अन्तर है।

(ग) यह सच है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु योजना को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित होना होता है। आंकड़ा आधार की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं नई सूचना उपलब्ध होती है उसे ध्यान में रखा जाता है। यदि हाल को या संभावित प्रवृत्तियों में पिछली दीर्घावधि प्रवृत्तियों से अन्तर होता है तो संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानों को उपयुक्त रूप में समायोजित किया जाता है।

(घ) प्रभावी योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सामयिक और ठीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों दोनों में प्रबोधन और सूचना प्रणालियों और संगठनों को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसका ब्यौरा योजना के प्रारूप में दिया गया है। सूचना प्रणालियों को व्यवस्थित करने के लिये और आंकड़ा बैंकों की स्थापना करने के लिए इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना और नीति को तैयार करने के लिये आंकड़ा आधार में सुधारों के निदेशन और समीक्षा करने के लिये एक स्थायी समिति भी स्थापित की गई है।

## भारतीय आर्थिक सेवा में रिक्त पद

11001. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा में ग्रेड-I, II तथा III के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) कितने अधिकारियों ने ग्रेड III में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है परन्तु ग्रेड IV में पदोन्नत नहीं किया गया है यद्यपि स्थान रिक्त पड़े हैं;

(ग) इस प्रकार अनियमितताओं के लिए कौन उत्तरदायी है; और

(घ) इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-I में तीन पद क्रमशः 24-7-1978 और 27-2-1979 तथा 16-4-1979 से रिक्त पड़े हैं। उक्त सेवा के ग्रेड-II अथवा ग्रेड-III में कोई पद रिक्त नहीं है।

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-III में कोई पद रिक्त नहीं पडा है। ग्रेड-IV के ऐसे 25 अधिकारी हैं जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी करली है लेकिन रिक्तियों के अभाव में ग्रेड III में पदोन्नति के लिए उन पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई अनियमितताएं नहीं है।

**पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल का तैनात किया जाना**

11002. **प्रो० समर गुह** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने राज्य के मामलों के लिए गत दो वर्षों में कितनी बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की सहायता मांगी है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान उपयोग में लाये गये ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल** : (क) तथा (ख) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तैनात करने का विवरण संलग्न है।

**विवरण**

गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तैनात करने का विवरण।

मई, 1977 से विधि व व्यवस्था की ड्यूटियों के लिए पश्चिम बंगाल में तैनात की गई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की चार बटालियनों के अतिरिक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सीमा सुरक्षा बल की निम्नलिखित अतिरिक्त बटालियनें भी पश्चिम बंगाल सरकार से उपलब्ध कराई गई थी :—

| | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस | सीमा सुरक्षा बल |
|---|---|---|
| 1. जून, 1977 | 4 बटालियनें | 8 बटालियनें-विधान सभा चुनाव |
| 2. मई, 1978 | 1 बटालियन | 8 बटालियनें-पचायत चुनाव |
| 3. सितम्बर, 1978 | 1 बटालियन | 1 बटालियन और एक कम्पनी-बाढ़ राहत कार्य |
| 4. दिसम्बर, 1978 | — | 5 कम्पनियां-बंगालबंद |
| *5. दिसम्बर, 1978 | — | 1 कम्पनी-सांप्रदायिक दंगे |

*राज्य सरकार की लम्बी अवधि के लिए उपलब्ध की गई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चार बटालियनों में से के० रि० पु० ब० की एक बटालियन नवम्बर, 1978 में हटा ली गई थी और इस समय विधि व व्यवस्था ड्यूटियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पास के० रि० पु० बल की केवल तीन बटालियनें हैं।

**पश्चिम बंगाल में राजनैतिक कार्यकर्ताओं का मारा जाना**

11003. **प्रो० समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और केन्द्रीय आसूचना स्रोतों से राजनैतिक हिंसा, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में राजनैतिक कार्यकर्ता मारे गए हैं, के बारे में बहुत से तथ्यों से सम्बन्धित समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी राजनैतिक मौतों के बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में हिंसात्मक राजनैतिक गतिविधियों से निपटने के लिए कहा था; और

(घ) यदि हों, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनवरी, 1978 से जनवरी 1979 तक की अवधि की 27-3-1979 को प्रस्तुत की गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) राजनैतिक हिंसा की शिकायतों को उपयुक्त जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में लाया गया है । इस मामले में प्रधान मन्त्री ने भी पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है । अपने उत्तर में मुख्य मन्त्री ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की थी । राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने लोगों के जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी सम्भव उपाय किए हैं ।

**विवरण**

पश्चिम बंगाल में जनवरी 1978 से जनवरी 1979 के दौरान हुई जिन घटनाओं में लोग मारे गए, उनका विस्तृत विवरण ।

1. 21 जनवरी, 1978 को सभावैओंग चाय बागान, थाना गोरूबादन जिला दार्जिलिंग के मजदूरों (100) का एक दल जो जिला चिया कमान मजदूर संघ (सी० पी० आई० एम०) से सम्बन्धित हैं चाय बागान में आया और जिला चायवाड़ी श्रमिक कांग्रेस से सम्बन्धित मजदूरों पर यूनियन की प्रतिस्पर्धा के कारण घातक हथियारों से आक्रमण किया । इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के 8 समर्थक मारे गए (7 की मृत्यु घटनास्थल पर हुई और एक अपने घावों के कारण अस्पताल में फरवरी 1978 में मरा) । इस घटना में मारे गये लोगों के नाम इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. मौनीराज गुरूंग | 2. देशमन गुरूंग |
| 3. प्रेम कुमार गुरूंग | 4. मन बहादुर सुमर |
| 5. मन बहादुर मैनेजर | 6. रणवीर गुरूंग |
| 7. अगम सिंह गुरूंग | 8. सरबे छोत्री |

सभी व्यक्ति काली खोला डिवीजन, सभावैओंग चाय बागान, पुलिस थाना गोरूबादन, जिला दार्जिलिंग के हैं । यह घटना होने पर 22 जनवरी, 1978 को भा० दं० सं० की धारा 149/324/325/326/426/427/302/379 के अन्तर्गत गोरूबादन थाने में मामला सं० 3 शुरू किया

गया था। इस मामले के सम्बन्ध में 23 सी० पी० आई० (एम) समर्थक गिरफ्तार किए गए थे।

2. 4 मई, 1978 को कुछ एस० एफ० आई० (सी० पी० आई०-एम की छात्र शाखा) के समर्थकों ने जिला नादिया के पुलिस थाना कल्यानी में स्थित एक मिठाई की दुकान के अन्दर छात्र संग्राम समिति के कुछ सदस्यों पर हमला किया। इसके परिणामस्वरूप छात्र संग्राम समिति के चार सदस्यों को चोटें आई और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। उनमें से स्वप्न सैन गुप्ता (छात्र परिषद कांग्रेस) एस० एस० के० एम० अस्पताल, कलकत्ता में 13 मई, 1978 को मर गया। उपर्युक्त घटना छात्र संघ के चुनावों में प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप हुई। इस मामले में कल्यानी थाने में एक मामला सं० 8 (5) 78 भा० दं० सं० की धारा 147/148/324/326/307 के अधीन प्रारम्भ किया गया था। 3 एस० एफ० आई० समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था और दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

3. 10 जून, 1978 को निखिल भौमिक तथा अन्य (सी० पी० आई०-एम समर्थकों) ने निखिल साह, (कांग्रेस-आई) पर श्यामाप्रसाद पल्ली, पुलिस थाना बीजपुर, जिला 24 परगना में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आक्रमण किया और उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया, निखिल साह अस्पताल में मर गया। इसका सम्बन्ध भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन बीजपुर थाने में मामला सं० 10/6/78 से है। सी० पी० आई० (एम) का एक समर्थक गिरफ्तार किया गया और अन्य 9 व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।

4. 13 जून, 1978 को एक रजानूल हक (कांग्रेस-आई) जीवनपुर, पुलिस थाना भगवान गोला, जिला मुर्शिदाबाद को शेख जसीमुद्दीन तथा अन्य (सी० पी० आई०-एम) ने ग्राम पंचायत के चुनावों के सम्बन्ध में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण मार दिया। इसका सम्बन्ध भा० दं० सं० की धारा 147/148/149/302/144/120-ख के अधीन थाना भगवान गोला में मामला संख्या 10-6-78 से है। 61 व्यक्ति (अधिकांश सी० पी० आई०-एम) गिरफ्तार किए गए।

5. 26 अगस्त, 1978 को लगभग 20 कांग्रेस (आई) के समर्थकों ने गांव मैरब ताला, पुलिस थाना रघुनाथ गंज, जिला मुर्शिदाबाद में कुछ सी० पी० आई०-एम समर्थकों के घरों को लूटा और राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण मलिक शेख सी० पी० आई०-एम पर गम्भीर हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसका सम्बन्ध भा० दं० सं० की धारा 148/149/326/448/302 के अधीन रघुनाथ गंज थाने में मामला सं० 18-8-78 से है। 30 कांग्रेस (आई) के समर्थक गिरफ्तार किए गए थे।

6. 19 सितम्बर, 1978 को राष्ट्रीय चाय मजदूर कांग्रेस (आई० एन० टी० यू० सी० कांग्रेस आई) के सदस्यों ने चनमोनी चाय बागान जिला दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन सिलीगुडी में ट्रेड यूनियन प्रतिस्पर्धा के कारण 1 घातक हथियारों से सी० आई० टी० यू०/सी० पी० आई० (एम) के कुछ सदस्यों पर आक्रमण किया जिसके कारण शहीद मिया नामक व्यक्ति (सी० आई० टी० यू०) की मृत्यु हो गई। यह भारतीय दं० सं० की धारा 147/148/149/326/307/304 के

अन्तर्गत पुलिस स्टेशन सिलीगुडी में मामला सं० 19-9-78 से सम्बद्ध है। कांग्रेस आई के 27 समर्थक गिरफ्तार किए गए थे।

7. 11 अक्तूबर, 1978 को धौतारिया बालसन चाय बागान थाना और बंगाल जिला दार्जिलिंग के इन्टक (कांग्रेस आई) से सम्बद्ध कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित चाय बागान के एक कार्यकर्ता सुखामन सांवर सी० पी० आई०-एम पर राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन और बंगाल पुलिस थाने में मामला सं० 12-10-78 दर्ज किया गया है। 5 कांग्रेस आई समर्थक गिरफ्तार किए गए थे।

8. 14 अक्तूबर, 1978 को फारवर्ड ब्लाक मार्क्सवादी एवं सी० पी० आई०-एम के समर्थकों के बीच बामुनारा पुलिस थाना गलसी, जिला वर्धमान में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण करने के मामले पर झगड़ा हो गया था। एक फारवर्ड ब्लाक मार्कसवादी समर्थक ने अपनी बंदूक से गोली चलाई जिससे एक लकाई शेख सी० पी० आई०-एम की मृत्यु हो गई। इस मामले पर भा० दं० सं० की धारा 147/148/149/226/307/302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अधीन गलसी थाने में मामला सं० 9-10-78 दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 8 व्यक्ति (एफ बी एम) गिरफ्तार किये गये हैं।

9. 28 अक्तूबर, 1978 को सी० पी० आई०-एम के समर्थकों ने राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण उमेश शेख और हमीद शख (दोनों कांग्रे आई) गांव लकमी डांगा, पुलिस थाना मुरारी जिला बीरभुम के घरों में आग लगा दी और घर वालों पर आक्रमण किया। बदमाशों ने बम विस्फोट भी किये। एक जफर शेख (कांग्रेस आई) जल कर घायल होने के कारण घटना स्थल पर ही मर गया और दूसरा व्यक्ति मोरजिम शेख (कांग्रेस आई) जलने से घायल होने के कारण 31 अक्तूबर, 1978 को अस्पताल में मर गया। इस सम्बन्ध में भा० दं० सं० की धारा 147/148/149/323/324/302/307/380/448 के अधीन मुरारी थाने में मामला सं० 28-10-78 दर्ज किया गया। 14 व्यक्ति (सी० पी० आई०-एम) गिरफ्तार किए गए थे। 69 व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और तीन व्यक्तियों को प्रत्याशा जमानत मंजूर की गई।

10. 11 नवम्बर, 1978 को शीतल गोस्वामी नामक एक व्यक्ति (इन्टक/कांग्रेस आई) शंकर मोराई एवं अन्य (सी० आई० टी० यू०/सी० पी० आई०-एम) ने रघुनाथ चक, पुलिस थाना रानीगंज जिला वर्धवान में ट्रेड यूनियन प्रतिस्पर्धा के कारण घातक रूप से छुरा घोंप दिया। शीतल गोस्वामी 14 नवम्बर, 1978 को अस्पताल में मर गया। इस सम्बन्ध में भा० दं० सं० की धारा 147/148/149/326/307/304 के अधीन 11 नवम्बर, 1978 को रानीगंज थाने में मामला सं० 20 दर्ज किया गया। एक व्यक्ति (सी० आइ० टी० यू०) गिरफ्तार किया गया था।

11. 13 नवम्बर, 1978 को कांग्रेस आई और सी० पी० आई०-एम के समर्थकों के बीच गांव झमतपुर थाना केतुग्राम जिला वर्धमान में पंचायत कार्यों के सम्बन्ध में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण एक झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति नैनी घोष तथा अन्य (कांग्रेस आई) ने शंकर लाल सामंत और सुभाष घोष (दोनों सी० पी० आई०-एम) पर लाठियों, लोहे की

छड़ों आदि से हमला किया जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। शंकर लाल सामंत घटनास्थल पर ही मर गया और सुभाष घोष 16-11-78 को अस्पताल मे मर गया। इस सम्बन्ध में भा० दं० सं० की धारा 302/34 के अधीन केतग्राम थाने में मामला सं० 14-11-78 दर्ज किया गया। अब तक एक कांग्रेस समर्थक गिरफ्तार किया गया है।

**बिड़ला ग्रुप के उद्योगों तथा एकाधिकार वाले व्यापार संस्थानों पर छापे**

11004. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला ग्रुप उद्योगों तथा अन्य एकाधिकार वाले व्यापार संस्थानों पर वर्ष 1976 से 1977 तक मारे गये छापों के परिणामस्वरूप यह दावा किया गया था केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने करोड़ों रुपये के गोलमाल का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां छापे मारे गये तथा इनके बारे में पूर्ण विवरण क्या है ?

**गृह तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) और (ख) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

**पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हस्तकला उद्योगों की स्थापना**

11005. **श्री गदाधर साडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिला औद्योगिक दृष्टि से हमारे देश के स्वीकृत पिछड़े जिलों में से एक है;

(ख) यदि यदि हां, तो जिले के विकास के लिये हस्तकला ग्रामीण कुटीर उद्योगों तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये अब तक शुरू की गई ठोस योजनायें और कार्यक्रम क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि, अनुदान तथा सहायता का आवंटन किया गेया है; और

(ग) कितने एककों की किन-किन स्थानों पर स्थापना की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई अनुदान सहायता की राशि क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीरभूमि जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र कार्य करने लगा है। इसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत उद्योग क्षेत्र के विकास का संवर्धन करना है। 1978-79 में राज्यनिधि से लघु तथा जिले के ग्रामोद्योगों के लिए 0.87 लाख रुपए की तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा 6.65 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। 28 एककों के लिये 0.81 रुपये की प्रारम्भिक धनराशि तथा नकद राज सहायता प्रदान की गई थी। 1979-80 में राज्य सरकार का विचार जिले में 57 कारीगर उन्मुख तथा 30 लघु उद्योग एककों की स्थापना का संवर्धन प्रदान करना है। वर्ष 1979-80 में जिला उद्योग केन्द्रीय निधि से 1.17 लाख रुपये की, राज्यनिधि से 1.42 लाख रुपए की तथा वित्तीय संस्थानों से 9.35 लाख रुपए की और इस प्रकार कुल मिलाकर 11.94 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पहुंचाये जाने की आशा है। एककों से यह आशा की जाती है कि

वे 117.45 लाख रुपए मूल्य का उत्पादन करेंगे तथा चालू वर्ष में 161 व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था हो सकेगी।

1979-80 के लिये बनाई गई वार्षिक योजना पश्चिम बंगाल राज्य में ग्राम तथा लघु उद्योगों का विकास करने के लिये 5.60 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है।

**दिल्ली पुलिस के अधिकारी और समाज-विरोधी तत्व**

11006. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली पुलिस समाज-विरोधी तत्वों को संरक्षण दे रही है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कामों में लगे कतिपय पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (ग) 1-1-1978 से 30-4-1979 तक की अवधि के दौरान कुछ पुलिस कर्मचारियों के समाज विरोधी तत्वों के साथ सहापराधिता के 5 मामले ध्यान में आए हैं। सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाईयां की जा रही हैं। राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में है।

**बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ग्लास टेक्सटाइल्स का उत्पादन**

11007. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी "ग्लास टेक्सटाइल इंडस्ट्री" का उत्पादन आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) विद्यमान में, एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स फाइबर ग्लास पिलिंकिंग्स्टन लि०, संगठित क्षेत्र में ग्लास कपड़े का निर्माण कर रही है। कंपनी को नवम्बर, 1961 में प्रतिवर्ष 600 मी० टन ग्लास कपड़ा बनाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था। इसके बाद अप्रैल, 1973 में कंपनी को प्रतिवर्ष 1000 मी० टन तक पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। कंपनी ने बुनी पूनी (वोवन रोविंग्स) बनाने सहित रिइनफोर्समेंट्स (जिसे फाइबरग्लास कपड़ा भी कहते हैं) के लिए दो स्वचलित शटल रहित करघों का आयात किया है तथा उन्हें स्थापित किया है।

**भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या**

11008. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, पृथक-पृथक, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) बिहार के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवारी संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिनकी भूमि भारी इंजीनियरिंग निगम के निर्माण के लिये अर्जित की गई थी ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) और (ग) 1 अप्रैल, 1979 को एच० ई० सी० में कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

| | कर्मचारियों की कुल संख्या | अनु० जातियों के कर्मचारी | अनु० जनजातियों के कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| अधिकारी | 2,421 | 17 | 53 |
| पर्यवेक्षक | 1,005 | — | 15 |
| अन्य कर्मचारी | 17,943 | 810 | 4457 |
| | 21,369 | 821 | 4525 |

(ख) राज्यवार कर्मचारियों की संख्या का लेखा नहीं रखा जाता है।

(घ) जिन कर्मचारियों की भूमिका एच० ई० सी० द्वारा अधिग्रहण किया गया था उनकी कुल संख्या 2,724 थी।

**अलीपुर द्वारा तथा जलपाई गुड़ी में उद्योगों की स्थापना**

1100) **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वारा, जलपाईगुड़ी जिले में लघु उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) निकट भविष्य में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये जाने का विचार है और कहां पर;

(ग) उत्तरी बंगाल के औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तरी बंगाल में शीघ्र ही उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) उत्तरी बंगाल के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण देश के अन्य क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारणों के समान ही हैं। संचार सुविधा की कमी व परिवहन तथा अवस्थापना सुविधाओं का अभाव संभवतः इसके पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण कारण हैं।

(घ) उत्तरी बंगाल में लघु, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये उत्तरी बंगाल के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उत्तरी बंगाल के सभी पांच जिलों अर्थात कूचबिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुरी, माल्दा तथा पश्चिमी दिनाजपुर को सावधिक ऋण

देने वाले संस्थानों से रियायती वित्त पाने का पात्र बना दिया गया है । दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र को परिवहन राजसहायता के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सहायता पाने का पात्र भी बना दिया गया है ।

**पश्चिम बंगाल में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी**

11010. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के किन-किन विभागों में उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में पिछले रिक्त पद अभी तक भरे नहीं गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्दिष्ट समयावधि में रिक्त पद भरने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) से (घ) विभिन्न ग्रेडों में पदों का सृजन करने, उन्हें कार्य की अपेक्षाओं तथा भर्ती नियमों के अनुसार भरने की शक्ति का प्रयोग देश भर के विभिन्न मन्त्रालयों, विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन उनके द्वारा किया जाता है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और इस प्रकार की सूचना कार्मिक विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती ।

**उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस**

11011. **श्री सरतकार** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1975 से 1978 तक उद्योग स्थापित करने के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये; और

(ख) वर्ष 1977-78 में दिये गये लाइसेंसों का तथा जिन फर्मों को लाइसेंस दिए गये उनका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) वर्ष 1975 से 1978 के दौरान उड़ीसा राज्य में नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किए गए आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार है :—

| वर्ष | आशय पत्र | औद्योगिक लाइसेंस |
|---|---|---|
| 1975 | 16 | 7 |
| 1976 | 8 | 4 |
| 1977 | 6 | 1 |
| 1978 | 5 | 1 |

(ख) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1977-78 में एक नए औद्योगिक एकक की स्थापना करने के लिए केवल एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। उक्त लाइसेंस का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

| पार्टी का नाम तथा एकक का स्थान | औद्योगिक लाइसेंस के जारी होने की तारीख | बनाई जाने वाली वस्तु तथा लाइसेंस शुदा वार्षिक क्षमता |
|---|---|---|
| मैसर्स उत्कल गेसेल लिमिटेड कलकत्ता (धेनकानल उड़ीसा) | 28-4-1977 | आक्सीजन गैस=0.378 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एसिटिलीन गैस=0.127 मिलियन क्यूबिक मीटर्स |

**खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उद्योगवार रोजगार**

11012. **श्री सरतकार** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग में गत तीन वर्षों में, राज्यवार, उद्योगवार पूंजीनिवेश और रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए गत तीन वर्षों में किए गए वित्तीय नियतन का ब्यौरा क्या है तथा खादी ग्रामोद्योग ने कितनी राशि की मांग की थी; और

(ग) क्या अभी तक विपणन सुविधायें उपलब्ध न होने विशेषतया, गांव में, के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर पहले ही रखे गए वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के सम्बन्ध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वार्षिक रिपोर्टों के सी० एंड ई० सांख्यिकीय विवरण में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। ये प्रकाशन संसद पुस्तकालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

(ख) जानकारी नीचे दी गई हैं :—

| वर्ष | खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा मांगे गए आवटंन कमीशन (रु० करोड़ में) | सरकार द्वारा किए गए आवंटन (रु० करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1977-78 | 67.62 | 40.00 |
| 1978-79 | 90.45 | 70.74 |
| 1979-80 | 131.39 | 91.18 |

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग पर कार्यकारी दल में दिसम्बर, 1978 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादों के विपणन में विपणन साधनों की संख्या में कमी, तत्परता तथा विपणन सम्बन्धी कार्यक्षेत्र आदि की कमी आदि जैसी कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है।

**भारतीय पटसन निगम का कार्यकरण**

11013. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पटसन निगम के अत्यन्त निराशाजनक कार्यकरण से अत्यधिक क्षोभ हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) भारतीय पटसन निगम के हस्तक्षेप के कारण समस्त उद्योग में 49 दिन की हड़ताल होने के बावजूद भी कच्चे पटसन की कीमतें आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक बनी रहीं (उत्पादकों तक पहुँचने में इसने अपने प्रयासों में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। वर्ष 1975-76 में विभागीय खरीद केन्द्रों की संख्या 83 थी जो बढ़कर 1977-78 में 100 हो गई है। इसी प्रकार चालू वर्ष में उप केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है और 214 ग्रामीण हाट भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। कच्चे पटसन की खरीद में भी वृद्धि हुई है जो वर्ष 1975-76 में 550 लाख गाठें थी अब बढ़कर 1978-79 में 830 करीब लाख गाठें हो गई हैं जिसके परिणाम स्वरूप 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**मन्त्री और राज्यमन्त्री से सम्बद्ध निजी स्टाफ**

11014 **श्री० के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1979 को भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में (श्रेणीवार) कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे;

(ख) मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री तथा राज्यमंत्री के निजी स्टाफ में कितने कर्मचारी होते हैं; और

(ग) मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री/राज्य मंत्री के साथ नियत पदावधि के आधार पर कौन से स्थान भरे जाते हैं और इसका पूर्ण विवरण क्या है ;

**गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) यह सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ख) मंत्रिमंडल सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के पदों के निर्धारित वेतनमान को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ग) किसी मंत्रिमंडल सदस्य/राज्य मन्त्री के वैयक्तिक स्टाफ में बनाए गए सभी पद सम्बन्धित मन्त्री के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।

**विवरण**

मंत्रिमंडल सदस्यों और राज्य मंत्रियों के निजी स्टाफ के पदों के निर्धारित वेतनमान दर्शाने वाला विवरण

I. मन्त्रि मंडल सदस्य

| स्टाफ का प्रवर्ग | संख्या | वेतनमान | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| निजी सचिव | 1 | रु० 1100-50-1600 | जब तक कि अधिकारी के ग्रेड वेतन या मूल वेतन मान के कारण उच्चतर वेतन देय न हो, किन्तु केवल तब हो यदि मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में उच्चतर ग्रेड का कोई अधिकारी न हो |
| सहायक निजी सचिव | 1 | रु० 650-30-740-35-880-द० रो० 40-1040 | ग्रेड 1 (अब केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख') |
| प्रथम वैयक्तिक सहायक | 1 | रु० 650-30-740 35-610- द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 | केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का चयन ग्रेड (अब ग्रेड 'क') |
| द्वितीय वैयक्तिक सहायक | 1 | रु० 425-15-500 द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 | केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड II (अब ग्रेड 'ग') |
| हिन्दी आशुलिपिक | 1 | -तदैव- | यदि मन्त्री को आवश्यकता हो । |
| लिपिक | 1 | रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 | केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा का अवर श्रेणी ग्रेड । |
| जमादार | 1 | रु० 200-3-206-4-234-4-250 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| चपरासी | 3 | रु० 196-3-220<br>द० रो०-3-232 | |
| II. राज्य मंत्री | | | |
| निजी सचिव | 1 | रु० 1100-50-1600 | |
| सहायक निजी सचिव | 1 | रु० 650-30-740-35-880-द-रो०-40-1040 (ग्रेड-I, केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा) अब (ग्रेड 'ख') | यह केवल ऐसे मन्त्रियों को दिया जाता है जो किसी मन्त्रालय के पूर्ण प्रभारी हैं और यदि सम्बन्धित मंत्री को आवश्यकता हो । |
| प्रथम वैयक्तिक सहायक | 1 | रु० 650-1200 | (केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा का चयन ग्रेड) (अब ग्रेड 'क') |
| द्वितीय वैयक्तिक सहायक | 1 | रु० 425-800 | केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा का ग्रेड-II (अब ग्रेड 'ग') |
| हिन्दी आशुलिपिक | 1 | -तदैव- | यदि मंत्री को आवश्यकता हो। |
| लिपिक | 1 | रु० 260-400 | केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का अवर श्रेणी ग्रेड |
| जमादार | 1 | रु० 200-250 | |
| चपरासी | 2 | रु० 196-232 | |

**अन्तर्राज्यीय विवादों के लिए अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना**

11015. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अन्तर्राज्य विवादों और केन्द्र राज्य विवादों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर्राज्य परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी एक परिषद की स्थापना की जायेगी;

(ग) इसकी स्थापना कब की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** (क) से (घ) सरकार ने, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अन्तर्राज्जीय परिषद का

गठन और स्थापना करने के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

"संविधान का अनुच्छेद 263 अन्तर्राज्जीय परिषद का गठन करने की शक्ति प्रदत्त करता है। तथापि अभी ऐसी कोई परिषद गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पर्याप्त प्रबन्ध विद्यमान है।"

स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**गंदी बस्ती विभाग के कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना**

11016. **श्री हुकमचंद कछवाय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग (अब दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित) के लगभग एक दर्जन कर्मचारी फरवरी/मार्च, 1978 में मुअत्तिल कर दिए गए थे और उनमें से केवल एक कर्मचारी को बहाल किया गया है जबकि शेष के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है;

(ख) क्या उनके मामले पुलिस को सौंप दिए गए हैं जिसने कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की है और न ही मुअत्तिल कर्मचारियों से कोई पूछताछ ही की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी कर्मचारियों के मामले शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती विभाग के अनुसार फरवरी/मार्च, 1978 के दौरान केवल 5 कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था, और उनमें से 4 कर्मचारियों को विभागीय जांच होने तक बहाल कर दिया गया है। किसी भी मामले को पुलिस को नहीं सौंपा गया है।

**इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि**

11017. **श्री पी० एम० सईद**
**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
**श्री ए० आर० बद्रीनारायण** } : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त विधेयक, 1979 के आने के बाद इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मूल्यों में रिकार्ड वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मूल्यों में इस वृद्धि का इलेक्ट्रानिक उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो उद्योग की सहायता करने के लिए इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मूल्य कम करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार उत्पादन शुल्क में कमी करके कुछ रियायत देने पर विचार कर रही है ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) से (ङ) वर्ष 1979-80 के वित्त विधेयक में कुछ इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क में निम्नलिखित वृद्धि अधिसूचित की गई तथा कम्प्यूटरों तथा संघटक-पुर्जों पर सीमा-शुल्क में बढ़ोतरी की गई :

**उत्पादन-शुल्क**

| | |
|---|---|
| (I) दूरदर्शन सेट, टेपरिकार्डर तथा ऐसे मिले-जुले सेट जिनका मूल्य 500 रु० से अधिक है तथा कम्प्यूटर। | +10 प्रतिशत |
| (II) तीन से अधिक बैंड वाले रेडियो रिसीवर, (सभी प्रकार के) परिकलित्र (कैलकुलेटर), स्टीरियो ऐम्प्लीफायर, स्पीकर तथा स्पीकर प्रणालियां, दूरदर्शन-रेडियों के मिले-जुले सेट तथा रिकार्ड प्लेयर | +5 प्रतिशत |
| (III) उत्पादन-शुल्क टैरिफ शीर्ष-68 के अन्तर्गत सभी मदें | +3 प्रतिशत |

**सीमा-शुल्क**

| | |
|---|---|
| कम्प्यूटर प्रणालियां | +14 प्रतिशत |
| इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे | +17.6 प्रतिशत |
| इलेक्ट्रानिक उपस्कर | +14 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक |

ये बढ़े हुए शुल्क 1 मार्च, 1979 से प्रभावी हुए हैं। अतः इन बढ़े हुए शुल्कों का इलेक्ट्रानिक उत्पादों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह अभी इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं हो सकता।

**इलेक्ट्रानिक्स जानकारी का आयात**

11018. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या इलेक्ट्रानिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ऐसे क्षेत्रों का पता लगा रहा है जहां अनुसंधान विकास तथा उत्पादन स्तर पर जानकारी आयात करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है ?

**रक्षा मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह )** : (क) तथा (ख) जिन इलेक्ट्रानिक प्रणालियों, उपस्करों तथा संघटक-पुर्जों के उत्पादन के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है और उनका विवरण संलग्न है। यह सूची उदाहरण के तौर पर है और इसलिए जिन उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है उनके लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा पृथक-पृथक मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किये बगैर तकनीकी-जानकारी के आयात की अनुमति अपने आप ही नहीं दी जायेगी।

**विवरण**

**जिन इलेक्ट्रानिक प्रणालियों, उपकरों तथा संघटक पुर्जों के लिए तकनीकी जानकारी के आयात की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी उनकी उदाहरण के तौर पर सूची**

आम प्रयोजन के ट्रांजिस्टर तथा डायोड, तार अवेष्ठित प्रतिरोधक ( रेजिस्टर ) तथा व्यवसायिक स्वरूप से विभिन्न किस्म के विभवमापी (पोटेशियोमीटर) पेपर तथा अभ्रक संधारित्र (केपेसिटर), उपभोक्ता ग्रेड के परिवर्तनीय संधारित्र ( वेरिएबल कैपेसिटर ) तथा सूक्ष्म समंजक (ट्रिमर्स), लाउडस्पीकर, फैराइट ( जिसमें कुछ किस्म के पाट कोर शामिल नहीं हैं ), दूरदर्शन विक्षेपण संघटक-पुर्जे, ट्रान्सफार्मर, चोक तथा क्वाइल, रिकार्ड प्लेयर परिवर्तक ( चेंजर ), जन-संबोधन प्रणालियां, इलेक्ट्रानिक किट/खिलौने, दौलनदर्शी, 50 मेगाहर्ट्स तथा उससे नीचे के अंकीय बहुमापी (डिजिटल मल्टीमोटर) । अंकीय विश्लेषण धारामापी ( डिजिटल वेल्टामीटर ), श्रव्य तथा कम आवृत्ति वाले दोलित्र (आसिलेटर) तथा संकेत जनित्र (सिगनल जनरेटर), दृश्य (त्राड़ियो), स्पंद वितरण प्रबंधक, बाबुलोस्कोप, दूरदर्शी प्रतिरूप जनित्र (पैटर्न जनरेटर), एक्स-वाई प्लाटर, कैथोड किरण ट्यूब प्रदर्श, पराध्वनिक तथा भंवर धारा ( एडीकरन्ट ), दोष-सूचक आख्यापित्र (एनसिटर), कम्प्यूटरों में प्रयोग के लिए पावर लाइन कैरियर संचार प्रणालियां, पेपर टेप रीडर तथा पंच ।

**हैदराबाद स्थित सैन्ट्रल फारेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी द्वारा भवन निर्माण के लिए धनराशि**

11019. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में सेन्ट्रल फारेन्सिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्माण के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ख) यह कार्य किस स्थिति में है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री धनिक लाल मन्डल )** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 14 अप्रैल, 1979 को हैदराबाद में सेन्ट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्षेत्र में सेन्ट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्माण के लिए एक ठेका दिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है । आशा है कि भवन का निर्माण 1980 तक पूरा हो जाएगा ।

**1978. में फांसी पर लटकाये गए अपराधियों का ब्यौरा**

11020. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अपराधियों को फांसी पर लटकाने का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया, यदि हां, तो क्यों, यदि नहीं, तो वर्ष 1978 में जिन व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया गया उनके नाम और पते क्या हैं । तथा प्रत्येक मामले में जेलों के नाम क्या है; और

(ख) फांसी पर लटकाने की पद्धतियों में सरकार यदि किसी सुधार पर विचार कर रही है तो वह क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्यास और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) फांसी पर लटकाने की पद्धति में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**महाराष्ट्र में सीमेन्ट की कमी**

11021. **श्री विजय कुमार एवं पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सीमेंट की कमी के कारण महाराष्ट्र में बहुत सा सरकारी और गैर-सरकारी निर्माण कार्य रुका पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी कारखानों द्वारा चीनी के भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण का कार्य सीमेंट की कमी के कारण रुका पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को सीमेंट का अतिरिक्त कोटा आबंटित करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) देश में सीमेंट मिलने की सामान्यत: कमी है और यह संभावना है कि इस कमी के कारण कुछ निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। किन्तु इस कमी के कारण प्रभावित सरकारी एवं गैर-सरकारी निर्माण कार्यों की संख्या विषयक सही सूचना उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक महाराष्ट्र में चीनी उद्योग का सम्बन्ध है जो कारखाने बड़े तथा मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत आते है व जो केन्द्रीय प्रयोजनकारी प्राधिकरणों जैसे इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर मिल्स ऐसोसियेशन के पास पंजीयित हैं उन्हें सीमेंट उपलब्ध होने पर केन्द्रीय श्रेणी के अधीन तिमाही आधार पर सीधे ही क्षेत्रीय सीमेंट कन्ट्रोलर द्वारा सीमेंट का आबंटन कर दिया जाता है।

(ग) अप्रैल-जून 1979 की तिमाही प्रत्याशित अतिरिक्त सीमेंट की उपलब्धि को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रति तिमाही 4,95,000 मी० टन के मूल आबंटन से अतिरिक्त 49,500 मी० टन सीमेंट का आबंटन किया जा चुका है।

बम्बई बंदरगाह में व्यस्तता के कारण आयातित सीमेंट की सप्लाई की संभावित कमी को देखते हुए राज्य के लिए कुछ सीमेंट कारखानों से और भी 25,000 मी० टन सीमेंट का आवंटन कर दिया गया है।

**जिला कलैक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों के निवास स्थानों पर पुलिस कांस्टेबल तैनात किया जाना**

11022. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला कलैक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों के निवास स्थानों पर पुलिस कांस्टेबल तैनात करने के क्या नियम हैं;

(ख) क्या एक बार में इन कांस्टेबलों के ड्यूटी पर रहने की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ग) चपरासियों, रसोइयों आदि जैसे अन्य कितने सरकारी कर्मचारी इन अधिकारियों के निवास स्थानों पर ड्यूटी पर रहते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश देने की समाप्त करने और ऐसे नौकरों पर व्यय कम करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (घ) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में विभिन्न श्रेणियों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति**

11024. **श्री अन्नतराम बायसवाल**
**श्री गंगा भक्त सिंह** } : **क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवी पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान योजना आयोग विभिन्न श्रेणियों में परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जो एक निश्चित वेतन पाते थे और योजना आयोग के वेतन चिट्ठे (पे रोल) में भी शामिल नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्शदाताओं की नियुक्ति के क्या कारण हैं ; जिनके कारण योजना आयोग के नियमित कर्मचारी पदोन्नति के अवसरों से वंचित हो गये हैं ;

(ग) इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा इनकी सेवा की शर्तें किन नियमों से शासित होती हैं ; और

(घ) 31 मार्च, 1979 को ऐसे कितने परामर्शदाता नियुक्त किए गए और कितने परामर्शदाताओं ने नियुक्ति के बाद योजना आयोग छोड़ दिया और उनमें से प्रत्येक ने योजना आयोग में कितनी अवधि तक कार्य किया ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजुलुर्रहमान)** : (क) जी हां। परामर्शदाताओं को उनकी सेवाओं के लिए प्रतिमास एक नियत शुल्क दिया जाना है।

(ख) परामर्शदाता बिभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और ऐसे विशिष्ट अध्ययनों को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो योजना आयोग के लिए तात्कालिक महत्व के होते हैं परन्तु जिन्हें आयोग के प्रभागों में उनके दिन प्रतिदिन के कार्य के रूप में सामान्यत: नहीं किया जा सकता है। परामर्शदाताओं को योजना आयोग के नियमित कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जाता है और उन्हें किन्हीं नियमित पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। इसलिए उनके द्वारा आयोग के कर्मचारियों को पदोन्नति के उनके अवसरों से वंचित किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) परामर्शी कार्यों के लिए विशेषज्ञों का चयन प्राय: विश्विद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं तथा वैज्ञानिक और तकनीकी निकायों से किया जाता है। उन्हे एक नियत शुल्क की अदायती पर नियुक्त किया जाता है और वे नियमित सरकारी कर्मचारियों के अनुलाभों के लिए पात्र नहीं होते हैं। आयोग में उनके कार्य की अवधि साधारणत: एक वर्ष तक होती है परन्तु आवश्यकता होने

पर इसे वित्त मंत्रालय की सहमति से बढ़ाया जा सकता है ।

(घ) दि० 31-3-1979 को योजना आयोग में 30 परामर्शदाता थे। वर्ष 1975 से अब तक 3 वर्ष तक की अवधियों के लिए काम करने के बाद 51 परामर्शदाताओं ने योजना आयोग को छोड़ दिया (विवरण संलग्न है) ।

**विवरण**

गैर-सरकारी परामर्शदाता जिन्होंने 1974, 1975, 1976, 1977 और 1978 में योजना आयोग में कार्य संभाला और बाद में छोड़कर गए।

| क्रम सं० | नाम | योजना आयोग में कार्य संभालने की तारीख | योजना आयोग को छोड़ने की तारीख |
|---|---|---|---|
| (0) | (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्री एस० पी० सेठी | 1-6-74 | 31-5-75 |
| 2. | श्री एस० जे० कामत | 1-6-74 | 31-5-75 |
| 3. | श्री आर० रवि | 1-6-74 | 31-5-75 |
| 4. | श्री के० एम० पणिक्कर | 19-8-74 | 18-8-77 |
| 5. | श्री ए० पी० सक्सेना | 18-9-75 | 31-12-78 |
| 6. | श्री आर० के० जुत्शी | 25-8-75 | 6-1-76 |
| 7. | श्री ओ० पी० भटनागर | 17-12-75 | 31-7-76 |
| 8. | श्री आर० पी० एस० जोहर | 27-12-75 | 11-10-76 |
| 9. | श्री अशोक श्रीनिवासन | 1-1-76 | 19-1-78 |
| 10. | कु० ननिता तोलानी | 16-1-76 | 5-12-76 |
| 11. | श्री श्याम सुन्दर एस० वी० वी० | 1-1-76 | 16-12-77 |
| 12. | श्री डी० पी० नय्यर (सेवानिवृत्त सलाहकार) | 1-5-76 | 31-7-76 |
| 13. | डा० (श्रीमती) तारा गोपालदास | 28-6-76 | 31-5-77 |
| 14. | श्री टी० देवनाथ | 1-6-76 | 14-2-77 |
| 15. | श्री के० पी० आर० अय्यर | 1-6-76 | 1-7-77 |
| 16. | श्री सूर्य राव | 16-7-76 | 30-11-78 |
| 17. | श्री पी० के० विश्नोई | 1-5-76 | 30-4-77 |
| 18. | श्री पंकज जैन | 14-7-76 | 19-6-78 |
| 19. | श्री आर० वेंकटेशन | 16-7-76 | 31-10-78 |
| 20. | श्री आदीश चंद्र | 14-7-76 | 13-7-78 |
| 21. | श्री पी० रवि | 5-6-76 | 31-10-77 |
| 22. | श्री ए० वी कृष्णमूर्ति | 2-12-75 | 31-12-78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | श्री एन० विश्वनाथन् | 11-8-78 | 15-10-76 |
| 24. | श्री पी० सी० साह | 4-3-76 | 30-6-78 |
| 25. | श्री एस० के० मजुमदार | 8-4-76 | 15-2-78 |
| 26. | श्री एन० एस० एस० नारायण | 17-3-76 | 29-8-77 |
| 27. | श्री वी० वी० भारतीय | 1-3-76 | 31-3-78 |
| 28. | कु० रितु आनन्द | 7-4-76 | 6-10-78 |
| 29. | श्री सुदेश सायल | नवम्बर, 76 | 31-12-78 |
| 30. | श्रीमती मीना गुप्ता | 3-7-76 | 31-12-78 |
| 31. | डा० भगत सिंह | 7-9-76 | 31-12-78 |
| 32. | श्री कुलदीप माथुर | 3-6-76 | 31-12-78 |
| 33. | श्री प्रमोद माथुर | 17-5-76 | 31-12-78 |
| 34. | डा० सी० एम० मालवीय | 16-8-76 | 31-12-78 |
| 35. | डा० बशीर अहमद | 3-6-76 | 31-12-78 |
| 36. | डा० अशीष नंदी | 3-7-76 | 31-8-76 |
| | | 21-7-77 | 31-12-78 |
| 37. | श्री सजल लाहिरी | 12-7-76 | 11-7-77 |
| 38. | श्री आर० सी० बक्शी | 2-5-77 | 29-11-78 |
| 39. | श्री एस० सुब्रमण्यन् | 29-9-77 | 28-9-78 |
| 40. | श्री ए० क्यू० जे० आगा | 18-8-77 | 8-1-79 |
| 41. | श्री पी० कल्याण | 12-8-77 | 18-9-78 |
| 42. | श्री वाई० पी० सिंहल | 23-8-77 | 4-11-78 |
| 43. | श्री के० श्याम सुन्दर | 25-8-77 | 4-7-78 |
| 44. | श्री आर० वासुदेवन | 1-8-77 | 5-12-77 |
| 45. | श्री सुरेन्द्र सिंह | 1-11-77 | 21-8-78 |
| 46. | श्री अजय छिब्बर | 1-11-77 | 11-9-78 |
| 47. | डा० समर सिंह | 1-11-77 | 31-3-79 |
| 48. | श्री एम० एन० त्रिपाठी | 1-8-77 | 12-10-78 |
| 49. | श्री पी० बी० नारायणन | 1-8-77 | 27-9-77 |
| 50. | श्री जगदीश राव | 14-2-77 | 26-4-78 |
| 51. | डा० डी० एल० सुब्रहमण्यम | 18-12-78 | 17-4-79 |

**पश्चिम बंगाल की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजना का आकार**

11025. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों और योजना आयोग के बीच हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के लिये वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना के आकार पर केन्द्रीय सरकार ने पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल को 1979-80 की वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना को राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

**सीमेंट, लोहा और बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी**

11026. **श्री युवराज** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 में औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि की बजाये गिरावट आई है;

(ख) क्या दोषपूर्ण आयोजन के कारण सीमेंट, लोहा, बिजली आदि का भारी अभाव रहा है, जिससे विकास दर पिछले वर्ष की अपेक्षा घट कर आधी रह गई है;

(ग) क्या सरकार और उद्योगों के बीच इस गहरी खाई को नहीं पाटा गया है;

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक विकास की बाधाएं दूर करने हेतु कौन सा कदम उठाया जायेगा तथा कब तक उठाया जायेगा और विकास का लाभ समाज के निम्नतम स्तर के व्यक्तियों को कब तक प्राप्त होगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि वर्ष 1978 में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1978 में हुआ औद्योगिक उत्पादन 1977 में हुए औद्योगिक उत्पादन से 6-8 प्रतिशत अधिक था। सीमेंट के उत्पादन में 2.3 प्रतिशत तथा विद्युत जनित्रण में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई। किन्तु कच्चे लोहे के उत्पादन में 4 प्रतिशत तक गिरावट आई। सीमेंट तथा इस्पात के बड़ी मात्रा में हुए आयात के कारण इन वस्तुओं की देश में कुल उपलब्धता पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1978-79 में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। निःसदेह इन वस्तुओं की अस्थायी तौर पर कमी महसूस की गई थी लेकिन इन कमियों का मुख्य कारण निवेश के कार्यों के फिर से आरम्भ हो जाने से मांग का अधिक होना रहा है।

कलैंडर वर्ष के आधार पर उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के अलग-अलग आंकड़े संकलित नहीं किये जाते तथा 1978-79 के बारे में जानकारी केवल अप्रैल-जून, 1978 की प्रथम तिमाही के लिए ही उपलब्ध है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) सरकार और उद्योग के बीच कोई खाई नहीं है। सरकार उद्योगों के विकास तथा उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर निरन्तर निगरानी रख रही है। एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति औद्योगिक उत्पादन पर नजर रखती है तथा उद्योगों से सम्बन्धित मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करती है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय उद्योगों से सम्बन्धित मंत्रालयों तथा योजना आयोग में भी उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

कच्ची सामग्री की कमी का अनुमान लगाने तथा सुधारात्मक उपायों पर शीघ्रता से निर्णय करने के लिए सचिव स्तर पर भी दो समितियों का गठन कर दिया गया है।

**गुलबर्गा, कर्नाटक में चुना-पत्थर पर आधारित सीमेंट कारखानों का स्थापित किया जाना**

11027. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुलबर्गा जिले में (कर्नाटक) चूना-पत्थर के भारी निक्षेप हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने लगाने को प्रोत्साहन देने पर सरकार विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) सीमेंट अनुसंधान संस्थान से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गुलबर्गा जिला में सीमेंट ग्रेड के चूना-पत्थर के मापित निक्षेप 283.80 मिलियन मी० टन तथा ज्ञात निक्षेप 15006.89 मिलियन मी० टन है।

(ग) और (घ) गुलबर्गा जिला में विद्यमान तीन सीमेंट संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं :—

| क्र० सं० | पार्टी का नाम | स्थापना स्थल | क्षमता |
|---|---|---|---|
| | | | (लाख मी० टन में) |
| 1. | एसोसियेटेड सीमेंट क० लि० | शाहाबाद | 5.74 |
| 2. | —वही— | वादी | 4.00 |
| 3. | सी० सी० आई० लि० | कुरकुन्ता | 2.00 |

इनके अलावा मै० ए० सी० सी० लि० को अपनी बाडी फैक्टरी में 5.00 लाख मी० टन तक प्रति वर्ष क्षमता का विस्तार करने के लिए आशयपत्र जारी किया गया है। दूसरे 7.00 लाख मी० टन तक के लिए उनके आवेदनपत्र पर कार्यवाही की जा रही है। जि० गुलबर्गा के चित्तापुर में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा मै० दक्खन अलकाली लि० के दो आवेदन पत्रों पर भी कार्यवाही की जा रही है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को घाटा**

11028. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1979 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है जिसमें बताया गया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न विदेशी और भारतीय कारखानों को पर्याप्त मात्रा में माल सप्लाई न करने के कारण उसे भारी घाटा होने की संभावना है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) निविदाओं के अनुसार सप्लाई न किये जाने के कारण कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) कितनी निविदायें अभी तक अनिर्णीत है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, हां। हाल के महीनों में बी० एच० ई० एल० ने टर्बाइनों, स्विचगियरों इत्यादि के कुछ क्रयादेश खोये हैं क्योंकि उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न उत्पादों के लिए ग्राहकों की विशिष्टियों को पूरा कर पाने में यह समर्थ नहीं था। कुछ उदाहरण जहां बी० एच० ई० एल० ने क्रयादेश खोये हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) इस अवस्था में इस प्रकार के घाटे का सही अनुमान तथा अनिर्णीत निविदाओं की संख्या बताना कठिन है।

**विवरण**

अपने उत्पादों के लिए क्रयादेश हासिल करने में बी० एच० ई० एल० के समर्थन न हो पाने के निम्नलिखित पांच उदाहरण हाल ही में सामने आये हैं :--

(1) विद्यमान डिजाइनों के आधार पर 2×67.5 मे० वा० के लिए मे० हिन्दालको द्वारा अपेक्षित तकनीकी विशिष्टियों को बी० एच० ई० एल० पूरा नहीं कर सका। हिन्दाल्को ने बी० एच० ई० एल० तथा सीमेंस के कंसार्टियम को क्रयादेश दिया है जिसके अन्तर्गत एक पूर्ण टी० जी० तथा दूसरे टी० जी० का लगभग 50% सीमेंस उपलब्ध करा रहा है। क्रयादेश का मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये था।

(2) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया ने 30 करोड़ रुपये मूल्य के पांच 60 एम० डब्ल्यू० टर्बो जनरेटर सप्लाई करने के लिए एक निविदा जारी की थी। बी० एच० ई० एल० इस सप्लाई की बोली लगाने में असमर्थ था, क्योंकि ग्राहकों द्वारा अपेक्षित मशीनों की तकनीकी विशिष्टियां पूरा करना इसके लिए संभव नहीं था।

(3) लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य के 2×60 एम० डब्ल्यू० मशीनों की सप्लाई करने के लिए साइप्रस ने विश्व टेंडर दिये थे। बी० एच० ई० एल० इसमें अपने भाव नहीं दे सका क्योंकि ग्राहक द्वारा अपेक्षित तकनीकी विशिष्टियां पूरी करने में यह समर्थ नहीं था।

(4) टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी की 500 एम० डब्ल्यू० के ट्राम्बे पावर प्लांट के लिये बी० एच० ई० एल० ने अपने 500 एम० डब्ल्यू० बायलरों के साथ 18 नग बायलर आक्सिलरी मोटरों की पेशकश की थी। यद्यपि बी० एच० ई० एल० को बायलरों के लिए क्रयादेश दिया गया था, लेकिन ग्राहक ने मोटरों के लिए आर्डर बी० एच० ई० एल० को नहीं दिया, क्योंकि बी० एच० ई० एल० द्वारा प्रस्तुत डिजाइन ग्राहक द्वारा दी गई खास विशिष्टियों के पूरी तरह अनुरूप नहीं थे। ग्राहक ने अब मोटरों के लिए पुनः नये विश्व टेंडर आमन्त्रित किये हैं।

(5) बी० एच० ई० एल० के प्रतिस्पर्धी जैसे टेल्क और हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी ने हाई वोल्टेज क्लास में एस० एफ०-6 टाइप के स्विचगियर प्रारम्भ किये हैं, जो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ तकनीक युक्त है। बी० एच० ई० एल० के कार्यों के लिए इस क्षेत्र में यह एक खतरा है। यद्यपि बी० एच० ई० एल० ने एस० एफ०-6 टाइप स्विचगियर बनाने की योजना बनाई थी परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि यह पश्चिम जर्मनी की सीमेंस के साथ प्रस्तावित व्यापक करार के अन्तर्गत आने वाली उत्पादों में से है।

**मणिपुर में जलाई गई धार्मिक पुस्तकें**

11029. **श्री राघव जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि जनवरी, 1979 में मणिपुर में गीता, रामायण और अन्य धार्मिक पुस्तकें सार्वजनिक रूप से मीताई नेशनल फ्रंट द्वारा जला दी गई थीं और हिंदू धर्म तथा हिंदुओं के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने वाले कार्य भी किये गए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 2 मार्च, 1979 को एबोंगाई में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा हिंदुओं पर आक्रमण किया गया था; और

(ग) इन गतिविधियों की रोकथाम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि साम्प्रदायिक द्वेष न बढ़े, केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**विदेशी मिशनरियों का पूर्वी भारत में अवांछनीय कार्यों में लगे होने का आरोप**

11030. **श्री राघव जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि पूर्वी भारत में, विशेषकर मणिपुर राज्य में, विदेशी मिशनरियों अवांछनीय कार्यों में लगी हुई है जो धार्मिक दुर्भावना और घृणा उत्पन्न कर रही है जिससे देश के विरुद्ध हिंसा और विद्रोह पैदा होता है और यदि हां, तो इस बारे में विवरण क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी इन गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र या तो सुरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र हैं और इन स्थानों पर जाने के इच्छुक विदेशियों को विशेष परमिट लेना होता है। ऐसे परमिट केवल उन मामलों में भी दिये जाते हैं जब संबंधित व्यक्ति के वहां जाने की आवश्यकता सिद्ध हो जाय। केन्द्र और राज्य सरकारों के पास उन विदेशियों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं जिनकी कोई प्रतिकूल कार्रवाई नजर आती है। जब मिशनरी सहित किसी विदेशी की अवांछनीय गतिविधियां अथवा किसी कानून का उल्लंघन ध्यान में आता है तो उपयुक्त कानून के अधीन उचित कार्रवाई की जाती है। मणिपुर में कोई विदेशी मिशनरी नहीं है।

**दहेज न मिलने के कारण जला दी गई विवाहित लड़कियां**

11031. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत तीन वर्षों में शादियों में बहुत अधिक दहेज न दिये जाने के कारण बहुत सी विवाहित लड़कियों को उनके रिश्तेदारों और अन्य लोगों द्वारा जला दिया गया;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं कि ऐसी घटनायें न हों या कम की जायें; और

(घ) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने लोगों का चालान किया गया जिन्होंने शादी से पहले दहेज मांगा ?

**गृह मंत्रालय, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** (क) और (ख) 1976 से 1978 की अवधि के दौरान इस प्रकार की 90 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 81 शिकायतों में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शेष 9 मामलों में मुकदमें दर्ज किए गये। जिनका विस्तृत ब्यौरा विवरण 'क' पर देखा जा सकता है।

(ग) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसे संशोधित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आचार संहिता नियमों में यह व्यवस्था करने के लिये संशोधन भी किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दहेज न तो लेगा और न देगा और न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी को दुलहन या दुल्हे के माता-पिता या अभिवावक से, जैसा भी मामला हो, दहेज लेने अथवा देने के लिये उकसायेगा।

(घ) शून्य।

**विवरण**

**दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे**

1. **भा० दं० सं० की धारा** 307/302/34 **तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा** 3/4 **के अधीन मामला प्र० सू० रि० सं०** 607, **दिनांक** 26-11-76 **पुलिस स्टेशन शाहदरा।**

21-11-76 को 1/9544, शिवाजी पार्क, शाहदरा के निवासी उजागर सिंह की पत्नी श्रीमती सुरिन्द्र कौर को इर्विन अस्पताल में दाखिल किया गया था। प्रथम अवसर पर उसने कहा था कि जब वह गैस चुल्हे पर कार्य कर रही थी तो दुर्घटनावश उसे आग लग गई थी। बाद में 26-11-76 को उसने कहा था कि उसे उसके सास-ससुर द्वारा जलाया गया था क्योंकि वे उससे अधिक दहेज लाने का आग्रह कर रहे थे जिसके लिये यह तैयार नहीं थी। मामला प्रारंभिक रूप से बाद के ब्यान पर भा०द० सं० की धारा 307 के अधीन दर्ज किया गया था। धारा 302/34 भा०

द० सं० और 3/4 डी० पी० अधिनियम में बदल गई क्योंकि श्रीमती सुरिन्द्र कौर की घावों के कारण 28/29-11-76 के बीच की रात को मृत्यु हो गई। इस मामले की प्रारंभिक जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई और बाद में जांच अपराध शाखा द्वारा की गई और मामला 11-9-77 को लापता मामले के रूप में भेज दिया गया। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नही की गई।

2. **भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन मामला प्र० सू० रि० सं० 49, दिनांक 24-1-77 पुलिस स्टेशन, सदर बाजार :**

श्री जगन्नाथ सुपुत्र श्री लुकीराम, 2/4 हरिजन बस्ती, सराय रोहिला, दिल्ली ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री भगवती देवी को उसके सास-ससुर द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने के कारण पीटा गया था। 24-1-77 को उसे उसकी सास अंगुरी देवी द्वारा उस पर मिट्टी के तेल का जलता हुआ स्टोव फैंक कर जला कर मार दिया गया था। प्रारंभिक रूप से मामला भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन दर्ज किया: गया था। बाद में, भगवती की मृत्यु के पश्चात. कानून की धारा 302 भा० दं० सं० में बदल गई। 10-6-77 को मामले का चालान किया गया था। अपराधी श्रीमती अंगूरी देवो को 26-4-78 को श्री एन० सी० कोचर अपर सत्र न्याया-धीश के न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. **भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन मामला प्र० सू० रि० सं० 604 दिनांक 10-3-77 पुलिस थाना तिलक नगर।**

इस मामले में, सी० 167, रघबीर नगर, जे० जे० कालौनी के निवासी श्री कुन्दन लाल ने सूचना दी थी कि उसने 6/7 वर्ष पहले अपनी पुत्री छिन्दो की शादी जगदीश लाल के साथ की थी। श्री जगदीशे लाल और उमके माता-पिता ने उससे वित्तीय सहायता मांगी जिसे वह नहीं दे सका। उसको संदेह हुआ कि उसकी पुत्री को उसके पति द्वारा जिन्दा जला दिया गया। जांच के दौरान यह मालूम हुआ कि श्री जगदीश लाल और मृतक का देवर भाई मृतक को जलाने के समय और स्थान पर उपस्थित नहीं थे। मृतक के अपने पति के साथ स्नेहपूर्ण सम्बन्ध नहीं थे और उसने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में निरसन की सूचना 14-6-78 को भेजी गई थी।

4. **भारतीय दन्ड संहिता की धारा 302 के अधीन पुलिस स्टेशन गांधी नगर नई दिल्ली मे तारीख 28-4-77 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 400.**

उपर्युक्त मामला भी पूरण मल की इस शिकायत पर दर्ज किया गया है कि उसकी लड़की श्रीमती लक्ष्मी गुडडो की उसके पति और उमके सास-सुसर द्वारा हत्या कर दी क्योंकि वह दहेज की अपेक्षित राशि नहीं दे सका था। जांच पड़ताल के दौरान ये आरोप सिद्ध नहीं हो सके और इसे आत्महत्या का मामला पाया गया। अन्ततः मामले को बन्द कर दिया गया।

5. **भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में तारीख 27-5-77 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 215.**

यह मामला श्री मौजी राम की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि उसकी लड़की बाला देवी का खून उसके सास-ससुर द्वारा किया गया क्योंकि वह उनकी धन

की मांग को पूरा नहीं कर सका । जांच-पड़ताल के दौरान यह सिद्ध हुआ कि मरने वाली ने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की तदनुसार ही मामले को लापता के रूप में भेज दिया गया ।

6. **भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन पुलिस स्टेशन कालकाजी में तारीख 13-12-77 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 1229.**

रेलवे कालोनी तुगलकाबाद की निवासी ममता कुमारी पत्नी श्री श्रीनिवास तारीख 20-5-79 को अपने घर में जल गई। उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया जहां तारीख 24-5-77 को उसकी मृत्यु हो गयी । स्थानीय पुलिस ने अपराध दण्ड संहिता की धारा 174 के अधीन जांच पड़ताल की । मृतक के पिता श्री पी० के० गुप्ता ने आरोप लगाया कि उसकी लड़की को उसके पति और ससुर ने जलाकर मार डाला क्योंकि वह अधिक दहेज नहीं दे सका । यह रिपोर्ट मिलने पर उपर्युक्त मामले को दर्ज किया गया और अपराध शाखा द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई । जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि मृतक के कपड़ों में अंगीठी ले जाते समय अचानक आग लग गई। तारीख 15-6-1978 को मामले को रदद करने सम्बन्धी रिपोर्ट भेजी गयी ।

7. **भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन करोलबाग में तारीख 31-8-78 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला सं० 1014.**

तारीख 29-8-78 को 4-25 सायं को पुलिस नियन्त्रण कक्ष से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने मकान सं० 3911, गली नं० 28, रगड़पुरा, दिल्ली में कुछ जख्मी हो गई है । करोल-बाग पुलिस स्टेशन का एक उप निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचा और पाया कि श्रीमती राकेश पत्नी श्री शिवनाथ पुरी अपनी रसोई में मृत पड़ी है । सामान्य औपचारिकता पूरी करने के बाद, मृत शरीर को मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया । 31-8-1978 को मृतक के भाई ने अपनी बहन श्रीमती राकेश की मृत्यु के पीछे दहेज की मांग को पूरा न कर सकने के कारण धोखे का संदेह प्रकट किया । अतः उपर्युक्त मामले को दर्ज किया गया । जांच पड़ताल के दौरान शिकायत कर्ता के ब्यान की पुष्टि नहीं हो सकी और यह आत्म-हत्या का मामला प्रतीत हुआ । मामला अभी भी जांच-पड़ताल के अधीन है ।

8. **भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन गांधी नगर थाने में दर्ज मामला, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1278 दिनांक 13-9-78.**

यह मामला श्रीमती निर्मल कौर धर्मपत्नी अमरीक सिंह निवासी 683, गुरु अंगद नगर के ब्यान पर दर्ज किया गया था कि 11/12-9-78 की रात को, जब वह सो रही थी, उसके पति अमरीक सिंह ने उसके कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी । पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण तनावपूर्ण थे । अमरीक सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसका चालान किया गया उस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ।

9. **भारतीय दन्ड संहिता की धारा 302 के अधीन गांधी नगर थाने में दर्ज मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1207 दिनांक 28-12-78 ।**

28-12-78 को श्रीमती गुरमीत कौर धर्मपत्नी अवतार सिंह को जलने के घावों सहित लो०

ना० ज० प्र० अस्पताल में दाखिल किया गया था। उसने बताया कि दहेज की मांग पूरी न कर सकने के कारण उसकी सास श्रीमती रणजीत कौर ने उसके कपड़ों पर मिटटी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। श्रीमती रणजीत कौर को गिरफ्तार किया गया और मामला अभी भी सी० एफ० सं० एस० एल० के परिणाम की इंतजारी के कारण जांच-पड़ताल के अधीन लम्बित है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल हरिद्वार को शुल्क के रूप में अंशदान की अदायगी**

11032. **श्री बृज राज सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के दिल्ली पब्लिक स्कूल हरिद्वारा में पढ़ने वाले बच्चों के शुल्क के रूप में प्रति बच्चा कितनी राशि अदा कर रहा है और वर्ष 1978-79 में उसने कुल कितना अंशदान अदा किया;

(ख) वर्ष 1978-79 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार ने दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कुल कितनी राशि किस रूप में खर्च की;

(ग) मैनेजर के पद से नीचे तथा ऊपर के पदों वाले कर्मचारियों के कितने बच्चे वर्ष 1978-79 के दौरान इस स्कूल में पढ़े और वर्ष 1978-79 के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों से अन्य लोगों के कितने बच्चे इस में पढ़े; और

(घ) वर्ष 1978-79 के सत्र में इस स्कूल में कितने बच्चे रहे ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबी प्रसाद यादव)** : (क) बी० एच० ई० एल०) के कर्मचारियों के बच्चों के सम्बन्ध में दिल्ली पब्लिक स्कूल, बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार को 1978-79 में दी गई राज सहायता 13 रुपए प्रति बच्चा थी। 1978-79 में स्कूल को कुल 37·397 रु० की राज सहायता दी गई थी।

(ख) 1978-79 में दिल्ली पब्लिक स्कूल पर बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार द्वारा कुल 5·36 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| (1) भवन पर व्यय | 3·95 |
| (2) फर्नीचर तथा उपकरण के लिए अनावर्ती राजसहायता | 1·04 |
| (3) बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों के बच्चों की फीस के लिए राज-सहायता | 0·37 |
| योग | 5·36 |

(ग) 1978-79 के दौरान स्कूल में अध्ययन कर रहे बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों के बच्चों तथा अन्य बच्चों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (1) बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों के बच्चे | |
| (क) प्रबन्धक तथा इससे उपर | 44 |
| (ख) अन्य कर्मचारी | 189 |
| (2) अन्य | 124 |

(घ) 1978-79 के शिक्षा सत्र में स्कूल में कुल 357 बच्चे पढ़ रहे थे।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्कूल, रानी, हरिद्वार**

11033. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर, हरिद्वार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त प्रत्येक स्कूल के सम्बन्ध में (1) स्कूल का नाम क्या है (2) संचालक निकाय का नाम क्या है (3) शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है (4) छात्रों की कुल संख्या कितनी है (5) कारखाना श्रमिकों के पुत्रों और पुत्रियों की संख्या कितनी है (6) अन्य बच्चों की संख्या क्या है (7) 1978-79 के दौरान बी० एच० ई० एल० द्वारा कुल कितना व्यय किया गया (8) 1979-80 के लिए प्रस्तावित बजट क्या है (9) पुरुष अध्यापकों की संख्या कितनी है (10) महिला अध्यापकों की संख्या कितनी है (11) अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा शिक्षा पर 1978-79 के दौरान कितना व्यय किया गया;

(ग) 1978-79 में दो केन्द्रीय विद्यालयों पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 1978-79 में दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कितना व्यय किया गया ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1978-79 में बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार द्वारा शिक्षा पर 28·57 लाख रुपए व्यय किया गया था।

(ग) 28·57 लाख रुपये में से दो स्कूलों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 1978-79 में 12·00 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(घ) 1978-79 में दिल्ली पब्लिक स्कूल, बी० एच० ई० एल० पर राजसहायता के रूप में 1·41 लाख रुपये व्यय किए गए थे जिसमें बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों का फीस के लिए आवर्ती राजसहायता (0·37 लाख रुपए) तथा फर्नीचर व उपकरणों के लिए अनावर्ती राजसहायता (1·04 लाख रुपये) शामिल हैं।

**विवरण**

**बी० एच० ई० एल० स्कूल रानीपुर, हरिद्वार**

| स्कूल का नाम | जिस स्तर तक शिक्षा दी जाती है। | विद्यार्थियों की कुल संख्या | कारखाने के कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्रियों की संख्या | अन्य बच्चों की संख्या | 1978-79 में बी० एच० ई० एल० द्वारा किया गया कुल व्यय (सहायता अनुदान/ राजसहायता) | विभिन्न शैक्षिक कार्यों के लिए विशिष्ट बजट (संशो० 79-80) | शिक्षकों की संख्या | | शिक्षकों की कुल संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | पु० | स्त्री | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **बी० एच० ई० एल० के० शिक्षा प्रबन्ध बोर्ड के अन्तर्गत** | | | | | | | | | | |
| 1. वी० एम० हायर सेकेन्डरी स्कूल सेक्टर—1 | 10 | 1134 | तत्काल उपलब्ध नहीं है | | 23·57 लाख रुपये | 43·44 लाख रुपये | 25 | 12 | 38 | |
| 2. वी० एम० जूनियर हाई स्कूल, सेक्टर—5 | 8 | 375 | | | | | 11 | 7 | 18 | |
| 3. बाल मन्दिर प्राइमरी स्कूल सेक्टर—1 | 5 | 1266 | | | | | 11 | 31 | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. बाल भारती (पी) स्कूल सेक्टर—4 | 5 | 972 | | | | | 8 | 23 | 31 | |
| 5. बी० एच० ई० एल० नर्सरी स्कूल, सेक्टर—1 | के० जी० | 326 | | | | | कुछ नहीं | 11 | 11 | |
| 6. बी० एच० ई० एल० नर्सरी स्कूल, सेक्टर—5 | के० जी० | 473 | | | | | — | 19 | 19 | |
| 7. शिशु विहार सेक्टर—1 | के० जी० | 397 | | | | | — | 14 | 14 | |
| 8. टाइनी टीट्स, सेक्टर—3 | के० जी० | 195 | | | | | — | 9 | 9 | |
| **केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत** | | | | | | | | | | |
| 9. केन्द्रीय विद्यालय—I | 7 | 1127 | | | | | 30 | 34 | 64 | |
| 10. केन्द्रीय विद्यालय—II | 8 | 981 | | | | | 15 | 17 | 32 | |
| **डी० पी० एस० शासी निकाय** | | | | | बी० एच० ई० एल० द्वारा कोई खर्च नहीं किया जाता है। | | | | | |
| 11. दिल्ली पब्लिक स्कूल | 8 | 361 | | | | | 3 | 18 | 21 | |
| **उत्तर प्रदेश सरकार** | | | | | | | | | | |
| 12. उ० प्र० राजकीय उ० मा० विद्यालय | 10 | 352 | | | | | 16 | कुछ नहीं | 16 | |
| **उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद** | | | | | | | | | | |
| 13. गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल | 8 | 1 | | | | | — | 2 | 2 | |
| 14. बेसिक प्राइमरी पाठशाला | 5 | 247 | | | | | — | 8 | 8 | |

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, रानीपुर हरिद्वार के स्कूलों की संख्या**

11034. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, रानीपुर हरिद्वार में जून, 1975 तक कितने स्कूल थे और इन स्कूलों को कौन चलाता था;

(ख) शिक्षा संस्थानों (केन्द्रीय तथा राज्य दोनों में) के कर्मचारियों को क्या वेतन मान दिये जाते हैं; और

(ग) इस समय स्कूलों की संख्या क्या है और इन्हें कौन चला रहा है और उनका आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय कौन वहन करता है तथा कर्मचारियों को क्या वेतन मान दिये जा रहे हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जून, 1975 तक रानीपुर (बी० एच० ई० एल० की बस्ती), हरिद्वार में तीन स्कूल थे तथा ये स्कूल बी० एच० ई० एल० की शिक्षा समिति द्वारा चलाये जा रहे थे ।

(ख) जून, 1975 में शिक्षा समिति द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में जो वेतनमान (संशोधन से पूर्व) लागू थे वे दो श्रेणियों में आते हैं । ब्यौरे संलग्न विवरण में बताये गये हैं ।

(ग) इस समय रानीपुर में 14 स्कूल हैं । इनमें से 8 स्कूल बी० एच० ई० एल० शिक्षा प्रबन्ध बोर्ड, जो एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, द्वारा, 2 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 2 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तथा शेष । दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी दिल्ली द्वारा चलाये जा रहे हैं। स्कूलों के अलग-अलग शासी निकाय आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करते हैं । बी० एच० ई० एल० शिक्षा प्रबन्ध बोर्ड तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी को बी० एच० ई० एल० अनुदान/राजसहायता देता है । यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवर्ती तथा अनावर्ती खर्चों की प्रतिपूर्ति भी करता है ।

स्कूलों के अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतनमान संबंधित शासी निकायों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

**विवरण**

| क्र० सं० | पद की श्रेणी | बी० एच० ई० एल० अकादमी (हायर सेकंडरी स्कूल) | विद्या मन्दिर हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल** |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रिंसिपल | 700-1100 रुपये | 400-800 रुपये |
| 2. | जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक | — | 300-600 रुपये |
| 3. | वरिष्ठ अध्यापक | 350-700 रुपये | — |
| 4. | कनिष्ठ अध्यापक ग्रेड I | 250-550 रुपये | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | हाई स्कूल कक्षाओं के लिए सहायक अध्यापक | — | 250-550 रुपये |
| 6. | कनिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II | 220-430 रुपये | — |
| 7. | 6 से 8 कक्षाओं के लिए सहायक अध्यापक (अन्य) | — | 165-350 रुपये |
| 8. | शारीरिक शिक्षा अध्यापक | 250-550 रुपये | — |
| 9. | शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक | — | 165-350 रुपये |
| 10. | प्राइमरी अध्यापक | 165-350 रुपये | 165-350 रुपये |
| 11. | नर्सरी अध्यापक | 165-350 रुपये | |
| 12. | प्रयोगशाला सहायक | 165-305 रुपये | 165-305 रुपये |
| 13. | बुक लिफ्टर | 100-130 रुपये | 100-130 रुपये |
| 1. | **गैर अध्यापन स्टाफ** | | |
| 14. | लेखपाल-सह-हेड क्लर्क | 210-475 रुपये | 210-475 रुपये |
| 15. | यू० डी० सी० | 130-300 रुपये | 130-300 रुपये |
| 16. | एल० डी० सी० | 110-180 रुपये | 110-180 रुपये |
| 17. | दफ्तरी | — | 75-95 रुपये |
| 18. | चतुर्थ श्रेणी के पूर्णकालिक कर्मचारी | 70-85 रुपये | 70-85 रुपये |

**टिप्पण :**

*केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित अर्हताओं का अनुसरण किया जाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्ध।

**हाई स्कूल तथा इंटर मीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अर्हताओं का अनुसरण किया जाता है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शिक्षा प्रबन्ध बोर्ड, हरिद्वार**

11035. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शिक्षा प्रबन्ध बोर्ड, हरिद्वार का कब गठन किया गया था और अब तक इसकी कितनी बैठक हो चुकी हैं और क्या उनमें लिए गये निर्णय क्रियान्वित किये जा चुके हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भेल, हरिद्वार के पास अपने स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक शिक्षा-विद की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है; और

(ग) भेल, हरिद्वार तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच, हरिद्वार में इन स्कूलों के चलाने के संबंध में हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शिक्षा प्रबंध बोर्ड का गठन फरवरी, 1977 में किया गया था और इसने अप्रैल, 1977 से काम करना शुरू किया। अब तक बोर्ड की पांच बैठकें हुई हैं और इसके निर्णयों को अधिकांशत: कार्यान्वित किया गया है और बाकी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) स्कूलों को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक शिक्षाविद की नियुक्ति करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) भेल, हरिद्वार और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच करार की प्रमुख बात संलग्न विवरण में दी गई हैं।

**विवरण**

(1) निर्माणाधीन स्कूल भवनों में से एक भवन दिल्ली पब्लिक स्कूल को सौंप दिया जायेगा। 1500 बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये भविष्य में विस्तार भेल के प्रबन्धकों द्वारा प्रावस्थाबद्ध तरीके से किया जायेगा।

(2) विभिन्न टाइप के 13 क्वार्टरों को रिहायशी आवास के लिये आवंटित किया जायेगा।

(3) केवल प्रथम पांच वर्षों के लिये कुल 10.91 लाख रुपये तक की राजस्व राजसहायता।

(4) स्कूल भवन, मकान, उपकरण, भूमि आदि भेल की सम्पत्ति बने रहेंगे।

(5) स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी के नियन्त्रण में होगा और इसका प्रबन्ध गवर्नरों के एक स्वशासी बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमें सामान्यत: सात सदस्य होंगे जिनमें से चार सदस्य चेयरमैन, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी के और तीन सदस्य भेल के नामित व्यक्ति होंगे।

(6) दिल्ली पब्लिक स्कूल का अखिल भारतीय स्वरूप होगा और यह केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होगा।

(7) जाति, धर्म और समुदाय के निरपेक्ष सम्पूर्ण भारत से सभी बच्चों को प्रवेश मिलेगा लेकिन निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जायेगी :—

(क) भेल, रानीपुर के कर्मचारियों के बच्चे।

(ख) सम्पूर्ण भारत से भेल के कर्मचारियों के बच्चे, जब यह स्कूल अनावासी छात्र-व-बोर्डिंग स्कूल बन जायेगा। स्कूल में अध्ययन करने के लिये निम्न आय समूहों के योग्य बच्चों की योग्यता-व-साधनों के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां दी जा सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए भेल से समृद्ध समुदाय के जरिए एक छात्रवृत्ति निधि इकट्ठी की जायेगी।

(8) भेल के कर्मचारियों के बच्चों से पहले वर्ष में 50 रुपये प्रतिमास की फीस ली जायेगी, आगामी चार वर्षों में फीस में वृद्धि करने का विकल्प होगा जो 75 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगी। अन्य लोगों के बच्चों के लिये फीस वही होगी जो

दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा ली जाती है अर्थात कक्षा के आधार पर 80 रुपये से 100 रुपये प्रतिमास तक ।

(9) स्टाफ के वेतन तथा परिलब्धियों के लिये नियमानुसार वही ढांचा होगा जैसा दिल्ली पब्लिक स्कूल में है ।

(10) यदि किसी अवस्था में भेल के प्रबन्धक यह महसूस करते हैं कि यह स्कूल संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है या पारिसर में इसका बना रहना किसी अन्य कारण से समाज के हित में नहीं होगा तो यह स्कूल के प्रबन्धकों को 6 महीने का नोटिस देकर व्यवस्था को समाप्त कर सकता है । इसी भांति यदि स्कूल के प्रबन्धक ऐसा निर्णय करें तो वे लिखित में कारण देकर 6 महीने का नोटिस देकर व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं । किसी भी पक्ष द्वारा व्यवस्था को समाप्त करने की दशा में और दोनों मैनेजमेंटों के बीच करार के अंधीन, यदि कोई हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त किए गये स्टाफ की सेवाएं उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त कर दी जायेंगी ।

(11) शिक्षा में स्कूल के वैसी ही गुणवत्ता और वैसे ही स्तर को बनाये रखने की आशा है जैसी दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल में है ।

**बंगला देश में संयुक्त उपक्रम**

11036. **श्रीमती मोहसीना किदवई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री की बंगला देश की हाल की यात्रा के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में संयुक्त उपक्रमों संबंधी योजनायें क्या प्रारूप व ढांचा लेकर जा रहे हैं;

(ख) क्या उनको उन क्षेत्रों की कोई जानकारी है जिनमें भारत के औद्योगिक विकास में बंगला देश हमारी सहायता कर सकता है; और

(ग) क्या उपरोक्त संदर्भ में वे अपनी प्रस्तावित यात्रा के संबंध में सदन को विश्वास में लेंगे ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री की बंगला देश की यात्रा के दौरान भारत तथा बंगला देश के मध्य सहयोग की जिन औद्योगिक परियोजनाओं का पता लगाया गया उनमें सीमेंट, स्पंज लोहा, यूरिया तथा इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधायें शामिल हैं । इस उद्देश्य के लिए इस बात पर सहमति थी कि केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल बंगला देश के उद्योग मंत्री के साथ विचार विमर्श करेगा । प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान मशीन टूल, कृषि-आधारित ग्रामीण उद्योगों, छोटी कपड़ा मिलों कृषि औजारों तथा अन्य लघु उद्योगों के विकास में सहयोग के प्रश्न पर भी विचार विमर्श हुआ तथा इस बात पर सहमति थी कि दोनों देशों के मध्य इन क्षेत्रों में सहयोग किया जा सकता है तथा बंगला देश के आर्थिक विकास के लिए भारत अपनी सहायता प्रदान कर सकता है । भारतीय उपक्रमों आदि के सहयोग एवम् सहभागिता के

क्षेत्र तथा रीतियों के संबंध में बंगला देश की सरकार के साथ आगामी विचार विमर्श के दौरान बातचीत होने की आशा है।

(ग) प्रधान मंत्री ने दिनांक 19 अप्रैल, 1979 को लोक सभा में अपने वक्तव्य के द्वारा सदन को अपनी बंगला देश यात्रा के परिणामों से अवगत कराया तथा औद्योगिक परियोजनाओं पर दोनों देशों के बीच सहयोग के संबंध में और विचार-विमर्श की गुंजाइश का भी उल्लेख किया है।

**स्कूटर कंपनियों द्वारा स्कूटरों का विपणन और उनको हो रहा घाटा**

11037. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक स्थित स्कूटर कारखानों को अपने स्कूटरों का विपणन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कारखाने को कितना घाटा हुआ है और इन कारखानों को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) तथा (ख) प्रत्येक एकक को हुई हानि का उल्लेख नीचे किया गया है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड | 113.99 लाख रुपये (1977 तथा 1978 के दौरान) |
| 2. | अरावली स्वचालित वाहन, अलवर | 103.16 लाख रुपये (31-12-1978 तक) |
| 3. | कर्नाटक स्कूटर्स लिमिटेड, बंगलौर | 155.00 लाख रुपये (1978 के अन्त तक) |

मुख्य कठिनाइयां स्कूटरों के उत्पादीकरण, विपणन तथा उपभोक्ताओं की मांग वृद्धि से सम्बन्धित है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है तथा देश के विभिन्न भागों में जिसके उप-लाइसेंसधारी हैं के उत्पादन में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। इन उपायों का उत्पादन वृद्धि तथा इन स्कूटरों के लिए उपभोक्ताओं की मांग वृद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है।

**वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देना**

11038. **श्री के० एस० वीर भद्रप्पा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना प्रारूप का विवरण क्या है और उसके अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वार्षिक योजना के अन्तर्गत कृषि तथा औद्योगिक विकास की दर का ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) से (ग) 1979-80 की वार्षिक योजना को तैयार करने का काम चल रहा है और यह दस्तावेज संसद के सम्मुख जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा ।

**जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी को लाइसेंस देना**

11039. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (जी० ई० सी०) को हाल ही में नयी वस्तुओं के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निगमों को विस्तार की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, हां ।

(ख) मै० जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (जी० ई० सी० कलकत्ता को पश्चिम बंगाल राज्य में गार्डन रीच, 24-परगना में उनके विद्यमान औद्योगिक उपक्रम में स्विच-गियर की निम्नलिखित नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए 22 मार्च, 1979 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है :—

| निर्माण की वस्तु | वार्षिक क्षमता (अधिकतम उपयोग के आधार पर) |
|---|---|
| 1. सर्किट ब्रेकर | |
| 15 के० वी०, 750 एम० वी० ए० | 200 नग |
| 33 के० वी०, 1000 एम० वी० ए०<br>66 के० वी०, 2500 एम० वी० ए० | 200 नग |
| 2. 11 के० वी, रिंग मेन स्विच और 800 ए० की क्षमता तक के स्विच फ्यूज यूनिट्स | 1000 नग |
| 3. 600 ए० एम० पी० 11 के० वी० तक के कान्ट्रैक्ट्स ए० सी० और डी० सी० (परम्परागत एयरब्रेक और वैक्यूम टाइप) | 5,00,000 नग |
| 4. 3000 ए० तक के एल० टी० मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स | 2500 नग |
| 5. 20 एम० वी० ए०, 132 के० वी० क्षमता तक के पावर ट्रांसफार्मरों और फ्रनेंस के लिए टैप चेंजर्स | 100 नग |

6. 11 के० वी० सिस्टम वोल्टेज त न
के पावर कैपेसिटर्स, मोटर्स आदि
के कट्रोल के लिए हाई वोल्टेज
कन्ट्रोल पेनल ५00 नग

उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेस अन्य बातों के साथ-साथ इन शर्तों के अधीन जारी किया गया है कि (1) पार्टी पांच वर्षों की अवधि के लिए अपने वार्षिक उत्पादन के 10% का निर्यात करेगी, और (2) कम्पनी उन निदेशों का पालन करेगी जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किए जायेंगे और कम्पनी में अनावासी हित को इस प्रकार के किसी भी निदेश में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए गए स्तर तक कम करेगी ।

(ग) ऊपर उल्लिखित वस्तुएं औद्योगिक नीति, 1973 के परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत आती हैं और बृहत्तर गृह और/या विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां इस प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में भाग ले सकती है ।

**परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में कथित विलंब**

11040. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
**श्री श्याम सुन्दर लाल** } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि जबकि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है, इसकी लागत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना को चालू करने का काम निर्धारित कार्यक्रम से इस कारण पिछड़ गया है कि रिऐक्टर को आरम्भ में भरने और चालू करने के लिए आवश्यक भारी पानी अभी पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाभिकीय उपस्करों के निर्माण में विलम्ब होने के कारण निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गई है जिन्हें अन्य स्रोतों से प्राप्त करना सम्भव नहीं था ।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के मूल लागत अनुमानों में 50% से भी अधिक की वृद्धि हो गयी है । इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं :— तेल संकट के कारण हुई मूल्य-वृद्धि, अतिरिक्त सुविधाएं, डिजायनों में ऐसे सुधार और संशोधन

जिन्हें परियोजना संस्वीकृत करते समय पहले से ध्यान में नहीं रखा जा सकता था तथा सीमा-शुल्क जैसे कुछ सांविधिक कर आदि ।

(ग) सरकार ने आरम्भ में आवश्यक भारी पानी की अधिकांश मात्रा प्राप्त करने की व्यवस्था पूरी कर ली है । आशा है कि भारी पानी सम्बन्धी शेष आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन तथा आयात से कर ली जाएगी ताकि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट सन् 1979 में चालू किया जा सके । जहां तक मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का सम्बन्ध है, अत्यन्त महत्वपूर्ण नाभिकीय उपस्करों को तेजी से बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । लागत मूल्य को कम से कम बढ़ने देने के लिए कठोर वित्तीय नियन्त्रण अपनाये जा रहे हैं ।

**बिड़ला के स्वामित्व वाली ओरियन्ट पेपर मिल्स के विरुद्ध जांच**

11041. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला के स्वामित्व वाली ओरिएन्ट पेपर मिल्स के मामले की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) जी हां । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मैसर्स ओरिएन्ट पेपर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० अमलाई की एक याचिका स्वीकार की है तथा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही जांच के निषेध एवं स्थगन का आदेश दिया है । केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त की गई समिति द्वारा जांच कार्य चालू रखने के लिए अनुमति लेने हेतु उक्त स्थगन आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है ।

**कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये निम्न श्रेणी के लिपिकों की नियुक्ति**

11042. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में लिखित परीक्षा तथा टाइप-राइटिंग परीक्षा के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिफारिश किए गये उम्मीदवारों की नियुक्ति में काफी विलम्ब हो जाता है क्योंकि नियुक्ति से पहले बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का है ताकि तद्वर्थ वाद को तत्काल समाप्त किया जाए और सफल उम्मीदवारों को अनावश्यकरूप से प्रतीक्षा न करना पड़े; और

(ग) उम्मीदवार को किस अधिकतम अवधि के भीतर नियुक्ति की आशा करनी चाहिए ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि लिपिक ग्रेड परीक्षा के परिणामों के आधार पर

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति में काफी विलम्ब हो जाता है। सरकारी आदेशों के अधीन, ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन, डाक्टरी जांच आदि जैसी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है और इसमें कुछ समय लग ही जाता है, लेकिन इस सम्बन्ध में भी विलम्ब को कम से कम करने के प्रयास किये जाते हैं।

(ख) मन्त्रालयों/विभागों को तदर्थ रूप से नियुक्त हुए लोगों के स्थान पर लिपिक ग्रेड परीक्षा के उम्मीदवारों को यथाशीघ्र नियुक्त करना होता है। लेकिन उम्मीदवारों को नियुक्त करने से पहले निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करना होता है।

(ग) चूंकि अलग-अलग संवर्गों मे निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रणाली भिन्न-भिन्न है, अतः ऐसी किसी विशिष्ट अवधि का बताया जाना सम्भव नहीं है, जिसके भीतर किसी उम्मीदवार को नियुक्ति की आशा करनी चाहिए।

**लघु उद्योगों को बढ़ावा**

11043. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 अप्रैल, 1979 को लोक सभा में दिए गए अपने वक्तव्य के अनुसार लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को उनका किस प्रकार अधिक बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) इस प्रकार के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग संगठित क्षेत्र के साथ किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे; और

(ग) लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :** (क) से (ग) लघु तथा कुटीर उद्योगों की वृद्धि को सम्बन्धित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे-जैसे नये उत्पादों तथा लघु क्षेत्र में निर्णय करने में समर्थ नयी प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है, लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। लघु तथा ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु विधान बनाने पर विचार किया जा रहा है। लघु तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में अतिरिक्त धनराशि देने हेतु भी कदम उठाए जा रहे है। लघु तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की ऋण विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से एक अलग से वित्तीय एजेंसी की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। सरकारी खरीद में बाजार को समर्थन प्रदान करने हेतु खरीद की अधिमानता हेतु भी विचार किया जा रहा है ? समूचे देश में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामोद्योग विकास के एक प्रमुख तंत्र के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों (डी०आर०सी०) की स्थापना की जा रही है। समस्त देश में ही फैलाव करने हेतु डी० आर० सीज की संख्या क्रमशः बढ़ायी जा रही है आशा की जाती है कि इन विभिन्न अनुभवों से बड़े संगठित क्षेत्र के मुकाबले लघु तथा ग्राम उद्योग क्षेत्र की प्रतियोगी सुदृढ़ता में बढ़ोतरी हो।

**'लिम्का' में आयातित तत्व**

11044. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लिम्का' में कुछ आयातित तत्व हैं;

(ख) क्या इन तत्वों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसंधान के क्या परिणाम निकले और क्या सरकार ने इस बारे में कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**इम्फाल में सीमा सुरक्षा बल के जवानों का गोली से मारा जाना**

11045. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के थांगल बाजार के प्रमुख विपणन केन्द्र में सीमा सुरक्षा बल के चार जवानों को गोली से मार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

26 अप्रैल, 1979 को लगभग 16-40 बजे दो सशस्त्र बदमाशों ने नजदीक से सी० सु० ब० की 73 वीं बटालियन के 4 कर्मचारियों पर जो इम्फाल में थांगल बाजार में मारवाड़ी धर्मशाला के सामने खड़ी एक जीप में बैठे थे, गोली चलाई । जीप के ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उसका शरीर बाहर लुढ़क गया । जीप में बैठे अन्य तीन व्यक्ति जख्मी हो गए । बदमाश तब कूदकर जीप में चले गये और अपने साथ सी० सु० ब० के तीन घायल कर्मचारियों को लेकर जीप को चलाकर ले गये । पुलिस के खोजी दल ने बाद में स० सु० ब० के दो कर्मचारियों के शव और कांस्टेबल जो यद्यपि गम्भीर रूप से घायल था परन्तु अभी जीवित था, बरामद किए । घायल कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया । किन्तु उसकी बाद में जख्मों के कारण रात में मृत्यु हो गई । अतः इस घटना में सी० सु० ब० के चार कर्मचारियों ने जानें गंवा दी । बदमाश एक लाइट मशीनगन के साथ एक मैगजीन और 65 रौंद, एक स्टेनगन (9 मि०मी०) और 2 रौंद, दो एस० एल० आर० राइफलों के साथ दो मैगजीन और कुछ गोला बारूद ले गये । एक एस० एल० आर० राइफल और कुछ गोला बारूद बरामद किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की खोज की जा रही है । कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

**ऊनी गलीचों का निर्यात**

11046. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स मोदी कारपेट्स लिमिटेड और मैसर्स टफरिड कारपेट्स लिमिटेड ने कितनी मात्रा में ऊनी गलीचों का निर्यात किया;

(ख) उसी अवधि में लघु एककों ने कितनी मात्रा में ऊनी गलीचों का निर्यात किया; और

(ग) उपरोक्त दो मशीन चालित एककों और लघु एककों को कितनी-कितनी मात्रा में गलीचे का यार्न सप्लाई किया गया ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**पोज्जोलाना सीमेंट का उद्योग बन्द करना**

11047 **श्री के० राम मूर्ति** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों से पोज्जोलाना सीमेंट की किस्म घटिया होने के कारण पुलों तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण में उसका उपयोग बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा पोज्जोलाना (फ्लाईएश की भांति) की 26 प्रतिशत तक उपयोग की अनुमति के कारण सीमेंट की किस्म घटिया हो गई है;

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञों के एक अन्य मंत्रालय दल ने इस सम्बन्ध में अपना एक प्रतिवेदन पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) सरकारी विभाग पुनबलिते (रिइन्डफोर्सड) कंक्रीट की वस्तुओं में पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट का प्रयोग उसकी किस्म घटिया होने के कारण नहीं बल्कि उसके सम्बन्ध में पर्याप्त इंजीनियरी आकड़ों के अभाव के कारण नहीं कर रहे हैं।

(ख) भारतीय मानक संस्था द्वारा (न कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा) उचित विशिष्टि होने पर सीमेंट का निर्माण करने में 20 प्रतिशत की मात्रा तक पोज्जलानायुक्त सामग्री (जैसे फ्लाई एश का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अतः सीमेंट की गुणवत्ता को घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**इन्डोस्विस सिंथैटिक जेम मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि०**

11048. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना तरासे सिंथैटिक हीरा 'बाउत्स' के एकाधिकारी निर्माता इन्डोस्विस

सिंथेटिक जेम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, अपनी इच्छा के अनुसार कीमतें बढ़ाते रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार देने वाले 'सिंथैटिक हीरा कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इससे कृत्रिम आभूषणों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो देश में सिंथैटिक हीरा कुटीर उद्योग की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) गत 3 वर्षों में अर्थात् 1-6-75 के पश्चात् मैसर्स इन्डोस्विस सिंथैटिक जेम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने अपने द्वारा बनाए जाने वाले 15 किस्म के हीरे के पत्थरों में से केवल डार्क-रूबी नामक एक किस्म के हीरे के मूल्य बढ़ा दिये जाने की सूचना दी है। यह वृद्धि उत्पादन की लागत अधिक हो जाने के कारण की गई है। दक्षिण भारत में सिंथैटिक हीरा कुटीर उद्योग में लगे शिल्पियों ने इस मूल्य वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन किया था।

(ख) कुछ सीमा तक देशी सिंथैटिक पत्थरों के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव कृत्रिम जेवरात के निर्यात पर भी पड़ा है।

(ग) शिल्पियों का अभ्यावेदन मिल जाने पर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने उनके प्रतिनिधियों को कम्पनी के प्रतिनिधियों तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग हस्तशिल्प बोर्ड के अधिकारियों आदि के साथ मामले पर बीतचीत करने के लिए सहमत होने के बारे में लिखा था ताकि इस समस्या का सहमत समाधान निकाला जा सके। उपयुक्त प्राधिकारियों व शिल्पियों के बीच बातचीत चल रही है।

कटे अथवा पोलिश किये गए सिंथैटिक पत्थरों के निर्यात करने पर अनगढ़ सिंथैटिक पत्थरों के आयात के लिए सरकार ने प्रति-पूर्ति दर 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी है ताकि कृत्रिम जेवरातों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

**तमिलनाडु में खोई पर आधारित कागज कारखाने की स्थापना**

11049. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने खोई पर आधारित कागज कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) उक्त कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा संयुक्त क्षेत्र में ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने मुख्यत: बगासे के आधार पर 83,000 मी० टन/वार्षिक अखबारी कागज और और 17,000 मी० टन छपाई व लिखाई के कागज का उत्पादन करने हेतु सलेम जिले में एक नए एकक की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन किया था।

इस समय प्रस्ताव है कि 50 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ यह एकक सरकारी क्षेत्र में लगाया जाए।

**आर्थिक तथा सांख्यिकीय कृत्यों वाले क्षेणी एक के पदों को प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों से भरा जाना**

11050. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा उनके विभागों और सहकारी उपक्रमों में आर्थिक तथा सांख्यिकीय कृत्यों वाले श्रेणी एक और वरिष्ठ श्रेणी एक के अनेक पदों को प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों से भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1979 तक प्रतिनियुक्ति पर आए श्रेणी एक और वरिष्ठ श्रेणी एक के ऐसे अधिकारियों का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है तथा तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि पूरी करने वाले और तीन वर्ष से कम सेवावधि वाले ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों को भरने और आर्थिक तथा सांख्यिकीय कृत्यों वाले संवर्ग बाह्य पदों के लिए भरती नियमों को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों/नियमों के पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) आर्थिक तथा सांख्यिकीय कृत्यों वाले सभी समूह 'क' पदों को भारतीय आर्थिक सेवा अथवा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के समुचित ग्रेडों में संवर्गवद्ध करने का प्रयास किया जाता है। किन्तु ऐसे अल्पकालिक पदों अथवा उन पदों को जिनके लिए विशिष्ट अनुभव अथवा ज्ञान की आवश्यकता होती है और जो सामान्यतः इन दो सेवाओं के सदस्यों के पास नहीं होते, प्रतिनियुक्ति अथवा किन्हीं अन्य तरीकों से भरे जाने की स्वीकृति दी जाती है। चूंकि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सभी पदों के लिए भर्ती नियमों का अनुमोदन अपेक्षित है, अतः इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि आर्थिक/सांख्यिकीय कृत्यों वाले ऐसे सभी पदों को जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्गवद्ध किए जाने के योग्य हैं इन सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया जाए। इक्का-दुक्का पदों के भर्ती नियम, पद के कार्य विवरण, आवश्यक अर्हता/अनुभव को उस सीमा तक जिस तक कि निम्न पदधारियों आदि को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध है, ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं।

**ऊटकामण्ड स्थित सरकार उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्स के प्रबन्धक द्वारा तालाबंदी की घोषणा**

11051. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस के कर्मचारियों द्वारा मंजूरी पुनरिक्षण तथा अन्तरिम राहत की अदायगी आदि अपनी मांगों के समर्थन में 21 अप्रैल, 1979 से

की गई अनिश्चित काल तक की हड़ताल के पश्चात् सरकारी उपक्रम के प्रबन्धकों ने 'तालाबन्दी' घोषित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत की व्यवस्था करने तथा इस प्रतिष्ठान को तुरन्त खोलने के लिए सरकार की क्या भूमिका होगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, (एच० पी० एफ०) ऊटकमण्ड के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों द्वारा 21 अप्रैल, 1979 से अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल करने व उनके उदण्ड व्यवहार को देखते हुए 23 अप्रैल, 1979 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी।

(ख) प्रबन्धकों व कर्मचारियों के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप 11 मई, 1979 से हड़ताल वापिस ले ली गई है और तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है।

**आयातित सीमेंट की घटिया किस्म**

11052. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** ; क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय आयात किया जाने वाला सीमेंट बहुत ही घटिया किस्म का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि, बहुत सी संस्थाओं ने इसे लेने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह किन-किन स्रोतों तथा कितनी मात्रा में प्राप्त किया गया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) घटिया किस्म के आधार पर आयातित सीमेंट को न लेने के बारे में किसी भी संस्था से कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**योजना आयोग के सदस्यों की विदेश यात्रा**

11053. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 और 1978 में योजना आयोग के एक या अधिक सदस्यों ने एक या अधिक देशों की यात्रा की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त यात्राएं सरकारी थी;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ङ) उपरोक्त विदेश यात्राओं के यदि कोई ठोस परिणाम और उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तो वे क्या हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) वर्ष 1977 और 1978 की अवधि में योजना आयोग के तीन सदस्य विदेश गए थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1977 और 1978 की अवधि में इन सदस्यों की विदेशों की यात्राओं का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) और (घ) प्रो० राजकृष्ण और श्री वी० शिवरामन् की यात्राएं प्रायोजक संगठनों से प्राप्त निमंत्रणों पर की गई थीं जिन्होंने उनकी विदेशों में प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के अलावा, जो भारत सरकार द्वारा दिए गए थे, उनकी यात्राओं का पूरा व्यय दिया था । इसलिए भारत सरकार द्वारा कोई यात्रा व्यय नहीं किया गया था । प्रो० राजकृष्ण की सात यात्राओं में से पांच यात्राएं और श्री शिवरामन् की दोनों यात्रायें संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों के लिए थीं । श्री वी० जी० राजाध्यक्ष की यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई थी ।

(ङ) श्री राजाध्यक्ष की यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित एक दीर्घकालिक करार के लिए बातचीत का एक चरण पूरा हो गया । वे भारतीय पक्ष के नेता थे जो भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के दीर्घकालिक कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार करने के लिए भारत-सोवियत संघ आयोग के अन्तर्गत स्थापित किया गया था । डा० राजकृष्ण और श्री शिवरामन् की यात्राएं अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में सम्मिलित होने और विचार-विमर्श में योगदान करने के लिए थीं ।

**विवरण**

| क्रम सं० | सदस्य का नाम | यात्राओं के दिनांक | यात्राओं के देश/ स्थान का नाम | सम्मेलन/ संगोष्ठी का विषय | आयोजक का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | प्रो० राजकृष्ण | 5-6 नवम्बर 1977 | श्री लंका (कोलम्बो) | दक्षिण एशिया में खाद्य और विकास | विदेश विकास परिषद् | यात्राओं पर व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया । |
| | | 7-8 नवम्बर 1977 | थाइलैंड (बैंकांक) | विकास नीति और आयोजन | ऐस्केप, संयुक्त राष्ट्र | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11-14 अप्रैल, 1978 | फिनलैंड (हेलसिंकी) | राष्ट्रपारीय नियमों का प्रभाव | यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र | ,, |
| | | 26-28 अप्रैल, 1978 | श्री लंका (कोलम्बो) | जन संख्या नीति के लिए अनुसंधान प्राथमिकताएं | जनसंख्या और विकास से सम्बन्धित समाज-विज्ञान अनुसंधान का अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा दल | ,, |
| | | 3-5 मई, 1978 | थाईलैंड (बैंकाक) | औद्योगिक नीति में नई दिशाओं से सम्बन्धित अनुसंधान | ऐस्केप, संयुक्त राष्ट्र | ,, |
| | | 25-30 जुलाई, 1978 | वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1) 1978-83 की पंच वर्षीय योजना का प्रारूप | विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र | ,, |
| | | | | 2) भारतीय खाद्य नीति | अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। | |
| | | 24-29 सितम्बर, 1978 | पेरिस और पश्चिम अफ्रीकी देश | अर्ध-शुष्क कटिबंधों के लिए टी० ए० सी० पंच वार्षिकी समीक्षा मिशन | खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र | ,, |
| 2. | श्री बी० शिवरामन् | 21-22 जून, 1977 | रोम | स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए वन उद्योग से संबन्धित खाद्य और कृषि संगठन की सलाहकार नामिका की बैठक में भाग लेने के लिए | खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र | यात्राओं पर व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5-9 सितम्बर, 1977 | बैंकाक | एशियाई और विकास संस्थान, यूनेप द्वारा संयोजित विकास और पर्यावरण से सम्बन्धित परामर्शी बैठक में भाग लेने के लिए | एशियाई विकास संस्थान/ यूनेप, संयुक्त राष्ट्र | ,, |
| 3. | श्री वी० जी० राजाध्यक्ष | जुलाई, 1978 का पहला-दूसरा सप्ताह (एक पखवाड़े के लिए) | सोवियत संघ | भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार आदान-प्रदान के लिए भारतीय शिष्ट मंडल के नेता के रूप में | विदेश मन्त्रालय | विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी जारी की गई और व्यय उनके द्वारा वहन किया गया। |

**दिल्ली में यातायात के नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन**

11054. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में सरकारी तथा गैर-सरकारी वाहनों के सभी प्रकार के ड्राइवरों तथा पैदल चलने वालों द्वारा यातायात नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण बुरी तरह बिगड़ रही स्थिति का पता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त स्थिति से राजधानी में सड़क और यातायात की हालत असुरक्षित हो रही है और असुरक्षा बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सरकार किस प्रकार सुधार कर रही है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (घ) हाल के वर्षों में वाहन तथा पैदल चलने वालों के यातायात में वृद्धि के परिणामस्वरूप यातायात नियमों और विनियमों के उल्लंघन में तेजी से वृद्धि हुई है ।

मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और स्थिति में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है :—

(1) कई प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं जैसे कुछ सड़कों पर एक तरफा यातायात, कुछ सड़कों पर भारी और मध्यम मोटर वाहन तथा मन्द गति वाले वाहनों के आने-जाने पर रोक, विभिन्न प्रकार के वाहनों आदि के लिए अधिकतम गति ।

(2) विभिन्न रैंक के 184 अतिरिक्त पद बनाकर यातायात पुलिस की संख्या में और वृद्धि की गई है ।

(3) महत्वपूर्ण चौराहों पर स्वचालित यातायात प्रकाश संकेत स्थापित करने का कार्य किया गया है ।

(4) जहां ऐसे संकेत स्थापित करने शेष हैं वहां व्यस्त समय में यातायात को हाथ संकेतों से विनियमित करने की व्यवस्था की गई है ।

(5) प्रवर्तन उपायों को दृढ़ता से लागू करके यातायात अपराधियों का प्रभावी रूप से अभियोजन किया जा रहा है इनमें यातायात अपराधों के लिए नियमित नकद रसीदों पर मौके पर नकद जमानत लेने के लिए पुलिस निरीक्षकों (यातायात) को शक्तियां प्रदान करके यातायात अपराधियों को मौके पर अभियोजित करना शामिल है ।

(6) धीमे चलने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए पथों का निर्माण करने, सड़कों पर बिजली लगाने और अच्छे यातायात विनियमन के लिए वाहन खड़े करने, की सुविधाओं के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(7) जनता को शिक्षित करने के लिए यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों पर वाद विवादों, विचार विमर्श, विचार गोष्ठियां आदि का आश्रय लिया जा रहा है ।

**उत्तर प्रदेश में उद्योगों का बन्द होना**

11055. श्री **दयाराम शाक्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत उद्योग बन्द हो गए हैं तथा कोयले से चलने वाली बहुत सी रेल गाड़ियों को उसके परिणामस्वरूप रद्द करना पड़ा;

(ख) क्या यह भी सच है कि उद्योगों के बन्द होने के कारण लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं तथा उत्पादन बन्द होने के कारण देश को करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और अब तक अनुमानत: कितनी हानि हुई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के दो सीमेंट के कारखानों ने कोयले की कमी के कारण पूर्णत: आंशिक रूप से कारखाना बन्द होने की सूचना दी थी। इस प्रकार की सूचना मिलने पर प्रभावित सीमेंट कारखानों को कोयले का शीघ्र संभरण करने, भट्टे को पुन: खुलवाने तथा अन्य संयन्त्रों को बन्द होने से बचाने के लिए कोयले का नियमित संभरण करने के लिए रेल मंत्रालय व कोयला विभाग से बातचीत की गई थी। उत्तर प्रदेश में ढली और गढी वस्तुएँ, टायरों व ट्यूबों तथा आर्गेनिक रसायनों का उत्पादन करने वाले तीन एककों को भी सूचना दी है कि उसे अपने प्रायोजित कोटे के बदले पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल रहा है। पार्टियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु रेल मंत्रालय व कोयला विभाग से मामलें पर बातचीत की गयी थी। यह सच नहीं है कि कोयला न मिलने के कारण कोयले से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं और न ही कोई ऐसी कोई जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगो के बन्द हो जाने के फलस्वरूप लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

**संसद सदस्यों के पत्रों का जिला अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया जाना**

11056. श्री **दयाराम शाक्य** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखने का है कि वे संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्रों का उत्तर देने के लिए राज्यों के जिला अधिकारियों को निर्देश दें, और

(ख) क्या जिला अधिकारी संसद सदस्यों के पत्रों का न तो कोई उत्तर देते हैं और न उन पर कोई कार्यवाही करते हैं जिसके परिणामस्वरूप संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में कोई प्रगति नहीं होती है ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रायय में राज्य मंत्री (श्री एम० डी० पाटिल)**: (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुदेश

जारी कर दिए हैं। अपने सरकारी कर्मचारियों को अनुदेश जारी करना और इस बात की जांच करना कि क्या ऐसे अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, राज्य सरकारों का काम है।

**भरे हुए कारतूसों का आयात**

11057. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरे हुए कारतूसों की देश में भारी माँग के बावजूद इनके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भरे हुए कारतूसों के आयात के लिए नए लाइसेंस देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिंह आर्म्स, गाजीपुर तथा मेहरा सिंह एण्ड सन्स, जम्मू तथा कश्मीर को भरे हुए कारतूसों के आयात के लिए किस कारण से लाइसेंस दिए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री घनिकलाल मण्डल)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

भारत सरकार ने सिद्धांतरूप से गोलाबारूद जिसकी नागरिकों को आवश्यकता है और जिसका उत्पादन देश में निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में किया जा रहा कि आयात की अनुमति न देने का निर्णय किया है। सरकार उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है।

2. जम्मू के मेसर्स मेहरा सिंह एंड सन्स और गाजीपुर के सिंह आर्स को भरे हुए कारतूसों को आयात करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। किन्तु उनको क्रमश: अधिक से अधिक 1,65,000 और 20,000 भरे हुए कारतूसों का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है।

3. शस्त्रों और बारूद का कुल आयात जिसकी नागरिकों को आवश्यकता है 1978-79 से राज्य व्यापार निगम की ऐजेन्सी द्वारा किया जाता है।

**महरोली के निकट विस्फोट**

11058. **श्री दयाराम शाक्य**
**श्री भगत राम :**
**श्री गंगा भक्त सिंह** } :क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में महरोली के निकट एक गांव में की जा रही खुदाई के दौरान मिले एक पचास वर्ष पुराने बम के विस्फोट के कारण हुई पांच व्यक्तियों की मौत के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) मृतकों के परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल)** : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। दक्षिणी जिले के अतिरिक्त डी. सी. पी. द्वारा की गई जाँच में यह बताया गया है कि निर्माण कार्यों के लगे हुए मजदूरों द्वारा जंग लगे और पुराने फौजी बम को लापरवाही संभालने के कारण इसके फट जाने से एक घटना घटी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 314 और भारतीय दण्ड संहिता 304क के अधीन पुलिस स्टेशन महरोली में तारीख 20-2-1979 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 73 भी दर्ज किया गया था। मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) मृतकों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

**भारतीय तम्बाकू निगम द्वारा अधिक उत्पादन**

11059. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तम्बाकू निगम द्वारा अपनी अनुमोदित लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किये जाने के प्रश्न पर विचार किया है :

(ख) क्या इसे एक अपराध माना जाता है, और

(ग) यदि हाँ, तो निगम को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** :(क) से (ग) मैसर्स इंडिया टोबैको कम्पनी (न कि इण्डियन टुबको कोरपोरेशन) जैसे अब आई. टी. सी. लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसके पास सिगरेट बनाने का पंजीकरण प्रमाणपत्र है उसका उत्पादन स्तर स्वीकृत क्षमता की सीमा में है।

**बड़े गृहों में पारिवारिक आधिपत्य**

11060. **श्री दलपत सिंह परस्ते** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों की व्यवस्था में पारिवारिक आधिपत्य समाप्त करने के लिए एक योजना बनाने के बारे में निर्णय किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) योजना में सम्मिलित औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री** : **(श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** (क) उद्योग मंत्री ने अपने कुछ भाषणों में बड़े घरानों के पारिवारिक स्वामित्व को विकेन्द्रीकृत करने तथा इन ग्रुपों में व्यवसायविद प्रबन्ध समिति बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। कलकत्ता में 24 अप्रैल,

1978 को हुए प्रेस सम्मेलन में उन्होंने बताया था कि वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के उत्तर और शायद प्रस्ताव भी प्रतीक्षित है। इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**रेफ्रिजरेटर का मूल्य कम करना**

1106. **श्री के. मालन्ना**
**श्री सरत कार** } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष खराब हो सकने वाले खाद्य पदार्थ बेकार चले जाने के बारे में कोई अनुमान लगाया है या कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य आकार वाले रेफ्रिजरेटर के मूल्य को कम करने के प्रयास किये गए हैं जिससे उसको आदमी खरीद सके ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) हाल ही में खराब हो सकने वाले खाद्य पदार्थों के प्रतिवर्ष नष्ट होने के बारे में कोई अनुमान अथवा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विनियमों की अधिकता**

11062. **श्री पी० ए० संगमा**
**श्री नटवरलाल बी० परमार** } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान द्वारा तैयार किये गए अध्ययन के अनुसार विनियमों की अधिकता, अनेक विनियमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक ढांचा और यहां तक कि द्वितीय महायुद्ध की प्रक्रिया सम्बन्धी विरासत अर्थव्यवस्था तथा करदाता को वार्षिक 1575 करोड़ रुपये पड़ती है,

(ख) सरकार का विचार सरकार की अनुमति और अनुमोदित प्राप्त करने के लिए और अनेक उत्पादों के निर्णय और वितरण के लिए नियमों में सुधार करने और उससे व्यय में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिये विनियमों तथा प्रक्रियाओं को समाप्त करने अथवा सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है, और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) सरकार ने "सरकारी विनियमन की लागत" पर बिड़ला वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान द्वारा तैयार किये गए प्रतिवेदन को देखा है।

(ख) और (ग) सरकार मूल्यों, उत्पादन वितरण, लाइसेंस एवं आयातों पर नियन्त्रण की प्रणाली का मूल्यांकन तथा उन्हें वास्तक में किस ढंग से चलाया गया है इसकी जांच करने

तथा यह देखने के लिए कि क्या प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य वस्तुतः कर लिए गये हैं; एक समिति की स्थापना कर चुकी है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

**आस्ट्रिया और भारत के बीच सहयोग**

11063. **श्री युवराज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रिया के बीच उद्योगों में सहयोग के अवसर और बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या आस्ट्रिया ने त्रिवेणी एट्रक्चर्स में, जिसमें भारत सरकार ने 51 प्रतिशत पूंजी निवेश की है और आस्ट्रिया का 49 प्रतिशत शेयर है, एक करोड़ रुपये की और पूंजी निवेश करने का निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दिया जायेगा और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) से (ग) गत दिसम्बर में आस्ट्रिया के साथ मंत्रिस्तरीय बात-चीत के दौरान औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्र के व्यापक आपसी हितों पर बातचीत हुई थी।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड जिसका आस्ट्रिया की मै० वोएस्ट एल्पाइन के साथ सहयोग है, के विस्तार एवं विवधीकरण पर भी बातचीत हुई थी। आस्ट्रिया की ओर से अपनी इक्विटी में वृद्धि करने में रुचि प्रकट की गई बशर्ते कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड कुछ क्षेत्रों में क्रयादेश हासिल करें। प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये दोषयुक्त पावर जेनेरेटर**

11064. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 अप्रैल, 1979 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' के कलापों की ओर दिलाया गया है जिनमें "बी० एच० ई० एल० इनएक्सपीरीयन्स बदरपुरस हैडिक" शीर्षक के अन्तर्गत यह बताया गया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा डिजायन किये गये तथा बनाये गये पावर जेनेरेटर तथा बायलर संचालन दक्षता के हिसाब से अच्छे नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस गम्भीर मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अन्य मुख्य विद्युत परियोजनाओं में जहां पर बी० एच० ई० एल० की मशीन लगाई गई है, ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है ; और

(ड़) इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** (क) जी, हां।

(ख) प्रसंगाधीन उपकरणों की मदों का सम्बन्ध बी. एच. ई. एल. द्वारा 1970 के आरम्भ में सप्लाई की गई मदों से है। इनके डिजाइन में कुछ खराबियां थीं किन्तु इनमें कुछ सुधार किये गये थे तथा अप्रैल, 1978 से दिसम्बर, 1979 के दौरान बी. एच. ई. एल. के उपकरणों की उपलब्धता 81% थी जो कि असंतोषजनक नहीं समझी जा सकती।

(ग) से (घ) तथा (ङ) पूर्व डिजाइनों के अनुसार अन्य स्थानों पर सप्लाई किये गये उपकरणों के बारे में भी कुछ शिकायतें हुई हैं तथा इन क्षेत्रों में भी या तो सुधार किए जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। बायलर तथा कुछ सहायक सामान जो कि कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं नये सहयोग द्वारा प्रौद्योगिकी के अद्यतन द्वारा बदले जा सके हैं तथा अब इस समय निर्मित और सप्लाई किये गये उत्पाद बढ़िया ढंग से काम कर रहै हैं।

**शासकीय गुप्त बात अधिनियम के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन**

11065. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने सरकारी गुप्तवार्ता अधिनियम के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रन्लय में राज्य मन्त्री : (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) और (ख) विधि आयोग की 43वीं रिपोर्ट में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अपराधों कीं कार्यवाही से सम्बन्धित हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य कानूनों के अतिरिक्त सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923 के उपबंधों पर भी ध्यान दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट 9 मई, 1972 को सदन के पटल पर रखी गई थी।

(ग) सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923 और इस अधिनियम के संदर्भ में विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

**दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के विरुद्ध जांच**

11066. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने दिल्ली लघु उद्योग निगम के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं, कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) तथा (ख) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध के आरोपों के सभी उपकरणों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। किन्तु कुछ प्रकरणों में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से प्रारम्भिक जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। और एक प्रकरण के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भी अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इन प्रकरणों में अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

**मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण केन्द्र**

11067. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने कल्याण केन्द्र हैं ;

(ख) राज्य के गुना मुरैना और भिंड में ऐसे कितने केन्द्र हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन केन्द्रों को विशेषकर गुना और मुरैना जिलों में, विस्तार करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)**: (क) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनु० जाति/अनु० जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण केन्द्रों के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**लघु उद्योग बोर्ड में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व में कमी**

11068. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग बोर्ड में गैर सरकारी प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करने के क्या कारण हैं;

(ख) बोर्ड की हाल की बैठक में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किसी गैर-सरकारी सदस्य को न बुलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बोर्ड की गत दो वर्षों में कितनी बैठकें हुई हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) लघु उद्योग बोर्ड में गैर सरकारी प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत नहीं किया गया है। बोर्ड में

55 सदस्यों में से 15 सदस्य गैर सरकारी है जिसमें 4 संसद सदस्य भी शामिल हैं। अत: यह 28 प्रतिशत बैठता है।

(ख) चूंकि नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के निदेशक मंडल में कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं है अत: लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में गैर सरकारी निदेशक को आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केवल एक।

**कोका कोला और फैंटा बनाने वालों द्वारा जमानत की राशि के लिया जाना**

110690. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला और फैंटा निर्माता बिक्री हेतु कोका कोला और फैंटा के क्रेट सप्लाई करने के लिए खुदरा व्यापारियों से जमानत जमाराशि लिया करते थे, यदि हां, तो उनके पास अब ऐसी कितनी जमा राशियाँ हैं;

(ख) क्या खुदरा विक्रेताओं के करोड़ों रुपये इन निर्माताओं पर देय हैं यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स प्योर ड्रिक्स प्राइवे लिमिटेड, नई दिल्ली पर व्यापारियों का लगभग 2 करोड़ रुपये देय हैं जिन्हें वह लौटाने से इन्कार कर रहे हैं और व्यापारियों पर उनके नये पेय जैसे 'कैम्पा', 'कम्पा कोला' बेचने का जोर दे रहे हैं ताकि पिछली जमाराशि का नये पेय की सप्लाई के विरुद्ध समायोजन किया जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कार्यवाही की है कि शीतल पेय के यह उधार देने वाले लोग गरीब परचून विक्रेताओं से समूचे देश में ली गई जमानत जमाराशि को उन्हें वापस करें ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख) कोका-कोला व फैंटा के उत्पादन तथा बोतल भरने वाले कोकाकोला व फैंटा की बिक्री हेतु का संभरण करने पर खुदरा व्यापारियों से जमानत की जमा राशि लेते थे यह सूचना मिली है इस जमा राशि के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**ब्लाक लेवल रोजगार प्रधान कार्य क्रम**

11070. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(व) क्या देश में ब्लाक लेवल रोजगार प्रधान प्रयोगात्मक कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान)** : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1978-83) में 10 वर्ष की अवधि में बेरोजगारी और पर्याप्त अल्प-रोजगार को दूर करने के लिए कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति के रूप में पूर्ण रोजगार के लिये क्षेत्र आयोजन की परिकल्पना की गई है। लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और नियंत्रण विकास जैसे चल रहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाविष्ट लगभग 3,000 खंडों में से 2,000 खंडों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इनमें से हरेक खंड को पूर्ण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले परिव्यय के अलावा विशेष सहायता भी दी जाती है। 1978-83 की अवधि में हर वर्ष इसी प्रकार के विकास के लिये 300 अतिरिक्त खंडों का समावेश करके इस कार्यक्रम का क्रमशः विस्तार किया जाएगा।

**खाद्य तथा बीज आदि के परिक्षण के लिए रेडियेशन प्रक्रिया**

11071. **प्रो० समर गुह** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने खाद्य, विभिन्न बीजों आदि की सुधरी हुई किस्मों के लिये रेडियेशन की विभिन्न प्रक्रिया विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या स्वास्थ्य विभाग ने उपरोक्त प्रयोजन के लिये रेडियेशन प्रक्रिया के उपयोग पर अभी तक स्वीकृति नही दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह)** : (क) तथा (ख) विभिन्न प्रकार के खाद्य-पदार्थों को उनकी फसल की कटाई के बाद परिरक्षित रखने की व्यवहार्य विधियां विकसित की गई हैं। वे विधियां निम्नलिखित हैं :—(1) गेहूँ को रोगाणु रहित बनाना, (2) आलू और प्याज को अंकुरित न होने देना; (3) समुद्र से मिलने वाली खाद्य वस्तुओं को ज्यादा समय तक ताजा बनाये रखना; तथा (4) फलों को देरी से पकने देना।

मूंगफली, सरसों, तिल, धान, अरहर, मूंग, जूट, और गन्ने के बीजों को विकिरण से प्रभावित करके बेहत्तर फसल देने वाले पौधों की बहुत-सी किस्में विकसित की गई। मूंगफली की दो किस्में बुआई के लिए दी भी जा चुकी है तथा अन्य किस्में विभिन्न स्तरों पर परीक्षणाधीन हैं।

(ग) तथा (घ) स्वाथ्य मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि वह गेहूँ और आलू के परिरक्षण में विकिरण के उपयोग की अनुमति स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की दृष्टि से प्रदान करे। अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

**अर्थशास्त्र, समाज-विज्ञान में अनुसंधान करने और योजनाएं तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति**

11072. श्री **गंगा भक्त सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान आदि में अनुसंधान करने के लिये मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है और समिति सरकार को स्वतंत्र सलाह देती है और योजनाएं भी तैयार करती है;

(क) यदि हां, तो क्या समिति में अपने क्षेत्र का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को शामिल करने की बजाए अनुभवहीन आई० ए० एस० अधिकारियों को शामिल किया गया है;

(ग) यदि हाँ तो 31 मार्च, 1979 को ऐसें अधिकारियों की संख्या कितनी थी और उनमें से कितने अधिकारियों को अनुभव प्राप्त था तथा कितने आई० ए० एस० अधिकारी थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन पदों पर विभागीय अनुभवी अधिकारी नियुक्त करने का है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री **फजलुर्रहमान**) : (क) जी, नहीं। तथापि योजना आयोग ऐसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से सम्बन्धित अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करता है और उनकी वित-व्यवस्था करता है जिनका योजना के निर्माण और कार्यान्वथन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। ऐसे अनुसंधान अध्ययन प्रतिष्ठित विद्वानों और अनुसंधान संस्थाओं को सौंपे जाते हैं। योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में, जो बजट सत्र में संसद सदस्यों को परिचालित की जाती हैं, आयोग द्वारा अनुमोदित अध्ययनों के बारे में सूचना दी जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

**विभिन्न राज्यों को वार्षिक योजनाओं में वृद्धि**

11073. श्री **गंगा भक्त सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों और वर्ष 1978-79 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना में वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना की तुलना में 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मामूली वृद्धि के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है और वार्षिक योजना का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री**फजलुर्रहमान**) : (क) और (ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुमोदित योजना परिव्ययों में समग्र रूप में 1978-79 के लिये योजना परिव्ययों से लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। तथापि 1978-79 के लिये परिव्ययों में

व्यय के लगभग 829 करोड़ रु० को 1979-80 में योजनेतर किकास परिव्य के रूप में वर्गीकृत 'आश्वासन दिए गए व्यय' के रूप में माना जा रहा है। इस आश्वासन दिये गये व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, 1979-80 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकासात्मक प्रकार के सह-मत परिव्ययों में पिछले वर्ष से 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है।

**श्री लालू प्रसाद** (छपरा) : अध्यक्ष जी, बिहार के खगरिया मंडल के छिलकौरी गांव में हरिजनों के घर जला दिये गये हैं—यह खबर अखबार में छपी है। इस पर काल-एन्टेशन भी दिया गया था···(**व्यवधान**)

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने कल काल-एटेन्शन दिया है—बिहार के खगरिया मंडल के अन्तर्गत अलौली प्रखण्ड के छिलकौरी गांव को, जहां सब हरिजन आबादी थी, पूरे गांव को जला दिया गया है···(**व्यवधान**(

**अध्यक्ष महोदय** : शांति रखिए। मैं खड़ा हुआ हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—देरी से प्राप्त हुआ।

**श्री मोहन लाल पिपिल** (खुर्जा) : सारे गांव को तबाह कर दिया गया है, यह पासवान जी की जन्मभूमि है···

**श्री विनायक प्रसाद** (सहरसा) : हमने कल ही काल-एटेन्शन दिया था···

**श्री लालू प्रसाद** : ये मंत्री महोदय जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां सारे हरिजनों के घर जला दिये गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको नियमों को पालन करना चाहिये। हमारे नियमों के अनुसार 10 बजे के पश्चात जो कुछ किया जाता है वह आज नहीं लिया जा सकता। इस पर कल या परसों विचार किया जा सकता है।

**श्री सौगत राय** : अब तो 7.30 बजे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, आप ठीक कहते हैं, मुझे पता है आप कुछ समय से अनुपस्थित थे।

**श्री चन्द्र शेखर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, 12 अप्रैल के करेन्ट में छपा है···।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है। मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाय। (**व्यवधान**) × ×

**श्री चन्द्र शेखर सिंह** : मैंने कल 10 बजे के पहले नोटिस दिया था और यह निवेदन किया था···

× × कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप सूचना देते हैं यदि यह नियमानुसार है तो इस पर विचार किया जायेगा। कोई सूचना नहीं की गई मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**) ××

---

## विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : पुणे में वसंत व्याख्यानमाला के तत्वाधान में इस महीने की 12 तारीख को मेरे भाषण के विरुद्ध माननीय सदस्य श्री पी. एम. सईद ने नियम 222 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। श्री मोहम्मद शफी कुरेशी ने भी मुझे इस बारे में एक पत्र लिखा है। मेरे भाषण का विषय था "हमारे संविधान के अन्तर्गत विधानमंडलों की भूमिका"। नोटिस का आधार 4 मई, 1979 के 'सइमन आफ इन्डिया' में प्रकाशित भाषण है।

अपने ही मामले में निर्णायक होना बड़ी परेशानी की बात है। परन्तु नियमों के विश्लेषण तथा पूर्वोदाहरणों पर विचार करने से मेरे लिए अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता।

वर्तमान नियमों के अनुसार अध्यक्ष के विरुद्ध नियम 222 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाना संभव प्रतीत नहीं होता है। संसद का मत सुस्थापित प्रक्रिया है कि "अध्यक्ष के कार्य और आचरण को वाद विवाद में अथवा मूल प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में आलोचना नहीं की जा सकतीं।

परन्तु फिर भी 'टाइम्स आफ इन्डिया' में प्रकाशित मेरे भाषण से यदि कोई गलत विचार बना है तो उसे दूर करने के लिए मैं सही तथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा भाषण एक घन्टे से अधिक तक चला। इसमें बहुत से विषयों पर विचार रखे गए। समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह अपूर्ण है परन्तु संवाददाता इधर-उधर से विचार ले लिये है और मेरे विचारों को देने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया है। इससे कुछ गलतफहमी हुई है।

राज्य सभा के सदस्य श्री विट्ठलराव गाडगिल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अपनी परिचायक-टिप्पणी में कुछ मामले बनाए और उनके विषय में बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उनके द्वारा दिये गए दो मामले निम्नलिखित थे :

(एक) वर्तमान विधायी प्रक्रिया तथा उसमें परिवर्तनों की आवश्यकता।

(दो) क्या संसद कार्यपालिका के कार्य पर प्रभावीरूप से नियंत्रण रखती है।

मैंने संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विधायी क्षेत्रों का ब्यौरा दिया और उनसे संबंधित कार्यपालिका के कार्य बताये। मैंने यह विचार व्यक्त किया कि यदि संसद का प्रभावी ढंग से कार्य चाहते हैं और संसद सदस्यों का कार्यपालिका पर नियंत्रण चाहते हैं तो संसद का विधायी भार कम होना चाहिए। मैंने सुझाव दिया कि जो विषय-राज्य विधानमंडल के दायित्व में

---

×× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आते हैं उन पर चर्चा राज्य विधानमंडलों में ही होनी चाहिए। मैंने कहा कि कानून और व्यवस्था मूलत: राज्य का विषय है। केन्द्र का दायित्व राज्य के बाद का है। जब संसद में ऐसे विषय पर चर्चा होती है तब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार का ही दृष्टिकोण सामने रखती है। जब ऐसा है तब कानून और व्यवस्था के मामले चाहे जितने भी गम्भीर हों उन पर राज्य विधान मंडलों में ही चर्चा होना वांछनीय है। मेरे प्रति दृष्टिकोण सदैव रहा है और इस समस्या पर मैंने विभिन्न दलों, ग्रुपों के नेताओं के साथ बातचीत भी की है। कुछ सदस्यों का अलग विचार हो सकता है। परन्तु मेरे विचार की अभिव्यक्ति सदन के अथवा किसी सदस्य के विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं बन सकती। इन सभी मामलों में मतभेद हो सकता है।

इसके पश्चात्, विधान के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के प्रति असन्तोष प्रकट किया और समिति प्रणाली की सिफारिश की। मैंने कहा कि विधान के बारे में विचार किया जाता है और विधेयक सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। विधान में निहित नीति पर मन्त्रि-मण्डल में चर्चा होती है परन्तु इस बात की सम्भावना है कि मन्त्रिमण्डल विधान के विस्तार में नहीं जाता जो कि कभी-कभी नीति के समान ही महत्वपूर्ण होता है। सदन में तीन बाद की प्रणाली की भी मैंने आलोचना की। विधेयक पर वाद-विवाद के बारे में मैंने कहा कि सदस्य कुछ विषयों में रुचि रखते हैं, सभी में नहीं। प्रत्येक विषय की वस्तुस्थिति को जानना सदस्यों के लिए सम्भव नहीं है। अत: सदन के अधिकांश सदस्य विधानों में रुचि नहीं लेते। संसदीय प्रणाली वाले सभी देशों में ऐसा ही होता है। ऐसी स्थिति में सरकार बिना किसी कठिनाई के विधेयक पास करा लेती है। दूसरी ओर यदि प्रत्येक विधेयक सदन की समिति को, जिसमें विधान में रुचि रखने वाले सदस्य होंगे जो विषय का विशेष ज्ञान रखते हैं, तब विधान के बारे में ठीक प्रकार से विचार किया जा सकेगा और सरकार को विधेयक में निहित नीति को ही नहीं अपितु विभिन्न पहलुओं को न्यायोचित सिद्ध करना होगा। मैंने यही नहीं कहा कि इस समय संसद सदस्य सरकार द्वारा लाये जाने वाले विधानों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जैसाकि टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। मैंने तो यह बात कही है कि कुछ सदस्य प्रश्नों में रुचि रखते हैं, कुछ समितियों में और बहुत से विभिन्न विषयों में। मेरी आलोचना संसद अथवा उसके सदस्यों की आलोचना नहीं थी अपितु इस देश में ही नहीं, ब्रिटेन सहित बहुत से देशों में चल रही वर्तमान प्रणाली की आलोचना थी। अत: मैंने उन देशों का भी उल्लेख किया। मैं इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं देता हूँ।

**श्री पी० एम० सईद** (लक्षद्वीप) : आपने इस मामले में जो व्यवस्था की है उससे मेरा कोई विवाद नहीं है। आप कहते हैं कि आपने वह वाक्य नहीं बोला जो मैंने अपने पत्र में उदधृत किया है। यदि ऐसा है तो मुझे टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादक के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय**: यह एक छोटी सी बात है।

**श्री पी० एम० सईद** : मैंने जो वाक्य उदधृत किया है वह इस प्रकार है :

"इस समय संसद सदस्य उनके समक्ष सरकार द्वारा लाये गये विधान का अर्थ नहीं समझ पाते जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रिमण्डल कोई भी दोषपूर्ण विधेयक पारित करा लेता है।"

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने सारांश दिया है । उन्होंने मेरे शब्द उदधृत नहीं किये हैं ।

**श्री पी० एम० सईद** : यह आपके विरुद्ध नहीं है, तब यह 'टाइम्स आफ इण्डिया' के विरुद्ध होना चाहिए और आपको अनुमति देनी चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य ने, राज्य सभा और बैंकिंग विभाग में भूतपूर्व राज्यमन्त्री श्री प्रणब कुमार मुखर्जी द्वारा (छटी लोक सभा) लोक सभा की लोक लेखा समिति के 123वें प्रतिवेदन के पैरा 207 में की गयी सिफारिश के संदर्भ में आय तथा धन की स्वैच्छिक घोषणा के बारे में 19-1-76 को दिये गए गुमराह करने वाले कथित वक्तव्य के बारे में एक विक्षेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है ।

सभा को स्मरण होगा कि 23 अप्रैल, 1979 को श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य के विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्व और बैंकिंग विभाग के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री प्रणब कुमार मुखर्जी ने लोक सभा में 19 जनवरी, 1976 को आय और धन की स्वैच्छिक घोषणा विधेयक पर बोलते हुए यह भी कहा था कि स्वैच्छिक घोषणा की योजना अत्यन्त सफल हुई है और कहा कि उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 2, 42, 400 व्यक्तियों ने 741.24 करोड़ रुपये की कुल आय घोषित की है। श्री बसु ने लोक सभा में 4 अप्रैल, 1979 को प्रस्तुत किये गये लोक लेखा समिति के 123वें प्रतिवेदन के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि श्री प्रणब कुमार मुखर्जी का यह वक्तव्य गलत था और यह सदन के विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है ।

तब मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि सदन को दी गई जानकारी पूर्णतया गलत थी । प्रश्न यह है कि क्या सदन को जानबूझकर गुमराह किया गया ? यदि ऐसा है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में अविलम्ब जांच कराने का निर्देश देगी । मैंने इस विचार से कि जांच शीघ्र कराई जायेगी यह विचार भी रखा था कि जब तक जाँच का परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता मैं मामले को अनिर्णीत रखूंगा ।

इस बीच वित्त मंत्रालय से मुझे एक विस्तृत टिप्पण प्राप्त हो गया है जो उपप्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री की स्वीकृति से भेजा गया है ।

वित्तमंत्रालय ने अपने टिप्पण में उन परिस्थितियों तथा ढंग को बताने के पश्चात जिसमें कि श्री प्रणबकुमार मुखर्जी ने 19 जनवरी, 1976 को लोकसभा में स्वैच्छिक घोषणा के आंकड़े दिए थे यह निष्कर्ष दिया है कि 812.11 करोड़ रुपए की राशि के आँकड़े अध्यादेश की धारा 15 (1) के अधीन घोषणाओं में विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए घोषित धन परिसम्पत्ति मूल्य को जोड़कर निकाले गए थे । वित्त मंत्रालय ने आगे कहा है कि लोक लेखा समिति के 123वें प्रतिवेदन में पैरा 207 में समिति के मामले की स्वतन्त्र जांच कराने की सिफारिश की है और कहा है कि सरकार इस सिफारिश पर कार्यवाही करेगी और इसके परिणाम शीघ्र ही लोकलेखा समिति को भेजेंगे । उस प्रतिवेदन में गलत जानकारी देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया ।

वित्त मंत्रालय द्वारा बतायी गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य की दृष्टि से कि श्री प्रणव कुमार मुखर्जी राज्य सभा के सदस्य हैं जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत लोक सभा तथा राज्यासभा की विशेषाधिकार समितियों की

संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यासभा में ही विचार किया जा सकता है मैं मामले को राज्यसभा के सभापति को भेजता हूं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कहा गया है :

"समिति इस संदेह को दूर नहीं कर सकती कि योजना उपलब्धियां बढ़ाचढ़ाकर बताने का चार बार जानबूझकर प्रयास किया गया तथा इस प्रकार संसद को तथा लोगों को गुमराह किया गया समिति ने सिफारिश की... ..."

अब मैं लोकसभा तथा काउन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्यों की समिति की संयुक्त बैठक के वर्ष 1954 के प्रतिवेदन पर आता हूं :

"मैं लोकसभा तथा काउन्सिल आफ स्टेट्स की विशेषाधिकार समितियों की बैठक के चेयरमेन के रूप में जिसे उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ... ..."

(2) लोकसभा में श्री एन. सी. चटर्जी द्वारा उठाए गये विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में अध्यक्ष ने 14 मई 1954 को सदन में यह विचार व्यक्त किया.....

**अध्यक्ष महोदय** : वह भाग आवश्यक नहीं है आप सिफारिश पर आइये।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उन्होंने स्पष्ट कहा है कि :

"सदन के सदस्य द्वारा किया गया है। श्री प्रणब कुमार मुखर्जी ने एक मंत्री के रूप में सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है राज्य सभा के सदस्य के रूप में नहीं। मंत्री ने ये बातें लोक सभा में कही हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं अपितु मंत्री के रूप में। अत: मुझे खेद है कि आपकी व्यवस्था इस पर लागू नहीं होती। मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि

"समिति ने विचार किया कि ब्रिटिश प्रक्रिया ....."

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ब्रिटिश प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया है ... ...

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कृपया दो मिनट का समय दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके दो मिनट पूरे हो चुके हैं। और समय देने में मुझे कोई औचित्य नहीं दीख पडता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कृपया मेरी बात सुनिये। संसद की इस प्रकार अवहेलना न कीजिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आप मुझे दूसरे मंत्री महोदय को अन्तर्ग्रस्त करने के लिये विवश कर रहे हैं जो इस सदन के सदस्य हैं।

**अध्यक्ष महोदय**: यह मेरे सामने नहीं है।

**श्री ज्य तिर्मय बसु** : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर फिर से विचार करें।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस बारे में सावधानी पूर्वक विचार किया है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे दो बार पढ़ा है।

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली की समीक्षा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर का वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि आदि**

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्नासिंह गुलशन)** : मैं डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ । :

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4475/79]

(3) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4476/79]

(ख) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई का वर्ष 1977-78 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4477/79]

**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, पटसन (लाइसेंस देना और नियन्त्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा**

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 मई 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 241 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4478/79]

(2) पटसन (लाइसेंस देना और नियन्त्रण) आदेश 1961 के अन्तर्गत 1979-80 के मौसम में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न किस्मों और श्रेणियों के पटसन और मिस्टा के न्यूनतम क्रय और विक्रय मूल्यों सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सा० आ० 260 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4479/79]

(3) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बम्बई के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। तथा सांख्यिकीय विवरण।

(दो) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4480/79]

**भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन आदि आदि**

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : मैं श्रीमती आभा माइति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति।

(एक) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त पत्र सभापटल पर रखने में हुए बिलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4481/79]

**गृह मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के 1 अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग को सलाह न माने जाने के कारण बताने वाले ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4482/79]

---

## सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

### कार्यवाही सारांश

**श्री डी० अमात** (सुन्दरगढ़) : मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 4 अप्रैल और 10 मई, 1979 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

---

## राज्य सभा से सन्देश

**सचिव**: मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित जानकारी देना है :

(1) मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निर्देश मिला है कि बुधवार 6 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में राज्यसभा ने लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"कि यह सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोकसभा की लोक-लेखा समिति 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सहयोजित करने हेतु राज्यसभा सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हुई और उक्त समिति में सभापति द्वारा निर्देशित ढंग से इस सभा के सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करती है ।"

(2) मुझे लोकसभा को आगे यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

(1) श्री एम० आनन्द
(2) श्री सीताराम केसरी
(3) डा० भाई महावीर
(4) श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय
(5) श्री कल्पनाथ राय
(6) श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी
(7) श्री ज्ञानचन्द घई

(1) मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि बुधवार, 9 मई 1979 को हुई अपनी बैठक में राज्यसभा ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा अनुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी दोनों सदनों की समिति में 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सम्मिलित होती है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा सभा के सदस्यों में से उक्त समिति के लिए दस सदस्य निर्वाचित करती है।"

(2) मुझे लोकसभा को आगे यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिए राज्यसभा के निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

(1) श्री गणपति हीरालाल भगत

(2) श्री भगवानदीन

(3) श्री एन० पी० चौधरी

(4) श्री सूरीमन प्रफुल्ल गोस्वामी

(5) श्रीमती जमुना देवी

(6) श्री एस० कुमारन

(7) श्री के० के० माधवन

(8) श्री के० चढुन्नी मास्टर

(9) डा० (श्रीमती) साथीवानी मुत्तु

(10) श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब

(iii) मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि बुधवार, 9 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में राज्यसभा ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"कि यह सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्यसभा लोकसभा को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल, 1980 से समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सहयोजित करने के लिये सात सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हुई है और उक्त समिति के लिये सभापति द्वारा निर्देशित ढंग से सदस्य निर्वाचित करती है।

2. मुझे लोकसभा को आगे यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिये राज्यभा के निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

(1) श्री सदाशिव बगाईतकर
(2) श्री हरीसिंह भागुभव मतीड़ा
(3) श्री के. एन. धुलप
(4) श्री युरासोली भारन
(5) श्री नरेन्द्र सिंह
(6) श्री सुल्तान सिंह
(7) डा० रफीक जकारिया

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृहमंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

**अलीगढ़ में हुई हिंसक घटनाओं में अनेक व्यक्तियों के मारे जाने तथा उनके कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाने का समाचार**

**गृहमंत्री (श्री एच. एम. पटेल)**

**विवरण**

**महोदय,**

जब दादरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के समाचार अलीगढ़ पहुँचने लगे विशेषत: छः अथवा सात घायल छात्र जिन्होंने दिल्ली की अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय किया था, के पहुँचने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 9 मई, को ही कुछ तनाव बढ़ने लगा। दोपहर बाद शमशाद मार्किट, जो अलीगढ़ से अनूपशहर जाने वाली मुख्य सड़क पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है, में उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस को आग लगा दी गई थी। बस जलाने की इस घटना के कारण जिला प्राधिकारियों ने पी० ए० सी० के कुछ जवानों को रक्षोपायों के रूप में मार्किट क्षेत्र में नियुक्त करने का निर्णय किया। उन्होंने जिला प्राधिकारियों को यह आश्वासन भी दिया कि वे (विश्वविद्यालय प्राधिकारी) परिसर में पूर्ण शांति बनाए रख सकेंगे। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकार कर लिया गया और पी० ए० सी० के जवान परिसर क्षेत्र से हटा लिये गए और परिसर के बाहर नजदीक के उन स्थानों पर नियुक्त किये गए जिनके लिये उनके बीच परस्पर सहमति हुई थी।

10 तारीख की सुबह से मामूली घटनाएं होने लगी। विश्वविद्यालय परिसर से लगे रेडियो कालोनी क्षेत्र के निकट एक पट्रोल टैंकर को आग लगाने का प्रयास किया गया। फिर पथराव और राहगीरों को तंग करना शुरू हुआ। परन्तु कुल मिलाकर दिन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण

रहा हालांकि विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्दर तनाव के स्पष्ट संकेत थे। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने पूरे दिन जिला प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये रखा।

सायं लगभग 7.30 बजे छात्रों की एक बड़ी भीड़ ने परिसर की परिधि में स्थित हाईडल निरीक्षण हाऊस, जहां एक विवाह समारोह हो रहा था, पर आक्रमण कर दिया और वहां खड़ी एक प्राइवेट कार और गेट की लाईटों आदि को क्षति पहुंचाई। कुछ देर बाद विश्वविद्यालय में लगे एक साईरन के बजने पर भारी संख्या में छात्र एकत्र हो गए। मुझे सूचित किया गया है कि साईरन तीन बार बजाया गया। या, जो प्राय: परिसर में छात्रों को जमा करने का तरीका है। उसके बाद कुछ दुकानों को आग लगाने के समाचारों सहित अनेक घटनाएं और रेडियो कालोनी को आग लगाने के प्रयास की सूचना मिली थी। इस स्थिति में अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कम्पनियों के साथ मुख्य सड़क पर गये जो परिसर को विभाजित करती है। उन्हें सड़क पर खड़ी की गई रुकावटें मिली। कुछ रुकावटें सड़क पर फर्नीचर का ढेर लगाने और उसमें आग लगाने के रूप में थी। विभिन्न स्थानों पर लाठी चलाकर छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयास किये गए परन्तु वे सफल नहीं हुए। फिर छात्रावासों की छतों से गोली चलने लगी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के 6 कर्मचारियों को गोली की चोटें आई। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत के. रि. पु. ब. को मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलानी पड़ी। के. रि. पु. का एक अधिकारी अपने हथियार के साथ छात्रों द्वारा पकड़ लिया गया और बुरी तरह पीटा गया था, यद्यपि उसे बचा लिया गया था, उसका हथियार उससे छीन लिया गया था और अन्तिम सूचना के अनुसार यह अभी तक बरामद नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में इन घटनाओं के समाचारों से तनाव बढ़ गया जो शहर के अन्य भागों में पहले ही बढ़ चुका था। अधिक गंभीर दंगों की संभावना को देखते हुए जिला प्राधिकारियों ने लगभग अर्द्धरात्रि को कड़ा कर्फ्यू लगाने का निश्चय किया।

10 और 11 की रात्रि को हुई घटनाओं के दौरान शमशाद मार्किट के समीप तीन अन्य क्षेत्रों में लगभग 34 दुकानें जला दी गई और कुछ दुकानों का सामान भी लूट लिया गया। शमशाद मार्किट की दुकानें बुरी तरह प्रभावित हुई। रेडियो कालोनी में आग लगाने के प्रयास लोगों के कड़े प्रतिरोध के परिणामस्वरूप विफल हो गए। रात के दौरान सी. आर. पी. एफ. को 23 रौंड चलाने पड़। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि पांच व्यक्ति मारे गये। शव परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार राईफल की गोली से केवल एक व्यक्ति मारा गया था। अन्य चार या तो छुरा घोपने से या गोली से घायल होने के कारण मारे गये थे जो कि पूलिस के हथियारों द्वारा नहीं चलाई गई थी। 35 पुलिस कर्मचारी घायल हुए जिनमें छ: केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारी थे जिन्हें गोली लगी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अन्य 48 भी घायल हुए हैं जिनमें से केवल 5 को विश्वविद्यालय के अस्पताल में दाखिल किया गया है।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने जिला प्रशासन से परामर्श करके 11 तारीख की सायं को विश्वविद्यालय बन्द करने का निर्णय किया। छात्रों को उनके गन्तव्य स्थानों पर छोड़ने के

[श्री एच० एम० पटेल]

लिये जिला प्राधिकारियों ने विशेष बसों, रेलगाड़ियों में विशेष डब्बे तथा एक स्पेशल रेलगाड़ी का इन्तजाम करके प्रबन्ध किये। पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किये गए ये और बसों और रेलगाड़ियों के लिये संरक्षण प्रदान किया गया था।

11 तारीख की सुबह से स्थिति नियंत्रण में है और कोई घटना नहीं हुई है। 13 मई को शहर के विभिन्न भागों में कर्फ्यू में आंशिक रूप से और विशिष्टि अवधि के लिए अवस्थागत ढंग से ढील दी गई थी। आगे के दिनों में कर्फ्यू में ढील दी गई।

शहर में अब भी तनाव व्याप्त है और आशा है कि तनाव समाप्त करने के और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा सतत प्रयत्न किए जायेंगे।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : मान्यवर, माननीय गृहमन्त्री का वक्तव्य मैंने सुना। यह वक्तव्य पूरी तरह से भ्रामक वक्तव्य है जो कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज मुख्य मंत्री को बता रहे हैं और साथ ही साथ संसद को भी गुमराह करने के लिए गृह मन्त्री का सहारा ले रहे हैं। कल हम सात संसद सदस्य सर्वश्री हरिकेश बहादुर, सईद मुर्तजा, महमूद हसन खां, शमशुल हसन खां, लियाकत हुसैन, रामलाल राही और फाकिर अली अंसारी उस जगह की पूरी जाँच करके आ रहे हैं। मान्यवर, पी० ए० सी० को भेजकर डिस्ट्रक ऐडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर प्रोवोकेशन किया। जब दादरी की घटना हुई थी तो तत्काल जिलाधिकारियों को चाहिए था कि वह विश्व-विद्यालय के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक ऐसी व्यवस्था करते जिससे पुलिस न भेजनी पड़ती और यह स्थिति न पैदा होती।

लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं किया और मनमाने तरीके से कार्य करते रहे। जब यहाँ पर टेंशन बढ़ रहा था उस समय भी जिला अधिकारियों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बहाना बनाया कि शमशाद मार्केट में जब एक बस में रात के समय आग लगाने की घटना हुई तो बहाना बनाकर बिना यूनिवर्सिटी अथारिटीज से बात किये, पुलिस लेकर वहां पहुंच गये, जबकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का यह कन्वेंशन रहा है कि जब वहां कभी भी पुलिस भेजी गई है तो हमेशा ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों की पूरी उपेक्षा की गई है, वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश नहीं की गई और यहां तक कि वाइस चांसलर को समय-समय पर हूयमिलेट किया गया और उनकी इन्सल्ट की गई। झूठे तरीके से वाइस चांसलर को कहा गया कि रेडियो कालोनी और एन० सी० सी० का शस्त्रागार जो कि यूनिवर्सिटी कैम्पस में हैं, उसे जला दिया गया है। यह खबर झूठी थी। इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के सुपरिन्टडेंट आफ पुलिस ने ही यह झूठी बात वाइस चांसलर को बताई। जब वाइस चांसलर ने कहा कि चलिये हम देखते हैं तो पुलिस का एस० पी० वहां से दूसरे रास्ते पर चला गया, उस जगह पर नहीं गया। वहां पर जाकर जब वाइस चांसलर ने देखा तो वहां पर न तो कोई छात्र थे और न किसी प्रकार की आग लगाई गई थी।

इस प्रकार से गलत और भ्रामक बयान देकर यह जिला अधिकारी पूरे देश को गुमराह कर रहा है और उसने पूरी तरह से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया

है। जो पत्र उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा है उसकी थौरोली इन्क्वायरी होनी चाहिये। उस पत्र को वाइस चांसलर ने हमको दिखाया, उसमें साफ-साफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि :

"मैं आपको विश्वविद्यालय बन्द करने का आदेश देता हूं।"

कभी भी इस भाषा का प्रयोग एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वाइस चांसलर के लिये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहाकि जब तक हम एजूकेशन मिनिस्टर से बात नहीं कर लेते, जब तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बात नहीं कर लेते, जब तक एकेडैमिक काउंसिल इसके लिए नहीं कहती, हमको खुद भी अधिकार नहीं है कि सीधे इसको क्लोज डाउन कर दें।

वहां के वाइस चांसलर ने माननीय प्रधान मन्त्री जी से बात की थी। जैसा कि उन्होंने बताया, प्रधानमन्त्री ने कहा था कि ठीक है, अगर आप मानते हैं कि विश्वविद्यालय क्लोज नहीं करना चाहिए तो आप इस बात को वहां के जिला अधिकारियों से भी कहिये और अगर आप समझते हैं कि क्लोज नहीं करना है, तो उस पर निर्णय लीजिये, लेकिन जिले के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखिये। उन्होंने जाकर कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, कमिश्नर ने उनकी बात सुनने के बाद साफ तौर पर कहा कि ठीक है प्रधान मंत्री जी ने आपसे कहा है, लेकिन हम लोगों ने मुख्यमन्त्री से बात की है और मुख्यमन्त्री जी को हमने सारी स्थिति बता दी है। आपको विश्वविद्यालय बन्द करना पड़ेगा और उन्होंने यह भी कहा कि दो घंटे में विश्वविद्यालय बन्द कर दीजिये, जो कि संभव नहीं था जब तक कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडैमिक काउंसिल की बैठक नहीं होती। उसके बाद उन पर तमाम दबाव डाला गया और जो पत्र भेजे गये, उनसे लगता है कि उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कतई अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। जरूरत भी नहीं थी कि अंग्रेजी में वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखते, क्योंकि वह हिन्दी जानते थे और उत्तर प्रदेश के अन्दर हिन्दी ही वहां की भाषा है। अगर उसको अंग्रेजी नही आती तो, उसे अंग्रेजी में कोई चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। उस चिट्ठी की भाषा बहुत डैरोगेटरी और वाइस चांसलर की डिग्निटी के बिलकुल खिलाफ है।

इतना ही नहीं, सारे लोगों ने जाकर देखा है कि वाइस चांसलर के साथ स्थिति यह है कि पूरी तरह से वहां के जिला प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

जब शाम को उनसे कहा कि हत आपसे बात करेंगे, जिला अधिकारियों से, तो पहले तो वह जिला मजिस्ट्रेट टेलीफोन पर एवेलेबल नहीं था, जब श्री लियाकत हुसैन ने उनको टेलीफोन किया तो उस पर भी एवेलेबल नहीं थे, किसी प्रकार एस० एस० पी० मिले जब, हमने उनसे कहा कि हम आपकी भी बात सुनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में आने का समय नहीं है, आप लोग स्वयं आ जाइये, तो बात कर लेंगे।

हमने कहा कि हमने बहुत से लोगों को समय दिया है, वह सब आने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात जिला अधिकारी को बता देता हूं। जिला अधिकारी को उन्होंने टेलीफोन किया। हम लोगों के टेलीफोन पर जिला अधिकारी नहीं मिल सकता था और एस. एस. पी. के टेलीफोन पर वह गैर-जिम्मेदार आफिसर मिला और उसने

[श्री हरिकेश बहादुर]

हमको टेलीफोन किया और कहा कि आप लोग हमारे पास आ जाइये। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, अगर आप आ सकते हैं तो आइये, नहीं तो हम लोगों ने तमाम लोगों को समय यहां का दे रखा है, हम बीच में समय निकालकर नहीं आ पायेंगे। वह हम लोगों को दिये गये समय को छोड़कर सवा चार बजे आये और बड़े गैर-जिम्मेदाराना तरीके से हंसकर बात कर रहे थे। उससे लगता नहीं था, कि अलीगढ़ में कोई घटना हुई है और 7 संसद-सदस्य उनसे कोई बात कर रहे हैं। उन्होंने, एस० एस० पी० ने माचिस निकाला, सिगरेट जलाई, मैंने उनसे कहा एस० एस० पी० साहब, आप या तो सिगरेट पी लीजिये बाहर जाकर, तब आकर बात कीजिये, नहीं तो कम-से-कम सिगरेट मत पीजिये। इस बात पर दोनों ही बड़े तेजी के साथ उठे और यह कहते हुए बाहर निकल गये कि हम लोग यहां पर इन्सल्ट सहने के लिये नही आये हैं। इस तरह की बदतमीजी अगर एम० पीज० के डेलीगेशन के साथ यह अफसर कह सकते हैं तो वहां हर रहने वाले लोग के साथ कैसा बर्ताव करेंगे ?

सरकार पर मेरा आरोप है कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी को इस प्रकार बर्दाश्त किया जा जा रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी को हमें इस प्रकार बेइज्जत करने दिया जायेगा, तो हम काम नहीं कर सकते हैं। क्या मन्त्री महोदय चाहते हैं कि पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाये ? क्या पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं हैं ? हम इन दोनों अधिकारियों के ससपेंशन की मांग करते हैं। इस देश में जो स्थिति वातावरण पैदा हो गया है, वह निहायत चिन्ताजनक है। देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है और उसके लिए मुख्य रूप से नौकरशाह जिम्मेदार हैं, जिनपर माननीय गृह मन्त्री और मुख्यमन्त्री का कोई कन्ट्रोल एस्टाब्लिश नहीं हो पाया है।

अन्त में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। वहां पर साम्प्रदायिकता को भड़काने के लिए एक पर्चा चारों तरफ बांटा और चिपकाया गया है। मैं उसका केवल एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। इससे पता लगता है कि सारे देश में साम्प्रदायिकता की आग भड़काने की एक साजिश की गई है। इस पर्चे में कहा गया है :—

> 9 मई, 1979 को अलीगढ़ से दादरी स्टेशन तक रेलगाड़ी में बैठी महिलाओं और यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद 10 और 11 मई को मु० वि० वि० के मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों ने उपकुलपति श्री खुसरो के इशारे पर हिन्दुओं की लगभग 150 दुकानों को जला दिया है, दर्जनों हिन्दू छात्रों और ग्रामीणों को मार दिया है तथा लगभग 350 हिन्दू छात्रों को लापता कर दिया है। वि. वि. परिसर में रहने वाले हिन्दू शिक्षकों और डाक्टरों ने जान बचा कर नगर में शरण ली हुई है।"

यह बात बिल्कुल झूठ है कि हिन्दुओं की 150 दुकानों को जला दिया गया है। यह बात भी सरासर झूठ है कि दर्जनों हिन्दू छात्रों और ग्रामीणों को लापता किया गया है—कोई लापता नहीं है। यह पर्चा स्टेशनों पर बांटा जा रहा है, ताकि जो ट्रेनें वहां से गुजरती हैं, उनके यात्रियों के द्वारा यह पर्चा देश के कोने कोने में पहुंच जाये। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की कतई परवाह नहीं है। न तो वह इन पर्चों को हटाने की कोशिश कर रही है और न इन लोगों

को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जो इस प्रकार की साम्प्रदायिक दुर्भावना को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर्चे पर किसी प्रेस का नाम नहीं छपा हुआ है।

वहां पर पी. ए. सी. ने बेरहमी के साथ लोगों की पिटाई की। गृहमन्त्री महोदय इस बात की जांच करवायें कि शहजाद के साथ किस प्रकार की पिटाई की गई है। इतनी भयंकर बात है कि पार्लियामेंट की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। मंत्री महोदय इसकी जांच करवायें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वाइस-चांसलर को जो पत्र लिखा, मंत्री महोदय उसकी भी जांच करवायें और इन अधिकारियों को अविलम्ब ससपेंड करें, जिनके बारे में मुख्यमन्त्री ने अपने बयान में कहा है कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं गृह मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सारी घटना की न्यायिक जांच करवाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे और क्या वह इन अधिकारियों को निलम्बित करेंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : पुलिस अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों का निरादर करने के बारे में भी।

**श्री हरिकेश बहादुर** : वह बहुत बुरी बात है (व्यवधान)

**श्री एच० एम० पटेल** : माननीय सदस्य ने वह बात कही है जो उन्होंने तथा उनके साथियों ने घटना के कई दिन बाद वहां जाकर विभिन्न जांचों के आधार पर पता लगाया। उन्होंने समस्त कहानी सुनाई है और कहा है कि मैंने जो वक्तव्य दिया है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, गलत है, गुमराह करने वाला है और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह ठीक है।

**एक माननीय सदस्य** : क्योंकि वह वहां गये थे।

**श्री एच० एम० पटेल** : वहां एक सप्ताह पश्चात जाना ... ... (**व्यवधान**) मैं उस पर कोई टिप्पणी नही करता हूं, मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहता और वह भी दूसरे लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर ही आधारित है।

**श्री राजनारायण** (रायबरेली) : मंत्री को इस ढंग से उत्तर नहीं देना चाहिये। श्रीमान आप उन्हें सिखाइये। ... ...

**अध्यक्ष महोदय** : वही अभी उत्तर दे रहे हैं।

**श्री राजनारायण** : मंत्री को एक विशिष्ट रूप में, सीमित रूप में उत्तर देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : वह सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ना ही तुम से और ना ही ... ... ... (व्यवधान)

**श्री राजनारायण** : वह नौकरशाही में विश्वास रखते हैं।

**श्री एच० एम० पटेल** : उन्होंने जो प्रश्न मुझसे पूछा है मैं उनके बारे में देखूंगा। उन्होंने पूछा है कि ... ...

**श्री हरिकेश बहादुर** : क्या आप चाहते हैं कि हमारा निरादर किया जाये । आप उन निरंकुश अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, यह क्या है ? आप गृह मन्त्री हैं और आप हमारे तनिक भी चिन्ता नहीं करते ।

**प्रो पी० जी० मावलंकर** (गांधीनगर) यदि निरादर है, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हमारे साथियों ने यह बात आपको स्पष्ट कर दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है ... (व्यवधान)

**श्री रशीद मसूद** : मामला बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि वहाँ सात सदस्यों का निरादर किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे रहे हैं ।

**श्री रशीद मसूद** : इसे वह इतने साधरण रूप में नहीं ले सकते । यह सदन की गरिमा का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे रहे हैं ।

**श्री एच० एम० पटेल** : जो वक्तव्य दिए गए हैं मैं उनकी जांच करूंगा ।

इस वक्तव्य के संदर्भ में कि क्या प्रान्तीय शस्त्र पुलिस ने एक विशेष ढंग से कार्य किया, मेरी जानकारी यह है कि इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया गया । हम इस मामले की जांच करेंगे क्योंकि ये तथ्य अभी मेरे ध्यान में आये हैं ।

इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जिलाधीश ने उपकुलपति को जो पत्र लिखा उसकी भाषा उचित नहीं है । हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे ।

तीसरे उन्होंने पूछा है क्या इन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है । यदि जांच से पता चलेगा कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** (बहराईच) : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ में जो कुछ हुआ है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । जो कुछ वहां पर हुआ है उसके उत्तरदायी अलीगढ़ में नहीं हैं, इसी सदन में बैठे हैं । (व्यवधान)

**श्री राजनारायण** : यहां पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, यह मैं बता देना चाहता हूँ । त्यागी जी के कहने का मतलब यह हुआ कि··· (व्यवधान) ××

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या है ? कुछ भी दर्ज नहीं किया जायेगा । आप सबके नाम में हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

**श्री राजनारायण** (रायबरेली) : आप कोई अध्यापक नहीं हैं और न ही हम छात्र हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता । आप यह नहीं कर सकते । प्रत्येक सदस्य को जानने का अधिकार है···। (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं देता—दर्ज न किया जाये ।

---

×× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

**श्री राजनारायण** : × ×

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** (कोयम्बतूर) : श्री राजनारायण चिन्ता न करें, वह अपनी आलोचना स्वयं कर रहे हैं।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : इस झगड़े के पीछे जो कम्युनल रूप दिया गया उसका कारण यह है कि वहां जाकर विद्यार्थियों को भड़काया। वे विद्यार्थी जिन्होंने, जब भी अलीगढ़ में झगड़ा हुआ, सेक्यूलर भावना प्रकट की और वहां शहर के लोगों की सेवा की। उनको यहां के मेम्बर्स आफ पार्लमेंट ने जाकर···(**व्यवधान**) राजनारायण जी, आप भी उनमें से एक हैं।

**श्री राजनारायण** : पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, इस देश में वोट की राजनीति चल रही है। कोई भी सदस्य संसद में आकर सच कहने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पार्टी चलाने के लिए साम्प्रदायिक झगड़ों को भड़काया जा रहा है। यहां से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भड़काकर भेजा गया। (**व्यवधान**)

**श्री विनायक प्रसाद यादव** (सहरसा) : × ×

**अध्यक्ष महोदय** : दर्ज न किया जाए।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ के जिलाधीश और अधिकारियों ने यहां की भावनाओं को देखते हुए प्रिकाशनरी मेजर्स लिए। अलीगढ़ विश्वविद्लय में सी० आर० पी० एफ० के लोगों को लगा दिया गया ताकि साम्प्रदायिक दंगे न होने पायें।

वहाँ की यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि हम यूनीवर्सिटी में ला-एण्ड-आर्डर को कायम रखेंगे, आप अपने जवानों को यहां से हटा लीजिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद वहां के अधिकारियों ने उस पुलिस फोर्स को वहाँ से हटा लिया। उनके रहते ही दिन में बसें जलाई गईं, वहां के यात्रियों पर हमले हुए, वहां के विद्यार्थियों पर हमले हुए, टीचर्ज को बेइज्जत किया गया दूसरे वर्ग के। इस तरह की घटनायें वहां होती रहीं। उसके पश्चात् 10 बजे रात को बाकायदा सायरन बजा जो कि यूनिवर्सिटी के लड़कों को बुलाने के लिए बजाया जाता है। उनको संग्रह करने के लिए तीन बार वह सायरन बजा और वहां के विद्यार्थी जमा हुए। शमशाद मार्केट, जकरिया मार्केट में आग लगाई गई। ये सब हमले बाकायदा हुए। जब सी० आर० पी० एफ० को हटाया गया तो वहां रोड-ब्लांक्स लगा दिये गये। जब वहाँ ये घटनायें हो रही थीं—उस समय यहां से सी० आर० पी० एफ० के लोगों ने वहां जाने की कोशिश की तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लड़कों ने अपनी छतों पर खड़े होकर गोलियां चलाई, पत्थर फेंके···

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : यह गलत बात है। यह सब बिल्कुल झूठ है।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, बाजार में बाकायदा आग लगाई गई। यहां से पार्लियामेंट के जो मेम्बर गये—श्री हरिकेश बहादुर और दूसरे लोग कम-से-कम वह आंसू तो

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहाते—उन लोगों के लिए जिन की दुकानें जलाई गई, लूटी गई—लेकिन एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा। यह साम्प्रदायिक दंगा···

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : मैं इस विषय में आपको तथ्य बताना चाहता हूँ। मुझे बोलने का अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय** : दर्ज न किया जाये। × ×

**श्री हरिकेश बहादुर** : मुझे उनकी अपेक्षा ज्यादा सहानुभूति है। (**व्यवधान**) वह मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। (**व्यवधान**)। किन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि इनमें से ही कुछ लोगों ने सब चीजें कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह वाद-विवाद चलने दें।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक दंगे—दुर्भाग्यपूर्ण हैं—देश के लिये, चाहे जमशेदपुर में हों, अलीगढ़ में हों। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमको साम्प्रदायिक दंगों के लिये खेद प्रकट करना चाहिये, चाहे मुसलमानों की दुकानें जलें या हिन्दुओं की—हमें खेद प्रकट करना चाहिये। हमारा कर्तव्य इस प्रकार का है कि किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है, इस प्रकार की बात आई है। अभी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, वहां के जिलाधीश की रिपोर्ट आपके पास आई है, होम मिनिस्टर ने भी रिपोर्ट दी है। चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट भी झूठी है, इनकी रिपोर्ट भी झूठी है और ये लोग वहां गये थे और जो रिपोर्ट लेकर आये हैं, यह सही है? मेरी समझ में नहीं आया—हमारी गवर्नमेंट ने अगर वहां के चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट मांगी है, वहां के होम मिनिस्टर से रिपोर्ट मांगी गई, जो रिपोर्ट आपके सामने आई है। उसमें यह है कि इतनी दुकानों में आग लग गई। क्या उन दुकानदारों ने स्वयं आग लगा ली? वहां दुकानदारों को लूटा गया और एक कार में आग लगा दी। वहां के टीचर्स को किसने मारा? वहां के विद्यार्थियों को मारा गया।··· (**व्यवधान**)।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, मैं नियम 41 (2) (दो) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। ध्यानाकर्षण के दौरान सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहिये और प्रश्न रखना चाहिए। माननीय सदस्य ने कुछ चीजों का जिक्र किया है और नियम में यह कहा गया है :

> "(दो) यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होना पड़ेगा।" (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

× × कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री **ओमप्रकाश त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इसने साहस का परिचय दिया और सही बात बोली है कि साम्प्रदायिकता, चाहे वह हिन्दू साम्प्रदायिकता हो और वह मुस्लिम साम्प्रदायिकता हो, उसको कड़ाई से निपटा जाएगा। और रेलवे की रिपोर्ट आई है और दूसरी रिपोर्टें भी आई हैं, दादरी के झगड़े की भी रिपोर्ट आई है। जो यहाँ बोलते थे कि वह झगड़ा कम्युनल था और वे बाकायदा वहां होकर आए हैं, वह सब गलत साबित हुआ है ···(**व्यवधान**)···मैं यह बतलाना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब, जो आपका यह स्टेटमेंट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि बाकायदा यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सी० आर० पी० फोर्स को वहां से हटवा दिया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह कह कर कि हम कानून और ला एण्ड आर्डर को यहां पर कायम रखेंगे। वहाँ साइरन बजा और बाकायदा बच्चे, लड़के जमा हुए और उन्होंने हमला किया। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि यह सारा झगड़ा प्री-प्लांड था और उसमें यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी शामिल थे।

श्री **ज्योतिर्मय बसु** : अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

श्री **ओम प्रकाश त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, इनके स्टेटमेंट से यह निकलता है। यह जो स्टेटमेंट आया है, उसमें से यह निकलता है·····(**व्यवधान**)···यह जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर साहब ने दिया है, इस पर प्रश्न करने का मुझे राइट है। इन्होंने नाम लिया है। ···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सात मिनट तो पहले ही ले चुके हैं। कृपा करके प्रश्न ही पूछिए। मैं आगे इजाजत नहीं दूंगा।

श्री **ओम प्रकाश त्यागी** : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपके स्टेटमेंट में यह है कि बाकायदा विद्यार्थियों की ओर से गोलियां चलाई गईं, पिस्तौल चलाए गए और वहां से गोली चली और आपके एक अफसर की बन्दूक छीन कर ले गए। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पुलिस ने वहाँ विद्यार्थियों के पास जो इल्लीगल आर्म्स थे, उनको आपने पकड़ा या नहीं और जिन लोगों ने दुकाने जलाईं, उनमें कितने आदमियों की गिरफ्तारी हुई।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस तरह बोलना जारी नहीं रख सकते। आप एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं। नियम में एक प्रश्न की व्याख्या है। सामान्यतः हम दो प्रश्नों की इजाजत देते हैं। आप इस तरह बोलना जारी नहीं रख सकते।

श्री **ओम प्रकाश त्यागी** : साम्पप्रदायिक दंगे वहाँ हुए और उनमें जिनके यहाँ आग लगी दुकानों में लगी, जो लोग मारे गये उनको आपकी ओर से या उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से क्या कोई मुआवजा दिया गया है और उन लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी कुछ क्षतिपूर्ति की गई है ?

श्री **राजनारायण** : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन वह मैं करना चाहता हूं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता

हूं। मुझे अफसोस है कि हमारे परम पुनीत आदरणीय मित्र श्री ओमप्रकाश त्यागी ने हमारे बारे में यह कहा कि इन्होंने दंगा भड़काया है—

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि आप भी उनसे मिलने वालों में थे।

**श्री राजनारायण** : इन्होंने यह कहा है कि अस्पताल में गए···(व्यवधान) जब कोई बोलता है तो मैं बोलता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड एप्लाई न किया जाए। मैं कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं तो अलग से करमा हूं। ओमप्रकाश त्यागी जी बोल रहे थे तो मैं बराबर चुप रहा। कोई बोले मैं चुप रहता हूं। लेकिन कोई यह कहे कि हम प्वाइंट आफ आर्डर रेज न करें तो यह मेरा प्रिवलेज है। मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। लार्ड एटली जब आए उत्तरप्रदेश असेम्बली को देखने के लिए—चौधरी चरणसिंह जी साक्षी हैं तो आकर उन्होंने कहा कि हमने सारे देश का भ्रमण किया है लेकिन अगर कोई लाइबली असैम्बली हमने देखी है तो उत्तरप्रदेश की देखी है जहां लीडर आफ दी अपोजीशन ने बहुत अच्छा सवाल किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी ओर से क्या स्पष्टीकरण है? आप मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आपका अपना स्पष्टीकरण क्या है?

**श्री राजनारायण** : सदन को शान्त रखना आपकी ड्यूटी है मेरी नहीं है। इन्होंने कहा है कि राजनारायण अस्पताल में विद्यार्थियों से मिलने गए। यह 16 आना 17 आना भी हो तो भी असत्य है। राजनारायण उन दिनों ब्लड-प्रेशर से ग्रसित थे। डाक्टर हमारे पास बैठे थे। हमारा जो सैक्रेटरी था, हमने प्रति व्यक्ति दस रुपया फल खाने के लिए उसके जरिये और उनके हाथ से भिजवाये थे—

**एक माननीय सदस्य** : पैसा कहां से आया?

**श्री राजनारायण** : हमारे बाप की कमाई धरी है और बहुत से लोगों से ज्यादा है। जो वाइस प्रेसीडेंट थे श्री अफजल हुसैन उन्होंने हमको जो खत लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि नेता जी, हम लोग जब चले ट्रेन से तो केवल यही नारा लगाये कि हमारा नेता राजनारायण। आर. एस. एस. की छाती फट गई। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी बैठे हुए हैं···

**अध्यक्ष महोदय** : यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं हैं। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिये। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

**श्री राजनारायण** : सच बात कहो। एक-एक आदमी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए दस-दस मिनट मिलते है और आप हमें दस मिनट भी बोलने नहीं देते हैं। मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं···

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात कह दी। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

**श्री राजनारायण** : आर. एस. एस. यही दंगा करा रहा है और सारे देश में दंगा कराने की इनकी साजिश है। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : अब और नहीं। शान्त रहिये। आपने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपने अपनी बात कह दी। उसको कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया गया है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 353 के अन्तर्गत व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक वरिष्ठ सदस्य, श्री ओम प्रकाश त्यागी ने यह कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह योजना बनाई थी। उसको कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वह अपमानजनक है और सारहीन है। इसको कार्यवाही में से निकाल दिया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री समर गुह, क्या हमें हर विषय में वाद विवाद करनी होगी ?

**एक माननीय सदस्य** : मंत्री महोदय ने अभी उत्तर देना है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पटेल, हाँ।

**गृह मंत्री** (**श्री एच. एम. पटेल**) : मैंने श्री त्यागी की बात सुनी। अपने अन्तिम पैराग्राफ में मैंने विशेषकर यह कहा है कि अलीगढ़ में अभी भी तनाव है और इसलिये मैं समझता हूं यह वांछनीय है कि यह जो भी कहा जाय नाम उसमें यथासंभव संयम का परिचय दिया जाये।

श्री त्यागी ने जो प्रश्न उठाये हैं उन पर मैं निश्चय ही विचार करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता।

**प्रो० समरगुह** (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को, जिन्होंने अलीगढ़ के दंगों के दौरान शान्ति का परिचय दिया, नुकसान पहुंचाया गया। अलीगढ़ दंगों के दौरान वे विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति बनाये हुए थे और उन्होंने अलग-अलग समुदायों के विभिन्न लोगों को, भी दंगों से प्रभावित हुए, शरण दी और सारे देश द्वारा प्रसंसा के पात्र बने। जैसा कि अब कहा गया है, हाल ही में उनको इस साम्प्रदायिक घटना में घसीटा गया। यद्यपि यह सारा घटनाक्रम ऐसे मामले अर्थात दादरी कांड, को लेकर शुरू हुआ जो वास्तव में साम्प्रदायिक नहीं था। छात्रों को यह अधिकार है कि वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक विशेषता के बारे में भारत सरकार को अपना आवेदन दें। वह बात अलग है कि आप इससे सहमत हैं अथवा नहीं। उस दिन माननीय मंत्री महोदय को वहां हुई घटना की प्रवृति के बारे में स्पष्ट व्यक्तव्य देना चाहिये था। श्री बनतवाला ने भी यह बात स्वीकार की है कि यात्रियों और छात्रों के बीच झगड़ा हुआ और साथ ही कुछ और घटनाएं घटीं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। इससे सभी अवगत हैं। कुछ लड़कियों के साथ कुछ छात्रों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना जैसी कुछ चीजें जो उन्हें शोभा नहीं देतीं। श्री बनातवाला ने यह भी स्वीकार किया है कि अन्ततः उन छात्रों को वहां यथास्थित बहुसंख्यक समुदायों के लोगों द्वारा बचाया गया। वस्तुतः यह एक साम्प्रदायिक मामला नहीं था। यह एक इत्तफाक की बात थी कि जो छात्र दिल्ली

[प्रो० समर गुह]

आ रहे थे, वे अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखते थे। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे लोग अपना दिल टटोलकर देखें। उस दिन कौन से भाषण किये गये ? मान-सदस्यों ने नर संहार, नृशंस हत्याकांड तथा 'कत्ले आम' जैसे शब्द प्रत्युक्त किये। एक परम उत्तर-दायी सदस्यों ने इस घटना की तुलना नादिरशाह, तैमूरलंग, तथा चंगेजखान द्वारा किये गए अत्या-चारों से की। जब ये समाचार बाहर जायेंगे और लोगों को इनका पता चलेगा तो युवावर्ग पर, चाहे वह किसी समुदाय से संबंध क्यों न रखता हो, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम किसी नाजुक राष्ट्रीय मामलों पर भाषण देते हैं, तो हमें इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि यह दल संबंधी मामले नहीं है, यह पक्षपाती मामले नहीं है तथा राजनीतिक मामले भी नहीं है। यदि हम उनको राजनीतिक रूप से प्रेरित करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होगा। मेरा कहना यह है कि अलीगढ़ में बाद में जो कुछ हुआ वह सदन में किये गए उन गैर जिम्मेदाराना भाषणों का, जिनका व्यापक प्रचार हुआ, परिणाम है।

अन्य पहलुओं पर विचार करने के पूर्व मैं समझता हूं कि कुलपति और प्रशासनिक अधि-कारी, दोनों ही इस दिशा में असफल रहे। माननीय गृह मन्त्री जी यदि क्षमा करें तो मैं कहूं कि उस दिन उन्होंने इस समय उपलब्ध समस्त तथ्यों को, जो कि स्टेशन मास्टर तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने भेजे थे, न बताकर भारी गलती की। संभवत: उससे कई गलत फहमियाँ दूर हो जाती जोकि हम लोगों के दिमाग में पैदा हो गई थीं। कुलपति तथा सम्बन्धित अधिकारियों का पहला वक्तव्य यह था कि वे छात्रों को सही बात बताते। कुछ छात्र घायल हो गये। उनसे साथ हाथापाई की गई और यह स्वाभाविक कहा था कि जब वे नाराज होकर लौटेंगे तो वह बदले आदि की भावना से वहाँ ऐसा कुछ माहौल बनायेंगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक था, किन्तु कुलपति अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वह उनको पूरी स्थिति से अवगत कराते। उन्हें दादरी में घटित घटनाओं से अवगत कराते। अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में इतनी ही जिम्मेदारी थी कि वे उनको तथ्यों की स्पष्ट सूचना देते। किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

कुछ परचे बांटे गए, कुछ इश्तहार लगाए गये। पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वह उन परचों को तत्काल हटाते और पता लगाते कि इन चीजों के पीछे किन शरारती तत्वों का हाथ है। उनका यह कर्तव्य था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मेरे मित्र श्री हरिकेश बहादुर ने एक गम्भीर मामला यह उठाया है कि लोकसभा के सात सदस्य वहां गए और उन्होंने मौके पर जाकर जांच की। उनकी जाँच बिल्कुल सही थी, शिक्षाप्रद थी यह एक अलग मामला है। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी यह स्वीकार करेंगे कि लोकसभा के सात सदस्य यदि ठीक ढंग से कार्य करते हैं, तो उनको विशेष दर्जा, विशेष जिम्मे-दारी तथा विशेष सम्मान प्राप्त है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे पता चले कि उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया। यदि कोई धूम्रपान करना चाहता है, तो वह धूम्रपान करने की इजाजत ले सकता है। उससे कहा जा सकता है कि वह बाहर जाकर धूम्रपान करने के पश्चात वापस आ जाय। विमानों में भी धूम्रपान करने वाली तथा धूम्रपान न करने वाली जगह होती है। कभी-कभी लोगों को धूम्रपान की इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने यहाँ तक कहा "पुलिस अधि-

कारियों ने यह ढिठाई दिखाई कि वे वापस नहीं आये।" उन्होंने उनके वेटर की बेइज्जती की। मैं समझता हूँ कि यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं समझता हूँ कि गृहमन्त्री महोदय इसको बड़ी संजीदगी से देखेंगे। हमें यह मामला स्थानीय प्राधिकारी पर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस सारे मामले की जांच किसी जिम्मेदार प्राधिकारी को सौंपी जानी चाहिए जो यह पता लगाये कि, संसद सदस्यों की बेइज्जती की गई अथवा नहीं।

आप देखेंगे कि जिला अधिकारी द्वारा कुलपति को पत्र में जो भाषा प्रयुक्त की, वह कुलपति को लिखी जाने वाली भाषा नहीं थी। कुलपति का दर्जा जिला अधिकारी की तो बात क्या किसी साधारण राजनीतिज्ञ से भी कहीं ऊंचा है। सामान्य तौर पर यह आशा की जाती है कि पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल न हो। पुलिस को विश्वविद्यालय परिसर के भीतर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जब प्रधानमन्त्री महोदय से (हमारी) बात हुई थी, तो प्रधानमन्त्री जी ने भी यह कहा था कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पड़ताल अधिकारी ने इस मामले में किस सीमा तक कुछ किया है। मैं नहीं समझता कि कि छात्र विश्वविद्यालय छात्रावास से किस तरह गोली चला सकतेहैं। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। कुलपति तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारी को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी। मेरा गृहमन्त्री जी से यह अनुरोध है कि वह कुलपति से यह अनुरोध करें कि वह इस सारे मामले की जांच करे कि विश्वविद्यालय छात्रावास से गोलियां किस तरह चलीं। इस मामले की जाँच की जानी चाहिए थी। मेरा गृहमन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वह वास्तविक घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दें। जिसमें इन घटनाओं के बारे में सारे तथ्य हों। इस बारे में कुछ अफवाहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि सारी सम्पत्ति लूट ली गई और पांच व्यक्ति मारे गए और वे अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते थे। इसके बाद किसी और ने कहा कि वे सब बहुसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते थे।

जमशेदपुर की घटना के पश्चात, सारी बात समाचार पत्रों में आ गई है। यदि हम शुरू से ही देखें, तो हमें पता चलेगा कि इस तरह के समाचार समाचार-पत्रों में नहीं आते। अब जबकि ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गये हैं मेरा गृहमंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वह इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देकर लोगों के दिमागों से यह शक दूर करें कि वे पाँच लोग कौन थे, कौन-सी दुकानें लूटी गईं तथा वे किस समुदाय के लोगों की थीं। यह बात कहाँ तक सही है, देशवासियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

**श्री एच० एम० पटेल** : माननीय सदस्य ने कोई नई बात नहीं कही जिसका मैं उत्तर दूं। उन्होंने कहा है कि मैं जाँच करूँ। मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूँ।

**प्रो० समर गुह** : अखबारों में छपी खबरों के बारे में आप का क्या विचार है ?

**श्री एच० एम० पटेल** : यह तो समझने की बात है। मैंने यह सोचा कि कुछ स्थिति में कुछ तथ्यों को न बताना ही अच्छा है। अभी-अभी आपने मुझसे कहा कि मैं वक्तव्य देकर यह बताऊँ कि कौन-सी दुकानें जलीं, कौन-से व्यक्ति मरे। क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं कि मैं एक वक्तव्य दूं। ऐसी कोई परिपाटी तो नहीं है।

**प्रो० समर गुह** : उस स्थिति में गृहमंत्री की हैसियत से आपका यह अधिकार है जिसका आपने प्रयोग नहीं किया। सभी अखबारों में, पत्रिकाओं में, देश में हर जगह यह पता चल गया है कि जमशेदपुर में क्या कुछ हुआ। यदि सरकार तथ्य बताने के लिए वक्तव्य नहीं देना चाहती तो देश में तरह-तरह की अफवाहें फैलेंगी और तरह-तरह की बातें कहीं जायेंगी। यह एक बड़ी खतरनाक स्थिति है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने उसका उल्लेख कर दिया है।

**गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : जहाँ किसी प्रकार की जानकारी के बारे में बिल्कुल निश्चित हो, वहां मेरी समझ से कोई वक्तव्य देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। जब तक स्थिति निश्चित सीमा तक सामान्य न हो जाये, तब तक इस प्रकार के वक्तव्य न देना ही अच्छा होगा। यह स्थिति है और यही कारण है कि मैं कोई वक्तव्य देने से कतराता हूँ। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न तथा मार्क्स उठाये हैं उन पर निश्चित रूप से गहराई से और पूरी तौर से विचार किया जायेगा और जो भी किसी गलत चीज करने का जिम्मेदार पाया जायेगा, उस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)**

**प्रो० समर गुह** : क्या मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है ? अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो कह सकते हैं। किन्तु मेरे प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं दिया गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा प्रश्न पूछने की ही क्या आवश्यकता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि उन्हें बस इतना ही कहना था।

**प्रो० समर गुह** : आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

**डा० रामजी सिंह** (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हम संसद में आधा दर्जन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित क्यों न कर लें, लेकिन न तो अब प्रवीण कुमार लौट सकता है और न हारुन हमारे बीच आ सकता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या यह गौ-हत्या के बारे में है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मानव हत्या।

**डा० रामजी सिंह** : जब यहां पर यह चर्चा चल रही है, तो लगता है कि हम लोग किसी बात के पक्ष या विरोध में आवेश और प्रत्यावेश में बातें करते हैं। अलीगढ़ से दो विधायकों, खान मुहम्मद आरिफ और श्री अशफाक अहमद ने एक जायंट स्टेटमेंट दिया है :—

"हाल के दंगे दादरी कांड के सम्बन्ध में जो कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा अपने विरोधियों को बदनाम करने की गरज से दिए गए गैर-जिम्मेदाराना बयानों का परिणाम थे।"

इसी सदन में, और दूसरे सदन में भी, दादरी में जो कांड हुआ और विद्यार्थियों के साथ जो व्यवहार किया गया, उसकी घोर निन्दा की गई। लेकिन कुछ राजनैतिक गिद्धों ने अपनी अवसरवादिता के कारण, और सस्ती लोकप्रियता को ध्यान में रख कर, उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये। किसी व्यक्ति ने इसे नात्सी आक्रमण की संज्ञा दी और किसी ने इसे कम्युनल हालोकास्ट कहा। जब हमारे नौजवान ऐसी बातों को सुनेंगे, तो उनके हृदयों में कैसी भावना पैदा हो सकती है? इसलिए मैं अलीगढ़ के उन विद्यार्थियों को उतना दोष नहीं दूंगा, जितना उन माननीय लोगों को दूंगा, जिन्होंने उनके जजबात को भड़काने की गलत कोशिश की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ, वह सबके लिए दुर्भाग्य की बात है, और वह बात आगे न बढ़े, इस विषय में विचार करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क्या बातें कहीं और क्या नहीं कहीं, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है :—

"मैं हिन्दू जातिवाद का सबसे बड़ा आलोचक हूँ किन्तु मैं मुस्लिम जातिवाद को भी माफ नहीं कर सकता।"

आज दोनों की बात देखनी चाहिए। चाहे हिन्दू राष्ट्रवाद की बात करने वाले हों और चाहे किसी प्रकार से मुस्लिम संकीर्णतावाद की बात करने वाले हों, उन दोनों की ओर सख्ती से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग अपने छोटे स्वार्थों को दृष्टि में रखकर किसी एक वर्ग के जजबात को भड़काने की कोशिश करते हैं, वे देश के साथ दगाबाजी कर रहे हैं।

अलीगढ़ और दादरी की घटनाओं पर बोलते हुए गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि वहाँ की स्थिति में तनाव है। वहाँ तनावपूर्ण स्थिति तो थी, लेकिन सरकार ने किया क्या था? वहां होस्टल से गोलियां चलीं। जब भी इस प्रकार की तनाव की स्थिति हो, तो सरकार का पहला फर्ज यह होना चाहिए कि हथियारों पर कब्जा किया जाये, चाहे वे हिन्दू फैनेटिक्स के पास हों और चाहे मुस्लिम फैनेटिक्स के पास हों। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अश्विनीकुमार जी को दोनों घटनाओं की जांच करने का आदेश दिया है लेकिन अलीगढ़ का सवाल बड़ा संवेदनशील है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों घटनाओं की जाँच से पर्दा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए किसी को अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मखौल या तमाशा करने का अवसर न मिले। इसके लिए क्या केन्द्र की ओर से आप उत्तर प्रदेश सकरार को सलाह देंगे कि दोनों घटनाओं की साथ-साथ जांच करने के लिए न्यायिक जांच बिठायें?

अन्तिम बात यह है कि जब विश्वविद्यालय खुलेगा तब जिस प्रकार की अभी रिपोर्ट है—सही या गलत उसका स्पष्टीकरण आप देंगे—लेकिन कमिश्नर का भी स्टेटमेंट है और वहां के कुछ लड़के जो हैं, मैं सम्प्रदाय विशेष का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने आत्मरक्षा के लिए अपील की है तो विश्वविद्यालय खुलने पर आप कौन से उपाय करेंगे? क्या लॉ ऐंड आर्डर ही इस समस्या समाधान कर देगा?

[डा० रामजी सिंह]

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर और नगर क्षेत्र में मिले-जुले नागरिकों की कोई शांति समिति बन चुकी है या नहीं ? केवल आरोप प्रत्यारोप से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है—चाहे आरोप मैं लगाऊँ या कोई और लगाए। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि यदि आरोप प्रत्यारोप भूलकर हम शांति और सदभाव के लिए प्रयत्न करेंगे तो देश के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। क्या मंत्री जी न्यायिक जांच की मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को सलाह देंगे। साथ ही अगर कुलपति के साथ अपमान की कोई बात हुई है या विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर किसी प्रकार का प्रहार हुआ है तो क्या उसके लिए कड़े-से-कड़े कदम उठायेंगे ?

**श्री एच० एम० पटेल** : मैं निश्चित रूप से इन दोनों सुझावों पर यथासम्भव पूरी तौर से विचार करूंगा जो और भी सम्भव होगा करूँगा ।

**श्री पी० एम० सईद** (लक्ष द्वीप) : अधिकांश बातें पहले ही हो गई है। मैं सिर्फ दो बातों को लूंगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में जो दुर्घटना हुई, मैं समझता हूँ कि वह दादरी स्टेशन पर घटित घटनाओं के सिलसिले में ही थी। दादरी में घटित घटनाओं के बारे में सदन में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षार्थ दिल्ली आये ताकि नये विधेयक में अल्पसंख्यक स्वरूप जिसकी कि उन्होंने मांग की थी तथा समुच्चय तत्व बना रहे। फासिस्ट तथा निहित स्वार्थों ने यह स्थिति इसलिए पैदा की है ताकि अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करने का उनका नैतिक साहस टूट जाये। अतः मैं विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर इस घटना को इस प्रकार देखता हूँ।

गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर घटित घटनाओं की जांच को निष्फल करने का प्रयास किया। उनके वक्तव्य से इस विषय में जांच प्रभावित होती है और इन घटनाओं की जिम्मेदारी सीधे विश्वविद्यालय के कुलपति तथा छात्रों पर थोपी गई है। विद्यार्थियों का क्या कसूर है ? जब वे चोटें खाए हुए वापस लौटे तो उन्होंने विश्वविद्यालय में रक्षक तथा पी० ए० सी० नियुक्त पाई। निहित स्वार्थों तथा फासिस्ट लोगों का यह प्रयास रहा कि उनको संवैधानिक अधिकार न मिलें। किन्तु छात्र उन अधिकारों को लेना चाहते थे। और उसी उद्देश्य से वे यहां आये थे। जब वे लौटे तो ये लोग छात्रों को सबक देना चाहते थे।

उन्होंने कहा है कि एक बस जला डाली गई। यह सरासर झूठ है। कोई बस नहीं जलाई गई। यदि कोई बस जलाई ही गई, तो वह अधजली या पूरी जली 'बस' कहां है ? यह सारा का सारा मामला पूर्णतया कुप्रबन्ध का परिणाम है। जिला अधिकारी तथा प्रशासन ने एकतरफा कार्यवाही की तथा तानाशाह के रूप में कार्य किया। वे विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग करना चाहते थे। इस चीज का आपको कुलपति द्वारा जिला के अधिकारी के साथ किये पत्र व्यवहार से पता चल सकता है। उन्होंने इस दिशा से मार्ग निर्देशन हेतु प्रधानमंत्री तक

से सम्पर्क स्थापित किया कि विश्वविद्यालय बन्द किया जाये अथवा खुला रखा जाये। प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने जिला अधिकारी को अपने पत्र में इस चीज का भी उल्लेख किया। चूंकि कुलपति नहीं झुके इसलिए जिला अधिकारी किसी बुरे इरादे से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों की छवि पर कालिख पोतना चाहते थे।

महोदय आपको याद होगा कि पिछली बार, जब अलीगढ़ के दंगों के विषय में इसी सदन में चर्चा हुई थी, सभा में सभी वर्गों ने छात्रों द्वारा दंगों के दौरान की गई सराहनीय सेवा की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। यह तो खूब सोच विचार कर किया गया ताकि छात्रों और विश्व-विद्यालय को बदनाम किया जा सके। अत: मैं बस एक बात यह कहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय सभापटल पर वह पत्र व्यवहार रखने को तैयार हैं जो कुलपति तथा जिला अधिकारी के बीच हुआ ताकि सत्य की तह में पहुंचा जा सके और सभा ही नहीं अपितु सारे देश को यह पता चल सके कि इसमें दोष किसका था।

इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि गोलियां छात्रों ने नहीं पी० ए० सी० ने चलायीं। विश्वविद्यालय के बन्द होने के बाद अथवा बन्द होने के समय सभी छात्रों की तलाशी ली गई और सुरक्षा कर्मचारियों की हिरासत में बाहर भेजा गया। पी० ए० सी० और पुलिस द्वारा छात्रावासों की तलाशी ली गई। उनको किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला। अत: मैं तो यह कहूंगा कि यह राज्य सरकार अथवा गृह मन्त्रालय द्वारा बनाई गई कहानी है ताकि इसकी जिम्मेदारी छात्रों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सिर मंढी जा सके। यह संभवत: इस जांच पर भी प्रभाव डालेगी जोकि इन घटनाओं की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई है। तलाशी के पश्चात क्या प्राप्त हुआ, इस सम्बन्धी रिपोर्ट भी इस रिकार्ड में दी जाए ताकि सारे देश को यह पता चल सके कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर वस्तुत: क्या हुआ।

**श्री एच० एम० पटेल** : मुझे खेद है कि मेरे द्वारा बड़ी सावधानी बरते जाने के बावजूद मेरे माननीय मित्र यह टिप्पणी कर रहे हैं जिससे उसका जबाव देने के लिए मुझे कुछ ऐसी बातें कहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो मैं नहीं कहना चाहता। मैंने कहा है कि जांच करवायी जायेगी जब सारे तथ्यों की पूरी जानकारी मिल जायेगी तब तब हम उनको सभा तथा देश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

**श्री शरद यादव** (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसको जरा आप सुन लीजिए। वहां पर 7 एम० पीज० जो गए थे, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, वह आप सुन लें।.....(**व्यवधान**) नहीं तो यह हाऊस नहीं चलेगा। (**व्यवधान**) ...

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस तरह से नहीं चल सकता है।

**श्री शरद यादव** : आप इनको सुनिये। एक मिनट आप सुन लें।

## सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थित संबंधी समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गई अवधियों के लिए अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाये ।

1. श्री अण्णासाहिब मागर
2. डा. हैनरी आस्टिन
3. श्र एम० एस० संजीव राव
4. श्री शेषराव देशमुख
5. श्री केशव राव धोंडगे
6. श्री के० चिक्कलिंगैया
7. श्री राममूर्ति

क्या सदन को यह स्वीकार है कि इन सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की, जैसी की समिति ने सिफारिश की है, अनुमति प्रदान की जाय ?

**माननीय सदस्य** : हां।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अनुमति दी गई । तद्नुसार सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा । **(व्यवधान)**

**श्री शरद यादव** : आप इनको एक मिनट सुन लें ।

---

## अलीगढ़ में कुछ संसद सदस्यों के साथ जिला अधिकारियों कथित अशिष्ट व्यवहार के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा हो, श्री हरिकेश बहादुर ।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : कल संसद्सदस्यों ने अलीगड़ और अलीगढ़ विश्व-विद्यालय का, जहां दंगे और मारकाट हुई, दौरा किया । हम लोग सारी घटना की जांच करने वहां गये थे । मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और मैं प्रारम्भिक जानकारी हासिल करना चाहता था । मैंने जिला अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया । वह तो मिलते ही न थे । तब मैंने विश्वविद्यालय के पी. आर. ओ. से बातचीत की उन्होंने एस० एस० पी० से सम्पर्क स्थापित किया और एस. एस. पी. ने मुझसे सम्पर्क स्थापित किया । हम यह जानना चाहते थे कि इस घटना के बारे में वह क्या

कहते हैं। हमने उनसे आने को कहा। उन्होंने कहा कि वे जिला अधिकारी से बात करके हमें बतायेंगे कि वह आ रहे हैं अथवा नहीं। उसके बाद जिला अधिकारी ने हमें फोन किया और कहा कि उनके वहाँ आने के बजाय हम लोग वहाँ चले आएं क्योंकि कन्ट्रोल रूम में उनके नियंत्रण में है और वे शहर के अलग-अलग भागों से जानकारी लेना चाहते हैं। हमने कहा कि हमने पहले ही कई लोगों को समय दे दिया है और हमारा वहाँ आना संभव नहीं है। खैर, बाद में वे वहाँ आये। उन्होंने कुछ इस तरह से बात करना आरंभ कर दिया मानों वहां कोई महत्वपूर्ण बात या चर्चा ही नहीं की जा रही हो। उन्होंने हमारे साथ ऐसे बातचीत की मानों वे आम लोगों से बातचीत कर रहे हों। कुछ समय बाद एस० एस० पी० ने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा या तो आप बाहर जाकर धूम्रपान करें अथवा बाद में धूम्रपान करें। जिला अधिकारी तथा एस० एस० पी० तत्काल कमरे से यह कहते हुए बाहर चले गये कि वे वहाँ बेइज्जती कराने नहीं आये हैं। हम यह जानकारी प्राप्त करने गये थे। हम उनकी बात सुनना चाहते थे। किन्तु उन्होंने हमें ठीक तरह से जानकारी नहीं दी।

अतः मेरा यह विचार है कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की। यदि अफसरशाही की इस कदर घमंडी रवैये की निन्दा न की गई, तो मैं समझता हूं इससे देश का कोई लाभ होना नहीं है और इससे इस सदन तथा संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। हम सब इसको बड़ी गंभीर बात मानते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : महोदय मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री सचिवालय से एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें इस बात की स्पष्ट परिभाषा की गई थी कि सिविल सर्वेंट को संसद सदस्य के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये तथा उसके साथ कैसे पेश आना चाहिये। (**व्यवधान**) महोदय, उस परिपत्र का अक्सर उलंघन ही होता है, उस पर अमल नहीं होता। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है। अब आम शिष्टाचार क्या है ? यदि मैं आपके कमरे में आऊं और मैं सिगरेट जलाना चाहता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं ? यदि आप कहते हैं, 'हाँ पी लीजिए' और आप अक्सर ही कहते हैं हां, पी लीजिए तो ठीक है। किन्तु यदि अनेक संसद सदस्य धूम्रपान के प्रति आपत्ति उठायें तो सामान्य शिष्टाचार यह कहता है कि ऐसी स्थिति में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। समितियों में मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अथवा लोक लेखा समिति—मैं दोनों की समितियों का सभापति रहा हूं—में यह कह देता हूं कि जब तक मैं न कहूं वे धूम्रपान नहीं कर सकते : "यदि आप चाहें···" (**व्यवधान**)। यदि आप समिति का कार्य संचालन नियंत्रित करने वाली पुस्तकें पढ़ें तो आप पायेंगे कि धूम्रपान निषिद्ध है। किन्तु हम अपने विवेक का प्रयोग करके जब ठीक समझते हैं, उसकी इजाजत दे देते हैं। जब मैं समझता हूं कि वे धूम्रपान कर सकते हैं, तो मैं उनसे कह देता हूं कि यदि आप धूम्रपान करना चाहें तो कर सकते हैं। श्री पटेल यहाँ मौजूद हैं उन्हें यह भलीभाँति मालूम है। संसद सदस्य के दल के सामने ऐसा करना गलत था। माना कि यह कोई संसदीय प्रतिनिधि मण्डल नहीं था। किन्तु वरीयता क्रम में उनको कहीं ऊंचा स्थान प्राप्त है। और फिर वे सांसद, सभा के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिये वहां गये थे। महोदय, यह आशा की जाती है

कि इस सिविल सर्वेंट द्वारा उनकी अच्छी आवभगत करनी चाहिये थी और उनके प्रति सामान्य शिष्टाचार दिखाना चाहिये था जैसा कि प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा जारी किये गए परिपत्र में स्पष्टत: परिभाषित है। (**व्यवधान**)

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) महोदय, मैं एक वाक्य कहूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, यदि सबने ही एक वाक्य कहना शुरू कर दिया, तो हमारी क्या स्थिति होगी।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री सचिवालय का वह परिपत्र फिर से जारी किया जाये और उस पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाये। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि मैंने काफी सुन लिया। (**व्यवधान**)

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : महोदय मेरे विचार से यह लगभग एक विशेषाधिकार का मामला है। एक माननीय सदस्य जिसने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, वह उस स्थान पर सूचना एकत्र करने के लिए इसलिए जाता है ताकि वह संसद के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें। उसके साथ उसके छः साथियों सहित ठीक व्यवहार नहीं किया जाता। महोदय, आपको याद होगा कि जब एक सदस्य के हथकडियाँ लगाई जा रही थीं, उसको इस सदन ने बड़ा बुरा माना था। यह कहा जा सकता है कि जब कोई सदस्य अपराधी हो, तो उसके हाथकड़ियाँ लगाई जा सकती हैं, किन्तु सदन ने इसके बारे में यह दृष्टिकोण नहीं लिया था और सभा ने स्पष्टरूप से यह निर्धारित किया था किसी भी संसद सदस्य को कभी भी हथकड़ी न लगाई जायें। महोदय, इसी प्रकार जब हम अपने संसदीय कर्तव्य के निर्वहन हेतु जाते हैं तो, हमारे कार्य में रोड़े ही नहीं अटकाये जाते अपितु हमारा अपमान भी किया जाता है। जो हम सबका अपमान है और सारी सभा का अपमान है (**व्यवधान**)। और हम इसको सभा का अपमान मानते हैं। हम चाहते हैं कि पीठासीन अधिकारी इस पर खुद विचार करें और यदि आवश्यक हो, तो इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, हम इसपर विचार करेंगे और इसमें जो कुछ भी किया जा सकता है, किया जायेगा।

**श्री जी० एम० बनतवाला** : महोदय, मैं बस एक वाक्य कहूंगा और वह यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर'''।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह खत्म हुआ।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। यह झूठ है××

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनतवाला, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर फिर से विचार नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)। कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह प्रश्न समाप्त हुआ।

---

××कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

## भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये एक समिति की नियुक्ति, उसका गठन तथा उसके निदेशपद

**उप-प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री** (श्री चरण सिंह) : जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, पिछले कई वर्षों से, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अधिकाधिक लोगों के लिये जीवन बीमे के कवच की व्यवस्था करने और समाज के साधनों को जुटाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन जीवन बीमे के विस्तार के साथ-साथ पालिसी होल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा और लाभों के संबंध में आकांक्षाएं भी खूब बढ़ गई हैं और इस संबंध में संसद और संसद के बाहर जीवन बीमा कार्य के और अधिक लाभकर प्रबंध, बेहतर प्रतिफल तथा पालिसीहोल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार के लिए माँग की जाती रही है। इस संबंध में कई सुझाव दिये गए हैं जिनके अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम के संगठनात्मक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, निगम की स्थापना के बाद आर्थिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और अब ग्रामीण विकास करने, बेरोजगारी को दूर करने और अनिवार्य सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि बीमा कराने वाले और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन बीमा उद्योग के ढांचे, कार्य व्यापार और निवेश सम्बन्धी नीति को उसके अनुकूल बनाया जाए।

2. निगम के कार्यों की आखिरी बार जो समीक्षा की गई थी, उसे अब दस वर्ष हो गये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई समीक्षा की रिपोर्ट दिसम्बर 1968 में दी गई थी और मोरारका समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1969 में दी गई थी। अतः सरकार ने सभी बड़े-बड़े पहलुओं से निगम के कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

3. इस समिति के अध्यक्ष राज्य-सभा के सदस्य श्री ईरा सेझियान होंगे। समिति के अन्य सदस्य हैं :

(1) प्रो० वी० एम० दांडेकर,
निदेशक,
गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे और निदेशक,
भारतीय राजनीतिक-अर्थव्यवस्था विद्यालय, लोनावाला।

(2) श्री ए० राजगोपालन,
भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय साधारण बीमा निगम,
बम्बई।

(3) डा० एस० के० चक्रवर्ती,
प्राचार्य वित्तीय प्रबन्ध,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता।

(4) डा० डी० पी० सिंह,
उपकुलपति,
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) ।

(5) श्री आर० एम० मेहता,
भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
बम्बई ।

(6) श्री एस० रामनाथन,
अपर सचिव, वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

भारतीय जीवन निगम के कार्यकारी निदेशक श्री० ए० श्रीनिवासन इस समिति के सचिव होंगे ।

4. इस समिति के विचारणीय विषय ये होंगे :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से जीवन बीमा कार्य की प्रगति की समीक्षा करना, इसके विस्तार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके विस्तार की क्षमता का मूल्यांकन करना और कारबार के विकास को तेज करने के लिये उपायों का सुझाव देना;

(ख) क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित विभिन्न स्तरों पर निगम के संगठन की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो निगम के कार्यों में अधिक कुशलता लाने तथा किफायत करने में सहायक हों;

(ग) पालिसीहोल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(घ) जीवन निधि में से किए जाने वाले निवेश की वर्तमान प्रणाली की जाँच करना और ऐसे परिवर्तनों के लिए सुझाव देना जो पूंजी की सुरक्षा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप निवेश से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए जरूरी समझे जाएं; तथा

(ङ) कोई और सिफारिशें करना जो जीवन बीमा कारबार के कारगर प्रबन्ध के लिए अधिक लाभप्रद हों ।

इस समिति को छह महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देनी होगी ।

5. सरकार आशा करती है कि इस उच्च-स्तरीय समिति के अध्ययन के परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम के कार्यों में काफी सुधार हो सकेगा ।

**श्री राजनारायण** : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किस चीज पर ? इस पर ?

**श्री राजनारायण** : आज आपके दफ्तर को मैंने अपने दो निवेदन पत्र दिये थे । हमको दस बजे के करीब दफ्तर ने कहा···।

**उपाध्यक्ष महोदय** : दफ्तर में क्या दिया और क्या नहीं दिया उसके बारे में प्वाईंट आफ आर्डर उठाने से कोई फायदा नहीं है ।

**श्री राजनारायण** : आप परसों लें मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस्क्राइब्ड फार्म में दिया जाएगा तब लिया जायेगा या अपने पैड पर दिया जाएगा तब भी लिया जायेगा ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस फार्म में देना चाहिए और किस फार्म में नहीं देना चाहिए ।

**श्री राजनारायण** : यह कभी नहीं हुआ है ।

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी)** : महोदय मैं एक विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं···

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : क्या हमें अपने अनुरोध केवल मुद्रित प्रपत्रों पर ही करना चाहिए ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है । हम अपने अनुरोध सादा कागज पर भी लिखते रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उस पर भी विचार किया जायेगा और यह किया जा रहा है । इस प्रकार उसमें कोई सार नहीं है ।

**श्री राजनारायण** (रायबरेली) : तब क्यों·····।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पर विचार करते समय और कई बातों पर भी विचार करना होता है ।

**श्री राजनारायण** : तो यह कहिए चूंकि उसमें डा० मुरली मनोहर जोशी का उल्लेख है जिन्होंने एक करोड़ रुपये का खर्चा किया है खाने आदि पर और शिमला में स्पीकर का इलेक्शन इल्लीगल तौर पर हुआ है । इसलिए उनको नहीं लिया गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, 377 का क्या बना ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आडवाणी के विधेयक पर व्यवस्था के प्रश्न के अलावा व्यवस्था का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

कृपया बैठ जाइए ।

———

## प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां, परिनिश्चित करने और उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस प्रगतिशील विधेयक, जिसका सभा के सभी वर्गों को स्वागत करना चाहिए, के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए, मुझे खुशी नहीं हो रही है। लेकिन आप और सभा इस बात से सहमत होंगे कि हमें संविधान और नियमों में किए गए उपबंधों का सदैव पालन करना चाहिए। इसके पूर्व अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया था कि विधेयक के पुर: स्थापित किए जाने से पहले एक समिति यदि उनकी जांच कर लिया करे तो यह एक स्वस्थ परम्परा होगी। यह सुधार अभी तक नहीं किया गया है और उसके लिए नियमों में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन नियम जिस रूप में है, उनमें से निगम 69 के उपनियम (1) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं :—

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रंत हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा।"

यह नहीं किया गया है—अब नियम के अन्तिम अंश को देखिये :—

"जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिया जाएगा।"

इसके बाद—

"और उसमें उस आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।"

इसके पहले मैंने जो विधेयक देखे हैं, उनमें से अधिकांश में आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय के बारे में अलग पैरा दिए गए हैं। दुर्भाग्य से इस विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में घाटे के बारे में एक सामान्य विवरण दिया गया है। कृपया ज्ञापन को देखिए। पहले दो पैरा बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में हैं।

अन्तिम पैरा में मंत्री महोदय ने विभिन्न शिकायत बोर्डों, निगम और संगठन की अन्य एजेंसियों के गठन के बाद अन्तर्ग्रस्त व्यय के प्राक्कलन को देने में आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट किया है। इसके अलावा ज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि आवर्त्तक व्यय क्या है और अनावर्त्तक व्यय क्या है ? अन्तिम पैरा में केवल यह कहा गया है :

"वर्ष 1979-80 में निगम का राजस्व सम्बन्धी घाटा अनुमानत: 6.50 करोड़ रुपये का होगा···।"

मैं विवरणों को विस्तार में पढ़कर सभा के धैर्य को समाप्त नहीं करना चाहता।

मैं मंत्री महोदय की कठिनाई को समझता हूँ, लेकिन क्या इस अवस्था में भी उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय क्या है।

मेरी दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है—यह व्यवस्था का दोहरा प्रश्न है—और मेरे विचार से यह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी भाषा के शब्दों और उसकी शैली का प्रेमी रहा हूँ। मैं भाषा-प्रेमी हूँ, सभी भाषाओं—हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, जर्मनी, रूसी—का प्रेमी हूँ। दुर्भाग्य से मनुष्य का जीवन-काल बहुत छोटा होता है। हम बहुत भाषाएँ नहीं पढ़ सकते। मैं बहुत-सी भाषाएँ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यह सम्भव नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि अधिनियमों, विशेषकर कानूनी अधिनियमों में दो या तीन भाषाओं का ताल-मेल किया जाये। जब हम कहीं बाहर बोलते हैं या संसद में बोलते हैं, तो भाषाओं को मिला देते हैं। लेकिन कानूनी अधिनियम में, जैसा कि संविधान में कहा गया है, हमें एक ही भाषा पर कायम रहना चाहिए।

मैं अनुच्छेद 398 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) (एक) को पढ़कर सुनाता हूँ :

"(1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—

× × ×

(ख) (1) विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में अथवा राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ,

× × ×

अंग्रेजी भाषा में होंगे।"

बाद में राज्यों के मामले में कुछ छूट दी गयी है। खण्ड (2) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य राज्यपाल/राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली भाषा का प्रयोग उच्च न्यायालयों या राज्य विधान मंडल में प्राधिकृत कर सकेगा। एक अलग उपबन्ध है, लेकिन यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुवाद का राजकीय पाठ या प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा।

मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं के पण्डित हैं। विधेयक का नाम है "प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1979" मैं किसी भी भाषा का पंडित होने का दावा नहीं करता। अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही भाषाओं के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम हैं :—

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** : बहुत से मामलों में आप बेजोड़ हैं।

**श्री हरिविष्णु कामत** : आप ऐसा कह सकते हैं। यहां दो भाषाओं का अनुचित—मैं तो यहां तक कहूंगा कि अपवित्र—तालमेल है। मैं जानता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं और नामों का

[श्री हरिविष्णु कामत]

जहां तक सम्बन्ध है आप हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण कर सकते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है—

"इंडिया अर्थात् भारत"। संविधान में यही कहा गया है, यहां तक ठीक है। लेकिन जब आप इसकी संज्ञाओं या विशेषणों का प्रयोग करते हैं तो यह गलत है, अनुचित है। दो भाषाओं का मिश्रण करना संवैधानिक उपबन्धों की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि संसद में पुर:स्थापित किये जाने वाले किसी भी विधेयक का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा। इस विधेयक का नाम है—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), विधेयक। पता नहीं, 'संन्यास' 'योग' 'कठमारन' आदि शब्दों की तरह 'प्रसार' शब्द को अंग्रेजी भाषा में समाविष्ट किया गया है या नहीं। 'कठमारन' को अंग्रेजी शब्दकोश में दिया गया है। (व्यवधान)

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 348 के उपखंड (ख) (1) के अनुरूप है।—

इस मामले का एक पक्ष और है। यदि यह मान भी लिया जाये कि 'प्रसाद' शब्द प्रयोग द्वारा मान्य हैं, गलत हो या सही —यह कहा जाता है कि गलत हो या सही प्रयोग ही शब्द को मान्य बनाता है—तो भी मुझे इसमें संदेह है कि 'प्रसार' शब्द सही और उचित हिन्दी शब्द है। मेरे विचार से यह भद्दा और अप्रिय शब्द है, सुमधुर नहीं है—मुझे नहीं मालूम दूसरे माननीय सदस्य इससे सहमत हैं या नहीं। कार्यदल ने 'आकाश' शब्द का प्रस्ताव किया था, लेकिन उसे छोड दिया गया है, सम्भवत: मंत्री महोदय और सरकार ने इसे पसंद नहीं किया। 'आकाश' शब्द के भौतिक और आध्यात्मिक आयाम हैं, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है और 'प्रसार' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश को देखा है। मुझे डा० रघुबीर का हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश नहीं मिल सका। मुझे पुस्तकालय में उनका अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोश ही मिल सका। इसलिए, मैंने भार्गव के हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश को ही देखा और उस शब्दकोश (1967 संस्करण) में प्रसार शब्द का अर्थ दिया गया है 'एक्सटेंट', 'एक्जिट'। उस शब्दकोश में उचित शब्द 'प्रसारण' है, 'प्रसार' नहीं। इसलिए यह 'प्रसारण भारती' हो सकता है। शब्दकोश के अनुसार 'प्रसारण' शब्द का अर्थ है 'स्प्रैडिंग' (या ब्राडकास्टिंग) एक्सटेंडिंग। मंत्री महोदय या सरकार यदि हिन्दी शब्द ही लेना चाहते हैं और 'प्रसारण' तथा आकाश शब्द भी स्वीकार नहीं हैं, तो मेरा सुझाव है कि इस अप्रिय, भद्दे और कर्णकटु शब्द के स्थान पर 'अन्तरिक्ष' शब्द का प्रयोग किया जाए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : 'अन्तरिक्ष' शब्द भी अंग्रेजी का नहीं है।

**श्री हरिविष्णु कामत** : इसलिए मैंने कहा कि उसे छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यदि वे हिंदी शब्द रखना ही चाहते हैं तो विधेयक के हिन्दी अनुवाद में 'अन्तरिक्ष' शब्द होना चाहिए। अंग्रेजी नाम 'दि ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया बिल' होना चाहिए।

संविधान का अनुच्छेद 348 (1) बहुत स्पष्ट है। इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। इस मामले में कोई अलग बात नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम विधेयक को 'दि ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया बिल' रखा जाना चाहिए और···

**उपाध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुच्छेद में विधेयक के बारे में कहा गया है, नाम के बारे में नहीं।

**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या नाम विधेयक का अंग नहीं है? आप से यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें यह कहा गया है कि विधेयक अंग्रेजी में होगा।

**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या नाम विधेयक का अंग नहीं है? फिर आप इसे मतदान के लिए क्यों रखते हैं?

**उपाध्यक्ष महोदय** : नाम कुछ भी हो सकता है।

**श्री हरिविष्णु कामत** : आप नाम को मतदान के लिए क्यों रखते हैं? आप पूरे नाम, अधिनियम सूत्र और इन सब चीजों को मतदान के लिए क्यों रखते हैं? इसलिए यह विधेयक का अविभाज्य अंग है। संविधान के अनुच्छेद 348 (1) में यह कहा गया है कि संसद के सभी विधेयकों का पाठ अंग्रेजी भाषा में होगा।

इसके अलावा, हिन्दी, अंग्रेजी और इसकी भाषाओं के प्रति पूरे प्रेम के बावजूद, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसे सही नहीं रखा गया है, गलत रखा गया है। 'भारती' ठीक है, यह व्यक्ति वाचक संज्ञा है···।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल से आप अपनी बात कह चुके हैं।

**श्री हरिविष्णु कामत** : इसे गलत रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।

मंत्री महोदय कृपा करके यह भी स्पष्ट करें कि वह संवैधानिक अड़चन से किस रूप में बचना चाहते हैं।

**सूचना और प्रसारण मंत्री** (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह कहकर अपने व्यवस्था के प्रश्न को शुरू किया है कि उन्हें विधेयक पर आपत्ति नहीं है और वह विधेयक का स्वागत करते हैं।

उन्होंने व्यवस्था के दो प्रश्न उठाये हैं। सर्वप्रथम, उन्होंने वित्तीय ज्ञापन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि नियमों के अन्तर्गत हमें आवर्तक और अनावर्तक व्यय का भी संकेत देना होता है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा, लेकिन यदि वह वित्तीय ज्ञापन के पैरा 5 को देखें,

तो उन्हें पता चलेगा कि यद्यपि 'आवर्त्तक' और 'अनावर्तक' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वे सभी आंकड़े दिये गये हैं जो इस समय सम्भव हैं, क्योंकि, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, निश्चित आंकड़े देना कठिन है, विशेष रूप उस स्थिति में जब कर्मचारियों के वेतन और सेवा-शर्तों आदि के निर्धारण का कार्य स्वयं निगम पर छोड़ दिया गया हो। इससे यह कार्य और भी कठिन हो जाता है तो भी आवर्त्तक और अनावर्त्तक दोनों प्रकार के व्यय का हिसाब लगाया गया, हालांकि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है।

दूसरे प्रश्न में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लेख किया है, जो मेरे विचार से इस सन्दर्भ में पूरी तरह से असंगत है। हालांकि इस बारे में हमारे अपने निजी विचार हो सकते हैं कि 'प्रसार' शब्द 'उपयुक्त' या सही है और 'आकाश' अधिक सही है, लेकिन जहाँ तक···

**श्री रामगोपाल रेड्डी** : उन्होंने 'अन्तरिक्ष' भी कहा।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : वह अन्तिम समाधान है।

आपत्ति संविधान के 348 के आधार पर की गई है जिसमें सभी विधेयकों के मूलतः अंग्रेजी में होने की बात पर बल दिया गया है···

**श्री हरिविष्णु कामत** : यह स्पष्ट है।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : विधेयक अंग्रेजी में है। तो भी 'प्रसार' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया गया है, जैसे कि अंग्रेजी में 'लोकसभा' का प्रयोग होता है, इससे यह हिन्दी रूपान्तरण नहीं बन जाता। हमारे पास लोकपाल विधेयक भी है।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** : सबसे पहले इस सभा में लोकसभा शब्द का प्रयोग अध्यक्ष के वक्तव्य के आधार पर किया गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, 15 मई, 1954 को तत्कालीन अध्यक्ष ने एक वक्तव्य दिया···

**उपाध्यक्ष महोदय** : सबसे पहले इसका प्रयोग कब हुआ इसके इतिहास में हम न जायें।

**श्री लालकृष्ण अडवाणी** : मुझे इसके इतिहास के विषय में भी मालूम है। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि किसी सांविधिक दस्तावेज में 'लोकसभा' 8 शब्द के प्रयोग से वह दस्तावेज हिन्दी का नहीं बन जाता।

शब्द के चुनाव का जहां जक संबंध है, विधेयक को यदि सरकार ने प्रवर समिति को भेजा, उस समय या जब प्रश्न पर सभा में चर्चा की जायेगी, उस समय हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार के अपने विचार का जहां तक संबंध है, हमने यह सोचा कि 'आकाशवाणी' और 'दूरदर्शन' दोनों ही अच्छे शब्द हैं, जिनको रखा जाना चाहिये लेकिन यदि हम 'आकाशबाणी' या 'आकाश-भारती' रखते हैं, तो इसमें कुछ अतिव्याप्ति हो जाती और अस्पष्टता पैदा हो जाती।

इसलिए हमने यह सोचा कि निगम जिसके अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों आते हैं जो 'प्रसार भारती' शब्दों द्वारा व्याख्यायित किया जाये जिससे 'प्रसारण' का बोध होता है और 'दि ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया' अंग्रेजी नाम है।

मुझे आशा है कि व्यवस्था के प्रश्नों को निपटा दिया गया है और मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियाँ परिनिश्चित करने और उससे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के कर्मचारी के भविष्य निधि खाते

**श्री मुकुन्द मंडल** (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले उठाता हूँ :—

जब से कर्मचारी भविष्य निधि खाते में धोखाधड़ी किये जाने का पता चला है, तब से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के कर्मचारियों में काफी रोष फैला हुआ है। यह आरोप लगाया गया है कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के न्यासी और प्रबन्धक इन गड़बड़ियों में शामिल हैं और वे वित्त-मंत्रालय को समय-समय पर गलत सूचना भेजते रहे हैं।

उदाहरण के लिए गत वर्ष स्वयं वित्तमंत्री महोदय ने मुझे एक सूचना दी जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि खाते में गड़बड़ी के पाये जाने और गड़बड़ियों में कथित रूप में लिप्त एक छोटे कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने की पुष्टि की गयी। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए, लोकसभा सचिवालय ने मुझे सूचित किया हैं कि "बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स रे एंड रे द्वारा खातों की विशेष लेखा परीक्षण के पूरे होने के बाद उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी है।

इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है कि बैंक के प्राधिकारी संदेहपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे काफी गलतफहमी और शंका उत्पन्न हो रही है और वे हर तरह अनुशासन भंग करके कर्मचारी-विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं।

[श्री मुकुन्द मण्डल]

इसी बीच कर्मचारियों ने 10 मई, 1979 से "सामूहिक धरना" देना शुरू कर दिया है और वे कर्मचारी भविष्य निधि में गड़बड़ी किये जाने की जांच करने की मांग कर रहे हैं और आपात-स्थिति के दौरान राजनीतिक आधारों पर सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने की भी मांग कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सारे मामले की तत्काल जांच कराये और उत्तरदायित्व निश्चित करें। वह सभा में तथ्यों को स्पष्ट करने वाला एक वक्तव्य भी दें।

**(दो) ग्रोवर आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही**

श्री **चित्त बसु** (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले को उठाता हूं :

ग्रोवर आयोग ने अपने निष्कर्ष दे दिये हैं। इस आयोग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ लगाये गए 67 आरोपों में से 12 आरोपों को सही माना है। पिछले वर्ष के आरंभ में आयोग ने जो अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इन्हीं कार्यों को दोषी ठहराया गया था—जांच किये गए सात आरोपों में चार में दोषी पाया गया था। अन्तिम प्रतिवेदन में आठ और आरोपों को अंशतः या पूर्णतः सही ठहराया गया है। पाँच अन्य आरोपों के मामले में आयोग ने यह अनुभव किया है कि संदेह के कुछ आधार हैं, हालांकि ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त आयोग के निष्कर्ष अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उसी व्यक्ति को भेज दिये हैं जिसके खिलाफ आयोग ने अपने निष्कर्ष दिए हैं। इसलिये यह बहुत ही विडम्बनापूर्ण संयोग है कि जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया है, उसे ही अपने विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का कार्य सौंपा गया है।

विधान सभा में चर्चा के दौरान कर्नाटक ने मुख्यमंत्री ने यह विचार व्यक्त किया बताते हैं कि आयोग का प्रतिवेदन मात्र प्रतिवेदन है, निर्णय नहीं।

दि स्टेट्समैन, दिल्ली के 13 मई, 1979 के अंक में यह लिखा गया है :

> "कर्नाटक के मुख्यमंत्री, श्री देवराज अर्स ने आज (12 मई) यहां कहा कि वह ग्रोवर आयोग के निष्कर्षों को अपने ऊपर 'एक प्रकार का कलंक' मानते हैं और वह इसे दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं।"

सभा को याद होगा कि 1978 के विधानसभा आम चुनावों के फौरन बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने तथा अपने सहयोगियों के विरुद्ध सी. बी. आई. द्वारा जाँच के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहमति को वापस ले लिया था। इस प्रकार निष्कर्षों के जांच तथा न्यायिक कार्यवाही की दिशा में और आगे कार्यवाही करने के सी. बी. आई. के अधिकार क्षेत्र से उसे वंचित कर दिया गया है।

इस प्रकार एक असंगतिपूर्ण स्थिति पैदा कर दी गयी है। इस असंगति को स्वयं ग्रोवर आयोग ने भी स्वीकार किया है और मौजूदा जांच आयोग अधिनियम, 1952 में जो दुर्बलताएं हैं उनको दूर करने के लिए संविधान-संशोधन सहित उचित विधान बनाने की सिफारिश की है।

विशेष न्यायालय विधेयक के कारण इस घटना को एक नया आयाम मिल गया है। अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 आपातकाल के दौरान की गयी ज्यादतियों और गलतियों तक ही सीमित नहीं है। सांविधिक पुस्तक में इसे स्थायी तौर पर समाविष्ट कर लिया गया है और सार्वजनिक पद पर आसीन राजनीतिज्ञों को अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार कराने के इसके उद्देश्यों को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए, इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री **चित्त बसु**: गृहमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। वह एक वक्तव्य दें।

## (तीन) रेलवे विभाग में बढ़ती हुई अध्यक्षता

**श्री विनायक प्रसाद यादव** (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, सोमवार 14 मई, 1979 एवं अन्य राष्ट्रीय अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपे "मौसम की खराबी या आन्दोलन ? उत्तर भारत में भी रेल सेवायें अस्त व्यस्त" जिसके फलस्वरूप देश के हर कोने में रेल प्रशासन ठप्प सा हो गया है। कोयले की तथाकथित कमी का हवाला देकर तो विगत एक वर्ष से देश के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों आवश्यक ट्रेन रद्द ही कर दी गई थीं जिसके चलते छात्रों, सामान्य यात्रियों और नौकरी पेशा वाले की तो दुर्गति ही हो रही थी इधर एक महीने से बाकिया चालू यात्री गाड़ियां, चाहे एक्सप्रेस हों या मेल हों, समय पर न चलने से इस कड़ाके की गर्मी में लाखों यात्री धूप में हर स्टेशन पर कराह रहे हैं। कोई भी गाड़ी समय पर नहीं चल रही है। 2-4 घंटे को कौन पूछे 20, 22 घंटे तक गाड़ियाँ लेट रहती हैं और कईयों को अन्त में कैंसिल की घोषणा की जाती है। स्टेशन पर कोई यह बतानेवाला भी नहीं मिलता है कि कौन गाड़ी कितनी लेट है ? इंक्वायरी में टेलीफोन करने पर कोई टेलीफोन नहीं उठाता है। धूम में झुलसते नागरिकों को कोई पानी देने वाला नहीं मिलता है। दूर से चलने वाले यात्रियों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दूसरे यात्री को पैसे लेकर बैठा दिया जाता है जबकि सदन के माननीय सदस्यों को डिब्बों के पैसेज या लगेज कोच या डायनिंग कार में चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शिकायत पुस्तिका मांगने पर भी नहीं दी जाती है और यहां तक कहा जाता है कि कम्पलैंट बुक इतनी सस्ती नहीं होती है। लगता है रेल प्रशासन को लकवा मार गया है जिसके चलते यात्रियों में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि सरकार ने इस ओर अविलम्ब ध्यान नहीं दिया तो लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा और फिर रेल का हर स्टेशन कुरुक्षेत्र बनेगा।

अतः रेल मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाते हुए अविलम्ब कार्रवाई की माँग करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री के० बी० चेतरी यहाँ नहीं हैं। फादर एन्थनी मुरमू।

**(चार) संथाल परगना, बिहार में आदिवासियों और हरिजनों में भुखमरी के कारण हुई मौतों के समाचार**

**फादर एन्थनी मुरमू** (राजमहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय आयाम के, सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सभा और सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

संथाल परगना विशेष रूप से दुमका जिले के व्यापक क्षेत्र में आदिवासियों और हरिजनों के भूख से मरने के समाचार मिल रहे हैं। देवगढ़ खण्ड में गादी जमुआ गांव के हरिजन बंधवा मजदूर समय से पहले मर रहे हैं। ऐसा समाचार है कि प्रतिवर्ष 2000 व्यक्ति मर जाते हैं, मानो इसके लिए कोटा निश्चित कर दिया गया हो। ये लोग रक्तक्षय से मरते हैं।

विडम्बना यह है कि भारतीय खाद्य निगम के भरे हुए गोदाम इन निरीह आदिवासियों और हरिजनों की पहुँच के बाहर हैं। लगातार भूख से कुपोषण होता है और बीमारी होती है। यह कहा गया है कि एक रहस्यमय बीमारी इन क्षेत्रों में आती है और वार्षिक मौतों का कारण बनती है। प्रश्न यह है कि रहस्यमय बीमारियाँ संथालों के क्षेत्रों में और हरिजन बस्तियों में ही क्यों आती हैं।

प्रगतिशील सरकार लोगों की गरीबी और मुसीबतों को दूर करने के लिए हर संभव कार्य करने का दावा कर रही है और दूसरी ओर दरिद्रता, कुपोषण, बीमारी और मृत्यु इन क्षेत्रों के जीवन की सचाई है। संथाल परगना के लोगों के प्रतिवर्ष इस तरह से मरने के क्या कारण हैं ?

मैं सम्बन्धिक मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूँ कि लोकसभा के इस सत्र के समाप्त होने से पहले एक वक्तव्य दें और यह बतायें कि इन क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने और लोगों को बराबरी के स्तर पर लाने, ताकि वे जीवन के सामान्य कारोबार में लग सकें, के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है।

---

## अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23 वें और 24वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री धनिकलाल मंडल द्वारा 9 मई, 1979 को प्रस्तुत किये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार शुरू करते हैं— अर्थात् :

> " कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75 और 1975-76 तथा 1976-77 के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों पर जो क्रमशः 1 मार्च, 1978 और 9 मई 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

श्री रामनरेश कुशवाहा बोल रहे थे। श्री कुशवाहा।

**श्री रामनरेश कुशवाहा** (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किस तरह अंग्रेजों के जाने के बाद रात भर में काले लोग शासन चलाने योग्य हो गये और हम जो पिछड़े हैं, हरिजन हैं, पता नहीं कब तक अयोग्य रहेंगे। योग्यया कभी कभी कुर्सी से भी आती है। कहा जाता है कि तैरना सीखने के लिए पानी में जाना ही चाहिए क्योंकि तैरना खड़े खड़े नहीं सीखा जा सकता है। तैरना सीखने के लिए पानी में ही जाना पड़ेगा। ये जो लोग पांच हजार वर्षों से पद से, धन से, मन से सब चीजों से वंचित हैं अगर इनको पदों पर बिठाकर योग्य नहीं बनाया जाएगा तो ये किसी भी पद के योग्य कैसे हो सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक ये बढ़े हुए लोगों के समकक्ष आने वाले नहीं हैं।

जैसा शेडयुल्ड में बताया गया है कि इतनी जगहें खाली हैं और ये इसलिए खाली हैं चूंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण उन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई। आज जो रिक्रूट करने वाले लोग ऊपर बैठे हुए हैं वे नहीं चाहते हैं कि हरिजन या पिछड़े लोग भर्ती हों। वे इन लोगों को वहाँ आने नहीं देना चाहते, घुसने देना नहीं चाहते।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिन्दू समाज का यह सबसे बड़ा गुण है। श्रीमान मुझे तो भय है कि हिन्दू राष्ट्र कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। जवाहर लाल जी से लेकर मोरारजी देसाई तक सब हिन्दू ही प्रधान मन्त्री हुए। जहाँ तक मेरी मोटी बुद्धि में समझ में आया है कि पाकिस्तान का मतलब ही मुस्लिम राष्ट्र है चाहे लिखा जाये या न लिखा जाये, हिन्दुस्तान का मतलब ही हिन्दू राष्ट्र है चाहे लिखा जाये या न लिखा जाये। जब तक इस देश में लोकतन्त्र है तब तक इससे भिन्न इसका कोई अर्थ नहीं हैं। क्या जवाहर लाय नेहरू से लेकर मोरारजी भाई हिन्दू नहीं हैं ? फिर क्या कोई खास किस्म के लोग हिन्दू होंगे ? अगर वे हिन्दू होंगे तो इन पिछड़े और हरिजनों का उनमें क्या स्थान होगा ? जो आज तक इनका स्थान रहा है क्या इससे भी गया बीता इनका स्थान होगा ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक इस तरह की संकीर्णता इस देश से जुदा नहीं होगी तब तक निश्चित रूप से समाज का कल्याण नहीं होगा और हरिजनों और पिछड़े लोगों की समस्या भी हल नहीं होगी।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि हम हरिजनों को हथियार देंगे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाँ पर हरिजनों पर अत्याचार हुए वहाँ पर सामूहिक जुर्माना करने की व्यवस्था की। उन्होंने हरिजनों और आदिवासियों की रक्षा के लिए अलग फोर्स बनाने की घोषणा की और कहाकि उसमें हरिजन और आदिवासी ही भर्ती होंगे। अगर इस तरह के कदम उठाए जाएं तो निश्चित रूप से हरिजनों पर होने वाले अत्याचार कम होंगे। मुझे भय है कि श्री कर्पूरी ठाकुर को हटाए जाने में यह भी एक कारण था। मुझे यह भी भय है कि अब उनके हटाये जाने के बाद क्या उन नीतियों को चलाया जाएगा या नहीं ? उन्होंने पिछड़े और हरिजनों को कुछ सुविधाएं देने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस सेवा में जब तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक दूसरों को भी भर्ती नहीं किया जाएगा। दूसरों की भर्ती पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। अगर जब तक आप भी इस तरह से काम नहीं करेंगे तब तक हरिजनों का या दूसरों का रिजर्वेशन का कोटा पूरा

[श्री राम नरेश कुशवाह]

होने वाला नहीं है क्योंकि कानून में छेद है और छेद का बहाना बना कर यह कोटा पूरा नहीं किया जाएगा।

श्रीमान, जब तक आप गद्दी पर नहीं थे तब तक हम लोग सच्चे थे। जब आप गद्दी पर बैठ गये तो आप सच्चे हो गए। अब मुसीबत क्या है ? हम कुछ भी कहें लेकिन कुछ नहीं होता। आपके अफसर जो रिपोर्ट दे दें वही ठीक है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने फतवा दे दिया है निर्भर होकर काम करें। फिर एम० एल० ए० या किसी और की क्या सुनेंगे वे ? अगर वे नहीं सुनते हैं तो उनका क्या कसूर। कसूर तो हमारे अफसरों का है मंत्रियों का है जिन्होंने इस तरह का फतवा दे रखा है। उन्हीं के कागजों को वे देखते हैं, उन्हीं की बातों को वे सुनते हैं। निजी तौर पर जानते हैं कि यह काम गलत है लेकिन फिर भी उनको वह करना पड़ता है। कारण यह है कि नौकरशाही का शिकंजा, लाल फीताशाही का शिकंजा बहुत ज्यादा कसा हुआ है। श्री राम जी लाल सुमन के गांव को ही फूंक दिया गया है। अब उनका क्या कसूर था ? उनका कसूर केवल यही था कि वे लोग सीना तान कर खड़े हो जाते थे जब कोई अत्याचारी आता था और उसका वे लोग मुकाबला करते थे। इसका नतीजा यह हुआ है कि मौका पाकर उनका गाँव का गाँव ही फूंक दिया गया है। इस तरह की घटनायें क्यों हो रही हैं इसकी तह में आपको जाना चाहिये।

जब तक हम लोग कागजी गोरखधन्धे में रहेंगे, जब तक हम लोग सचमुच में धरती पर उतर कर काम नहीं करेंगे, उनमें मिल बैठकर काम नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। गाँधी जी क्यों हरिजन बस्तियों में जाकर रहा करते थे, क्यों वहाँ ठहरा करते थे, भंगियों में जाकर क्यों रहा करते थे ? इसका कारण यह था कि उनका कहना था कि जो कोई भी उनसे मिलने के लिए आता है, बात करने के लिए आता है तो उसको हरिजन बस्ती में जाना पड़ेगा। इस वास्ते वे वहां जाकर रहा करते थे। जो लोग उनसे मिलना चाहते थे उनको वहां जाना पड़ता था। हमारे मंत्री क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं ? क्या वे कम से कम साल में एक दो दिन का समय वहाँ जाकर बिता नहीं सकते हैं ? बड़े-बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जाकर एक दो दिन तक साल में हरिजनों में रहें तो देखा देखी और भी लोग वहां जाएंगे, इन लोगों से मिले जुलेंगे और जो अलगाव की भावना है वह दूर होगी। ऐसा नहीं किया जाता है तो हम एक दूसरे से अलग खड़े रहेंगे। जब तक हिन्दू धर्म में जातपांत की दीवार जो खड़ी है इसको तोड़ा नहीं जाता है, जब तक कट्टरपन्थी लोग बने रहेंगे तब तक हरिजन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकेगा।

हमारा केवल मात्र एक ही निवेदन है। हम सबको अपने हृदयों को टटोलना चाहिए और टटोल कर सचमुच में इनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिये। सभी लोगों को मिलजुल कर यह काम करना चाहिए। गांधी जी जब जिन्दा थे तब से आजादी के बाद से ही नहीं बल्कि आजादी मिलने से पहले से भी हम हरिजनों को ऊंचा उठाने की घोषणायें करते आ रहे हैं, हम कहते आ रहे हैं कि पिछड़े लोगों को हम उठा रहे हैं लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहे हैं, इनकी समस्यायें घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है, इस पर भी हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। एक सीधी सी बात है। भोजपुरी में एक कहावत है :

हकूमत के हाथी का दूदांत होला, खाये के दूसर दिखावे के दूसर

इस डपोरशंखी जबान से तो सब कुछ दे देंगे, घोषणायें तो बहुत सी कर देंगे लेकिन जब लिखकर देने का वक्त आएगा तो कुछ नहीं दो। अहं ढपोर संखिनी वदामि च ददामि न। जब देने का वक्त आता है तो कुछ नहीं देते हैं। यह इनका काम है। इस तरह से न हरिजनों का कोई कल्याण होने वाला है और न ही आदिवासियों की समस्यायें ही हल होने वाली हैं। किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप सरकार को वस्तुस्थिति का ज्ञान करायें, उनसे कहें कि वह वस्तुस्थिति को देखते हुए जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और समाज के लोगों, तीनों के दिमाग का समन्वय करें और समन्वित रूप से आगे बढ़ें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो उसका प्रत्येक नागरिक मजबूत होना चाहिए। चाहे वह हरिजन हो या किसी धर्म से संबद्ध हो, उसे मजबूत होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में बहुत से कमजोर लोग हैं जिन्हें हम कमजोर वर्ग कहते हैं और उनको मजबूत बनाने का दायित्व सरकार पर है। यदि वे मजबूत बनेंगे तो देश भी मजबूत बनेगा। यदि हम अच्छा और मजबूत मकान बनाना चाहते हैं तो उसके निर्माण के लिए आवश्यक सामान बहुत अच्छी किस्म का होना चाहिए।

दुर्भाग्य से, अपने देश में हमने आदिवासियों और हरिजनों के कल्याण की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। प्रतिवेदन आते हैं और प्रतिवेदन जा सकते हैं—मैं इन बुनियादी बातों पर विचार करना चाहता हूं कि हरिजनों की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। 'छूत' और 'अछूत' अनावश्यक शब्द हैं। मैं बाबू जगजीवनराम का उदाहरण देता हूं। उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति बाबू जगजीवनराम के पैर छू सकता, क्योंकि उनके पास राजनीतिक शक्ति है। कोई भी व्यक्ति यदि आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, तो 'छूत' और 'अछूत' की यह बात सामने नहीं आती। इसे समाप्त करने के लिए हमें लोगों की दशा सुधारना होगा। मैं तीन या चार ठोस सुझाव देना चाहता हूं। खाड़ी के देशों में शारीरिक श्रमिकों की बहुत मांग है। भारतीय भवन निर्माण निगम और गेमन्स (इंडिया) विदेशों में कार्य के लिए भर्ती के मामलों में केवल हरिजनों को तरजीह दे रहे हैं। यदि उसे विदेश में रोजगार मिल जाये तो वह प्रति वर्ष 25000 रुपये कमाता है। हरिजनों की भर्ती के मामले में ई. पी. आई. उनकी उपेक्षा कर रहा है। वे हरिजनों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और गेमन्स (इंडिया) तत्काल इन लोगों से यह पूछते हैं कि क्या वे अनुसूजित जातियों और अनसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। वे उनसे संबंधित प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के फौरन बाद उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। अन्य लोगों की तुलना में शारीरिक रूप से बहुत मजबूत न होने पर भी उन्हें तरजीह दी जाती है। इन लोगों की दशा को हम कैसे सुधार सकते हैं? शिक्षा का जहाँ तक संबन्ध है मेरे राज्य में उनको बहुत सहायता दी जाती है, ताकि अनुसूचित जातियां और जनजातियाँ राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बन सकें। हमारे मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है कि जहाँ कहीं भी हरिजन भारी संख्या में हों, वहाँ सरपंच का पद हरिजन या वहाँ के आदिवासी को दिया जाये। समितियों में भी यही स्थिति है। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को इसी प्रकार की हिदायतें दे। अनु-

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएँगे, तब तक कुछ नहीं होगा। विधान परिषदों और संसद में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना होगा। केवल तभी आप इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। विकास कार्यों का जहाँ तक संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। स्वभावत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बहुत होशियार होते हैं। कुछ और अवसर दिये जाने पर, वे बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। दस वर्षों में इन लोगों को दूसरे समुदायों के लोगों के बराबर लाना होगा।

शैक्षिक अवसरों का जहाँ तक सम्बन्ध है, मुख्य मंत्री, श्री चेन्ना रेड्डी उन्हें बहुत सहायता दे रहे हैं और छात्रवृत्तियां दे रहे हैं। सैकड़ों और हजारों का बैकलाग है। उनकी हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है। इस वजह से उनकी हर रूप में मदद की जानी चाहिए। हमें आशा है कि हमारे मंडल जी इस मामले पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और उचित कार्यवाही करने तथा उन्हें अपेक्षित स्तर पर लाने की व्यवस्था करेंगे। जो राज्य उनकी हिदायतों और अपेक्षाओं को पूरा न करे, जिन राज्यों में हरिजनों की उपेक्षा की जा रही है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके विरुद्ध वे कुछ कठोर कार्यवाही करें। उस मंत्रालय को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के पर्याप्त अधिकार भी उनके पास हैं। और यदि एक या दो राज्यों को इस रूप में सजा दे दी गई तो अन्य राज्यों को सबक मिलेगा और इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को मदद मिलेगी।

हमारे देश के नाम पर यह कलंक है कि हमारे इतने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह कलंक जनता सरकार के शासन के शेष तीन वर्षों में मिटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखे बगैर कि वे किस राज्य के हैं हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को दुगुना कर दिया जाना चाहिए। हरिजन बच्चे बहुत होशियार होते हैं। हमारे भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री डी० संजीवैया बहुत मेधावी विद्वान रहे हैं। हमारे सामने भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बी० एस० मूर्ति जैसे बहुत से लोग हैं। थोड़े से प्रोत्साहन और थोड़ी-सी शिक्षा मिलने पर वे उच्च जाति के लोगों के बराबर आ सकते हैं किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों से मुकाबला कर सकते है। आप जानते हैं कि श्री दामोदरम संजीवैया बहुत मेधावी विद्वान रहे हैं। इस प्रकार भूतपूर्व संसद सदस्य श्री पुन्नैया और श्री बी० एस० मूर्ति भी हैं। वे तेलगू के विद्वान हैं। इस प्रकार इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि थोड़ी-सी शिक्षा दिए जाने पर वे दूसरे समुदायों के लोगों के स्तर तक आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इन लोगों को सभी सुविधायें दी जानी चाहिए। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों में हैं, बल्कि इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह देश की प्रतिष्ठा के हित में भी है। सरकार को इस मामले में हर सम्भव कार्य करना चाहिए मुझे यह आशा है कि मन्त्री महोदय इस दिशा में कुछ कार्य करेंगे और इसके पहले कि बहुत बिलम्ब हो जाए, ऐसे कम से कम एक या दो राज्य मंत्रिमंडलों को बर्खास्त करेंगे, जो उनकी हिदायतों का पालन न करते हों। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद !

**श्री महीलाल** (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह हम भारतवासियों को अब ऐसी शक्ति दे कि हम जो जातियों में, सम्प्रदायों में केवल बंटे हुए ही नहीं हैं, बल्कि हमने उस ढंग से सोचना भी शुरू कर दिया है, विशेषतौर पर राजनीतिक लोगों ने, उससे हमें मुक्ति दे। वह दिन सौभाग्यशाली होगा जब भारतवासी जातीयता के अभिशाप से मुक्त हो जायेंगे।

भारतवासियों मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल के वक्ताओं ने केवल हिन्दू धर्म की बात कही थी कि हिन्दू धर्म में जातीयता का अभिशाप है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतवर्ष का ऐसा कोई धर्म नहीं बचा जहां जातीयता का प्रकोप न हो, चाहे हजरत मौहम्मद का धर्म हो, ईसा मसीह का धर्म हो, गुरु नानक देव का धर्म हो, भारतवर्ष का कोई धर्म विलम्बी ऐसा शायद ही मिले। जिसमें जातीयता न पाई जाती हो। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह खासतौर से राजनीतिक लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे कि ये जातीयता, सम्प्रदाय से ऊपर उठ कर देश के गरीबों और मेहनतकश लोगों की बात सोचने लगें और जो भाषण यहां लोकसभा में किये जायें, जो तर्क और विचार रखे जायें वह भी जातीयता और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर किये जायें।

कुछ दिन पहले लोक सभा में हरिजनों के उत्पीड़न का वातावरण बना था और आज सम्प्रदाय के उत्पीड़न का, मतभेद का वातावरण बना हुआ है, जब कि कोशिश यह होनी चाहिये कि हम सम्प्रदायवाद को मिटाने की बात कहें, जातीयता को समाप्त करने की बात कहें। देश के गरीब और निर्धन, देश के लिए दौलत पैदा करने वाले लोगों के जीवन के सम्बन्ध में चर्चा करें और उसी के लिए अपने विचार भी रखें। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक विषमता सबसे बड़ा रोग है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, जिस दिन उनकी गरीबी दूर हो जायेगी, उस दिन उनके प्रति उत्पीड़न और भेदभाव समाप्त हो जायेंगे।

ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है। भारतवर्ष में कुछ राज्य आदिम जातियों के थे, जैसे बस्तर, त्रिपुरा, बंगाल की स्टेट, झाड़गांव यह आदिम जातियों की स्टेट थीं। राजा आदिम जाति के थे लेकिन उनकी शादियाँ, उनके सम्बन्ध राजस्थान के क्षत्रिय राजाओं के साथ होते थे। इसी प्रकार के उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया के स्टेट के थे, वहां के भूमिहरों की शादियां क्षत्रिय राजाओं के यहां होती थीं। यह इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि अमीरी और गरीबी का अन्तर सबसे बड़ा अभिशाप है इस देश के हरिजनों और जन-जातियों के लिये।

मुझे आज बड़ा दुःख होता है, जब कभी भी सोचता हूं। 30 साल पहले गांधी जी की फौज में जितने लोग रहते थे कांग्रेस में, वह सब एक दूसरे की जाति को नहीं जानते थे। कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले एक जाति थी, लेकिन आजादी के बाद जातीयता का भेदभाव किस तरह से हमारे राजनीतिक लोगों में, विशेष कर राष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंच गया है, मुझे कहते हुए दुःख

[श्री महीलाल]

होता है, पिछले महीने मेरी भांजी को कालेज में अपमानित किया गया हरिजन होने के कारण और वह उस अपमान को सहन नहीं कर सकी और पागल हो गई।

हरिजनों में अब अपमान को सहन करने की क्षमता नहीं है, हमारे बच्चे अपमान सहन नहीं कर पाते। तो यह जो अपमान है, इसका मुख्य कारण गरीबी और निर्धनता है।

गरीबी को दूर करने के लिए पिछले तीस सालों के दौरान नारे लगाये गये, कानून बनाये गये, योजनायें बनाई गईं, भूमि की सीमा निर्धारित की गई, भूमि के आवंटन की घोषणा की गई, लेकिन रफ्तार बेढंगी जो मैंने उस वक्त देखी, वह मैं आज भी देख रहा हूं।

मण्डल साहब मुझे माफ करें, वह कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन उनकी कोशिशों और प्रयासों का नतीजा अभी हमारे सामने नहीं आया है। पिछले तीस सालों में सीलिंग लगाई गई और भूमि के बटवारे का नारा दिया गया। लेकिन सीलिंग के बाद जो भूमि बची, वह भूमि उन भूमिपतियों के पास ज्यों की त्यों रही। मैं ऐसे एक नहीं, पचास उदाहरण पेश कर सकता हूं। कांग्रेस में एक बहुत बड़े भारी नेता की भूमि सीलिंग में निकली, वह कोर्ट में गये और स्टे ले आये, और भूमि ज्यों की त्यों उनके कब्जे में है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच या झिझक नहीं है कि इनाम में उनको मंत्री पद और दे दिया गया। सीलिंग की भूमि के चोर हैं, और सरकार में मंत्री-पद पर बैठे हुए हैं।

यह सब कुछ तीस साल तक चलता रहा है। मैं आपके माध्यम से मण्डल साहब से, और उनके माध्यम से इस सरकार से, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार हरिजनों के प्रश्न पर पिछले तीस साल तक जिस रास्ते पर चली है, कृपा करके उस रास्ते को बदलें, कथनी और करनी में जो अन्तर रहा है, उसको मिटायें, जो कुछ वे कहते हैं, वे उसको करें।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि बैंकों से ऋण देने की जो व्यवस्था होगी, उसमें आधा परसेंट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 4 प्रतिशत ब्याज पर उधार दिया जायेगा। आयुक्त महोदय ने सिफारिश की है कि इस धनराशि को बढ़ाना चाहिए। मुझे संदेह है कि आध परसेंट लोगों को भी ऋण दिया गया है—मैं समझता हूं कि उन्हें भी नहीं मिला होगा, बढ़ाने की बात तो दूर रही।

मण्डल साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हुए मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बैंकों और वित्त मंत्री पर मारल प्रेशर डालें, बैंकों को अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को अधिक ऋण देने पर मजबूर करें और बैंकों से हर तीसरे माह यह रिपोर्ट लें कि उन्होंने कितना ऋण इन वर्गों के लोगों को दिया है।

यह केन्द्रीय सरकार की मजबूरी है कि वह अनुदान दे सकती है, लेकिन रुपये का उपयोग राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। और राज्य सरकारों के जो तरीके है, उन्हें मण्डल साहब भी जानते हैं, और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते होंगे। हरिजनों के मकानों और कुंओं के लिए वहां से अनुदान के रूप में रुपया गया, मगर जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय ने, जिनके माध्यम से रुपया बंटना है, अपने फार्म में क्वाटर और कुंआं बनवा लिया। झांसी के तालवेहट

ब्लाक में हरिजनों के कुएं के लिए रुपया गया, लेकिन प्रमुख ने अपने खेत में कुंआ खुदवा लिया। केन्द्रीय सरकार जो रुपया देती है, उसका यह हाल होता है।

इसलिए मैं यह बहुत जरूरी समझता हूं कि इस सदन की एक मूल्यांकन समिति बनाई जाये, जो हर स्टेट में जाकर देखे कि भारत सरकार ने जो रुपया दिया है, उसका कितने प्रतिशत सही मानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर खर्च हुआ है, क्या नेताओं के कल्याण पर उसका उपयोग तो नहीं हुआ है ?

दूसरी बात यह है कि केवल ऋण की बात नहीं है, बिजली की भी कमी है। अनुसूचित जाति के पढ़े-लिखे लड़के नौकरी नहीं करते तो किसी कारोबार में लगना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं जानता हूं। हरिजनों के पढ़े-लिखे नौजवान लड़कों को पांच और दस हार्स पावर का बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया जबकि उत्तर प्रदेश में ही जिन लोगों ने स्टेट की राजधानी में जाकर चढ़ावा चढ़ा दिया वे 200 और 300 हार्स पावर की मंजूरी करा कर ले आए। आप सभी हरिजन पढ़े-लिखे नौजवान लड़कों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। वह दिन करीब आ गया है जब शत प्रतिशत लड़के शिक्षित होंगे और आरक्षण के नाम पर सभी को नौकरी नहीं मिल पायेगी। वे पढ़े-लिखे बेरोजगार लड़के जिनके बाप दादा घास खोदते थे, झाड़ लगाते थे, जूते की मरम्मत करते थे, अब पढ़ने लिखने के बाद उसी काम पर वापिस नहीं आयेंगे क्योंकि उस काम को मान नहीं मिलता। उनको मान और सम्मान चाहिए और मान सम्मान के लिए उन्हें काम चाहिए। और काम पाने के लिए उन्हें आपका सहारा चाहिए। इसलिए मैं मण्डल जी से अनुरोध करूंगा कि जब तक आपका और सरकार का सीधा सहारा नहीं मिलेगा तब तक अगर आप यहां से एक रुपया देंगे तो उनको शायद 50 पैसे या 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे।

मैं आपसे निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश शुरू हो गया है कि अगर कोई हरिजन नौजवान कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है, शेडयूल्ड कास्ट होने का तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां एप्लीकेशन पर डेढ़ रुपये का टिकट लगाना होता है तभी उसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। किसी पार्लियामेंट के मेम्बर का लिखना काफी नहीं है, किसी विधायक का लिखना काफी नहीं है, उसके लिए डी० एम० का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए वहां पर टिकट चाहिए। और केवल टिकट की बात नहीं है, उसके लिए लेखपाल से रिपोर्ट आयेगी। लेखपाल, कानूनगो साहब और तहसीलदार के पास एक पढ़े लिखे हरिजन नौजवान को कितना अपमानित होना पड़ता है और कितना खर्चा करना पड़ता है, यह सभी लोग जानते हैं।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मुझे एक शिकायत है, मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष तक मेरी भावनाओं को पहुंचा दिया जाय। लोक सभा के स्टाफ में ही आरक्षण की पूर्ति नहीं है। यहां पर शेडयूल्ड कास्टस का कितना परसेंट रिजर्वेशन है, इसको आप निकाल कर देख लें। चिराग तले ही अन्धेरा है। इसी प्रकार से मंत्रिमण्डल में आरक्षण की कितनी पूर्ति है, यह भी आप देख लें। जब यह हालत है कि लोक सभा के स्टाफ में पूर्ति नहीं है, शासन के स्तर पर मंत्रिमण्डल में पूर्ति नहीं है फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिला और तहसील की लेविल पर आरक्षण की पूर्ति की जायेगी ? इसलिए कृपा करके आप इसको ऊपर से शुरू करें। और जैसा मैंने निवेदन

**(श्री महीलाल)**

किया, आप कथनी और करनी के अन्तर को मिटा दीजिए। कथनी और करनी में जो अन्तर करने वाले थे उनको जनता ने हटा दिया है। आप बराबर शासनरूढ़ रहें—यह मेरी कामना है। मैं आपके साथ हूं, उन्हें छोड़ कर यहां आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अब नारेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। केवल मेरी ही नहीं, इस देश के मेहनतकशों की भी यह प्रतिक्रिया है कि इस सरकार के आने के बाद शासन तन्त्र में कोई तब्दीली नहीं आई है, विशेष तौर से मेहनतकस लोगों को ऊंचा कराने के मामले में। आपके गृह विभाग ने सभी विभागों को एक परिपत्र भेजा है कि हरिजनों के हितों की देख-रेख के लिए सभी विभागों में हरिजन सेल बना दिए जायें। दो साल हो गए हैं लेकिन कृषि विभाग में उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? मण्डल साहब, जरा पता लगाइये कि कृषि विभाग में या दूसरे विभागों में, कितने विभागों में हरिजन-सेल बन गये हैं, कहीं बने भी हैं या नहीं ? मैं तीसरी बार इस बात को कहता हूं—उतना कहिये जितना आप कर सकें। नारेबाजी करने वाले जिन्होंने विनोबा जी की हमदर्दी में व्रत रखा, दूसरों को व्रत रखने की प्रेरणा दी, लेकिन जब स्वयं करने का वक्त आया तो पीछे हट गये कि हम सहयोग नहीं दे सकते। अब ज्यादा दिनों तक भारतवर्ष की जनता को बहकाया नहीं जा सकता, भुलावे में नहीं डाला जा सकता। आज जगह-जगह चर्चा है कि इन्दिरा जी तो विनोबा जी की सिम्पथी के व्रत रख रही थी, अब जब कि विधान बनने जा रहा है, आज वह विधेयक आ रहा है तो उसके समर्थन के लिये भी तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें खतरा है, वोट कम हो जायेंगे। वोट की परवाह जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते। इस तरह से आपके हाथों गरीबों की भलाई नहीं होने वाली है।

मैं मण्डल साहब के प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं—अपनी मौरल-सपोर्ट के साथ, अपनी शक्ति के साथ कथनी और करनी के अन्तर को मिटाकर गरीबों की भलाई के लिए काम करें।

**श्री ए० के० राय** (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आज यहां तीन मोटी-मोटी किताबों पर, जिन को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की रिपोर्ट कहा जाता है...

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि इसके लिए दिए गये समय को हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। क्या सभा को इस पर खुशी होगी यदि हम समय को तकरीबन एक घंटे के लिए और बढ़ा दें।

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां !

**श्री पूर्णनारायण सिंह** (तेजपुर) : दो घंटे। एक घंटा मंत्री जी के लिये तथा एक घंटा आम सदस्यों के लिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में एक घंटा पर्याप्त होगा।

**श्री युवराज** (कटिहार) : 2 घंटे बढ़ा दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल वही नाम जो सूची में हैं, उन्हें ही बोलने का अवसर दिया जायेगा। कोई नये नाम इसमें शामिल नहीं होंगे।

**श्री महीलाल** : माननीय मंत्री जी, दो घंटे बढ़ावा दीजिये, इस से दूसरों को भी मौका मिल जायेगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने नाम हैं, उनके हिसाब से एक घन्टा बढ़ाना काफी होगा, उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

**(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)**

**श्री ए० के० राय** : सभापति महोदय, हम लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की तीन सालों की रिपोर्टों पर, जो इस समय हमारे सामने है, बहस कर रहे हैं । हम लोग यहां बहस करते हैं, लेकिन अत्याचार भी होते जा रहे हैं । इस सवाल पर हमारा यह कहना है कि हम लोगों को इन तमाम समस्याओं की जड़ में जाकर इन का समाधान खोजना चाहिये । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनमें सवाल सुविधा का नहीं है या किसी सम्प्रदाय के प्रति घृणा का सवाल नहीं है या कोई दौकरी या किसी चीज में हिस्से का सवाल नहीं है बल्कि इस समुदाय के प्रति न्याय का सवाल है, इस समुदाय के प्रति होने वाले अत्याचारों का सवाल है, उन लोगों के अस्तित्व तथा उत्थान का सवाल है । इस लिये हमें इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

दो दिनों में इस समस्या पर जो विचार हुआ है—उनमें एक तो वे लोग हैं जो हरिजन और आदिवासियों की समस्याओं के प्रति हमदर्दी रखते हैं और उन के बारे में कहते हैं—मैं उन की बात नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन जो लोग सचमुच में चाहते हैं कि हरिजनों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों का उत्थान हो—हम पहले उनके दृष्टिकोण को देखते हैं । लोहियावादी सदस्यों का जो दृष्टिकोण है—वे कमजोर वर्ग के अधिकारों, नौकरियों और दूसरी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं में उन लोगों के रिजर्वेशन तथा हिस्से का सवाल सामने लाकर रखते है ।

दूसरी ओर मार्क्सवादी इस चीज को देखते हैं कि समाज के अन्दर लोगों में आर्थिक समवंटन हो । वे इकोनामिक इसूज को देखते हैं कि समाज के अन्दर धन का समवंटन हो, जमीन का समवंटन हो और भूमि सुधार हो । वे इन चीजों को सामने रखते हैं । आज लोगों में एक वर्ण का दृष्टिकोण है और दूसरा वर्ग का दृष्टिकोण है लेकिन हिन्दुस्तान में किसी भी समस्या का समाधान वर्ण एवं वर्ग दोनों को अलग-अलग करने से नहीं मिल सकता । वर्ण और वर्ग दोनों को मिलाकर देखना पड़ेगा ।

हरिजनों और कमजोर वर्गों की समस्या न धन के समवंटन से न नौकरी-चाकरी और सुविधाओं के समवंटन से पूरी तरह से हल हो सकेगी । यह तो एक आंशिक समाधान है, एक सेकशनल समाधान है । हम लोगों को मूल समस्या को पकड़ना है । हिन्दुस्तान में हरिजन, आदि-वासी तथा कमजोर वर्गों की जो समस्या है, उसमें समाज में जो श्रम विभाजन है, जो डिविजन आफ लेबर है, उसके पुनर्विभाजन का सवाल है । यह चीज हमको समझनी चाहिए ।

> यह एक सवाल है । यह एक मसला है । यह श्रम के पुनर्वितरण, श्रम विभाजन के पुनर्वितरण का मसला है जो कि समाज में पहले ही विद्यमान है ।

**(श्री ए० के० राय)**

जमीन को अगर हम बांट दें, धन को बांट दें, तब भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी और नौकरी-चाकरी में 60, 70 परसैन्ट रिजर्वेशन हम करते चले जाएं, तो भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप को समाज के अन्दर फिर से श्रम विभाजन करना होगा।

आपको मौजूदा श्रम विभाजन का पुनर्वितरण करना है। आपको श्रम विभाजन के पूरे ढांचे की समीक्षा करनी है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में जो हरिजनों की समस्या है, इस के लिए आप वर्ण की जड़ को खोजिये। ऋग्वेद के अन्तिम मंडल में एक श्लोक है, जिसको पंडितों ने सोचा और बाद में उस को घुसाया गया। ओरिजिनल ऋग्वेद में वह चीज नहीं है। किस रूप में दुनिया की उत्पत्ति हुई, इस बात की कल्पना उसमें की गई है। यह कल्पना की गई है कि एक विराट पुरुष है, जिस के माथे से ब्राह्मण, जिस की भुजाओं से क्षत्रिय, जिस की जांघों से वैश्य और जिस के चरणों से शुद्र की उत्पत्ति हुई। यह चीज उस में रखी गई है जिस से समाज के अन्दर श्रम विभाजन, डिविजन आफ लेबर का स्पष्ट उल्लेख किया गया अर्थात् ब्राह्मण का काम शास्त्र, क्षत्रिय का काम शस्त्र, वैश्य का काम व्यापार और शुद्र का काम सेवा, निश्चित किया गया था। आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में, हजारों सालों के इतिहास में और बाहर के भी बहुत से हमले हुए, देश के अन्दर भी विभिन्न राज्यों में परिवर्तन हुआ, लेकिन मूलभूत रूप से जो ऋग्वेद के टाइप में पैटर्न था, जो श्रम विभाजन का पैटर्न था, वही आज भी लागू है। आज भी आप देखेंगे कि समाज के शीर्ष स्थानों पर ब्राह्मण लोग, ऊंचे वर्ण के लोग ही बैठे हुए हैं, मंत्री सभा में, सदन में और अफसरों के वर्ग के अन्दर, चाहे मैनेजेरियल क्लास हो, चाहे कोई और क्लास हो, समाज के ऊंचे स्थानों में ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और क्षत्रिय जो आज तमाम ला एण्ड आर्डर की मशीनरी है, आप के यहां पर जो पुलिस है या जो आप की मिलिट्री है, उन तमाम जगहों पर उन लोगों का बहुमत है और वैश्य लोग व्यापार कर रहे हैं और जो शूद्र लोग हैं वे लोग सफाई का काम करते हैं या जो आप के यहां फोर्थ केटेगिरी के लोग विभागों में हैं, वे वही लोग हैं। इस तरह से समाज का जो पैटर्न है, वह वही है। आप किसी सफाई मजदूर की मजदूरी या तन्ख्वाह 1,000 रुपये कर दीजिए लेकिन हिन्दुस्तान की समाज व्यवस्था का जो मूल चरित्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे धनिक लाल मंडल जी मंत्री हैं, हम सब लोग परिचित है कि कमजोर लोगों के प्रति इन को काफी हमदर्दी है लेकिन इसके बावजूद इनके राज्य में जितने अत्याचार कमजोर वर्गों पर हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए।

व्यवस्था का बेईमानी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी को ढक देता है। यहां पर वह ढक दी गई है। यहां पर हम लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से, साइन्टिफिकल्ली इस की जड़ को खोजना है। जब तक हम इसको नहीं खोजेंगे तब तक यह बुराई दूर नहीं हो सकती है।

सभापति, महोदय, यहां पर कहा गया कि हरिजन मंत्री हो। यह कहकर एक विचित्र समाधान खोजने को कहा। मुझे याद है कि जब बिहार में भोला पासवान शास्त्री मंत्री थे, हम लोगों के हरिजन मंत्री थे तो उनके टाइम में आदिवासियों पर हिन्दुस्तान के सबसे भयंकर अत्या-

चार हुए थे। पूर्णियां जिले में 25 आदिवासियों को जिन्दा जला दिया गया था। हरिजन मंत्री होने के बाद वहां पर आदिवासियों पर ये अत्याचार हुए थे।

हमारी फौज के, सेना के, हमारे प्रतिरक्षा के मंत्री श्री जगजीवन बाबू हैं। क्या उनके होने से कोई अन्तर पड़ा है ? कोई अन्तर नहीं पड़ा। मुझ को याद है कुछ दिन पहले हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जगजीवन बाबू ने बनारस में भाषण दिया था और कहा था कि जब राजपूत ब्रिग्रेड हो सकती है, जाट ब्रिग्रेड हो सकती है तो चमार ब्रिग्रेड क्यों नहीं हो सकती है ? इस पर तमाम बड़े-बड़े अखबारों में एडीटोरियल निकले थे जिसमें कहा गया था कि यह बहुत भयानक बात है। हरिजन के हाथ में आप झाड़ू दे सकते हैं, हरिजन की पाकेट में पैसा दे सकते हैं लेकिन हम उन को हथियार नहीं दे सकते हैं। कम-से-कम इस देश के एक मुख्य मंत्री ने यह तो एलान किया था कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम-से-कम उनके हाथ में हथियार देंगे। ये जो नये हरिजन मुख्य मंत्री आए हैं, मैं इनके बारे में कुछ कमेन्ट्स नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि ऊपर से कोई हरिजन मंत्री या मुख्य मंत्री बिठा देने से ही काम नहीं चलेगा। जिस तरह से बंधुआ मजदूर होते हैं, उसी तरह से हमारे बंधुआ एम० एल० ए० हो सकते हैं, बंधुआ मंत्री भी हो सकते हैं। आज हमने बिहार में देखा कि जो मंत्री बिहार में हरिजनों को हथियार देकर खड़ा करना चाहते थे वे मंत्री नहीं रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि हरिजन मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं।

मण्डल जी यहां बैठे हैं। आप अनुभवी मंत्री हैं ! मैं तो कहता हूं कि जो हरिजन मंत्री होता है उसका भी कोई प्रेस्टिज नहीं होता है। धनिकलाल जी जब बिहार विधान सभा में स्पीकर थे तब हम लोगों ने देखा था कि उनमें कुछ क्षमता थी। आज वह भी उनको नहीं है। हमने हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचारों के लिए कम-से-कम पचासों दरख्वास्तें दी और पूछा कि आप बताइये कि बिहार गवर्नमेंट से आपको इनके बारे में फाइनल रिपोर्ट मिली है या नहीं। उन्होंने उनमें से एक प्रतिशत का भी जवाब नहीं दिया। यही उनकी काबलियत है, यही उनकी क्षमता है।

सभापति जी हमने हरिजन और आदिवासियों की प्राबलम के बारे में यहां पर क्वेश्चन किया। हमने उसमें यह पूछा कि हमारे यहां खदान में, कोलियरीज में पिछले आठ सालों में 50 हजार लोगों को काम से निकाला गया है और उनमें सम्भवत: 45 हजार हरिजन और आदिवासी निकाले गये हैं। हमने यह क्वेश्चन किया था कि आप बताइये कि उनमें से कितने हरिजन और आदिवासियों को छटनी किया गया ? सभापति महोदय आपको आश्चर्य होगा कि क्वेश्चन 1977 में किया था लेकिन उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। इसलिए जवाब नहीं दिया गया कि एक जवाब आने से तमाम चीजों का भण्डाफोड़ होता है। क्या इन लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग नौकरी देंगे ? आपके जमाने में माईनिंग इंडस्ट्री से हरिजन आदिवासियों को निकालने का फ्राड किया गया है। मैंने इस बात के बारे में अश्योरेंस कमेटी में कहा कि मंत्री जी ने हमको अश्योर किया है कि हम जवाब देंगे, अब आप जवाब निकालिये। 6 जुलाई, 1978 को अश्योरेंस कमेटी में कहा। उसके बाद भी मुझको जवाब नहीं मिला। देखिये अश्योरेंस कमेटी ने क्या कहा—

**(श्री ए० के० राय)**

समिति का निष्कर्ष है कि मंत्रालय ने हरिजन और आदिवासियों से संबन्धित मसले को अत्यन्त प्रासांगिक रूप में लिया था सरकार द्वारा समिति को यह जानकारी दी गई कि आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है और उसकी जांच की जा रही है। समीति आशा करती है कि इस आश्वासय का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन होगा ।

आज तक भी जबाव नहीं मिला है। संथाल परगना में दुमका जिले में आपको सुनकर दुख और आश्चर्य होगा कि पिछले दो महीने में सैंकड़ों आदिवासी महिलाओं पर अत्याचारों की घटनायें घटी हैं, उनके साथ बलात्कार हुए हैं। वहां पर गाँव के गांव उजाड़े गए हैं, गोलियां चली हैं, लोग मारे गए हैं लेकिन इनके पास कोई इनफर्मेशन नहीं है। इतना ही नहीं। भागलपुर के कमिशनर के पास इस मामले को भेजा गया था और उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि कोई रेप नहीं हुआ है। किस आधार पर उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट देदी है इसको सुनकर भी आपको आश्चर्य होगा। सदन की बारह वरिष्ठ महिलाओं ने लिख कर प्रधान मंत्री को दिया था कि इनक्वारी कराई जाए। अब जो रिपोर्ट भागलपुर के कमिशनर की है उसको भी आप देखें। बिहार सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था जिस में लिखा गया था कि जिन-जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, वे आकर दरख्वास्त करें और उनको एक हजार रुपया दिया जाएगा कम्पैंसेशन के तौर पर। क्या यह स्त्रियों का अपमान करना नहीं है मैं सर्कुलर भी लाया हूं। अब कमिश्नर साहब ने इस आधार पर कि--किसी महिला ने एप्लाई नहीं किया है, इस वास्ते कह दिया है कि—कोई रेप का केस नहीं हुआ है। इस प्रकार के जवाब भी इन लोगों के द्वारा आज भी हम लोगों को दिए जाते हैं।

आदिवासी महिलाएं वैसे ही कम पढ़ती हैं और एक आधा ही होती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। एक आदिवासी लड़की ने एम० बी० बी० एस० पास किया और पास करके आल-इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसिस में रिसर्च फैलोशिप के लिए कोशिश की। इसका आपको स्वागत करना चाहिए लेकिन आप देखें कि क्या होता है। जो क्राइटीरिया फिक्स किया गया था उसमें उसको फेल कर दिया गया, इस वास्ते फेल कर दिया गया कि उस क्राइटीरिया से एक पर-सेंट मार्क्स उसके कम हैं। मैंने श्री रवि राय को पत्र लिखा कि एक परसेंट से इसको फेल किया जा रहा है, इसको आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी वही जवाब दिया जो जवाब श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में मिला करता था। वह लैटर भी हमारे पास मौजूद है।

चौ० चरण सिंह रूरल सैक्टर की बहुत बात करते हैं और किसानों के नेता हैं, ऐसा वह कहते हैं। आदिवासी और हरिजन जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है इसकी भी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने यहां पर क्वेश्चन किया था। हमने पूछा था कि कौन सी पब्लिक फाइनैंसिंग इंस्ट्रीट्यूशंज कितना कितना पैसा रूरल सैक्टर में दे रही हैं और कितना हरिजनों और आदिवासियों के पास गया है ? इसके जवाब में बता दिया गया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आपके पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। एक हरिजन नौकरी छोड़ कर शैडयूल्ड कास्ट कंस्टिट्युएंसी में कंट्रोल क्लाथ की दुकान करना चाहता था। सरकार भी चाहती है कि व्यापार करने के लिए अगर कोई हरिजन आगे आता है तो उसको प्राथमिकता दी जाए। उसकी दरख्वास्त बिहार डिस्ट्रक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर से रिकोमैंड हो कर सेंटर के पास

चौ० चरण सिंह को लिखा कि आप चाहते हैं कि हरिजन आदिवासी आगे आएं इस काम में आप न्याय करें। उन्होंने उत्तर दिया कि :

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि आवेदन पत्र पर विचार इसलिए नहीं किया जा सका कि प्रथमत: श्री राजक ने आवश्यक जानकारी नहीं दी। दूसरे स्टेट बैंक ने यह बताया कि भजूरखी गांव, जहां श्री राजक अपनी दुकान करना चाहते थे, बोकारो इस्पात शहर शाखा से 30 कि०मी०का दूरी पर तथा बैंक की चदमक्यारी शाखा से 10 कि० मी० की दूरी पर था तथा गाँव किसी मौसम द्वारा अप्रभावित सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था जिससे कि पानी इक्ट्ठा होने से वर्ष में वहाँ 4-5 महीने तक पहुंचना भी दुर्लभ था। गांव से श्री राजक ही एकमात्र आवेदक प्रतीत होते थे इसलिए बैंक के लिए सस्वीकृति प्रदान करना तथा अग्रिम संबंधी प्रयुक्ती कार्यवाही कठिन हो गई।

बैंक ने इसलिए इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका। अपर निदेशक उद्योग, पटना को तदनुसार नवम्बर, 1977 में सूचित किया गया।

यह पत्र एडीशनल डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को भेजा गया था जहां से रेफ्रेंस आया था। यह जो आपका ऐटीटयूड है, आउटलुक है. यह हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान में सहायक नहीं हो सकता है। शेडयूल्ड कास्ट्स के साथ शेडयूल्ड ट्राइब्स के सकल को नहीं जोड़ा जा सकता है। दोनों की समस्यायें अलग अलग हैं, दोनों के सकल अलग-अलग हैं।

यह आपका नैशनल माइनारिटीज का सवाल है और वह माइनर नैशनेलिटीज का सवाल है। और चारों ओर आदिवासियों ओर जनजातियों के अन्दर बिहार में एक नया आंन्दोलन खड़ा हुआ है, बिहार में झारखंड आन्दोलन चल रहा है जिसको मंत्री महोदय जानते हैं। आज आदिवासियों के लिए एक समस्या है। अगर उनके लिए अपने आत्म-नियंत्रण का अधिकार, अपनी संस्कृति, आर्थिक नीति को ठीक से संरक्षण नहीं दे सके तो उनका अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए असम में जिस प्रकार विभिन्न जनजातियों के लिए अपने-अपने राज्यों में व्यवस्था की गई है, मैं कहता हूं कि उसी प्रकार हिन्दुस्तान के बीच में जो विभिन्न प्रकार के आदिवासी हैं जिनकी तादाद हर रोज घट रही है उनके लिए भी एक आत्म-नियंत्रण का अधिकार औटोनामा, अलग अलग राज्य तथा अपने जीवन के विकास करने का अलग दायरा दिया जाएगा इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे।

**श्री युवराज** (कटिहार) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों पर जो 1 मार्च, 1978 और 9 मई, 1978 की सभा की मेज पर पर रखी गई है, उस पर बहस चल रही है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि जो वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित अवधि से एक वर्ष से पीछे चल रही है तो कम-से-कम यह रिपोर्ट आ जाती है तो ठीक समय पर इसको पेश करने की आवश्यकता है। और अब तक जो रिपोर्ट आयी है उसमें जो सुझाव दिए गए हैं या जिन त्रुटियों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है उनमें से कितनों पर काम किया गया, कितने सुझावों को माना गया, रिपोर्ट के अनुसार किन-किन त्रुटियों

**(श्री युवराज)**

को दूर करने की चेष्टा की गई इस सम्बन्ध में भी एक मूल्यांकन होना चाहिए कि आदिवासियों और हरिजनों की जो बात रिपोर्ट में है उस पर कितनी प्रगति हुई, कितने सुझाव माने गए और और उससे कितना काम आगे बढ़ा, वह भी सदन को मालूम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रदान किए गए कई संवैधानिक संरक्षणों का संचालन यह सरकार करती है। यों हम इसे तीन, चार हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आर्थिक विकास, दूसरे शैक्षणिक विकास और तीसरे सामाजिक विकास। सभापति जी, इनकी बहुत बड़ी आबादी है और अनुसूचित जाति जिसकी लगभग 15 प्रतिशत आबादी है कुल आबादी में से और जनजाति भी करीब-करीब 7,8 प्रतिशत हैं, लेकिन यद्यपि सभी लोगों को बराबर राजनीतिक, न्याय है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय के अभाव में राजनीतिक न्याय बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है और यही कारण है कि इतनी बड़ी आबादी कुल जिसका 22 प्रतिशत आबादी में हिस्सा है सबसे गरीब, निरक्षर और सबसे कमजोर वर्ग है। इसलिए कि न केवल आर्थिक इनको सहूलियतें दी गई हैं, बल्कि जो सामाजिक न्याय है वह भी इनको नहीं मिला हुआ है। अस्पृश्यता का एक केस हम लोग ले लें

एक अनटचेबिलिटी कानून बना और फिर उसमें संशोधन हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो दरखास्तें आती हैं अनटचेबिलिटी के संबंध में वह करीब 22,000 हैं और उसमें से वर्षों तक पड़ी रहीं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पाँचवी योजना में 5 करोड़ रु० इस अधिनियम के अंतर्गत तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए दिया गया था लेकिन वह 5 करोड़ रु० खर्च नहीं हुआ। यानी जो दरखास्तें आयीं उसमें कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए, जो उन पर ऐट्रोसिटीज हुई उस सिलसिले में न्याय होना चाहिए और जो लोग इस अधिनियम के खिलाफ काम करते हैं या उल्लंघन करते हैं, अत्याचार करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए थी। तो यह बरसों पड़ी दरख्वास्तें रह गयीं और जो हरिजन या आदिवासी न्यायालय के दरवाजे तक दौड़ते रहे, वह काफी इससे हतोत्साहित हुए, उनको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि उन्हें न्याय मिलेगा, जिन लोगों ने अधिनियम का उल्लंघन किया है, उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन जो लेट-लतीफ कारवां हमारा है, उससे लोगों को काफी हतोत्साहित होना पड़ा।

मैं 1971 की जनगणना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें हरिजनों की आबादी 8.25 करोड़ है आदिवासियों की 4.12 करोड़ है। पूर्वीय क्षेत्र में यानी पूर्वीय राज्य में नागालैंड से लेकर मणिपुर, मेघालय, अरुणांचल, दादरा व नागर हवेली, मिजोरम संघ शासित क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या है और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की वहां प्रधानता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए इन क्षेत्रों में उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो पर-कैपिटा इनकम है जहां जन-जातियों के लोग या हरिजनों की आबादी है, चाहे पूर्वीय क्षेत्र में हो या दूसरे राज्यों में उनकी पर-कैपिटा इनकम इन जातियों की सबसे कम है।

30 वर्षों से उनको उठाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ। जब से संविधान में यह प्रावधान है कि एक आयुक्त की नियुक्ति होगी और जो संरक्षण दिया गया है, उसका संचालन होगा, यानी आदिवासियों, हरिजनों को उचित मदद मिल सकेगी, इनकी देखरेख आयुक्त करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, तो इस परम्परा का तो हम निर्वहन

कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट से न तो कोई मदद मिल रही है और न आम परिवर्तन इनकी जिन्दगी में हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नये दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नई योजना नहीं बना सकते हैं, केवल कुछ लड़कों की छात्रवृत्ति या कुछ गरीबों को जनीन देने से उनकी गरीबी और आर्थिक दासता से उनको मुक्ती नहीं मिल सकती है।

मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, हर जगह अधिकतर जो मजदूर हैं वह हरिजन आदिवासियों में से हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में, जहां से चाहे हम आते हैं या आप आते हैं, वहां मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हो पाता है और उसके लिए जो कानून में प्रावधान है, उसका भी कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि जो मशीनरी है, वह परिवर्तन करना नहीं चाहती है। वह मशीनरी यह नहीं चाहती है कि जो एक्ट हम और आप बनाते हैं, उसका इम्पलीमैंटेशन हो सके। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसी मशीनरी सैट-अप की जाए जो हमारे बनाये हुए कानूनों पर ठीक से अमल कर सके और हरिजन आदिवासी उनका लाभ उठा सकें।

देश के संविधान में इन सम्प्रदायों के संरक्षण के अनेकों प्रावधान हैं, लेकिन वह संरक्षण हो नहीं पाता। मेरा कहना यह है कि संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच होनी चाहिए।

संसद में जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के जरिये से आती है, जिस पर हम बहस करते हैं, आप देख लीजिए कि रिपोर्ट में तमाम जिन बातों का हवाला है, वह करीब-करीब यों ही पड़ी रह जाती हैं। थोड़ा बहुत उसमें सुधार होता है, लेकिन मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन, उसमें सिद्धान्त के रूप से यह मान लिया गया है कि लैक्चरार के लिए हरिजन और आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन एक्ट में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो जब तक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन अपने एक्ट में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक इंस्ट्रक्शन्ज कालेजेस को नहीं दिये जाते तब तक हरिजनों और आदिवासियों का लेक्चरर्स की जगह पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगा होना चाहिये। यह आप नहीं करते हैं।

बैंकों में प्रमोशन की बात है। आप सब कुछ तो देते हैं, लेकिन बैंकों में जो आदिवासी या हरिजन हैं, उनके प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं किया है इसलिए उनको प्रमोशन भी बैंकों में नहीं मिलती है।

सरकार कहती है कि नेशनलाइज्ड बैंक हरिजन-आदिवासियों को भी ऋण देते हैं। लेकिन वे कितना ऋण देते हैं ?—अपनी कुल जमा पूंजी का सिर्फ 0.5 परसेंट। उन लोगों की आबादी कितनी है ? लगभग 22 प्रतिशत। इस देश में सबसे ज्यादा गरीबी उनमें है, सबसे ज्यादा मजबूरी उनमें है, सबसे ज्यादा अन्याय उनके साथ होता है, और उन्हें कितना ऋण दिया जाता है ? 0.5 परसेंट राष्ट्रीयकृत बैंको की कुल जमा पूंजी का 5 प्रतिशत हरिजन आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जाता है ?

उन लोगों को 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है, और वह भी उस स्थिति में जबकि किसी नौकरी के लिए 25,000 रुपये का जमानती वांड देना हो। अगर किसी हरिजन-

**(श्री युवराज)**

आदिवासी की कहीं नियुक्ति हो, तो वह 25,000 रुपयों का जमानती बांड कैसे दे सकेगा ? अगर किसी का सिलेक्शन हो गया, तो उसे किसी की खुशामद करनी पड़ेगी। इस लिए जहां-जहां उनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रावधान हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

आज सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तमाम नीतियों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज हम सब हरिजन-आदिवासियों की स्थिति के बारे में हैं या रोते गाते हैं, मगर मैं जहां से आता हूं, उसके दक्षिण क्षेत्र के बारे में आज माननीय सदस्य, फादर एन्थनी-मुरूम, ने नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि राजमहल और साहिबगंज में हर साल हजारों पहाड़ियों की मौत होती है। पहाड़ों पर खेती की कोई व्यवस्था नहीं है और मैदानों में उनकी कोई जमीन नहीं है, जहां वे खेती कर सकें। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं हैं। जिनके पेट में रोटी नहीं है, वे अपने बाल-बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकेंगे ? दस बरसों से साहिबगंज, सन्थाल परगना और छोटा नागपुर में आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में मरते रहे हैं, लेकिन आज तक न तो राज्य सरकार ने और न केन्द्रीय सरकार ने जांच करने की कोशिश की है कि हजारों पहाड़ियों के मरने का क्या सबब है। आज तक सरकार ने इसका सरवे नहीं कराया है। कम से कम इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि उन लोगों की अनाहार मृत्यु न हो और वे जानवरों की तरह जिन्दगी न बितायें। अगर लाखों करोड़ों रुपये लगाकर भी इन हजारों लोगों को बचाने के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है, तो वह करनी चाहिए। सरकार को इन गिरे हुए, दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने का यह साहसिक कदम उठाना चाहिए।

मेरे मित्र श्री ए० के० राय, कुछ बोलकर चले गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, तो हिंसा नहीं चल सकती। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो, लेकिन उसके लिए हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिस देश में लोकतंत्र है, वहां सामाजिक और अर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हिंसा के द्वारा नहीं होता है, बल्कि उसके लिए तमाम कुचले और दबे हुए लोगों को संगठित करके और—उनको उठाकर, और राजनीति पर दबाव डाल कर पुरानी लीक को बदलने की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक पुरानी परम्पराओं के अनुसार रिपोर्ट पर बहस होती रहेगी, श्री मण्डल और श्री साय जवाब देते रहेंगे। इस परम्परा को यह सरकार भी यथावत् चला रही है। आज कुछ कहने की जरूरत है। आज बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दे कर प्रत्येक क्षेत्र में—शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में हरिजन-आदिवासियों को ज्यादा सुविधायें देने की जरूरत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समाज को नहीं बदल सकती है। कोई सी सरकार सामाजिक स्थितियों में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार अपने तंत्र और अपनी नीतियों को सुदृढ़ करे, और सरकार तथा दबी हुई जनता दोनों मिल कर उन स्थितियों को बदलने की कोशिश करें। जनता सरकार केवल इतना कर सकती थी कि वह परिवर्तन की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा सकती थी।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो कारगर सुझाव दिए गए हैं

और जिन त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है उनको कार्यान्वित किया जाए।

**श्री फिरंगी प्रसाद** (बांसगांव) : माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि काफी प्रयास के बाद मुझे भी इस सदन में बोलने का अवसर मिला। मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह कम है। शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर जो बहस हुई है उसपर कुछ कहने से पहले मैं इतना कह देना चाहता हूं कि किसी काम को करने के पीछे कुछ मंशा होती है और उसका मूल्यांकन होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक अंधा पुवाल की रस्सी बटता जा रहा था और उसके पीछे भैंस का पड़वा था। अंधा रस्सी बटता जाता था और पीछे पड़वा उसको चबाता जाता था। पूरे दिन रस्सी बटने के बाद अंधे ने यह जानने की कोशिश की कि मैंने कितनी रस्सी बटी तो पता चला सारी रस्सी पड़वा खा गया, एक बित्ता भी रस्सी नहीं बची। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सदन का इतना मूल्यवान समय हमने इस रिपोर्ट पर बहस में लगाया है इसलिए सरकार के लिये आवश्यक है कि इस रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं और संस्तुतियां दी गई हैं उनको वह कार्यान्वित करे वरना इसका कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के शासन काल में तो केवल लीपा-पोती ही हुई लेकिन जनता पार्टी की सरकार से काफी उम्मीद है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही उसी के आधार पर धीर-धीरे हरिजन आदिवासियों की दुर्दशा होती गई। उसी के आधार पर परम्पराएं निर्मित होती गईं और उसके साथ छुआछूत, भेदभाव आदि अनेक किस्म की बातें होने लगीं।

यह खुशी की बात है कि हमारे देश में चुनी हुई सरकार है जिसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। सभी लोगों का वोट होता है लेकिन इस सरकार ने, बल्कि मैं कहूं पिछली सरकार ने कभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि इस देश में गरीब तबका कौन है और उसकी क्या जरूरतें हैं। यहां पर बहस में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक बातों पर विशेष बल दिया गया है जिसकी बड़ी आवश्यकता भी है। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं उन्हीं के साथ सारे अन्याय होते हैं चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो। रामायण काल को ही हम ले लें। आप जानते हैं पिछड़ी जाति के केवट और हनुमान का जिक्र उस काल में आता है। लेकिन नदी को पार कराने वाले केवट की हमारे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दुर्दशा हो रही है। भगवान के वे भक्त पेट की क्षुधा से पीड़ित होकर अनेक कुकर्म कर रहे हैं और आज उनके घर जेलों में हैं। उसी प्रकार के हनुमान जी के वंशज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारे उग्रसेन जी अच्छी तरह से जानते हैं, एक डाल से दूसरी डाल और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग रहे हैं लेकिन भगवान के बनावटी भक्त जोकि मंदिरों में बैठे हैं वे माल पुवा चाहते हैं।

**श्री उग्रसेन** (देवरिया) इस देश में सबसे ज्यादा जायदाद महन्तों के पास है।

**श्री फिरंगी प्रसाद** : आज समाज में जो चालाक है वही सब कुछ कर रहा है। आज चालाकी का प्रमाण-पत्र कुछ विशेष प्रगतिशील लोगों के पास है। यह अत्याचार, छुआछूत, जुर्म

**(श्री फिरंगी प्रसाद)**

जो कुछ भी हो रहे हैं वह उनकी तरफ से ही हो रहे हैं। आप जानते हैं आज एक हरिजन का लड़का किसी सवर्ण के घर में नहीं घुस सकता है लेकिन उसका पाला हुआ कुत्ता, जो कि पाखाना खाता है, वह किसी भी सवर्ण के घर में चला जाता है और जिन बर्तनों में वे भोजन करते हैं उनको चाट कर चला आता है। उस कुत्ते को कोई नहीं मारता है। समाज की इस स्थिति को हम विशेष रूप से देख रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं मौलिक रूप से समाज में जो बुराइयां दिखाई देती हैं उन पर शासन की ओर से प्रहार होना चाहिए। केवल शासन ही नहीं, अन्य अनेक जो सामाजिक संगठन हैं उनका भी दायित्व हो जाता है कि वे मिलकर इस देश को सबल और मजबूत बनायें।ताकि अपने लोगों के बीच में जो भेदभाव, छूआछूत की भावना प्रकट रूप में आगई है, उसको छोड़कर देश को सबल बनाने में लगें—तभी इस देश का कल्याण हो सकता है।

आप जानते हैं इस देश में काफी हरिजन आज धर्मपरिवर्तन करते चले जा रहे हैं। इस सदन में यह बात आई है कि इस धर्म-परिवर्तन के मामले में हमें क्या करना चाहिये। श्री ओ० पी० त्यागी जी एक बिल लाये हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह धर्म परिवर्तन तब तक नहीं रुकेगा जब तक शासन के स्तर पर उनको सुविधा नहीं दी जायेगी। आज जो हरिजन बौद्ध हो चुके हैं उनको शासन स्तर पर कुछ राज्यों में सुविधायें मिलती हैं, लेकिन अन्य राज्यों में उन को कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज यह प्रबल धारणा है, आज हरिजन और आदिवासियों ने यह समझ लिया है कि चाहे हमें कोई सुविधा शासन से मिले या न मिले--हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े होंगे। जब हमें खुद करके खाना है तो कहीं भी रहकर काम करेंगे और खाना खायेंगे। आज हरिजन और आदिवासी इस सामाजिक बुराई का स्वयं प्रतिवाद कर रहा है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि उसको सताया जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है। आज जो लाशें गिरती हैं, वे हमको प्रेरणा दे रही हैं कि सब खड़े हो जाओ, इस समाज में जो जुल्म और ज्यादतियां हो रहीं हैं—विशेष लोगों की तरफ से उनको सहन नहीं करेंगे—आज जो हो रहा है यह उसी ओर संकेत करता है।

एक बहुत बड़ी विडम्बना की बात में कहना चाहता हूं—इस देश मैं एक धोबी जाति है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, असम और त्रिपुरा में शेडयूल्ड कास्ट मानी गई हैं। लेकिन तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में इस वर्ग को शेडयूल्ड कास्ट में नहीं माना गया है, हालांकि वहां भी इस जाति के साथ छूआछात की भावना है। वहां के लोगों ने माननीय मन्त्री जी से मिलकर इसके बारे में आवेदन-पत्र दिया है, उन प्रदेशों की सरकारों के सामने प्रदर्शन भी किया है कि हमें शेडयूल्ड कास्ट में शामिल किया जाय। धार्मिक ग्रन्थों में उनके प्रति जो छूआछूत की भावना रही है, उसके उदाहरण देकर सरकार से मांग की है। मुझे मालूम नहीं है कि उन सरकारों की तरफ से माननीय मन्त्री जी के पास कोई ऐसी मांग आई है या नहीं कि उनको भी सूची में शामिल किया जाय। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी मांग को मान लिया जाय।

भूमि सुधार की बात कही जाती है—इसमें भी एक बड़ी विडम्बना की बात आ गई है। आज हम देख रहे हैं—मैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं वहां बड़े बड़े फार्म वाले

हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। सीलिंग कानून के आने के बाद उन्होंने कुत्ते और बिल्लियों के नाम जमीनों को कर दिया है। जिनके पास जहां-जहां छावनियां है, अपने नौकर-चाकरों, कमजोर वर्ग के नाम अपनी जमीनों को कर दिया है—इस तरह से सीलिंग से बचने के उपाय किये गये हैं, और सारी पैदावार बड़े भूस्वामी स्वयं ही ले रहे हैं।

**श्री उग्र सेन (देवरिया)** : सुरेन्द्र सिंह मजीठिया के बारे में कहिये।

**श्री फिरंगी प्रसाद** : हमारे भाई उग्रसेन जी ने सुरेन्द्र सिंह मजीठिया के बारे में कहा। इस आदमी का गोरखपुर जिले में बहुत बड़ा फार्म है। जिस समय देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय का यह सबसे बड़ा गद्दार था और उसको पारितोषिक के रूप में बहुत सारी जमीन मिली थी। वह सीलिंग के नाम पर काफी जमीन को छुपाये हुए है। हमारे मंगल देव जी विशारद, जो इस समय संसद सदस्य हैं, जब उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था जांच समिति बनी तो वे उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, श्री कमलापति त्रिपाठी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके भाई, उनके लड़के और अन्य लोगों के नाम जो जमीनों को बांटा गया है, उन सब चीजों के बारे में लिखा है। इस तरह से जो बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित हैं, जो कहते हैं कि हम समाज वादी हैं, उन लोगों ने काफी जमीन को छुपाया है। उसी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में ऊसर-भूमि-सुधार की बात भी कही गई है।

इसमें ऐसा है कि काफी हरिजनों को पट्टे पर जमीन देने की बात है लेकिन मुझे इसमें अल्प-मात्रा में एक कठिनाई दिखाई देती है और वह यह है कि जो ऊसर जमीन है, उससे देहात में जो धोबी रहते हैं वे रेह लाकर अपने कपड़े धोते हैं। अगर यह जमीन दे दी जाएगी, यह सारी ऊसर की भूमि बांट दी जाएगी, तो उनका जो पेशा है जिससे वे अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, उसमें उनके सामने बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपको यह ऊसर जमीन बांटनी ही है, तो उन लोगों के नाम इसको कर दें। वे चाहें तो उससे रेह लें या फिर उसमें खेती करें।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासियों और हरिजनों के लिए जब तक एक अलग मन्त्रालय की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं चल सकता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अनेक नौकरियां हैं और उनमें इनके लिए स्थान आरक्षित हैं, तो सेवाओं में आने के बाद जब उनका प्रोमोशन होने वाला होता है, तो उनको अयोग्य कह कर वह प्रोमोशन नहीं दिया जाता है और उनको निकाल दिया जाता है। यह एक विडम्बना है कि इनको नौकरी में आने के बाद प्रोमोशन नहीं मिलता। न्यायिक दृष्टि से इनको भी प्रोमोशन के मामले में न्याय मिलना चाहिए। आज तो जो ऊंचे पद हैं, वे बड़े-बड़े पद उन्हीं लोगों को दे दिए जाते हैं जो इस देश में अपनी बुद्धि के बल पर राज्य करते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक विशेष अवसर देकर गरीब मजदूर, हरिजन और आदिवासियों को आपकी तरफ से अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। आज ये लोग इसके लिए एक लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो निश्चत रूप से एक निर्णायक लड़ाई होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यबाद देता हूं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया।

**सभापति महोदय** : श्री राम चरण।

**श्री उग्रसेन** (देवरिया) : हमको भी पांच मिनट बोलने के लिए दे दे। हमारे बोलने से इन लोगों को समर्थन मिलेगा।

**चौधरी बलवीर सिंह** (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मेरा भी नाम है, मुझे भी आप थोड़ा समय दें।

**सभापति महोदय** : श्री राम चरण :

**श्री राम चरण** (जालौन) : सभापति महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर होने वाली चर्चा में आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हम लोगों की मुख्य मांग यह है कि सन् 1980 में जो राजनीतिक आरक्षण समाप्त होने जा रहा है, इसके बारे में शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ट ट्राइब्स के लोगों में काफी चर्चा है और हम लोगों की मांग यह है कि कम से कम 30 वर्ष के लिए यह आरक्षण और बढ़ाया जाए। मैं मंडल जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि वे अपने उत्तर में इसको जरूर जिलयर करेंगे जिससे जो शंका पैदा हो रही है, वह शंका दूर हो सके। भूमि सुधार कानून जो देश में लागू किये गये हैं, उनसे गरीब हरिजनों का भला नहीं हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में जो भूमि निकाली गयी है उस अधिकांश भूमि में सरकारी कृषि फार्म बना दिये गये हैं। पहले जिस भूमि की आमदनी जमींदार लोग खाते थे अब उस भूमि की आमदनी अधिकारी लोग खा रहे हैं। जिस भूमि पर कृषक फार्म बनाये गये हैं अगर वह भूमि गरीब हरिजनों में आवंटित कर दी जाए तो काफी परिवारों का भला हो सकता है।

माननीय गृह राज्य मंत्री मण्डल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन को यह निर्देश दें कि ऐसी भूमि जो निकाली गयी है और जिस पर कृषि फार्म बनाये गये हैं, वह भूमि शीघ्र ही गरीब हरिजनों में आवंटित कर दी जाए।

सभापति महोदय, हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के लिए जो कुएं बनाये जाते हैं, वे कुएं या तो बनाये ही नहीं जाते और अगर कहीं बनाये भी जाते हैं तो वे इतनी कम गहराई पर बनाये जाते हैं कि बरसात में तो उनमें पानी मिल जाता है लेकिन बरसात के बाद उन कुओं में पानी नहीं रहता। आजकल गर्मी का सीजन है। मैंने अपने क्षेत्र का दौरा करके देखा है। वहां जो सरकारी कुंए बनाये गये हैं उन कुओं में पानी नहीं है। जो भी पैसा शासन की ओर से उन कुओं को बनाने के लिए खर्च किया जाता है वह पैसा गवर्नमेंट मशीनरी के लोग खा जाते हैं और दिखावे के लिए ही कुए बनाये जाते हैं। इस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार की जो पेयजल योजना है और जिन गाँवों में यह योजना लागू की जा रही है, उन गांवों में हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन या तो डाली ही नहीं जाती, अगर धोखे से डाल भी दी जाती है तो वहां पानी पीने के लिए स्टेण्ड पोस्ट नहीं लगाये जाते। हरिजनों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे तीन चार सौ रुपये खर्च करके और टेक्स देकर के अपने घरों में पीने के पानी के नल लगवा लें। इस सम्बन्ध में मैं मण्डल जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दें कि हरिजन बस्तियों में जहाँ पर पेयजल योजना लागू हैं वहां पर पीने के लिए निशुल्क स्टेण्ड पोस्ट लगाये जाएं।

उत्तर प्रदेश में हरिजन छात्रावासों के लिए अनुदान दिया जाता है। कुछ प्राइवेट लोग तरह तरह के नामों से संस्थाएं चलाकर वह अनुदान हड़प कर जाते हैं। शासन को कागज से मालूम होता है कि बहुत से छात्रावास देश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छात्रावास नाममात्र के लिए हैं। उन्हें प्राइवेट लोग चलाते हैं और धन्धे के तौर पर चलाते हैं। जो हरिजन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हैं वे स्वयं रुपया लेकर ठेकेदारों को अनुदान देते रहते हैं।

आधा पैसा आफिस खाता है और आधा पैसा ठेकेदार खा जाता है। इस तरह से हरिजनों को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। प्राइवेट लोगों को छात्रावास चलाने के लिए आप जो अनुदान देते हैं इनको बन्द कर दिया जाना चाहिये और सरकारी छात्रावास ही चलाए जाने चाहिये। इससे हरिजन छात्रों का ज्यादा भला होगा।

इसी तरह से पुस्तकालयों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जहां पर ये पुस्तकालय खुले हैं वहां आपको केवल बोर्ड लगे हुए मिल जायेंगे कि यहाँ हरिजन पुस्तकालय है लेकिन वहां आपको कोई किताब देखने को नहीं मिलेगी। गांवों के नामों पर संस्थाएं चलाई जाती है लेकिन वे संस्थाएं कुछ करती नहीं हैं। पुस्तकालय वहां पर होते हैं जहां पर स्कूल नहीं हैं। जहां पर जरूत होती है वहां पुस्तकालय खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि जो भी हरिजन पुस्तकालय खोले जाएं वे सरकारी ही खोले जाएं। प्राइवेट लोगों को इस काम के लिए अनुदान देते जायेंगे तो उनको तो लाभ होता जाएगा लेकिन इन गरीब छात्रों को कोई लाभ होने वाला नहीं है।

जहां तक उत्पीड़न का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं अधिकांशतः पुलिस के द्वारा ही वे किए जाते हैं, पुलिस हरिजनों को बेकसूर पकड़ लेती है, बन्द कर देती है। बेगुनाह हरिजनों को जेलों में डाल दिया जाता है। पुलिस वाले गांवों में जाकर सम्पन्न लोगों के यहां रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं और उनके कहने के मुताबिक बेगुनाह लोगों को तरह-तरह के अपराधों में बन्द कर देते हैं। यहां तक होता हैं कि उनको पकड़ कर बाहर ले जाकर गोली से मार दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि यह डकैत था और मुठभेड़ में मारा गया है। अगर पुलिस ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में कार्य करे तो मैं समझता हूं कि सत्तर प्रतिशत हरिजनों को राहत ठीक मिल सकती है। सम्पन्न लोग अब कानून से डरने लग गए हैं। लेकिन उन्होंने अब उन्होंने पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया है और पुलिस के जरिये वे तरह-तरह

**(श्री राम चरण)**

के अत्याचार हरिजनों पर करवाते हैं। आप उत्तर प्रदेश शासन को आदेश दें कि इस प्रकार का उत्पीड़न हरिजनों पर जो होता है इसको बन्द किया जाए।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। बोट क्लब पर लोग धरना दिए बैठे हैं। उनकी मुख्य माँग यह है कि संसद के केन्द्रीय कक्ष में डा० अम्बेदकर का चित्र फोटो लगाई जाए जैसे और राष्ट्रीय नेताओं की लगी हुई है। मेरी माननीय गृह मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वह इस समस्या का भी हल निकालें और उनकी मांगों को मान लें।

**सभापति महोदय** : प्रोफेसर मावलंकर अन्तिम बोलने वाले होंगे। मैं प्रोफेसर मन्त्री को 15 बजकर 15 मिनट पर बोलने के लिये कहूं प्रोफेसर भावलंकर

**प्रो. पी. जी. भावलंकर** (गांधी नगर) सभापति महोदय, श्रीमान **(व्यवधान)**

**चौ० बलबीर सिंह** : मैंने भी नाम दिया हुआ है। पिछले हफ्ते भी मुझे समय नहीं मिला।

**सभापति महोदय** : आपके व्हिप द्वारा दी गई लिस्ट में आपका नाम नहीं है।

**चौ० बलबीर सिंह** : वह नाम न दें तो हमारा कसूर नहीं है। हम आपको नाम देते हैं तो आपका फर्ज है कि आप देखें कि हमें भी मौका मिले। सभापति का यह फर्ज होता है कि वे देखे कि जिन लोगों को वक्त नही मिल सका है उनको भी मिल जाए। नाम आपको दिया है तो आपको देखना चाहिए। कौन उनके आगे पीछे घूमता फिरे और उनकी खुशामद करता फिरे।

**श्री वेगाराम चौहान** : रवीन्द्र वर्मा जी अपने लोगों का ही नाम देते हैं। यह हमें बरदास्त नहीं है।

**चौ० बलवीर सिंह** : अध्यक्ष का फर्ज है देखना कि जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनको मिले।

**सभापति महोदय** : श्री बलवीर सिंह। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप एक काफी अनुभवी आदमी हैं। आप जानते हैं कि आखिर हमें सूची के अनुसार ही कार्य करना होता है।

**सभापति महोदय** : क्या मुझे उन नियमों के बारे में इसी समय बताना होगा? कृपया शांत रहें।

**चौ० बलवीर सिंह** (होशियारपुर) : कुछ आदमी हैं जो रोज बोलते हैं, हर इशू पर उनको वक्त मिलता है। इस ढंग से काम नहीं चलेगा।

**प्रो. पी. जी. भावलंकर** (गांधी नगर) सभापति जी, श्रीमान मैं इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में हिस्सा लेना अपना फक्र समझता हूं, किन्तु फक्र से भी अधिक मैं इसे एक दायित्व मानता हूं और यह कर्तव्य की आवाज ही है जो मुझे इन दो प्रतिवेदनों पर बोलने के लिए विवश करती है। विगत में, जब इन प्रतिवेदनों पर चर्चा हुई थी तो संभवतः मुझे बोलने का अवसर नहीं मिल सका था किन्तु मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे उन बहुत सारे मित्रों को सुनने का मौका मिला जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य समुदायों से सम्बन्धित हैं तथा इस संसद में विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि हालांकि हम इन प्रतिवेदनों पर चर्चा कर रहे हैं तथा हरिजनों और गिरिजनों के कल्याण के सम्पूर्ण मसले पर इतने लम्बे समय से इतनी गहराई से विचार कर रहे हैं, किन्तु एक दृष्टिकोण, जो मैं बिल्कुल शुरू में ही कह देना चाहता हूं वह यह है कि सामान्य दुःख जो किसी को देखकर होता है, न केवल संसद कैं कड़े विवाद को लेकर बल्कि इस मसले पर प्रशासन के सम्बन्ध में यह एक दुःख का विषय है, तथा इस विषय पर इस दृष्टिकोण को लेकर, जो कि हम जागरूक शिक्षित नागरिकों के रूप में अपनाते हैं मेरे विचार में जब आप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों के बारे में तथा उन लोगों के बारे में, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित नहीं हैं। बात करते हैं तो यह इन लोगों का यह देखना कर्तव्य तथा दायित्व बन जाता है जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित नहीं हैं कि शताब्दियों के पाप ठोस और सार्थक तथा सृजनात्मक कार्यक्रम आरम्भ करने से धुल जायें। क्योंकि हमारा देश अब एक स्वतन्त्र है तथा लोकतंत्र पर आधारित है। सभापति महोदय आपने 5 मई को दिन के आखिर में कुछ विचार व्यक्त करके बहुत अच्छा कार्य किया था। उस दिन मुझे याद है कि आपने इस वास्तविकता पर कितना अफसोस जाहिर किया था कि दो एक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोग अनुपस्थित थे। वास्तव में इस सारे वाद-विवाद के दौरान 9 मई, 10 मई को तथा पुनः आज पूर्वाह्न में जब कि इन मामलों पर चर्चा चल रही थी, मैं सारी कार्यवाही को शुभ देख रहा था। महोदय यह नहीं कि हम यहां बोलने के लिये ही आते हैं हम यहां कुछ सुनने के लिए भी आते हैं। मैंने उससे लाभ उठाया है, मैंने यहां तक कि पिछले संसद सत्रों के दौरान भी भाषणों को सुन कर काफी लाभ उठाया था। जबकि लोगों ने विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने अपने दुःख और कड़वाहट को अभिव्यक्त किया स्वर्गीय डा० बाबा साहेब अम्बेडकर कड़वे थे क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि, जिससे वे आये थे, ही वैसी थी। मगर यह उनकी एक बड़ी महानता थी कि उन्होंने इस कड़वाहट को अपने लोगों के उत्थान के लिए रचनात्मक अवसर जुटाने में बदल दिया। यही वह चीज है जिसकी कि जरूरत है, क्योंकि यदि आपमें मात्र कड़वाहट है तो वह व्यर्थ चली जाती है किन्तु यदि आप इस कड़वाहट को रचनात्मक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बदल देते हैं तथा अपने ही भाइयों तथा समग्र भारतीय समाज के उत्थान में प्रवृत कर देते हैं तो मेरा विचार है कि हम डा० बाबा साहेब अम्बेडकर से एक बहतर सबक सीख सकते हैं।

मैं अन्य मित्रों की तरह यह नहीं कहूंगा कि उनका चित्र सैन्ट्रल हाल में लगाया जाये या वहां जहां कि लोग उसे लगाना चाहते हैं किन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात चित्र को सैन्ट्रल हाल में अथवा संसद के अहाते में लगाना नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी तथा महात्मा ज्योतिदा फुले, बड़ौदा के महाराजा समाजिराव गायकवाड तथा आप बहुत से लोगों के सम्बन्ध में जो कि गांधी जी से भी पहले से थे तथा बाद में स्वयं गांधी जी तथा बाबा साहेब अम्बेडकर--इन सब लोगों के चित्र तो हमारे हृदय में, हमारे दिमागों में उतर जाने चाहिये थे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब तक उनकी तस्वीरों को हम अपने दिलों में नहीं उतार लेते हैं उनको दीवारों पर लटकाने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि उससे हमें तसल्ली मिल सकती है कि हमने उनकी तस्वीर लगा रखी है। किन्तु श्रीमान, तस्वीर को लगाना, किन्तु

**(प्रो० पी० जी० मावलंकर)**

उस तस्वीर को दिमाग में न उतारना तथा उसके सन्देश का पालन नहीं करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता ।

यह कह लेने के बाद मैं पुनः यह सवाल शुरू में ही पूछ लेना चाहता हूं कि क्या हम सबने उस स्थिति के प्रति, जो कि इस समय सारे देश में मौजूद है, आत्म समर्पण कर दिया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 32 वर्ष व्यतीत हो गए हैं लेकिन अत्याधिक दुःख की बात यह है कि जितना कार्य किया जाना था, उतना हुआ नहीं है । मैं, जो कुछ किया गया है, उसको कम महत्व नहीं देता किन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि वह बहुत कुछ जो किया जा सकता था, नहीं किया गया है । और यही जानकर हमें गहरा धक्का लगता है । श्रीमान आप देखते है कि इतनी भीमाकार समस्याएं हमारे सामने हैं ये चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे सामने हैं और यह उस दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध हमारे मित्रों के समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है । इस विषय में अनेक संवैधानिक उपबन्ध हैं, विधायी उपाय हैं और प्रशासनिक कार्यवाहियां हैं जो की जा सकती हैं किन्तु उनका कुल परिणाम क्या रहा है इन दो प्रतिवेदनों से तो यही पता चलता है कि उनका परिणाम बहुत खराब रहा है यदि मेरे पास कुछ और अधिक समय होता तो मैं उसके ब्यौरों में जाता मगर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा । वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 से सम्बन्धित प्रतिवेदन का भाग दो, काफी रोचक और उद्घाटक तथ्य उन सबके विषय में हमारे सामने रखता है, जिसके लिए मैंने अभी तक कहा कि बहुत कुछ जो कि किया जा सकता था, नहीं किया गया । इस तथ्य इसी रिपोर्ट में काफी अच्छे ढंग से पेश किया गया है । चर्चा के अधीन 1974-75 की पहली रिपोर्ट का ही अवलोकन करें, तब श्री शंकर राव माने तत्कालीन आयुक्त थे तथा उनकी प्रस्तावना से दो एक पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है तथा उनसे इस सारी समस्या के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। वे एक अधिकारी नहीं थे न ही एक नौकर शाह अथवा कि वह व्यक्ति जिसे कुछ पदवी हासिल हो, जबकि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त बनाये गये । उनका दृष्टिकोण क्या था । उन्होंने लिखा है मैं यहां उद्धृत करता हूं ।

"मैंने कभी यह अनुभव नहीं किया कि मैंने इस पद पर रहते हुए कोई अधिकार का पद सम्भाल रखा है । मैंने केवल "मानव मित्र" के रूप में कार्य किया है तथा हर समय उन भाइयों के प्रति यही कर्त्तव्य की भावना मेरे सामने रही है जो कि हमारे देश की प्रगति की दौड़ में अभी भी पिछड़े हुए हैं । मैं यह मानते हुए अपने आपको बहुत छोटा महसूस करता हूं कि मैं किसी विशेष जाति धर्म अथवा सम्प्रदाय से सम्बद्ध हूं जब कि वास्तव में मैं मानवता के महासागर से सम्बद्ध हूं ।

मैं ही नहीं, क्या हर आदमी उस देवि शक्ति का प्रतीक नहीं, उसी का एक अंग नहीं जो कि सारी सृष्टि को चलाता है—तथा प्रकृति के उपकारों के उपभोग में मानव-मानव के बीच कोई भेदभाव नहीं करती ?"

और श्रीमान जो श्री शंकर राव माने ने कहा था वही श्री शिशिर कुमार, जो उनके परवर्ती

आयुक्त थे, ने भी किया है। श्री शिशिर कुमार ने 1975-76 तथा 1976-77 के अपने 24 वे प्रतिवेदन में पहले पृष्ठ पर जो कहा है वह पुनः प्रस्तुत करने योग्य है मैं उन पंक्तियों को उद्धृत करता हूं।

"स्वतन्त्रता प्राप्ति की तीन दशाब्दियों तथा स्वतंत्रता के प्रभात को अभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनेक खेड़ों तथा मलिनावासों पर अभी मुस्कान पैदा करनी है। वे अब भी हमारे आधारभूत कानूनों से लाभान्वित होने की अपेक्षा भाग्य पर ही निर्भर करते हैं स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुता जिन्हें देश के संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उनमें से अधिकांश को उनका सार्थक साध्य प्राप्त करना है।"

इसलिए श्रीमान हम यह नहीं कह सकते कि हमने काफी प्रगति करली है तो भी जैसा कि मैंने कहा हम उसका महत्व कम नहीं समझते जो कि अधिकांशतः संवैधानिक उपबंधों तथा प्रशासनिक एवं विधायी उपायों के आधार पर हमने प्राप्त कर लिया है।

किन्तु श्रीमान समस्या यह है कि हरिजनों और गिरिजनों की दशा सुधारने और उनके विकास के लिए जो कुछ कदम उठाये गये वे बहुत ही असन्तोषजनक हैं। उदाहरण के लिए बन्धु मजदूरों की समस्या आपात स्थिति के दौरान कानून कार्यवाही द्वारा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन बुराई अभी तक विद्यमान है। अधिकांश बन्धुआ मजदूर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हमारे भाई बहन हैं। **'भंगी मुक्ति'** की दिशा में, श्रीमान, अभी बहुत कुछ किया जाना है। अब भी सैकड़ों हरिजन भाई और औरत तथा कथित ऊंची जातियों वाले हिन्दुओं का मल अपने सिरों पर ढोते हैं। यह अत्यन्त खेद और शर्म की बात है। इसे जितनी भी जल्दी हो समाप्त किया जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र श्री मोहन धारिया तथा उनके साथी श्री मंडल इस बात का बचन लें। मंडल जी इसका उत्तर देंगे मुझे मालूम है। हम सब यह प्रतिज्ञा लें कि पीने का पानी गांव के सभी लोगों को मुहैया किया जायेगा। हम इस बात का प्रण लें कि वे सब भंगी जो इस अपमानजनक कार्य करते रहे हैं उन्हें इस महाविपत्ति से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त किया जा सकेगा।

इसके बाद भूमिहीन मजदूरों में दृष्टव्य आर्थिक हीनता की समस्या आती है। अधिकांश भूमिहीन मजदूर हरिजन और गिरिजन हैं। अतः इस समस्या को तत्काल सुलझाना होगा तथा मेरे पास बाकी बचे कुछ मिनटों में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। वे केवल तीन हैं कि उन्हें शिक्षा दी जाये, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जायें और उनका आर्थिक उत्थान किया जाये। जब तक कि आप उन्हें शिक्षा नहीं देते, रोजगार प्रदान नहीं करते तथा उनका आर्थिक उत्थान नहीं करते—आर्थिक उत्थान में मैं आवास को भी शामिल करता हूं, तब तक इस दिशा में आप अधिक प्रगति नहीं कर सकते।

यहाँ मेरे पास इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ पब्लिक ओपीनियन द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मासिक पब्लिक ओपिनियन सर्वे का मार्च-अप्रैल 1979 का अंक ही इस संस्थान द्वारा ऐरिक डे कोस्टा के नेतृत्व में हरिजनों की स्थिति का एक रोचक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया

**(प्रो० पी० जी० मावलंकर)**

था मैं उनकी बातों में से कुछ ही कहना चाहूंगा। उनका कहना है कि यद्यपि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 22 प्रतिशत जनसंख्या है लेकिन उस अनुपात में उनका राजनीतिक बल बहुत कम है क्योंकि वे स्वयं छोटी-छोटी अनेक उप-जातियों में बंटे हुए हैं और इनमें भी ऊंच और नीच की भावना विद्यमान है। अतः जब तक एक ही समेकित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं होगी ये अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। इस पत्रिका में आगे यह भी बताया गया है कि छुआछूत की समस्या जो फैली हुई है उसका रूप बहुत भयंकर है सर्वे सबसे पहले जनवरी 1974 में किया गया था, पुनः 5 वर्षों बाद अर्थात जनवरी, 1979 में यह किया गया। उसके परिणाम इस अंक में दर्शाये गए हैं। मैं उद्धृत करूँगा :

> "28 प्रतिशत लोगों को सामान्य कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता 13 प्रतिशत हरिजन बच्चों को स्कूलों में अलग रखा जाता है तथा उन बच्चे में से 15 प्रतिशता के ऊंची जातियों के बच्चों के साथ मिलने नहीं दिया जाता तथा 40 प्रतिशत को मन्दिरों में नहीं घुसने दिया जाता।"

इसके लिए सबसे बड़ा उपाय, जिसे रामबाण कहा जा सकता है, वह शिक्षण इसमें कहा है—

> "एकमात्र शुभ लक्षण यही है कि शिक्षा और आय में बढ़ोत्तरी के साथ यह संख्या घटती चली जाती है।"

ज्यों ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिक शिक्षा प्राप्त होती, उन्हें अधिक आय होने लगती है, वे मन्दिरों में जा सकते हैं तथा उनके बच्चे ऊंची जातियों के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। मैं इसलिए यही सुझाव देना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जबकि हमें आरक्षण नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन आरक्षण, विकास और भारतीयों का समान तथा समेकित संघ बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हरिजन होस्टलो में हरिजन अलग-अलग रहते हैं। हरिजन छात्रों को हिन्दू छात्रों के होस्टलों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछेक आवश्यक महत्वपूर्ण पद ऊंचे हरिजनों को देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। निस्सन्देह यह एक अच्छी बात है कि हमारे यहां जनता सरकार में हरिजन मन्त्री है, हरिजन अध्यक्ष हैं तथा मुझें यह जानकर खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री लपसे एक हरिजन हैं तथा केरल की राज्यपाल श्रीमती ज्योति वेन्कटाचलम ने एक हरिजन से विवाह किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० नारायणन एक विशिष्ट हरिजन हैं यह देखकर खुशी होती है कि डा०नारायण एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं तथा सम्प्रति के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। श्री सहरे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी एक हरिजन हैं, गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी एक हरिजन हैं। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनके लिए मैं नही कहूंगा कि ऐसा नहीं हुआ है।

अन्त में दो सुनिश्चित प्रश्न पूछना चाहूंगा पहला तो यह है कि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने कोई निर्देश जारी किए या नहीं तथा मैं जानना चाहता हूं कि क्या, हमारे वर्तमान

प्रधान मन्त्री ने ये निर्देश जारी किये हैं कि विशेष कक्ष केवल केन्द्र में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में स्थापित किए जायें जो हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों, उत्पीड़न आदि की समस्याओं को देखें और यह पता लगायें कि इन्हें कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि यह नौकरशाही हैं जिसमें हरिजनों के प्रति विद्वेष है, जो उन्हें कार्यान्वित करती है। एक मुद्दा तो यह है।

मेरा दूसरा सवाल यह कि क्या कुछ निधि इसके लिए सुरक्षित रखी गई है, तथा ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि यह कार्य आंशिक रूप में सरकारी एजेंसियां करें तथा कुछ कार्य ऐसी एजेंसियां करें जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तथा हिन्दुओं की हों। जब तक हम हिन्दू जाति के लोग इस समस्या को चुनौती के रूप में मानकर कार्य नहीं करेंगे हम इस बारे में कोई ठोस प्रगति नहीं कर सकते।

पिछले तीस वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जागरूक हिन्दुओं,—हिन्दू ही क्यों, मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की जागृति और सजगता के कारण इस उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ लोगों में कड़वाहट है, क्रोध है, विरोध है, हिंसा है, तथा संघर्ष की भावना विद्यमान है। 'दलित पन्थेर' एक ऐसा ही संगठन है। एक रूप में मैं संघर्ष का स्वागत करता हूं किन्तु मैं नहीं चाहता कि यह संघर्ष की भावना हिंसा में परिवर्तित हो जाये मैं चाहता हूं कि यह संघर्ष सारी समस्या के आते एक सृजनात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण का रूप ले ले जिससे कि हम एक समेकित समाज में समान अधिकार प्राप्त कर सकें, समान अधिकार, पृथक से कुछ होने वाला नहीं। अब यदि इस शताब्दी में बचे 27 सालों में आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं तो आप केवल अपने लिए ही प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करेंगे, सरकार के लिए ही नहीं बल्कि समग्र समाज के लिए प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि शुरू की हुई आशाओं की यह क्रांति, जागृति को इस प्रकार पूरा किया जाये कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जांय जब कि यह समस्या आशाजनक वास्तविकता के स्थान पर अपत्ति की बात रह जायेगी, इतिहास की किताबों का एक अभिलेख मात्र हो जायेगी।

**सभापति महोदय** : मन्त्री जी।

**श्री पूर्णनारायण सिंह** : श्रीमान, समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया था हमने अभी 40 मिनट नहीं लिए हैं, बीस मिनट अभी शेष हैं (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : नहीं आज 1-30 बजे यह चर्चा आरम्भ हुई थी और उसमें केवल 45 मिनट ही बचे थे। 2.15 पर समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया था तथा यह 3.15 पर समाप्त हो गया जबकि मैंने मन्त्री जी को बोलने के लिए कहा।

**श्री पूर्णनारायण सिंह** : अभी 45 सदस्य और हैं जिन्हें बोलना है।

**सभापति महोदय** : मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता।

**श्री पूर्णनारायण सिंह** : समय 3-30 बजे तक बढ़ा दिया जाये;

**सभापति महोदय** : नहीं, अब मन्त्री जी।

**गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मंडल)** : सभापति महोदय, मैंने अपना उत्तर माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही तैयार किया है। (**व्यवधान**)

मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों तथा उन पर हुई चर्चा को काफी सम्मानजनक मानता हूं। विगत वर्षों में आयुक्त का पद मूल्यवान सिद्ध हुआ है तथा 1951 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहा है। इन प्रतिवेदनों ने अनुसूचित जातियों की स्थिति और उनकी समस्याओं तथा उनके समाधान में प्राप्त की जाने वाली सफलता को एक स्थान पर उपस्थापित कर दिया है। इस बात का श्रेय आयुक्त महोदय को ही है कि इन प्रतिवेदनो ने बन्धुआ मजदूरी तथा विचलित काश्तकारी इत्यादि उन समस्याओं पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तथा सरकार को उनके लिए उचित उपाय ढूंढने में सहायता प्रदान की।

सभा ने आयुक्त के 23 वे तथा 24 वें प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की है तथा माननीय सदस्यों ने अनेक मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये प्रतिवेदन तथा चर्चा के दौरान दिए गए सुझाव सरकार को, इस सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम सुनिश्चित करने में काफी मदद करेंगे। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये सूझाव कतिपय संकेतों में आते हैं, उनमें से कुछ अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं। अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा सभी योजनाओं में आर्थिक विकास कार्यक्रम का लाभ अनुसूचित जातियों को प्राप्त होना चाहिये। कुछ विशिष्ट सुझाव ये है कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए किन निगमों की स्थापना की जाये तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त निधि पृथक रूप से सुनिश्चित की जायें। (**व्यवधान**)

**श्री कचरूलाल हेमराज जैन** (बालाघाट) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हरिजन, आदिवासियों की रिपोर्ट पर हुई बहस का मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। हमने निवेदन किया था आप हिन्दी में बोलिये। आज हरिजन आदिवासी अशिक्षित है और शासकीय मशीनरी द्वारा जो अंग्रेजी में पढ़ा दिया जाता है, वही मन्त्री जी बोल रहे हैं। इससे समस्या का समाधान होने वाला नही है। अगर आप यहां अंग्रेजी बोलेंगे तो मैं इसको पसन्द नहीं करूंगा।

**सभापति महोदय** : आपको यहां की प्रथा मालूम है। आपका प्रार्थना करना ठीक है, उसके अनुसार वह हिन्दी में बोलें तो यह उनकी मर्जी है, लेकिन उनके सामने जो अंग्रेजी जानने वाले हैं, उनकी सुविधा का भी प्रश्न है।

**श्री सी० एम० विश्वनाथम्** (त्रिचूर) हम उनका भाषण अंग्रेजी में ही सुनना चाहते हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया विवाद खड़ा न करें। वे जो उनके भाषण को हिन्दी में सुनना चाहते हैं वे ऐसा साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था के माध्यम से कर सकते हैं।

**श्री घनिक लाल मंडल :** यह भी सुझाव दिए गए हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए भूमि वितरण में तेजी लाई जाय, भूमि सुधार कार्यक्रम को 9 वीं अनुसूची में शामिल किया जाये मेहतरों के वेतन में वृद्धि की जाये तथा बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाये। ये सभी सुझाव तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास पर उनका संकेत बिल्कुल उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जो कि अनुसूचित जातियों के मामले में कभी हाल में सरकार द्वारा अपनाया गया है, जैसा कि अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में पहले किया गया था। जैसा कि एक सदस्य ने बताया है कि खेतीहर मजदूरों, काश्तकारों, चमड़े का काम करने वालों, तथा ऐसे ही ग्राम कामागरों तथा असंगठित मजदूरों के गरीब वर्गों का अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या तथा देश की सामान्य जनसंख्या के अनुपात में ही काफी अधिक है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ही छुआछूत का शिकार होना पड़ा है, अतः सरकार अब इन लोगों के आर्थिक विकास पर अधिक बल दे रही है। 1978-83 की मध्यावधि योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मीदल, जिसके प्रतिवेदन का हवाला एक सदस्य ने भी दिया है, इसी बात पर बल दिया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रम का निर्णायक महत्व है और उसमें उनके आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक दिशाओं में सुझाव दिए हैं।

सरकार ने ऐसे कई उपायों का पता लगाया है जो अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। उनमें से एक है—अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष संघटन योजना, जिसकी सिफारिश कर्मी दल ने भी की है सदस्यों ने, 25 वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 80 पेरा 4.11 में देखा होगा कि आयुक्त ने यह बताया है कि अनुसूचित जातियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं। जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की उन उपयोजनाओं जिनका उन्होंने पेरा 4.4 से 4.10 तक पूनरीक्षण विभागीय के समानन्तर सामान्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों से उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। मुझे यह कहते हुए प्रसनन्ता होती है कि इस दिशा में अब कुछ प्रगति हुई है। हमने विशेष संघटक योजनाओं के विचार का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सामने रखा है। योजना आयोग, अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से यह संभव हो गया है कि विशेष संघटक योजना निर्माण की शुरूआत उन राज्य सरकारों से की जाए। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रर्याप्त ग्राम में हैं। इस उपाय से, हमें आश्य है, अनुसूचित राज्य जातियों के विकास के लिए राज्य योजनाओं के विभिन्न सामान्य क्षेत्रों से योजना-राशि प्राप्त करने में अधिकाधिक मदद मिलेगी।

यह राज्य सरकारों के साथ उस केन्द्रीय दल की हुई विस्तृत बातचीत का परिणाम है, जिसके साथ मैं अक्तूबर 1978 से दिसम्बर 1978 के बीच अनेक राज्यों तथा क्षेत्रों में इस उद्देश्य से गया था। हमारा राज्य सरकारों से अगले तीन सप्ताहों मेंबातचीत के अगले दौर का कार्यक्रम है जिसमें विशेष संघटक योजना में गुणात्मक तथा रचनात्मक सुधार किया जा सके।

विशेष संघटक योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास कार्यक्रम के साथ अनुसूचित जातियों

(श्री धनिक लाल मंडल)

तक उचित अनुपात में पहुंचाये जा सकते हैं तथा मैं इसके उचित कार्यान्वयन में आप सबका सहयोग चाहता हूं।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि आयुक्त के अगले 24 वें प्रतिवेदन के अध्याय 4 में उल्लेख किया है, सामान्य संसाधनों से अनुसूचित जातियों पर उप-योजना क्षेत्रों में व्यय की जाने वाली रकमों की मात्रा निर्धारित करना वास्तव में उप-योजनाओं की मुक्ति से ही संभव हो सका है जैसा कि बहस के दौरान एक सदस्य ने कहा था, इसमें उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का भी काफी सहयोग रहा है इस मंत्रालय का आदिवासी प्रभाग उप-योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क हुए थी और यह सम्पर्क आगे भी जारी रखा जाएगा। यह प्रक्रिया अनुसूचित जातियों के लिए पहली-बार शुरू की गई है।

दूसरा उपाय है अनुसूचित जातियों के लिए विकास निगमों की स्थापना। आयुक्त ने अपने 24 वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 82 और 83 पर पैरा 4.21 तथा 4.22 में इन राज्य निगमों के महत्वपूर्ण कार्य की ओर ठीक ही संकेत किया है, उन्होंने सुझाव दिया है कि शेष राज्यों में भी इन निगमों की स्थापना की जाये। कर्मी दल ने भी ऐसी ही सिफारिश अगस्त 1978 में की थी। हमने इसे राज्य सरकारों के साथ सरकारी और क्षेत्रीय विचार-विमर्श में शामिल किया है। बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने हाल ही में इन निगमों की स्थापना की है और उस राज्य में ये निगम पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। उड़ीसा ने भी निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है हमने इस भांति इस प्रतिवेदन की आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ही कार्य नहीं किया है बल्कि अभी हाल में हमने कार्य 1979 से की गई योजना इन निगमों की शेयर पूंजी में निवेश के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी शुरू की है। 1978-79 से पहले के सभी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इन निगमों में निनेश की गई कुल शेयर पूंजी 12.20 करोड़ रुपये थी जबकि अकेले 1978-79 में यह रकम 7.29 करोड़ है। 1979-80 के केन्द्रीय बजट में, 10 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सहायता इन निगमों की उचित तथा प्रमुल कार्यक्रमों के आधार पर ही दी जाएगी। इन निगमों का उद्देश्य यही है कि विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के सहयोग से अनुसूचित जातियों के लिए परिवारमुखी योजनाएं बनाई जा सके, ताकि खेतीहर मजदूरों, कारीगरों, सीमांत किसान, लघु कृषकों बटाईदार आदि की तरह अनुसूचित जातिओं को आय-उत्पादक परिसम्पतियां प्राप्त करने के लिए संस्थागत आय संगठित वित्त सहायता उपलब्ध की जाए। ये निगम इस दिशा में उत्प्रेरक भूमिका अदा कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सहायता उनको इस रूप में सुदृढ कर सकती है कि वे अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न माध्यमों से लाभ प्रदान कर सके। ये निगम सीमांत धन सहित वे अनुपलब्ध आवश्यक उपकरण जुटा सकेंगे, जिनकी सहायता से बैंक योग्य योजनाओं के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त करने में सहायता मिल सके। इस संदर्भ में विगत कुछ महीनों में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि प्रधानमंत्री के साथ बैंक के मुख्याधिकारियों के साथ हुई बैठक के परिणामस्वरूप लिया गया, यह है कि रियायती ब्याज दर योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम के स्तर का उनके द्वारा पहले दिए गए कुल अग्रिमों के आधे प्रतिशत से बढ़ा कर

एक प्रतिशत कर दिया जाए और इसका एक भाग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए पिछले एक तिहाई से बढ़ा कर कम से कम चालीस निर्धारित किया जाए।

डी० आई० आर० योजना के साथ, उपलब्ध सीमा तक, अनुसूचित जातियों को सहायता पहुंचाने के लिए समन्वय स्थापित कर सकेंगी ।

कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष रूप से विशेष केन्द्रीय सहायता की बात कही है तथा अनुसूचित जातियों के लिए इसकी आवश्यकता बताई है। कार्यकारी दल ने भी इसकी सिफारिश की है। यह सरकार के विचाराधीन है।

कुछ सदस्यों का एक अन्य सुझाव भूमि सुधारों तथा भूमि के विवरण से संबंधित है। नवीं सूची में भूमि सुधार कानून को शामिल करने के लिए एक निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि के वितरण के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति प्राथमिकता श्रेणियों में हैं।

जनवरी, 1979, के अन्त तक अनुसूचित जाति तथा जनजाति के 5,72, 365 परिवारों को भूमि की अधिकतम सीमा कानून से बाहर अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया जा चुका है। अनुसूचित जातियों के लिए, जिनकी सम्पत्ति थोड़ी हैं, यह महत्वपूर्ण है। किंतु इसे केवल प्रथम कदम के रूप में ही लिया जाना चाहिए। इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि इन जमीनों का पूरी तरह विकास किया जाता जिससे कि वे अधिकतम उत्पादन तथा उससे आय प्राप्त कर सकें। जबकि इस काम से उप-योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही प्रक्रिया जुटाता है, हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अनुसूचित जातियों के लिए इसे योजना के एक विशेष अंग के रूप में शामिल करें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों द्वारा जिस कठिनाई का सामना किया गया है वह यह है कि भूमि की अधिकतम सीमा से बची आबंटित अतिरिक्त भूमि को तत्कालीन भूमि के मालिकों को मिलाकर अन्य लोगों द्वारा खाली कराया जाता है। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे अतिक्रामकों से भूमि खाली कराकर नियतनों को दिलाने के लिए प्रभावी तथा शीघ्र निर्णय लें, तथा अतिक्रामकों को कठोर दण्ड दें और राज्यों में कानूनों तथा प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण करें तथा उपरोक्त कदमों को सम्भव बनाने के लिए शीघ्र आवश्यक संशोधन करें। उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे इस प्रकार के अतिक्रामकों को पकड़ने तथा भूमि वापस दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू करें।

कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जातियों में से दो श्रेणियां बनाई हैं, जो सबसे गहरी सहानुभूति के योग्य हैं—भंगी तथा सफाई करने वाले और बंधुआ मजदूर। सदस्यों ने सही महसूस किया है कि भंगी तथा सफाई करने वाले अधिक मजदूरी के पात्र हैं। कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि सफाई करने वालों का वेतन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से कम नहीं होना चाहिए तथा उन्हें इस उद्देश्य के लिए यथेष्ट व्यावसायिक भत्ता दिया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि ड्राई शौचालय को बदलने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये उसके साथ सम्बन्धित लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार ढूंढे जाएं जैसाकि प्रो० मावलंकर ने सुझाव दिया है।

**(श्री धनिक लाल मंडल)**

ये शिफारिशें राज्य सरकारों तथा निर्माण एवं आवास मंत्रालय को भेज दी गई हैं। विशेष कम्पोनेंट प्लान एक ढांचा प्रदान करती है जिसमें राज्य सरकारें तथा मंत्रालय इनके लिए तथा अन्य उद्देश्यों हेतु यथोचित कार्यक्रम बना सकते हैं।

बंधुआ मजदूरों के संबंध में, श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चलाई है। 1978-79 के वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है तथा ऐसी ही व्यवस्था 1979-80 के लिए की गई है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए श्रम मंत्रालय अनेक उपाय कर रहा है। विभिन्न राज्यों में हुई प्रादेशिक सभाओं में, इस मामले पर बल दिया गया है। हाल के एक सर्वेक्षण में मालूम हुआ है कि बंधुआ मजदूरों में दो-तिहाई अनुसूचित जाति के हैं तथा 18 ०/० अनुसूचित जन-जाति के, तथा, इस दृष्टिकोण से भी सरकार की इच्छा न केवल बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की है, जिन्हें मुक्ति मिली है अपितु मुक्ति को कायम रखने के लिए तथा अन्य सभी बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की है तथा इस शर्मनाक और निर्दयी व्यवस्था का अन्त कर देने की है।

**श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी** : मुक्ति के बाद···

**सभापति महोदय** : अभी नहीं, पहले उन्हें अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिए।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : अनेक सदस्य हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में तथा अछूत की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बारे में बोले हैं। उनमें से कुछ ने निगरानी हेतु निश्चित कदम जैसे प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना तथा विशेष न्यायालयों का गठन जैसे उपाय सुझाये हैं। अत्याचारों के बारे सदस्यों द्वारा गहराई से चिन्ता महसूस की है उसमें हम सहयोग करते हैं। हम इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। दीर्घकालिक परिपेक्ष्य में, सरकार महसूस करती है कि अत्याचारों की स्थायी समाप्ति अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास से होगी। यह उन कारणों में से एक है कि हमने हाल के समय में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए हैं। उसी समय, राज्य सरकारों को अत्याचारों तथा छूआछूत की प्रवृत्ति पर निगरानी रखने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों तथा अन्य सम्भव उपायों को कार्यान्वियन में सुधार के लिए मैंने विभिन्न राज्यों में अक्तूबर, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक प्रादेशिक सभाएं कराई थीं। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के अलावा मैंने इन मामलों पर उनसे बातचीत की है। इस उद्देश्य के लिए हमने क्षेत्रीय परिषदों के मंच का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरूआत 12 मई, 1979 को पूर्वी राज्यों की भुवनेश्वर में हुई हाल की क्षेत्रीय परिषदों की बैठक से हुई है। इससे भी पहले, हमने आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए इस फोरम का प्रयोग शुरू किया था। हमारी इच्छा इस फोरम के भविष्य में भी इस्तेमाल किए जाने की है विशेष न्यायालयों के संबंध में हमने राज्य सरकारों का ध्यान आपराधिक प्रक्रिया संहिता में हाल के संशोधन की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार वे, उच्च न्यायालय से परामर्श करके किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए एक अथवा ज्यादा विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं। हमने उनका ध्यान पी० सी०आर० अधिनियम की धारा 15 ए (2) की ओर भी दिलाया है। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि इन दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत वे विशेष न्यायालयों की स्थापना पर तेजी से विचार करें। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने अपने निर्णय से इसी

महीने में हमें सूचित किया है कि अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए कुछ चुने हुए जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन कर रही है। अन्य मामले में, गृह मंत्री श्री पटेल ने बिहार के मुख्य मंत्री से कहा है कि वह मुख्य सचिव के साथ बैठकर कोई उपाय खोजने का प्रयत्न करें।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** :—वह कौन सा राज्य है ?

**श्री धनिक लाल मण्डल** : आन्ध्र सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकारों से रिपोर्टों को मानीटर करने तथा विभिन्न राज्यों में अत्याचारों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए मंत्रालय में एक सेल (एकक) ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे हमें राज्य सरकारों के साथ समन्वित उपाय करने में सहायता मिलेगी। आपके सहयोग से तथा राज्य सरकारों के सहयोग से, मुझे आशा है कि इस मामले में आने वाले महीनों में हम ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

छूआछूत की समस्या के संबंध में इसका हल भी कम कठिन हो जाएगा क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रम गति पकड़ चुके हैं। इसी बीच अश्पृश्यता उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से सलाह करके एक विस्तृत कार्यवाही योजना कमी अंतिम रूप दिया जा रहा है। निःसन्देह विशेष कम्पोनेन्ट योजनाएं तथा निगमों जैसे उपाय अस्पृश्यता उन्मूलन में सहायता देंगे। कुछ सप्ताह पूर्व, हमने राज्य सरकारों सुझाव दिया है कि संसद-सदस्यों को भी मिलाकर जो अस्पृश्यता के विरुद्ध हैं, उन सभी को मिलाकर अस्पृश्यता की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कुछ चुने हुए स्थानों, तथा इस प्रवृत्ति के लिए बदनाम स्थानों पर एक विशाल आन्दोलन चलाया जाए।

हमें आशा है कि संसद सदस्य इसका नेतृत्व करेंगे। हम महसूस करते हैं कि समाज के सभी वर्गों द्वारा, जो इस प्रवृति को शर्मनाक मानते हैं, यह विशाल आन्दोलन अंस्पृश्यता निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें माननीय सदस्य सबसे ज्यादा सहायता कर सकते हैं ।

सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1978-79 में राज्यों में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए तंत्र केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शक्तिशाली बनाने के लिए 50 लाख रु० की व्यवस्था को 1979-80 के लिए बढ़ाकर 2 करोड़ रु० कर दिया गया है। इससे अस्पृश्यता के निवारण के लिए विभिन्न उपायों को सहायता मिलेगी।

एक सम्बन्धित परामर्श यह है कि जाति प्रथा का उन्मूलन किया जाता तथा अन्तर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सदस्यों की यह जानने में रुचि होगी कि कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि अन्तरजातीय विवाहों के बच्चों को, जिसमें पति-पत्नी में से किसी एक के अनुसूचित जाति का होने पर उन्हें आरक्षित के कई लाभ दिए जाएं जिनकी अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था है तथा इस प्रकार के विवाह के लिए प्रत्येक पति-पत्नी को रोजगार के कोटे। श्रेणी में उच्चतम प्राथमिकता दी जाए, जिसके लिए वह सामान्य रूप से ग्राह्य था/थी, जब तक कि कोई पृथकता अथवा तलाक नहीं होता। इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा जा चुका है तथा

**(श्री धनिक लाल मंडल)**

अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष के अंग के रूप में, हम इस प्रकार के विवाहों का, विभिन्न सम्भव तरीकों से समर्थन करते रहेंगे।

**श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या ये सिफारिशें हैं अथवा इन्हें स्वीकार कर लिया गया है ?

**श्री धनिक लाल मण्डल :** जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने इन्हें राज्य सरकारों को मंजूरी के लिए भेज दिया है। जैसाकि सदस्यों को ज्ञात है, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम पर इन सभी वर्षों में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सहज सुधार की आवश्यकता है। फिर भी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां शेष जनसंख्या से काफी पीछे हैं।

भारत सरकार द्वारा हाल में प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिकता शिक्षा पर महत्व दिया जाना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष सन्दर्भ में है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे बड़े कार्यक्रमों में मैट्रिक से आगे छात्रवृतियों का दिया जाना है, जो अनुसूचित जनजातियो पर भी लागू होती है। सदस्यों ने इस प्रकार मैट्रिक से आगे छात्र वृत्तियों के कुछ राज्यों में विलम्ब से भुगतान किए जाने की शिकायक की है। हमने राज्य सरकारों के साथ मामला पहले से ही उठाया हुआ है कि इन छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए पद्धति निर्धारित करने की आवश्यकता है। एक राज्य सरकार, गुजरात, ने बैंक के जरिये भुगतान की प्रणाली शुरू की है। हमें आशा है कि निकट भविष्य में अन्य राज्यों में भी स्थिति में सुधार होगा

कुछ सदस्यों ने मैट्रिक से आगे छात्रवृत्तियों पर लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों जैसे एक परिवार में दो बच्चों की सीमा तथा आय-सीमा, की ओर ध्यान दिलाया है। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इन छोटी सीमाओं को इस उदार कार्यक्रम को बहुत अधिक संख्या में परिवारों को लाभान्वित करने के उपाय के रूप में समझें। छात्रवृत्ति की दर को भी अधिक लाभ प्राप्त कर्ताओं को लाभान्वित करने के उसी दृष्टिकोण से समझा जाना जाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि 1974-75 में योजना को तर्कसंगत बनाया गया तथा सभी स्थानों पर दरों को कम किया गया। अभी हाल में ही, जनवरी 1978 में, मैडिकल कालेजों के लिए दरें बढ़ाई गई थीं।

**श्री मोहन लाल पिपिल :** अब जिनके तीन बच्चे हैं वे इस छात्रवृति के लिए आवेदन करने योग्य नहीं हैं। अतः उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा ? इसलिए इस शर्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

**श्री सूरजभान :** यह इमरजेंसी की जो एक देन थी कि दो से ज्यादा बच्चों को स्कालरशिप नहीं मिलेगी, जहां आपने इमरजेंसी की और ज्यादतियों को खत्म किया है वहां इसको भी खत्म करना चाहिए। दो से ज्यादा बच्चों को क्यों नहीं स्कालरशिप मिलना चाहिए ?

**श्री धनिक लाल मण्डल :** मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए। यहां मैं आर-

क्षण की स्थिति के बारे में भी बनाना चाहूंगा, जिसके विषय में अनेक माननीय सदस्यों ने शिकायत की है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवाओं में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का कम प्रतिशत मूलरूप से यह कारण है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण नहीं थे। सभी पदोन्नतियों में, श्रेणी I तथा II को मिलाकर सभी श्रेणियों में वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर होतीं थीं, उनमें आरक्षण केवल 27.11.72 से लागू किया गया। फिर भी, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकांश पदोन्नति वाले पद चयन के आधार पर भरे जाते हैं।

**श्री एस० के० सरकार** : चयन के मामले में आपको आदेश पर्याप्त नहीं है। इसलिए, जहां तक चयन का सम्बन्ध है, बहुत से प्रत्याशियों को उनके वैधिक दावों तथा पद्धोन्नति के अवसरों से इन्कार कर दिया गया है। क्या आप देखेंगे कि क्या आपके 1972 के आदेश में अडचन को समाप्त कर दिया है ?

**श्री सूरजभान :** एक मेजर पौइन्ट रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह नहीं है कि सीनियर क्लास I के प्रोमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगी।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : इसकी हम अवश्य छानबीन करेंगे। इस प्रकार की पदोन्नतियों में प्रथम श्रेणी की सबसे कम परिधि में, 20.7.74 से आरक्षण लागू किए गए थे। प्रथम श्रेणी में चयन के द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं हैं, यद्यपि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वरिष्ठ अधिकारियों को यदि वे पद के लिए भरी जाने वाली 2250/—रु० की अधिकतम वेतन रिक्तयों में की परिधि में आते है तो उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है।

**श्री एस० के० सरकार :** ऐसे मामले में कितनी बार विचार किया गया है ? क्या ऐसा कम से कम छः बार हुआ।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : तीन से पाँच बार हो सकता है।

इससे आगे, अनुसूचित जातियों के लिए 25.3.1970 तक आरक्षण का प्रतिशत, $12\frac{1}{2}$ /. तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 ०/० था जब इनको क्रमशः 15 ०/० तथा 7 1/2 ०/० में परीवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त, 1950 से पूर्व अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। इसके कारण उनका बहुत ही कम प्रतिनिधित्व रहा। तीन वर्षों से प्रचलित वर्तमान की तुलना में, 1970 तक, अप्रयुक्त आरक्षणों को दो परवर्ती नियुक्त वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद, 27.12.1977 तक, उच्चतम न्यायालय द्वारा अगस्त 1973 दिए गए निर्णय के कारण, एक वर्ष में 50 ०/० से ज्यादा रिक्तयां अनुसूचित जातिओं तथा अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य वर्गों के लिए नहीं भरी जा सकतीं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियां विशेषतः अनुसूचित जनजातियां ज्यादा बड़ी संख्या में सामने नहीं आ रहीं।

**श्री मही लाल :** जुडिशियरी पर लागू होगा या नहीं ?

**श्री धनिक लाल मण्डल :** हां, लागू होगा। पहले स्थिति समझ लीजिए, फिर उसको सुधारने के लिए क्या हो रहा है, वह भी बताऊंगा।

**(श्री धनिक लाल मंडल)**

यद्यपि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के मिलने की स्थिति में काफी सुधार आया है, अभी भी वे सामान्य रूप से तकनीकी सेवाओं तथा तकनीकी योग्यताओं तथा विशेषताओं वाले पदों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिए उदाहरण के तौर पर, पनुसूचित जातियों ने 1964 की परीक्षा से उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तयों का व्यावहारिक रूप से लाभ उठाया है। दो या तीन वर्षों को छोड़कर, अनुसूचित जनजातियां पूरे कोटे का लाभ उठा रही हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों की स्थिति (सफाई वालों को छोड़कर) 1.1.1978 को 14.84 ०/० पहुंच गई है तथा 1·1.1979 को 15 ०/० से ऊपर जा सकती है। **(व्यवधान)**

**श्री मोहन लाल पिपिल**: आई० ए०एस० तथा आई०एफ० एस में कुछ कोटा हो सकता है, किन्तु अन्य श्रेणी एक तथा श्रेणी दो सेवाओं में कुछ नहीं है। **(व्यवधान)**

श्रेणी II में बिलकुल भी कोई कोटा नहीं है। शायद यह 4 से 5 प्रतिशत तक है, इससे ज्यादा नहीं।

**श्री धनिक लाल मंडल** : यह 4.5 प्रतिशत है, मैं जानता हूं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसा क्यों था।

**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि अच्छी बात यह है कि आप इन बातों में न फंसें।

**श्री धनिक लाल मंडल** : जहां तक केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती का संबंध है, निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध होगा कि वर्तमान उपायों के अनुसार भी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियां सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अपनी कमी तेजी से पूरी कर रही हैं। अब 1974 *से आगे* वे अपनी कमी तेजी से पूरी कर रहीं है, किन्तु अभी पिछली कमियां शेष हैं। कोई भी इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता कि अभी भी पिछली कमियां शेष हैं।

**श्री कंवर लाल गुप्ता** : आप हमें यह बता सकते हैं कि 1977 में जब आपने विभाग सम्भाला था तो क्या संख्या थी तथा इस समय क्या संख्या है। 1974 के आंकड़े हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं।

**श्री धनिक लाल मंडल** : 1977 और 1978 में भी संख्या में वृद्धि हुई है। अब संख्या तेजी से बढ़ रही है, किन्तु समस्या यह है कि बहुत समय से पिछले बकाया शेष हैं। इसलिए, इसमें कुछ समय लगेगा··· **व्यवधान**

**सभापति महोदय** : आप प्रश्नों को बढ़ावा न दें। आप केवल अध्यक्ष को संबोधित करें।

**श्री धनिकलाल मंडल** : पिछले बकाया मामले ये हैं। मैंने स्वयं कहा है कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बकाया मामले पड़े हैं। इन बकाया इकट्ठे मामलों को दूर करने के लिए जो किया है वह है···**व्यवधान**

निसंदेह सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के वर्तमान निम्न स्तर के लिए नहीं, अपितु कमी को 3 से 5 वर्षों में दूर किए जाने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, संगठित सेवाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित आंकड़े मगाये गए हैं। उच्च अधिकारी समिति की अंतिम बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन और तरीकों पर सुझाव देने के लिए मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक वरिष्ठ सचिवों की समिति का गठन किया गया है। कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 335 का उल्लेख किया है, जो वास्तव में एक कठिनाई है। इसी कठिनाई को दूर करने लिए अक्तूबर, 1978 में रिक्तिओं को तीन से पांच वर्षो में भरने के लिए उपाय और साधन सुझाने के लिए उपरोक्त समिति का गठन किया गया था।

**श्री सूरज भान :** जब तक कि धारा 335 संशोधन नहीं होता, ऐसा नहीं किया जा सकता।

**श्री घनिक लाल मंडल :** अनेक सदस्यों ने कुछ समुदायों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए मामला उठाया है। इन मामलों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (आदेश) संशोधन अधिनियम, 1978 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है। एक सदस्य ने बी० सी० डब्ल्यू० महानिदेशालय के फील्ड संगठन को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग को सौंपे जाने का मामला उठाया। 24 वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 पर आयुक्त द्वारा तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संसदीय समिति द्वारा भी इसका हवाला पहले दिया गया है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फील्ड संगठनों का स्थानांतरण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों के आयोग को पहले ही किया जा चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि संगठन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का संगठन, संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1978 के स्वीकृत होने पर आयोग में सम्मिलित होगा। जैसाकि एक सदस्य ने प्रस्ताव किया था, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के संगठन को और शक्तिशाली बनाने के उपाय पहले से ही विचाराधीन हैं। हम स्वयं प्रसन्न नहीं है कि आयुक्त के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही विवरण को सदन में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। किन्तु मुझे विश्वास है कि सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे जैसाकि मैंने पहले बताया है कि आयुक्त की अनेक सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है, जैसे—विशेष कम्पोनेन्ट योजनाएं, अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए केन्द्रीय सहायता आदि। अन्त के कुछ महीनों में हम मध्यावधि योजना तथा वार्षिक योजना से सम्बंधित मामलों में हम जुटे हुए थे। विशेष कम्पोनेन्ट योजना को प्रस्तुत करने का अवसर खो देना उचित नहीं था जैसाकि पांचवी योजना के शुरू में जनजाति उप-योजना प्रस्तुत की गई। जिन मंत्रालयों तथा राज्यों से उत्तर आने बाकी हैं, उन्हें याद दिलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी सदन के समक्ष की गई कार्यवाही विवरण प्रस्तुत कर सकें। एक सदस्य ने संसद तथा राज्य विधान मंडलों में आरक्षण में विस्तार का मामला उठाया है। सरकार पहले से ही इस मामले पर ध्यान दे रही है।

**(श्री धनिक लाल मंडल)**

मैं अनुसूचित जनजातियों के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ मिलाकर मैं अनुसूचित जातियों के बारे में बोल रहा हूं। छटी योजना अवधि के दौरान, जनजाति के विकास के क्षेत्र में, हमने निम्नलिखित क्षेत्रों में बल दिया है—कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, वन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य।

कृषि के विकास के लिए, निदेशों जैसे बैलों की जोड़ी, खाद, कृषि-औजार, कीटनाशी आदि की सप्लाई के लिए परिवार-वार योजना तैयार की गई है। यदि जनजातियां 50 ०/० अंश नहीं लगा सकतीं तो योजना में 50 ०/० निवेश की लागत को सहायता के रूप में तथा अन्य 50% संस्थागत वित्त के रूप में दिए जाने पर विचार किया गया है।

उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के राज्यों में उद्यान वृक्षारोपण को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में लिया गया है। सीमान्त जंगलों तथा सरकारी भूमि और जनजातियों की निजी भूमि का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

इस संबंध में माननीय सदस्यों को बताना चाहता है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण आदिवासियों में करने का निर्णय लिया है तथा उन्होंने फैसला किया है कि एक भी आदिवासी परिवार भूमिहीन नहीं रहेगा। यह उपाय फसलों की अदला-बदली पर निगरानी रखने की दृष्टि से भी किया गया है। फलों का विपणन तथा परिषकरण को संगठित करने का प्रस्ताव है।

जनजाति क्षेत्रों में लघु सिंचाई प्रयोजनाएं स्थापित करने के लिए पांचवीं योजना अवधि में कुछ उन्नति हुई थी। लघु सिंचाई प्रयोजना शुरू करने के लिए अब राज्यों को जल की सम्भावना के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कहा गया हैं। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त लागत निर्धारित किए जाने हैं। इस सन्दर्भ में, जहां कहीं भी मैं गया हूं। मैंने कहा है कि धन की बाधा नहीं होगी।

एक महत्वपूर्ण संस्थान जिस पर हमने यथेष्ट विचार किया है वह है सामूहिक ढांचा। अब तक देश के जनजाति क्षेत्रों में 2400 विस्तृत आकार की बहुद्देश्यीय सहकारी समितयां (एल० ए० एम० पी० एस०) स्थापित की जा चुकीं हैं। उनके तिहरे कार्य हैं अतिरिक्त खेतों को हासिल करना तथा जनजातियों का वन उत्पादन, उनकी उपभोक्ता आवश्यकताओं को उचित अथवा नियंत्रित दरों पर बेचना तथा उनमें उत्पादन, तथा उपभोग ऋणों का विस्तार करना। एक जनजाति परिवार को इस योजना के माध्यम से 100/—रु० का उपभोक्ता ऋण दिया जाएगा।

एल० ए० एम० पी० एस० को विपणन के लिए जनजाति विकास सहकारी निगम तथा वित्तीय मामलों के लिए राज्य सहकारी बैंकों जैसी गौण तथा ऊंचे निकायों के साथ सम्बन्द्ध किया गया है।

**श्री राम देवी राम** : मैं मंत्री महोदय से एक बात के बारे में जानना चाहता हूं कि जो हरिजन जमीन से बेदखल हैं उनको जमीन वापिस दिलाने के लिए आपके पास क्या योजना है ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : एक साल के अन्दर वापिस दिलाने की योजना है। अभी रीजनल की सिल की अंतिम बैठक भुवनेश्वर में हुई थी। कौंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक साल में, जो पेंडिग केसेज हैं उनको डिस्पोज आफ करना है। **व्यवधान**

भुवनेश्वर की बैठक में बिहार के मिनिस्टर और अफसर बगैराह आए थे और वहां पर उनसे स्पेसिफिकती कहा गया था एक साल के अन्दर इसको करें। उनके आंकड़ों के अनुसार 35 हजार एकड़ जमीन पर बेदखल किया गया है जिसमें 14 हजार एकड़ जमीन को रेस्टोर किया जा चुका है और 21 हजार करोड़ जमीन को रेस्टोर करना बाकी है। वहां पर जोनल कान्सिल की मीटिंग में यह तय हुआ कि सिंघभूमि में हम लोग बैठेंगे।

आदिवासियों के लिए कृषि तथा बागवानी के बाद, बनों का लगाया जाना आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे वनों के छोटे उत्पादक ईधन तथा लड़की दोनों को इक्ट्ठा करते है, अपने घरेलू इस्तेमाल तथा बिक्री के लिए। इसके अथवा वे जड़ीबूटियां इकट्ठी करते हैं। जुलाई, 1978 में हुए वन-मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया गया कि आदिवासियों को लघु कृषि उत्पादों को इकट्ठा करने का अधिकार होना चाहिए, वन श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए तथा वन लगाने के कार्यक्रमों को आदिवासी अर्थव्यवस्था के पक्ष में नया रूप दिया जाना चाहिए। राज्यों में संकल्पों को अभी भी कार्यान्वित किया जाना है। हम क्षेत्रीय परिषद की बैठकों, अन्य राज्य सरकारों का ध्यान दिलाने के लिए कि उन्होंने इस संबध में उन्होंने क्या किया तथा इसके बारे में वे हमें अवश्य सूचित करें के लिए की थी।

औद्योगिक तथा खान के क्षेत्रों में पूरे रूप में शोषण होता है। हम इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में छोटा नागपुर बेल्ट, राउरकेला कम्पलेक्स, बैलाडीला कम्पलेक्स आदि छोटी परियोजनाओं के निर्माण पर बल देते रहे हैं। कुछ राज्यों ने कार्य शुरू कर दिया है।

पांचवीं योजना अवधि से भिन्न रूप में, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों को अधिक उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले, विशेष रूप से, कम शिक्षा तथा दूर के क्षेत्रों को प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए चुना जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वे रोग जिनका आदिवासियों की ओर ज्यादा झुकाव है जैसे— क्षय, चर्म रोग, फिलैरिया, इनके उन्मूलन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाज स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की योजना निर्धारित की जा रही है।

छठी योजना अवधि के लिए वित्त के कुल 3000 करोड़ रुपए के स्रोत—राज्यों से 1850 करोड़ रु०, विशेष केन्द्रीय सहायता से 350 करोड़ रु० तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों से 500 करोड़ रु० और संस्थागत वित्त से 300 करोड़ होंगे।

1974-78 की चार वर्ष की अवधि में आदिवासी क्षेत्रों में राज्य योजना से 550 करोड़ रु० तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से 118 करोड़ रु० का निवेश किया जाएगा, छठी योजना में 550 करोड़ रु० के विपरीत, यह 3000 रु० है अर्थात उसका 6 गुणा।

**(श्री धनिक लाल मंडल)**

छठी योजना अवधि में, विकास खण्डों द्वारा पहले ही चुने गए, 50 प्रतिशत से ज्यादा, आदिवासी जनसंख्या की आदिवासी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 10,000 से ज्यादा, को छोड़कर 50% अथवा उससे ज्यादा लोगों को खोजा जा रहा है तथा इन्हें उप-योजना क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार से, देश की 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या को छठी योजना में शामिल कर लिए जाने का अनुमान है।

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सुस्थापित ढांचे के अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने अनुसूचित जातियों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के कार्यक्रम को गम्भीरता से अपने हाथ में लिया है। जहां कुछ उत्साहवर्धक विचार सामने आने शुरू हुए हैं, लम्बा तथा कठिन मार्ग हमारे सामने है। इस काम में हमें एक लाभ यह मिला है कि गृह मन्त्रालय ने राज्य सरकारों के साथ निकट के सम्बन्ध हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी यह एक आदर्श मन्त्रालय प्रभारी है। इसने अनुसूचित जातियों के लिए पहले भी विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों में हमारी सहायता की है। इस उद्देश्य के लिए एक पृथक मन्त्रालय की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो कि गृह मन्त्रालय की है। जाहिर है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संसदीय समिति की इस दृष्टि से काफी प्रशंसा की है, जबकि उन्होंने नवम्बर 1969 में सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को गृह मन्त्रालय को पुनः स्थान्तरित कर दिया जाए। हम इस कठिन कार्य में माननीय सदस्यों के सहयोग से ही सफलता की आशा कर सकते हैं। मुझे आशा है आने वाले महीनों में हम कुछ आगे बढ़ेंगे।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय, के पास कागजों का एक बंडल है जिसे वे शुरू से आखिर तक एक के बाद एक पढ़ रहे हैं। अच्छा यह होगा कि वे इन्हें सदन के पटल पर रख दें। नियमों के अनुसार, सदन का कोई सदस्य कागज नहीं पढ़ सकता ...।

**श्री धनिक लाल मंडल** : ऐसी स्थिति में, एक लिखी हुई सामग्री होना अच्छा होता है, सुविचारित सामग्री, अन्तिम सामग्री।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : किन्तु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, मन्त्री को मिलाकर कोई सदस्य इस प्रकार से कोई मूलपाठ नहीं पढ़ सकता। तथापि वह बीच-बीच में पढ़ सकता है, किन्तु एक के बाद एक कागज नहीं पढ़ सकता। यदि उनके पास कागजों का एक बंडल है, अच्छा काम यह होगा कि वे इसे पटल पर रखें। अतः क्या मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि वे कुछ ही कागज पढ़ें, न कि सभी कागज, उस तरीके से नहीं, जिस प्रकार वे ऐसा कर रहे हैं।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : इस प्रकार की स्थिति में, जब माननीय सदस्यों ने परिश्रम से कुछ सुझाव तथा सिफारशें की हैं, यह श्रेयस्कर होगा कि सभी सुझावों पर विचार किया जाय तथा उसके बाद हमारी टिप्पणियाँ आगे आयें।

**सभापति महोदय** : वे कागजों को पढ़ते भी जा रहे हैं तथा बीच-बीच में उत्तर भी देते जा रहे हैं । वे माननीय सदस्यों को उत्तर भी दे रहे हैं, वे केवल पढ़ ही नहीं रहे । **(व्यवधान)**

व्यवस्था के प्रश्न को वरीयता दी जाएगी । मैं आपको बाद में अवसर दूंगा ।

**प्रो० पी०जी० मावलंकर** : मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न तथा एक प्रश्न—दोनों ही उठाने हैं। क्योंकि आपने हम सबको चुप होकर मन्त्री महोदय का भाषण सुनने के लिए कहा है, यदि कोई मुख्य मुद्दा अभी भी बिना उत्तर के छूट गया है तो हम प्रत्येक एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाद में मेरे प्रश्न का उत्तर दें । किन्तु मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। श्री गुप्त ने जो कुछ कहा है, उसी क्रम में, मन्त्रियों की उत्तर के रूप में वे लम्बे वक्तव्य पढ़ने की सुस्थापित आदत बन गई है । मित्र के विरुद्ध मेरे पास कुछ नही है । यह सही है कि आज पढ़े गए भाषण में कुछ विरोध तथ्य आदि हैं तथा इन तथ्यों को लिखा भी जाना है, किन्तु वे सब कुछ पढ़ गए और उसके बाद बैठ गए । मुझे आशा थी कि अपना भाषण समाप्त करने के बाद, वे उन मुद्दों का जो मुझे मिलाकर विभिन्न सदस्यों ने उठाये हैं, उनका उत्तर बिना पूर्व तैयारी के आज दिया जाएगा ।

**श्री धनिक लाल मंडल** : यदि कोई मुद्दा छूट गया, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं ।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** : उन्हें जो कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है वह केवल कल तक बचे भाषण को पूरा करता है । आज के भाषण के विषय में क्या है ? उन्होंने उसे शामिल नहीं किया है । इन्हें उन भाषणों को भी शामिल करना चाहिए तथा उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए ।

**श्री सी०एन० विश्वनाथन** : कृपया आप मन्त्री महोदय से कहें कि वे ऐसी परम्परा न चलायें ।

**सभापति महोदय** : श्री मावलंकर, क्या मन्त्री महोदय यह पूर्व विचार नहीं कर सकते कि आप आज क्या कहने जा रहे हैं तथा उत्तर तैयार रखें ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वे एक दूरदर्शी मन्त्री हैं ।

**श्री शिवनारायण सरसूनिया** (करोलबाग) : मैं एक सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि आप का जो वर्किंग ग्रुप है, उसने जो तृतीय श्रेणी के वेतन की सिफारिश की है, उसे क्या सरकार ने मान लिया है ?

**सभापति महोदय** : अब आप डिबेट न करिये ।

**श्री शिवनारायण सरसूनिया** : मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं । दूसरा मैंने टेनर्स के बारे में सवाल किया था । क्या आप टैनर्स को किसी तरह की कोई सुविधा देना चाहते हैं, जिससे ये काम जो करते हैं, उसमें उनको कुछ राहत मिले और वे बरबाद न हों ।

तीसरी बात मैंने शिक्षा के बारे में कही थी कि सबको समान अवसर दिए जाएं । जब तक शिक्षा का सबको समान अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग बराबर कैसे आ आ सकते है ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : शिक्षा समान होनी चाहिए, समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं, यह बहुत बड़ी नीतिगत बात है। इसके लिए शिक्षा मन्त्रालय से बात करनी चाहिए। हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया है। आप एक नीतिगत बात कह रहे हैं। देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, पब्लिक स्कूल खत्म किए जाने चाहिए, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समान अवसर का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि सबकी बराबर की हैसियत कर दी जानी चाहिए। जिनको खाना मिल नहीं रहा है, उन्हें खाना मिलना चाहिए, जिनको कपड़ा नहीं मिल रहा है उन्हें कपड़ा देना चाहिए। यह समान अवसर का अर्थ है।

आपने टेनरी की बात की। इसके सम्बन्ध में मैंने आपको बताया है। मैं पहले भी कई बार सदन में कह चुका हूं कि हमने लेदर डवलपमेंट कारपोरेशन के बारे में पहल की है। इसके पीछे यही उद्देश्य था और जैसा कि इस सदन में माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि हरिजन जो अपने पेशे से धकेले जा रहे हैं, चाहे वह धोबी का काम हो, चाहे नाई का काम हो, चाहे वह जमादार का काम हो जब वह काम मिकेनाइज्ड हो जाता है या आरगेनाइज्ड हो जाता है तो हरिजन वहां से गायब हो जाते हैं और ऊंची कास्ट के लोग वहां पहुंच जाते हैं, उनको मदद मिले। इसलिए हमने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और राज्य सरकारों से कहा था कि लेदर डवलपमेंट कारपोरेशन का गठन होना चाहिए। इसी भाव से हमने कहा था। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन माननीय सदस्यों को जो कि खड़े हैं, अपनी सीटों पर बैठ जाना चाहिए। जब मन्त्री जी बोल रहे हैं तो इसमें अधिक सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिए।

**श्री धनिकलाल मंडल** : महोदय मैं कह रहा था कि लेदर डवलपमेंट कारपोरेशन के मामले में हमने कहा है कि शुरू से लेकर अन्त तक उन्हें फाइनेंस किया जाए। जो प्राइमरी वर्कर है, जो खाल निकालता है, उसे टेंड करता है, उससे जूता बनाता है और बना कर बेचता है उसको मदद दी जाए, फाइनेंशयल हेल्प दी जाए। प्राब्लम जब खड़ी होती है जब कि कोई पेश मिकेनाइज्ड और आरगेनाइज्ड हो जाता है तो ये प्राइमरी वर्कर्स वहां से गायब हो जाते हैं। जब पेशा फलदायी होने लगता है तो खुद हरिजन वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए हमने लेदर डवलपमेंट कारपोरेशन बना करके उनको फाइनेंस करने, उनको मदद देने की बात कही है जिससे कि मिकेनाईज्ड और आरगेनाइज्ड होने पर हरिजन जो इस पेशे से लुप्त होते जा रहे हैं वे न हों। उनका जो इस पेशे से सम्बन्ध बन गया है, वह सम्बन्ध खत्म न हो। इसलिए जरूरी है कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उनका सोशल स्टेटस बढ़ाया जाए। इसलिए हमने इसकी व्यवस्था की है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।

**कुछ सदस्य** : खड़े हो गये।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहिए कि जो लोग बहस में हिस्सा

ले चुके हैं, वे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल पिपिल** (खुर्जा) : मैंने बहस में हिस्सा नहीं लिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं जनना चाहूंगा कि देश में गरीबों, हरिजनों, खेतिहर मजदूरों को पट्टे मिले हैं—रहने के लिए, खेती के लिए। पट्टे के साथ उनको यह भी बता दिया गया है कि वहां जाइए, उस जमीन पर दखल कर लीजिए ; कागज पर उनको दखल भी मिल गया है लेकिन वहां पर दूसरे लोग काबिज हो गये। वहाँ पर न उनके मकान बनने दिए गये, न उनको काश्त करने दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री छबि राम अर्गल, कृपया बैठ जाइए। जब एक सदस्य बोल रहा हो तो किसी को भी सभा में इस प्रकार उठकर खड़ा नहीं होना चाहिये।

**श्री मोहनलाल पिपिल** : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई कानून बनायेगी कि जो जमीने केन्द्रीय सरकार ने या राज्य सरकारों ने हरिजन और खेतिहर मजदूरों को दी हैं, उनको अगर कोई छीने या उन पर कोई कब्जा करे तो उस पर ट्रेसपास का केसे चलाया जा सके ? क्या आप ऐसा कानून बनायेंगे या नहीं ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : उपाध्यक्ष महोदय, कानून बने हुए हैं। सवाल उनके क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का है। मैंने सदन में आज भी अपने रिप्लाई में कहा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से यह आदेश गया है कि हरिजनों को जहां भी पट्टे मिले हैं और उनको उस जमीन से बेदखल कर दिया गया है तो उस जमीन पर उनको कब्जा दिलवाया जाए। राज्यों को कहा गया है कि इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वे उठाएं। मैंने इसके बारे में एक प्रश्न का जवाब भी दिया था। 1978 में जब प्रधान मंत्री ने राज्यों को लिखा था इसके सम्बन्ध में तो मैंने एक प्रश्न का उत्तर भी दिया था जिसमें मैंने कहा था कि जो भी जमीन हरिजनों को मिली है, जिस का पट्टा उनको मिला है उस पर से उनको किसी भी हालत में बेदखल नहीं होने देना चाहिए। सार्वजनिक कामों के लिए भी अगर उस जमीन की जरूरत हो तो उनको अलग से जमीन दी जाए लेकिन जमीन जरूर मिलनी चाहिये।

जहां तक इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन का सवाल है आई० पी० सी० में इसके लिए पुलिस प्रौटेकशन की व्यवस्था पहले से ही और कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है।

**श्री एस० के० सरकार** (जयनगर) : श्रीमान, मै आपके जरिये मंत्री जी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं।

आपको मालूम है कि मैंने अनुच्छेद 16 41 के संबंध में एक सवाल उठाया था तथा उसे आदेशत्मक बनाने के लिए कहा था। उसके लिए हमारे एक माननीय मित्र श्री सूरजभान ने गैर-सरकारी सदस्य विद्येयक प्रस्तुत किया था। उस विधेयक को आपके मंत्रालय ने पास नहीं किया है। यदि यह विधेयक इस सभा में पास हो जाता है तो उसके लिये यह एक बाध्यकारी प्रावधान होगा। जिससे इसे कानूनी आधार मिल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इसे पास करने के लिए तैयार है।

**श्री धनिक लाल मंडल** : अनुच्छेद 16 (4) के संबंध में—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण, एक कार्यकारी आदेश द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यह कानूनी नहीं है, मुझे मालूम है। किंतु इसके कुछ लाभ हैं।

**श्री सूरजभान** (अम्बाला) : इसमें केवल दोष ही दोष है, हम चाहतें हैं कि कोई केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

**श्री धनिक लाल मंडल** : इसके कुछ लाभ इस रूप में है कि जब भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्माण के कारण संशोधन की जरूरत होती है, तो उन निष्कर्षों तथा निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तथा उचित समंजस्य और शुद्धि की जा सकती है। यही सुविधा है कि उसमें तुरन्त शुद्धि कर सरकते हैं तथा उपयुक्त शैली अथवा कुछ अन्य ढंग से उसे पुनः स्थापित करसकते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : किसी प्रकार से कानून में भी आसानी से संशोधन किया जा सकता है।

**श्री धनिकलाल मंडल** :—उसके लिये आपको संसद में ही आना पड़ेगा।

**श्री पी० राजगोपाल नायडू** (चित्तूर) : कुछ राज्य सरकारें हरिजनों तथा गरीबों के लिए आवास को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत रखना चाहती थी तथा काम के बदले अनाज विभाग भी इसके लिए आकांक्षी है। किंतु वित्त मंत्रालय का कहना है कि किसी व्यक्ति की सहायता करना समुदायिक विकास के अन्तर्गत नहीं आ सकता। हरिजन और गिरीजन वित्तीय रूप में इतने कमजोर हैं कि उनकी सहायता करना ठीक होगा क्योंकि बजट में उद्योगपतियों को व्यक्तिगत आधार पर ही 250 करोड़ रु० की राज-सहायता की व्यवस्था की गई है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय को इसके लिये विवश किया जाए कि हरिजनों, गिरिजनों तथा आम कमजोर वर्गों की आवास की व्यवस्था सामुदायिक विकास के अन्तर्गत रख दी जाए। यदि ऐसा हो जाता है, तो उसे काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है तथा राज्य सरकारों के सहयोग से आवास की व्यवस्था तेजी से पूरी की जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने एक सुझाव पेश किया है।

**श्री छबिराम अर्गल** (मुरैना) : अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की अवधि जो 1980 में समाप्त हो रही है उसको बढ़ाने के बारे में आप क्या कर रहे हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं किया है।

सैपरेट मिनिस्ट्री की मांग भी चारो ओर से की गई है। इसका भी आपने अपने जवाब में उल्लेख नहीं किया है।

पीछे चार सीटें अनुसूचित जनजातियों की खत्म कर दी गईं और अनुसूचित जातियों की भी एक सीट कम कर दी गई थी। इसी तरह से विधान सभाओं में भी कुछ सीटें कम कर दी गई थीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

मैं चाहता हूं कि इन सब बातों का आप स्पष्ट उत्तर दें।

**श्री घनिक लाल मंडल :** माननीय सदस्य ने मैने जो अपने जवाब में कहा है उसको सुना नहीं है। जहां तक रिजर्वेशन की अवधि बढ़ाने की बात है मैंने कहा है कि यह चीज सरकार के एक्टिव कंसिड्रेशन में है। इस पर विचार हो रहा है।

जहां तक सैपेरेट मिनिस्ट्री की बात है, उसके सम्बन्ध में मैंने कहा है

एक पृथक् मन्त्रालय स्थापित करना गृह मन्त्रालय के समान एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुके हैं।

**श्री घनिक लाल मंडल :** इस उद्देश्य के लिए एक पृथक मंत्रालय गृह मन्त्रालय के समान एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। स्पष्ट तौर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने इस पहलू को उपयुक्त महत्व प्रदान किया था जब कि उन्होंने 1969 में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सम्बन्धी कार्य पुनः गृह मन्त्रालय को स्थानान्तरित कर दिया जाये क्योंकि गृह मंत्रालय में उसके होने से कुछ लाभ होते हैं।

**श्री एम० देवी राय** (पलाखू) : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं जब कि हम आपके सामने ही बैठे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इसका तरीका नहीं है। आपने आधा घंटा लिया। सभा में आप इस प्रकार उठकर नहीं चिल्ला सकते। कृपया अपनी सीट पर बैठिये। मुझे अफसोस है, मैंने आप को बोलने के लिए नहीं कहा है। श्रीमती रांगनेकर।

**श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि जो निओ-बुद्धिस्ट हैं उनको यह सहूलियत दी जाएगी या नहीं ? महाराष्ट्र स्टेट में उनको सहुलियतें मिल रही हैं (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार पीठ का अपमान नहीं कर सकते। ये अन्तिम सदस्य हैं, जिन्हें मैंने बोलने के लिए कहा है। इन बातों पर बहस करने का आखिर कोई नियम होना चाहिए। इसलिए आपको आठ घंटे मिले हैं। कृपया बैठ जाइये।

**श्री आर०एल० कुरील** (मोहनलालगंज) : नहीं, यह बहुत गलत बात है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो आप कर रहे हैं वह गलत बात है। अपनी गलती तो आपको समझ में नहीं आती।

**श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** नियो-बुद्धिस्ट्स को महाराष्ट्र में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो सहूलियतें मिल रही हैं वही सहूलियतें उनको पूरे देश में मिलनी चाहिएं। इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

दूसरी बात यह है कि कोल माइन्स में जब मैकेनाइजेशन होता है तो हरिजनों को पहले निकाल देते हैं। तो आपको एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि जहां हरिजनों को निकाल रहे हैं आदिवासियों को निकाल रहे हैं वहां उनको ही रखना चाहिए जब भी आप दूसरी जगह इन लोगों को रखना चाहें। उनका एमप्लायमेंट किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं ?

**(श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर)**

**श्री धनिक लाल मंडल** : महाराष्ट्र में जो प्रैक्टिस है वह हमको मालूम है। उनको हरिजनों का दर्जा नहीं है, लेकिन हरिजनों को भी सुविधाएं हैं वह सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, यह ठीक है। और दूसरी जगह पर भी उनको बैकवर्ड क्लास ट्रीट किया जा रहा है और बैकवर्ड क्लास को जो सुविधाएं मिल रही हैं वह सुविधाएं उनको दी जा रही है।

**श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : एमप्लायमेंट उनका कम नही होना चाहिए कोल माइन्स में। वहाँ से 50,000 हरिजनों को निकाला हैं। इसलिए उनका एमप्लायमेंट कम नही होना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : इसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हां इसको मानता हूं लेकिन इसको तो ऐस्टेबलिश करना होगा कि किनको निकाला गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई बाजार की सार्वजनिक सभा नही है, जहां कोई भी खड़ा होकर किसी पर चीखना शूरू कर दे।

यह ठीक है कि हरिजनों और आदिवासियो को कोल बैल्ट्स में काम मिला हुआ है वहां से उनको नहीं निकाला जाना चाहिए। बात तो यह सही है, इससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है।

**श्रीरामदेनीराम** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा आपके दिमाग में है कि मैं धमकी दे रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि आदिवासियों की तरह जो बेदखल जमीन वापस आदिवासियों को हो रही है, ठीक उसी तरह से हरिजनों की बेदखल जमीन को वापस कराने की इस प्रकार की योजना आप बनाना चाहते हैं कि नहीं ?

दूसरे आपके जितने प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होते हैं, उनकी सारी फैसिलिटीज सारे मुलाजिमों को तो मिलती हैं। लेकिन बगल में बैठे हरिजन आदिवासी को नहीं मिलती हैं। वाटर सप्लाई स्कीम उसके पास है, लेकिन वह नदी से पानी पी रहा है, उसके घर में अंधेरा है, उसके लिए सरकार व्यवस्था करना चाहती है या नहीं ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : जमीन के सम्बन्ध में मैंने विस्तार से बताया कि आदिवासियों के लिए कुछ कानून हैं लैंड रेस्टोरेशन एक्ट है या इस तरह के कानून हैं कि आदिवासियों की जमीन नान-आदिवासी को ट्रांसफर नही की जाती है। कानून है तो उसका कुछ फायदा होता है, इसका लाभ उठाकर आदिवासियों की जमीन उनको मिलनी चाहिएं, तो इस कानून को धीरे-धीरे हम अमल में ला रहे हैं, और ऐसे प्रयास कर रहे हैं।

हरिजनों के सम्बन्ध में भी बताया कि जहां कही भी उनको जमीन मिली है, उसके सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी कई कदम उठाये हैं। उन दोनों का मैंने जिक्र भी किया है।

**श्री राम कंवर बेरवा** : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ जो छुआछूत होती है, सार्वजनिक स्थानों में बाजा बजाते हुए, अगर कोई घोड़े पर जाता है, तो उनके साथ मारपीट के मामले होते हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे। पिछली लोक सभा में श्री आर०डी० भंडारे की अध्यक्षता में यहां एक कमेटी बनी हुई थी, मैं भी उसका मेम्बर था, जहां कही भी हम जाते थे, देखते थे कि आई० जी० पुलिस के यहां केस तो रजिस्टर हुआ है,

लेकिन इन मामलों में सजा एक को भी नही हुई । तो इस प्रकार रास्ते चलते जो मारपीट की जाती है, अत्याचार होते हैं, क्या इसके लिए कोई ठोस कानून बनाना चाहते हैं जिससे 30 सालों का यह कलंक खत्म हो सके ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : इसके लिए तो प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट है । अगर किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके अधीन मामला बनता है । यह औफेन्स है और जो औफेन्स के सम्बन्ध में होता है वह सारा होगा ।

जहां तक इम्पलीमेंटेशन की बात है, इसके लिए तो विभिन्न स्तरो पर कमेटियां बनी हुई हैं। वह सारी कमेटियां एक्टिव न हो, काम न करें, राज्यों में और केन्द्र के मामले में देख लीजिए मैं बिहार की बात बतलाता हूं एक तो हरिजन सैल चीफ मिनिस्ट के अन्डरटर में काम करता है और सैक्रेटरिएट में एक थाना खोला गया है, अगर कही भी कोई केस दर्ज न करता हो तो वहां कराया जा सकता है । यह बात कही गई किन्तु बहुत से थानेदार केस दर्ज नही करते, तो एक थाना सैक्रेटरिएट में ऐसा खोला गया है कि अगर 5 पैसे का पोस्टकार्ड भी लिखकर डाल दें तो केस दर्ज कर लिया जाता है। हरिजन हरिजन एट्रोसिटीज को रिव्यू करता है । बिहार में एक स्पेशल थाना सैक्रेटेरिएट में कायम कर दिया गया है जिससे किसी को यह कहने का मौका न हो कि हमारे केस को लिया ही नहीं गया ।

इसी प्रकार रैंज लेवल पर सैल बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेल बनाया गया है सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एवेयरेनैस नहीं है। मैं प्रासेस की बात बता रहा था कि यह सब काम हुआ है, लेकिन जितना काम होना चाहिए वही नहीं हुआ है । लोगों में एवेयरनैस होनी चाहिए कि छुआछात और भेदभाव पाप है । यह ऐवयरनैस नीचे के लैवल पर अभी परकूलेट करके नहीं आई है । लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारा जो इतने दिनों का काम करने का अनुभव है, कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर यह एवेयरनैस है । ऐसी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लैवल के आफिसर पूर्ण रूप से एवेयर नहीं है या समझते नहीं है । वह यह समझते हैं कि यह बात खत्म होनी चाहिए, यह कलंक है, यह हमको कमजोर बनाता है, यह पाप है । लेकिन उसके भी नीचे के लेबल तक जो फील्ड लेबल है, वहां पर यह एवेयरनैस नहीं पहुंची है, इसलिए दिक्कत हो रही है । लेकिन हमारा यह सतत प्रयास हो रहा है कि यह एवेयरनैस डाउन टू दी अर्थ पहुंच जाए । सभी लोग उसको इतना ही पाप समझने लगे जितना हम और आप समझते हैं ।

**श्री मीठालाल पटेल** : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा आदिवासी विकास खंडों के अतिरिक्त आदिवासी ट्राइवल पाकेट्स के नाम से जो 55 खंडों का विवरण आपके पास आया है और उसके 2,3 महीने पहले से स्वीकृति विचाराधीन है, मैंने पहले निवेदन किया था लेकिन जानबूझकर यहां ढिलाई के कारण वह स्वीकृति आज तक नहीं पहुंच रही है जबकि राजस्थान गवर्नमैंट के संबंधित मंत्री भी आपसे निवेदन कर चुके हैं और मिल चुके हैं, तो कब तक वह स्वीकृति वापस चली जाएगी और नहीं जा रही है, तो इसका क्या कारण है?

**श्री धनिक लाल मंडल** : हम लोग इसको तुरन्त देखेंगे ।

**श्री अनन्त नवे** (कच्छ) : मंत्री महोदय ने बताया है कि सभी राज्य सरकारों को लिखा गया है कि किसी हरिजन की जमीन न ली जाए । मैं इस बारे में एक स्पेसिफिक इनस्टांस देना

**(श्री अनन्त दवे)**

चाहता हूं। कच्छ जिले के मांडवी तालुके के बिलेश्वर गाँव में हरिजन चमार रहते हैं। उनके मकान दस साल पहले के बने हुए हैं। अन्य जातियों के मकान भी वहां हैं। एक महीना पहले गुजरात सरकार ने वे मकान खाली कराने का आर्डर दिया है। क्या मंत्री महोदय गुलरात सरकार को लिखेंगे कि ये मकान खाली न कराए जाएं और उस जमीन पर उन लोगों के अधिकार को रेगुलराइज कर दिया जाए ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस तरह तो हम इस डीबेट को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्लेरिफिकेशन के तौर पर कुछ पूछना अलग बात है, लेकिन इस तरह स्पेसिफिक इनस्टांस के बारे में पूछना ठीक नहीं होगा।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा)** : मैं दो बातों के बारे में मंत्री महोदय से बिलकुल स्पष्ट और दो-टूक प्रश्न करना चाहता हूं।

हरिजनों और आदिवासियों की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां उनके घर बने हुए हैं, उस जमीन का भी स्वामित्व उन्हें नहीं मिला हुआ है। नतीजा यह होता है कि बड़े-बड़े भूमिधर उन लोगों को निकाल देते हैं, जो उनकी बेगार नहीं करते हैं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिन जमीनों पर उन लोगों के घर बने हुए हैं, उनका स्वामित्व उन लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा, उन्हें उन जमीनों का पट्टा दे दिया जाएगा ?

मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि एक बरस में कोई भी आदिवासी भूमिहीन नहीं रह जायेगा, उन लोगों को भूमि बांट दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई देशव्यापी योमना है, जिसके अन्तर्गत एक, दो या तीन बरस में कम से कम उन हरिजनों और आदिवासियों के पास कम से कम एक हैक्टेयर जमीन आवश्यक हो जो खेती पर निर्भर हैं, जो खेतिहर हैं। चाहे वह जमीन सीलिंग से निकाली जाए और चाहे बंजर भूमि आवश्यक सुविधाओं के साथ दी जाए, लेकिन एक हैक्टेयर भूमि हर हरिजन *तथा* आदिवासी परिवार के पास हो जाए, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है ?

**श्री धनिकलाल मंडल** : जहां तक आवास की जमीन, होमस्टेड लैंड, का सवाल है, सब राज्यों में होमस्टेड लैंड कानून बना हुआ है और बहुत से लोगों को अधिकार दे दिये गये हैं। कोई बिरले रह गये है, यह बात दूसरी है। अगर माननीय सदस्य कोई मामला हमारे ध्यान में लायेंगे, तो हम उनको देखेंगे।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं हैं। सैकड़ों बरसों से जिनके मकान बने हुए हैं, वे भी जमीन के मालिक नहीं हैं। जो हरिजन या आदिवासी खेती पर निर्भर हैं, कम से कम एक हैक्टर जमीन खेती के लिए उन्हें मिल जाए, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है। मंत्री महोदय ने इसका जवाब नहीं दिया है।

**श्री धनिक लाल मंडल** : सीलिंग की जमीन हो, या सरकार की जमीन हो, इस तरह की जितनी भी जमीनें हैं, जो बांटी जा सकती हैं, जिन्हें बांटने के लिए कहा गया है, उनके लिए हरिजन प्रायर्टी सैक्टर में आते हैं। जो जमीन हम उनको दे सकते हैं, वह हम उन्हें देंगे। लेकिन यह कहना सम्भव नहीं है कि जितने भूमिहीन हैं, उन सब को एक एक हैक्टेयर जमीन दे दी जाएगी।

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : मैंने सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दो समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचा था। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि सरकारी सेवाओं में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का क्वोटा पूरा नहीं हो रहा है। मैंने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज सैल खोल दिया जाए जिसका काम यह हो कि वह कैंडीडेट्स को सिलेकट करे, कैंडीडेट्स की खोज करे, और अगर कैंडीडेट्स उपलब्ध न हों, तो वह इन वर्गों के लिए मैडिकल, इंजीनियरिंग और साइंस आदि के लिए टेकनिकल ट्रेनिंग का प्रबन्ध करे।

दूसरी बात यह है कि जो पोस्ट कैरी फार्वर्ड को जाती हैं दो साल के लिए उसमें बड़ी घपलेबाजी होती है। होता यह है कि कैरी फार्वर्ड करके एडहाक एप्वाइन्मेंट कर लिया जाता है और उसका पता नहीं चलता है। इसलिए आप उस पर किसी दूसरे आदमी की नियुक्ति मत करें और कैरी फार्वर्ड करते हैं तो तब तक करते रहिए जब तक कि उस पर भर्ती न हो जाए।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : जैसा कि बतलाया जा चुका है, डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अफसर को लायजन आफिसर बनाने के लिए कहा गया है और उसको असिस्ट करने के लिए एक सेल होगा। इस प्रकार से इवैलुएशन किया जायेगा कि हर विभाग उसका सही पालन कर रहा है या नहीं। एक माननीय सदस्य ने इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर सेल का निर्माण नहीं हुआ है तो उसको हम टेक-अप कर रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चैटर्जी** (जादवपुर) : एक दो राज्यों में, जैसा कि आदिवासियों के मामले में होता है, हरिजनों को उनकी जमीन वापिस दिलवाने के लिए कानूनी व्यवस्था है। किन्तु बिहार जैसे कुछ राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं है ? क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को; जिनमें कि ऐसे कानून नहीं हैं, कहेगी, कि अधिकारों की सुरक्षा हेतु; जिसमें हरिजनों को उनकी जमीन वापिस दिलवाने का कार्य भी शामिल हैं, ऐसे ही कानून बनाएं जाएं। विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं आवास परियोजनाएं उन स्थानों पर लागू की गई हैं, जहां के रहने वाले उनसे लाभान्वित होते हैं। किन्तु हरिजनों की बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? इतनी अधिक भिन्नता मौजूद है। इसलिये ऐसे मामलों में क्या सरकार यह प्रयास करेगी कि हरिजन बस्तियों में उचित सुविधा, न्यूनतम सन्तोषजनक सुविधाएं प्रदान की जायें।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : हमने उड़ीसा के माडल पर काम करने के लिए सभी राज्यो को लिखा है। एक सर्कुलर जारी किया गया है कि हरिजनों को जो जमीन दी गई है उस पर यदि किसी दूसरे का कब्जा है तो उसे ट्रेस-पासर ट्रीट किया जाये और एक ट्रेस-पासर की हैसियत से उस पर मुकदमा चलाया जाए। इसमें उस व्यक्ति को ही साबित करना होगा कि वह उसकी जमीन है। इस प्रकार से हर राज्य को लिखा गया है। उनकी तरफ से जवाब आया कि ऐसे प्रावधान आई० पी० सी० में हैं जिनके मातहत हम काम कर रहे हैं। जहां तक होम मिनिस्ट्री का सवाल है, हम सारी चीजें राज्यों को लिख चुके हैं। **(व्यवधान)**

साइट डेवलप करके देने की जो बात है वह भी हमारी स्कीम में है और हम उस पर जरूर काम करेंगे।

**श्री बी० सी० काम्बले** (बम्बई-दक्षिण-मध्य) : प्रतिवेदन में इस बात का विशेष हवाला दिया गया है कि उच्च न्यायालय को एक राज्य के रूप में ही माना जाता है इसलिए जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों का संबंध है, कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता। मैं इस संबंध में सरकार के विचार जानना चाहता हूं। मैंने इस मुद्दे को भी उठाया है कि उच्च न्यायालय की संरचना राज्य के समान है तथा क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों का आरक्षण किया जा सकता है अथवा नहीं ?

**श्री धनिक लाल मण्डल** : न्यायालय के सम्बन्ध में मैंने जिक्र नहीं किया यद्यपि मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसको उठाया था। श्री राम बिलास पासवान जी ने, मद्रास की जो घटना घटी थी और उस पर हाईकोर्ट का जो गवर्नमेन्ट है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस बात को कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोअर कोर्ट्स के सम्बन्ध में तो, जो हाई पावर्ड कमेटी की बैठक अक्तूबर, 1978 में हुई थी उससे इस पर विचार हुआ था कि मुंसिफ हैं, सेशन्स जज हैं वहां पर हम जरूर विचार करके इसको करने की कोशिश करें और और जितना भी हम कर सकते हैं वह करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत हमको अधिकार नहीं है। ला मिनिस्टर से यह जरूर कहा गया कि सहानुभूतिपूर्वक जितना भी कर सकते हैं वह करने का प्रयत्न करें। इसलिए जो बात आपने कही है वह हमारे ध्यान में है।

## संविधान (46 वां संशोधन) विधेयक

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब संविधान के छियालिसवें संशोधन विधेयक पर विचार करेगी। यदि सभा सहमत है तो हम चार घंटे सामान्य बहस के लिए, 2 घंटे खंड-वार चर्चा के लिए तथा 1 घंटा तृतीय वाचन के लिए रख सकते हैं। मुझे आशा है कि सभा इसकी अनुमति प्रदान करती है, मंत्री जी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सरकारी संशोधन सहित संविधान के छियालिसवें संशोधन विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं काफी हर्षित हूं, जिससे अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग, दोनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा सकेगा।

जनता सरकार एक सिविल अधिकार आयोग की स्थापना के लिये उत्सुक हैं, जोकि एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त निकाय होगा, तथा जो यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होगा कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दूसरी जातियां किसी प्रकार की असमानता अथवा भेदभाव की शिकार न हों। कतिपय क्षेत्रों में यह शंका उठाई गई कि अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा की देखभाल करने का कार्य एक संयुक्त निकाय को सौंप देने से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की उचित और पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं हो सकेगी। इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अन्त में यह निर्णय किया गया कि दो आयोग स्थापित किये जायें, एक अल्पसंख्यकों के लिए तथा दूसरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित करने वाला सरकार का संकल्प 12 जनवरी, 1978 को जारी किया गया था। इसके बाद 21 जुलाई, 1978 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग को स्थापित करने वाला संकल्प जारी किया गया था।

आरम्भ में दो आयोग कार्यकारी आदेशों द्वारा कुछ समय के लिये बनाए गए थे और उस समय यह सोचा गया था कि यदि उन्हें समुचित संवैधानिक दर्जा दे दिया जाये तो इससे उन वर्गों को कारगर रूप से आश्वासन मिल सकेगा, जिनके हितों को देखने का कार्य इन्हें सौंपा गया है। इस बात का भारत सरकार के लिये ही नहीं राज्य सरकारों के लिये भी महत्व है। साथ ही इन दो आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने से वह असंगति दूर हो जायेगी जिसके अन्तर्गत इन दोनों आयोगों को राष्ट्रपति तथा संसद के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है और इसी के अनुच्छेद 338 और 350वीं में उल्लिखित विशेष अधिकारियों को भी लगभग इन्हीं विषयों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है।

इसलिये इन आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें मजबूत बनाने में तथा साथ ही इन दो आयोगों और विशेष अधिकारियों के कार्य के बीच जो अतिव्यापक हैं, उसे दूर करने के संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1978, जो कि इस सभा में अगस्त, 1978 में प्रस्तुत किया गया था, का प्रस्ताव किया गया है।

इस संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 338 में संशोधन करना तथा अनुच्छेद 350 बी. को समाप्त करके एक नया अनुच्छेद 338-ए उपस्थित करना है। वर्तमान अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है, जो संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गये सुरक्षा-उपायों से संबन्धित सब मामलों की जांच पड़ताल करेगा तथा इन सुरक्षा-उपायों के कार्यान्वय के संबंध में, ऐसे अन्तरालों पर, जैसाकि राष्ट्रपति निर्देश दें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इन सब प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं के सामने रखवायेगा। अनुच्छेद 350 बी, में व्यवस्था में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था है जिसे संविधान के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गए सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित सब मामलों की जाँच करने का कार्य सौंपा जायेगा तथा जो ऐसे अन्तरालों पर जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्रपति इन सब प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं के सामने रखवायेगा तथा उन्हें संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा।

इन दो आयोगों ने पहले से ही प्रस्तुत किये जा चुके विधेयक में कुछ और संशोधन करने के लिए सिफारिशें की हैं। इन सुझावों पर प्रधानमंत्री महोदय ने इन आयोगों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस विचार-विमर्श के आलोक में विधेयक के संशोधनों को विचार के लिए और संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक), 1978 के साथ पारित करने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इन संशोधनों में यह व्यवस्था की गई है कि यह आयोग उन सुरक्षा उपायों की जाँच-पड़ताल कर सकते हैं। जिनकी व्यवस्था केन्द्रीय या राज्य के कानून के अन्तर्गत की गई है। इस बात को स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि आयोग इस प्रकार के सुरक्षा उपायों को लेकर किये जाने वाले कार्य का मूल्यांकन कर सकेगा। इन संशोधनों द्वारा आयोगों को यह अधिकार भी दिया जा रहा है कि वे निर्दिष्ट शिकायतों की जांच कर सकते हैं

[श्री धनिक लाल मंडल]

और वार्षिक या जब वह ठीक समझें, तब प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुच्छेद 338 तथा 338 ए के खंड 3 (डी) में आने वाले "संरक्षण और उत्थान" शब्दों में "कल्याण" जोड़कर इन दोनों आयोग के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है, जो उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के बारे में है।

इस विधेयक को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का समुचित समर्थन मिला है। समय-समय पर संसद की दोनों सभाओं में व्यक्त आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि सभा इस पर विचार करेगी तथा बिल को प्रस्तावित सरकारी संशोधनों सहित पास कर देगी। मैं तदनुसार सभा के सामने इसे प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विधेयक पर राय जानने हेतु उसे परिचालित करने के लिए श्री बनतवाला का एक संशोधन है। क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

**श्री जी० एम० बनतवाला** :मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को उस पर 2 अगस्त, 1979 तक राय जानने हेतु परिचलित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सूरजभान, आपका संशोधन समान है। इसलिए आपको उसे पेश करने की जरूरत नहीं।

**श्री बी० राचंया** (चामराजनगर) : मैं संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1978 के संबंध में अपने कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि "संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जिसका कार्य वहां यह परिभाषित किया गया है कि वह संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों संबधी सब मामलों की जाँच-पड़ताल करे तथा विहित अन्तरालों पर इन उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तदनुसार, राष्ट्रपति ने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के रूप में, एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। तथापि समस्या की व्यापकता की देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि सुरक्षा उपायों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक अधिकारी रखने के स्थान पर इस बात से काफी विश्वास पैदा होगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों का कार्य महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर बने एक आयोग को सौंप दिया जाए।

इसी प्रकार अनुच्छेद 350 बी में यह व्यवस्था है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये भी एक विशेष अधिकारी हो। सरकार का विचार है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म के आधार पर हों अथवा भाषा के आधार पर, हितों के लिए एक आयोग की नियुक्ति अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक संतोषप्रद संस्थागत व्यवस्था प्रदान कर सकेगी। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग एक कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया। ऐसा आयोग, यदि वह संवैधानिक प्राविधाओं के अनुसार गठित किया गया तो अल्पसंख्यकों में अधिक विश्वास पैदा हो सकेगा। इसलिए उन्होंने विचार तथा स्वीकृति के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वह यह है कि ··

**(श्री एम० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)**

इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक में की गई व्यवस्था अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने के प्रावधान से बेहतर है।

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत अनेक सुरक्षा उपायों तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों को देखते हुए एक से अधिक सदस्यों से मिलकर बने आयोग की नियुक्ति का यह प्रावधान किया गया है। हर वर्ष इन जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है यह अवधि 1980 में समाप्त होने जा रही है मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस विधेयक के जरिये सरकार ने संविधान में संशोधन करके इन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को कम से कम 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर बोलते हुए कुछ सदस्यों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के 32 वर्ष बाद भी उन पर किये जाने वाले अत्याचार पर दुःख प्रकट किया है। कल और पिछले कुछ दिनों में इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है तथा मैं उसके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे अनुसूचित जातियों की समस्याओं, उनके आर्थिक पिछड़ेपन तथा सामाजिक अधोगति के सम्बन्ध में इस सभा में कही गई बातों को दोहराने का मैं दोषी हूंगा। फिर भी समस्या इतनी गंभीर है और दिन-ब-दिन यह राष्ट्र के लिए एक चुनौती का रूप धारण करती जा रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत संरक्षणों को आगे जारी रखा जाएगा ? इसका मंत्री जी ने कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसे आयोग के रूप में पदोन्नति करने से क्या होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इन संरक्षणों को आगे की अवधि तक बढ़ाने का निर्णय किया है अथवा नहीं।

दूसरा मुद्दा यह है कि क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि इन जातियों के लोगों की आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए और अधिक आयोग और सदस्य बनाये जायेंगे। समस्याएं अनेक हैं तथा विभिन्न प्रकार की है, तथा काफी जटिल हैं तथा उनमें से प्रत्येक के लिए विशेष आयोग के गठन की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे विशेषज्ञ शामिल हों कि जो मामले की सूक्ष्म जांच कर सकें तथा यह पता लगाये कि इन संरक्षणों का उचित रूप से कार्यान्वय हुआ है और यदि नहीं

[श्री बी० राचैया]

तो उनके कार्यान्वयन में क्या कठिनाईयां है। इसके लिए आद्योपान्त जाँच तथा समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता है, इसलिए सरकार को केवल आयोग बनाकर ही संतोष नहीं करना चाहिए बल्कि इन मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तथा अधिकारी भी लगाने चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे हमें बतायें कि उनके मन में क्या है, क्या वे अधिक अधिकार अथवा आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं, क्या उस आयोग में अधिक सदस्य होंगे अधिक व्यक्ति होंगे, व्यक्ति जो प्रतिष्ठावान तथा महत्वपूर्ण होंगे।

यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या कितनी है ? उस पर कितना व्यय हो सकता है, क्या उस धनराशि को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए वसूल किया जायेगा ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार, हम आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय पर धन खर्च कर रहे हैं। वित्तीय ज्ञापन अनुमानित धन राशि का उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि अनावर्त्तक व्यय लगभग 4.3 लाख रुपये होगा और आवर्त्तक व्यव लगभग 5.7 लाख रुपये का। अल्पसंख्यक आयोग के मामले में अनावर्त्तक व्यय 6.4 लाख रुपये और आवर्त्तक व्यय 8.2 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगा। आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय की सही-सही धनराशि नहीं निकाली गई है। इसलिए इसके बारे में बताना होगा। क्या इस भारी धन राशि को "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्य" नाम में खर्च किया जायेगा ? क्या इसे "सामान्य प्रशासन" के नाम में डाला जायेगा।

अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसके पूर्व भाषा सम्बन्धी और धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक अलग-अलग आयोग थे। अब यदि एक आयोग बना दिया गया, तो क्या वह इन दोनों मामलों के साथ न्याय कर सकेगा ? इसलिए मेरे विचार से न केवल भाषा ज्ञात अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग आयोग होना चाहिए। आप बराबर यह देख रहे हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार नहीं होता। उन पर मुकदमा चलाया गया तथा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी समस्याओं के मामले सरकार सही रवैया अपनाये। बेहतर यह होगा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग आयोग बनाये जायें क्योंकि उनकी समस्याओं में बहुत अन्तर है। उनकी समस्यायें एक समान नहीं हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों की ओर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उनकी समस्यायें अधिक गंभीर हैं। अधिक अल्पसंख्यकों की समस्यायें अधिक हो सकती हैं। इसलिए यह संयुक्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गये कार्य को पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं सरकार से एक बार फिर यह अनुरोध करता हूँ कि, जैसा कि श्री बनतवाला ने अपने संशोधन द्वारा सुझाव दिया है कि इस विधेयक का प्रचार किया जाये ताकि हम इसके बारे में जनमत को जान सकें और इसके बाद हम इस विधेयक पर ठण्डे दिमाग से और शान्तिपूर्ण वातावरण में विचार कर सकेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह यह बतायें कि आरक्षण को और आगे तक बढ़ाने; व्यय तथा भाषाजात और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग आयोग बनाने के बारे में उनका क्या विचार है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

---

## कोयला उद्योग में वेतन ढांचे पर वार्ता के बारे में वक्तव्य

**ऊर्जा मन्त्री** (श्री **पी० रामचन्द्रन**) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, कोयला उद्योग में मजदूरी सम्बन्धी पिछला समझौता 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हो गया । इस समझौते की समाप्ति से कुछ महीने पहले हमने एक नया समझौता करने की दृष्टि से बातचीत करने के लिए एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति नियुक्त की थी जिसमें प्रबन्ध मण्डल और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि थे । द्विपक्षीय समिति की अनेक बैठकें हुईं और बातचीत के दौरान इस बात के लिए लगातार प्रयत्न किया गया कि यूनियनों की मांगों और प्रबन्ध मण्डल द्वारा रखे गए प्रस्ताव के बीच तालमेल बैठाने का कोई उपाय निकल जाये । पिछले कुछ दिनों से इन प्रयत्नों में और भी तेजी आ गई थी तथा द्विपक्षीय समिति की इस महीने की 13 तारीख से लगभग रोज ही बैठक हो रही थी । बातचीत के दौरान ही यूनियनों ने इस महीने की 18 तारीख से कोयला उद्योग में अनिश्चित कालीन हड़ताल का भी आह्वान कर दिया था ।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अपने बहुत गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप हम आज प्रातःकाल यूनियनों के साथ एक समझौता करने में सफल हो गये हैं और यूनियनों ने हड़ताल का जो नोटिस दिया था वह वापस ले लिया है । इस सम्बन्ध में मैं अपने सहयोगी श्रम मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस वार्ता में हमें बहुत सहायता दी । इस वार्ता के फलस्वरूप हम कोयला मजदूरों के काम की दशाओं में और उनके वेतन आदि में सुधार करने में सफल हुए हैं । हमने इन मेंजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और, उनके विशेष रूप से कठिन काम के महत्व को मान्यता देते हुए, हमने भूमि के नीचे काम करने के भत्ते की दर भी बढ़ा दी है । उन्हें देय छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और अवकाश मात्र रियायत की सुविधा भी बढ़ा दी गई है । जिन कोयला खनिकों को मकान नहीं दिए गए हैं उनके लिए मकान किराया भत्ता मंजूर कर दिया गया है । इन निर्णयों के फलस्वरूप एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे कोयला मजदूर की दशा में सुधार होगा और उसे प्राप्त सुविधायें सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के प्राप्त सुविधाओं के निकट पहुँच जायेंगी ।

इस देश के कोयला मजदूरों ने आमतौर पर औद्योगिक शांति बनाए रखी है और मैं उनके सहयोग की प्रशंसा करता हूँ । फिर भी, पिछले वर्ष कोयला क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध कुछ खराब हुए थे । अब मुझे पूरी आशा है कि हमने जो समझौता इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से किया है उसके फलस्वरूप कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक शांति का मधुर वातावरण रहेगा । अन्त में, मैं कोयला उद्योग के सभी कामगारों से जोर देकर अपील करना चाहता हूँ कि जब सरकार ने और प्रबन्ध मण्डल ने उनकी मांगों को इतनी तत्परता से मान लिया है तो उन्हें भी देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से जुट जाना चाहिए क्योंकि आज कोयला हमारे सभी औद्योगिक कामों में एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु बन गया है । मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष हमने उत्पादन का जो 118 मि० टन लक्ष्य निर्धारित किया है वह न केवल पूरा होगा बल्कि वास्तविक उत्पादन इससे कहीं अधिक होगा ।

---

## संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक जारी

**श्री सूरजभान** (अम्बाला) : सभापति महोदय, कमिश्नर की बजाय कमीशन बनाया जा रहा है इसका मतलब तो साफ है कि पहले की वर्किन्ग में कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए कमीशन की स्थापना की जा रही है। लेकिन जितनी कमियां थीं वह सारी इस कमीशन के बनने से भी दूर नहीं हो पा रही हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, क्या-क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। यह बताना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो बिल है उसमें जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ताल्लुक है उसमें आर्टिकिल 338 (1) में लिखा है।

> अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा" और माइनारिटीज के लिखा है 338 (ए) :
> अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग होगा, जिसे अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा।

अब यह जो पहला कमीशन होगा इसका नाम क्या होगा, कुछ बताया नहीं। माइनारिटीज वालों का तो बता दिया। इस कमी को पूरा करना चाहता हूं। इसको आप यह नाम दे दीजिये, और अमेंड कर लीजिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जिसे मानवीय तथा नागरिक अधिकार आयोग के नाम से जाना जायेगा।

मैं यह नहीं चाहता कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ही नाम इसके साथ जुड़े। जो यह ह्यूमन प्रौबलम है और इसके लिये उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि अनटचैबिलिटी आफन्सेज ऐक्ट आपने बनाया था, कुछ अर्से के बाद उसका भी नाम आपने बदला। प्रोटेक्शन आफ़ सिविल राइट्स रखा। अगर उसको आप बदल सकते हैं, और सही बदला है, तो इसका नाम आप यह रख दें तो अच्छा होगा, और यह नाम बाहर के मुल्कों में भी है।

कैनाडा में पिछले साल में कैनेडियन ह्यूमन राइट एक्ट, रखा 1977 बनाया गया, इसी प्रकार अमेरिका में भी ह्यूमन राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट है। इसके नाम में थोड़ी अमेंडमेंट आप कर लें तो नाम भी अच्छा रहेगा और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा रहेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले कमिश्नर का तो तजुर्बा था, कुछ सज्जन तो ऐसे थे कि जिनको कमिश्नर न एप्वाइन्ट करते तो ही अच्छा था। मुझे खुशी है कि इस बार जो मेम्बर और चैयरमैन बनाये गये हैं वह अच्छे आदमी हैं। आगे तजुर्बा बतायेगा कि कैसे होंगे। यह मैं इस लिए कह रहा हूं कि आज अच्छे हैं, कल कैसे निकलें, यह हमें ध्यान रखना होगा।

एक कमिश्नर ऐसे थे, कमिश्नर फार शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, जिन्होंने इन-राइटिंग यह रिकमैंडेशन दी थी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के बच्चों को दसवीं जमात से आगे नहीं पढ़ने देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि इनकी सर्विसेज की रिजर्वेशन भी खत्म कर

देनी चाहिए। यह राइटिंग में था। वह कमिश्नर मि० एम० के० बोस थे। जब उनके खिलाफ आवाज उठाई गई कि यह आदमी अच्छे नहीं हैं, तो बजाय इसके कि उनको टर्म से पहले हटाते, उनकी टर्म को और आगे एक्सटेंड किया गया पिछली गवर्नमेंट के द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की गलती नहीं दोहराई जाये। आइन्दा इस कमीशन में जो आदमी एप्वाइन्ट किये जायें, वह नेक-नीयती वाले आदमी हों, उनका बैकग्राउन्ड देखा जाये कि किस प्रकार का सोच-विचार है उनका यहां बैठकर गला तो नहीं काटेंगे, उनकी भलाई के लिए कुछ काम करने वाले आदमी हों। अच्छा होगा यदि वह सभी हरिजन आदिवासी हों।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कमिश्नर की हालत कुछ दिन पहले यह रही है कि कोई एम्पलायी या पब्लिक का शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई आदमी अपनी ग्रीवांस लेकर जाता था, तो वहां हालत यह होती थी कि भाई, तुम्हारा रिप्रैजैन्टेशन हम ड्राफ्ट कर देते हैं, कहीं से टाइप करा लाओ। उनके पास टाईपिंग के लिए भी स्टैनोग्राफर की कमी थी। अगर स्टाफ भी पूरा नहीं होगा तो वह कमिश्नर क्या करेगा? वह एक लैटर बाक्स बन कर रह गया। एक कम्पलैंट वहां गई, उसने उसे महकमे को भेज दिया। जो जवाब उसके पास आया वह उसने कम्पलेनेन्ट को भेज दिया। इस किस्म का लैटर बाक्स हमें नहीं चाहिए। उसको पूरे अख्तियारात होने चाहिए, खास तौर से अगर एट्रोसिटीज के केसेज हैं, तो कमिश्नर को यह पावर होनी चाहिए, अमेरिका और कैनाडा में यह है कि अगर कहीं खास केसेज में वहाँ का हयूमन राइट्स कमीशन चाहे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टस से जजेज एप्वाइन्ट करा सकते हैं कि केसज इन्वैस्टीगेट करा लिया जाये और उनकी जो फाइन्डिग्ज होती हैं, वह गवर्नमेंट के लिए वाइन्डिग होती हैं। मैं चाहता हूँ कि यहां भी इस कमीशन को यह पावर दी जाये कि जहाँ इस किस्म की स्ट्रोसिटीज होती हैं शेडयूल्ड ट्राइब्ज पर या और ग्रेव केसेज होते हैं और कमीशन यह समझता है कि बहुत जरूरी है कि हाई लैवल पर इन्क्वायरी होनी चाहिए तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिक्वैस्ट करके उनकी इन्वैस्टीगेशन कराये और उसकी जो फाइंडिग्ज हों वह कोर्ट की तरह से लागू होनी चाहिए।

पिछले कमिश्नर का तजुर्बा है कि कमिश्नर को मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्स ने ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया था। 1966 में आकर, उसके स्टेट्स में जो दफतर थे, डिफरेंट स्टेट्स में जो आफिस थे, सारे तोड़ दिये थे, डायरेक्टर जनरल बैकवर्ड क्लासेज के अंडर ले लिये थे। मेरी जानकारी है, मैं चाहता हूँ कि वह जानकारी गलत हो, लेकिन मेरे पास अथोंटिकेटेड इन्फा-र्मेशन है कि आज भी इस नए कमिश्नर को मिनिस्ट्री आफ होम स्फेयर्स प्रैशराइज कर रही है कि तुमको भी जो स्टाफ लेना है, हमारे जरिए लेना होगा। यह धाँधली नहीं चलनी चाहिए। कमि-श्नर इंडिपैंडेंट हो, अपनी रिक्रूटमैंट ले सके, यू० पी० एस० सी० के जरिये या चाहे जहाँ से ले, यह मिनिस्ट्री आफ होम स्फेयर्स के अंडर नहीं होना चहिए। इट शुड बी एलाउड टु वर्क इंडी-पैंडेंट आफ दी होम मिनिस्ट्री।

इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कमिश्नर ने जो रिकमैंडेशन दी है, हजारों रिकमैं-

[श्री सूरजभान]

डेशन दी हैं, लेकिन मुश्किल से किसी एक-आध को ही गवर्नमेंट ने माना है। अगर वही हालत इस कमीशन की भी रहेगी तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। कमिश्नर की रिकमैंडेशन मैन्डेटरी होनी चाहिए। अगर मैन्डेटरी नहीं है, गवर्नमेंट पर लागू नहीं है, तो वह भी पोस्ट बाक्स की तरह भेजता रहेगा, और गवर्नमेंट यह कहती रही कि मुझे मंजूर नहीं है।

सरकार पिछले तजुर्बात को देख कर यह हाई पावर कमीशन बना रही है। मैं महसूस करता हूँ कि यह कमीशन अपनी रीकमेंडेशन्ज सोच-समझ कर देगा, कोई गलत रीकमेंडेशन नहीं देगा। इस कमीशन में पाँच आदमी रखे गए हैं : एक चेयरमैन और चार मेम्बर। मैं समझता हूँ कि इस कमीशन की सब रीकमेंडेशन्ज गवर्नमेंट पर लाजिमी तौर पर लागू होनी चाहिए।

कमीशन ठीक ढंग से काम कर सके, इसके लिए यह जरूरी है कि उसके चेयरमेन और मेम्बर्ज का टेन्युर फिक्सड हो। यह न हो कि सरकार ने एक चेयरमैन बना दिया, और अगर उसकी कोई रिपोर्ट सैन्ट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उसको प्रैशराइज करके या धक्का देकर निकाल दिया। अगर उन लोगों का पाँच साल का फिक्स्ड टेन्युर हो, तो वह कमीशन पाँच साल तक अपनी मर्जी के मुताबिक, जो वह ठीक समझता है, अपनी इंडिपैंडेंट ओपीनियन दे सके, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्यों न हो। इस तरह उसके सिर पर हमेशा यह तलवार नहीं लटकी रहेगी कि अगर उसने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे दी, तो उसे हटा दिया जाएगा। अगर उसे पता हो कि मुझे पाँच साल तक रहना ही है, चाहे मैं कोई भी रीकमेंडेशन दूं, तो वह इस सिक्युरिटी आफ टेन्युर की वजह से ठीक तरह से काम कर सकेगा।

कमीशन का स्टेटस भी फिक्स होना चाहिए और इसके लिए पार्लियामेंट में यह कानून बनना चाहिए कि कमीशन के क्या फंक्शन्ज होंगे, उसका क्या स्कोप और क्या स्टेटस होगा। इस बात को मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्ज पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह जिस तरह चाहे, इस बारे में फैसला करे। ये सब बातें पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक तय होनी चाहिए और इन्हें खुला नहीं छोड़ देना चाहिए।

सर्विसिज में ग्रीवेंसिज को डील करने के लिए भी कमीशन को पूरी पावर होनी चाहिए, क्योंकि सर्विसिज में हरिजनों आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादा एट्रासिटीज हो रही है। अगर शिड्यूल कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई एम्प्लाइ आठ साल से काम कर रहा है और आठ साल तक उसका सी० आर०—कांफिडेंशल रिपोर्ट—ठीक है, और नवें साल उसको प्रोमोशन मिलना है तो एकसाल पहले से उसका रिकार्ड खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए कमीशन को यह पावर होनी चाहिए कि वह सी० आर ०को देख सके, यह पता लगा सके कि किन हालात में गलत रिकार्ड हुआ है और उसको रीव्यु कर सके।

कमीशन की पावर्ज सिर्फ सेन्ट्रल सर्विसिज या सेन्टर के स्फीयर तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज में भी होनी चाहिए। इस बिल में इस बात का जिक्र

नहीं है। अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि कमीशन का फंक्शनिंग अच्छी तरह से हो सकेगा।

**काद्दर एथनी मुरमू** (राजमहल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री को बताना चाहता हूं कि अभी तक कमिश्नर का जो काम हुआ है, वह बिल्कुल असफल रहा है। हम आदिवासी लोग यह नहीं जान पाते हैं कि हम लोग सचमुच में अनुसूचित हैं या अनन्अनसूचित हैं—शिड्यूल्ड हैं या अनशिड्यूल्ड हैं। इसका कारण यह है कि एक तरफ तो हमें शिड्यूल्ड बनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें सताया जाता है, हम बेदखल होते हैं, हमारी जमीनें छीनी जाती हैं, हमारे सामने काम-काज और वेज की प्राबलम है, और भुखमरी है। इन बातों के विषय में कमिश्नर का क्या काम है, यह हम नहीं समझ पाते हैं।

हम देखते हैं कि आसाम में 40 लाख आदिवासी हैं, जो लेबर क्लास में गिने जाते हैं, लेकिन वे लोग आदिवासी नहीं कहलाते हैं। प्रश्न यह है कि यह सूची कौन बनाता है—केन्द्रीय सरकार बनाती है या राज्य सरकारें बनाती हैं ? एक ही जाति के लोग एक राज्य में तो अनुसूचित सूची में हैं, मगर दूसरे राज्य में वे उस सूची में नहीं हैं।

कभी-कभी तो उसी जिले की सूची के अन्दर नहीं पाते हैं। यदि सूची में गड़बड़ हो तो काम में भी गड़बड़ हो सकती है। आप जो सुविधा की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं उसमें बहुत-सी कंट्राडिक्शन्स हैं उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाए ? गृह मंत्री महोदय ने आज बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर बातें कही हैं लेकिन अभी बिहार में ही संथाल परगना में आप देखें कि भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं। भुखमरी के कारण कितने लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा ?

मेरे पास 12 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें दिया हुआ है कि अगर एक शाम खाते हैं तो दो शाम भूखे रहते हैं। इस तरह की हालत है। इसमें लिखा है :

> गट्टी जमुना हरिजन बस्ती (जन संख्या 400) की सभी पुरुष, स्त्री और बच्चे मरणासन्न हैं। वे कुपोषण के भयावह प्रतीक हैं। वे निरंकुश कृषि व्यवस्था, निर्दय प्रशासन और उदासीन जन-मन शिकार हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर इस तरह की समस्या है। बातें हम बहुत सुन्दर-सुन्दर करते हैं लेकिन हरिजन आदिवासियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब गरीबी है तो उसके कारण लेबर प्राब्लम भी पैदा होती है, लेबर का एक्सप्लायटेशन भी बहुत होता है। इसके बारे में भी रिपोर्ट आई है। यह 13 मई का संडे स्टेंडर्ड है :

"मजदूर शोषण पर संथालों का विरोध—सस्ते मजदूरों को ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल के जमींदार और ठेकेदार ट्रकों और बसों को लाते हैं। वाहनों में स्थान के लिए हमेशा धक्का-मुक्की होती है। लेकिन उन्हें 'ले जाने वाले लोग' अपना माल चुन लेते हैं। उनकी पहली पसंद लड़कियां होती है—जिनके कई उपयोग हैं।

[फादर एन्थनी मुरमु]

फिर हमारी व्यवस्था कहां है ? हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कमिश्नर का काम क्या होना चाहिए। कांस्टीट्यूशन को देखकर हमें पता लगता है कि कांस्टीट्यूशन में भी हमारे लिए सेफगार्ड नहीं हैं। फिफ्थ शेड्यूल में बहुत से आदिवासियों को लिया गया है जैसे गोंड, भील, उरांव, संथाल, लेकिन उसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड एरिया का डिमार्केशन हो और शेड्यूल्ड एरिया गवर्नर के नीचे रहेगा, प्रेसीडेंट के नीचे रहेगा लेकिन कौन हैं गवर्नर, प्रेसीडेंट और कमिश्नर ?

हम अगर आदिवासी हैं तो जमीन के साथ हमारा आदिकाल से नाता रहा है। यदि हमारे पास जमीन नहीं है तो आप हमें आदिवासी मत कहिए। जमीन तो हर आदिवासी के पास होनी चाहिए। और जमीन के जो मामले हों उनका समाधान आदिवासियों को ही करने देना चाहिए क्योंकि न्यायालय में हम मार खाते हैं। वहां पर हमको न्याय नहीं मिलता है क्योंकि हम गरीब हैं। सोने और हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान न्याय हो गया है। इसलिए आदिवासियों के कोई भी झगड़े हों उसके लिए उनके अपने न्यायालय होने चाहिए। इसलिये आदिवासियों का न्यायालय अलग होना चाहिये। यदि हमारी अपनी भाषा है, हमारी संस्कृति है तो हमारा शिक्षा विभाग भी अलग होना चाहिए, क्योंकि इस खिचड़ी व्यवस्था में जो हमारी शिक्षा को देखने वाला है, वह ऊंची जाति का है, तो वह हमारी दृष्टि से उसको देख नहीं सकता है। हमारा पिछले 32 वर्षों का अनुभव यह है कि हम पीछे होते जा रहे हैं, हमारा विनाश होता जा रहा है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हम अपनी भाषा को भी खो रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी खो रहे है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास ही असली भारतीय संस्कृति है। इसलिये हमारी संस्कृति को कायम रखना भारत सरकार का कर्तव्य है।

जंगलों के साथ हमारा आदि का नाता रहा है। यदि हमारे हाथ से जंगल छीन लिये जाते हैं और उनमें आप युक्लिपटिस के पेड़ लगा देते हैं जिनसे हमको कोई फायदा नहीं है तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यह व्यवस्था हमारे लिए लाभदायक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जंगलों को आदिवासियों के हाथ में रखिये। जंगलों से हमें बहुत प्यार है। इसी तरह से पानी, नदी, बांध ये सब हमारे यहां होनी चाहियें।

आज जिस तरह के कानून हम बनाते हैं कि यह मत खाओ, यह मत पीओ—यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती है। हम अपने से इसको जान सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिये, क्या नहीं खाना चाहिये। जैसे आज कम्पलीट प्राहिबीशन की बात कही जा रही है। हमारे यहां हम लोग हड़िया' रखते हैं—यह हमारी संस्कृति है। तब फिर किस सरकार को हक है कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध कानून बना दे। यह हमारे हाथ में छोड़ देना चाहिये ताकि हम अपने लोगों की खुद देखभाल कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

**श्री भगत राम** (फिल्लौर) : सभापति महोदय, यह बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को आजाद हुए 32 साल होने जा रहे हैं, फिर भी हमारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स,

शेड्यूल्ड ट्राइब्स और लिंग्विस्टिक माइनारिटीज अपने आपको असुरक्षित अनुभव कर रही हैं। इसका क्या कारण है ? पिछली सरकार भी लगातार ढोल पीटती रही है कि हरिजनों के लिए, माइनारिटीज के लिए बड़े-बड़े सेफगार्डस कायम किये गए थे, चाहे पिछली सरकार के वक्त में या आज की सरकार के वक्त में, उन सेफगार्डस को इम्प्लीमेंट करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं और यही कारण है कि आज यह शेडयूल्ड कास्ट्स कमीशन और माइनारिटीज कमीशन बनाने का बिल लाया जा रहा है।

आज शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की क्या हालत है—मैं इसके बारे में कुछ कोट करना चाहता हूं। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिशनर की जो 24वीं रिपोर्ट है उसके पहले पैरे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि कैसे हमारा देश शेडयूल्ड ट्राइब्स और शेडयूल्ड कास्ट्स को प्रोटेक्शन देने में बुरी तरह से फेल हुआ है। इसके चेप्टर 1 में लिखा है

> "स्वतंत्रता प्राप्ति के तीस वर्षों के बाद भी स्वतन्त्रता की एक किरण भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत से गांवों और बस्तियों में नहीं पहुँची है। वे अभी भी अपने भाग्य पर निर्भर हैं तथा बुनियादी कानूनों के लाभ उन्हें नहीं मिलते। स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धान्त इतनी प्रचुरता में हमारे संविधान में सम्मिलित किये गए, उनका इनमें से अधिकांश लोगों के मामले में कोई अर्थ नहीं है। अस्पृश्यता को संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास को संविधान के इस अनुच्छेद से बड़ा मानते हैं, वे बुनियादी कानून की अवहेलना करते हैं और बच जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के इकतीसवें वर्ष में हमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में संशोधन करके नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम जैसा एक ऐसा कानून बना पड़ा जिसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए और अधिक कठोर व्यवस्थायें की गयी। यह अपने आप में इस बात का काफी बड़ा प्रमाण है कि हम अपने देश के काफी बड़े वर्ग को बुनियादी-मानव अधिकारों से वंचित करने के अकृत्य में अभी भी लगे हुए हैं। देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें अनुसूचित जातियों को पेय जल जैसे सामान्य स्रोतों से भी वंचित कर दिया जाता है। बहुत से स्थानों पर वे उन मार्गों से शव-यात्रा नहीं निकाल सकते जिन मार्गों से दूसरे लोग निकालते हैं।"

यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हालत है, जो इस रिपोर्ट में डिपिक्ट की गई है। अब सवाल यह उठता है कि यह जो पांच मेम्बरों का कमीशन बनाने के लिए एमेंडमेंट की जा रही है, क्या इस एमेंडमेंट से इनको सेफगार्डस प्रोपरली मिल सकेंगे और इनकी हालत सुधर सकेगी। इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 24वीं रिपोर्ट है और हर साल यह रिपोर्ट आती है लेकिन इस में जहां उनकी जो प्राबलम्स हैं, उनको एनेलाइज किया हुआ होता है, वहां उनके लिए कुछ सुझाव भी दिये होते हैं लेकिन इन सुझावों पर कोई अमल नहीं हुआ। इसी तरह से यह जो कमीशन है, इनकी सिफारिशों पर अगर अमल नहीं होता है, तो जिनके लिए

[श्री भगत राम]

आप यह कमीशन बना रहे हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आज एक्जीक्यूटिव पावर्स से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन काम कर रहा है और इसी तरह से माइनेरिटीज कमीशन भी काम रहा है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अभी भी इस देश में बेलची, जमशेदपुर, अलीगढ़ वगैरह में घटनायें हुई हैं। ये जो घटनाएँ हुई हैं, ये हमारे देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं। मैं खास तौर से जमशेदपुर के बारे में कुछ कहूँगा क्योंकि वहाँ पर हमारी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन गया था। उसके बारे में मैं ब्रीफ में ही कहना चाहता हूँ। वहां पर जो माइनोरिटी कम्युनिटी है इस पर कैसे मेजारिटी कम्युनिटी के प्रशासन की आड़ लेकर अत्याचार किया गया, यहां तक कि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी के एक एम० एल० ए० ने उसकी अगवाई की। यदि रूलिंग पार्टी का ही कोई एम० एल० ए० उसकी अगवाई करे और माइनोरिटीज पर तशद्दुद करे, तो कैसे उनकी सेफ्टी होगी। हमने वहां यह देखा कि माइनोरिटी कम्युनिटी के जो मकान थे, सबसे ज्यादा वे जलाए गये और वहां पर उनके आदमियों को गोली से मारा गया और बिहार की जो मिलिट्री पुलिस है, बजाय इसके कि वह हमला करने वालों पर गोलियाँ चलाती, उसने माइनोरिटीज के मुहल्लों पर गोलियां चलाईं और जगह-जगह पर उनके निशान मकानों पर दिखाई देते हैं। यही नहीं, जो एम्बूलेंस था, जिसके बारे में अखबार में भी आया है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, हमें डी० सी० ने बताया, उसके इर्दगिर्द बिहार मिलिट्री पुलिस थी लेकिन इसके बावजूद भी उसको आग लगाई गई और हमको यह भी पता चला था कि जो बच्चे उसमें जल गए, उनकी हड्डियां एक साथ जुड़ गई और उनकी गिनती नहीं की जा रही ह कि कितने बच्चे हैं। और हमने वहाँ जाकर देखा था कि 30 से 40 हजार लोग भेड़-बकरी की तरह स्कूलों और कालेजों में भरे हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हैं कि माइनोरिटी की दुहाई तो बहुत दी जाती है लेकिन उसके लिए किया बहुत कम जाता हैं। हमें वहां यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि वहां की सरकार, वहाँ के प्रशासन ने जब तक एक पैसे का भी रिलीफ नहीं दिया था। पिछले महीने जब हम वहां पर थे तब तक कोई भी रिलीफ उनको नही दी गयी। 30 से 40 हजार लोग रिलीफ कैम्पों से पड़े थे और उनको खाने-पीने के लिए और घर बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने रिलीफ नहीं दी थी। जब तक पोलिटिकल बिल न हो तब तक क्या काम किया जा सकता है ?

अलीगढ़ और जमशेदपुर में जो दंगे हुए उनके बारे में माइनोरिटीज कमीशन ने कुछ सिफारिशें की थीं लेकिन उन पर क्या अमल हुआ ? जब इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ तो आगे के लिए क्या गारन्टी है कि उसकी सिफारिशों को आगे भी माना जाएगा।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इन कमीशनों की रिपोर्ट आती है उसके बाद एक्शन रिपोर्ट आती हैं तो उन एक्शन टेक रिपोर्टों के आने में इतना समय लग जाता है कि घटनाएं बहुत आगे निकल जाती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि माइनोरिटीज या हरिजनों के बारे में जो भी कमीशनों की रिपोर्टें आयें उन रिपोर्टों पर तुरन्त अमल किया जाए। उनकी सिफारिशों के आधार पर अगर किसी को सजा देनी हो तो वह देने के लिए स्पेशल कोर्टों में मुकद्दमा चलाया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में हरिजनों पर बहुत सी जगहों पर अत्याचार

हुए हैं जिनके बारे में अखबारों में भी आया है । बहुत कम केसिज हैं जिनमें कि गुनहगार लोगों को सजा मिली है । इसलिए यह जरूरी है कि इन कमीशनों की सिफारिशों को मेन्डेसटरी माना जाए और उनके आधार पर स्पेशल कोर्टों में तुरन्त मुकद्मे चलाये जायें ताकि गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके । मैं इस बात से भी सहमत हूं कि 1952 का जो इंक्वायरी एक्ट है उसमें जो पावर्स हैं वे पावर्स इन कमीशनों को मिलनी चाहिए । इसके बिना आप जानते हैं कि ये इफेक्टिव साबित नहीं होंगे ।

शेड्युल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्युल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस के दौरान सारे हाउस को यह मालूम हुआ कि हरिजनों के लिये सर्विस में जो रिजर्व्ड कोटा है वह किसी जगह पूरा नहीं हुआ है। किसी भी केटेगरी में, किसी भी क्लास में पूरा नहीं हुआ है । इसी तरह से जमीनों का मामला है, उनके हाउसिज का मामला है । बेशक कागजों में सब कुछ हुआ है लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ । जिस तरह से पिछली सरकार का ट्वन्टी प्वाएंट प्रोग्राम था जो कि बिल्कुल बोगस था और जिसमें बहुत सब्ज बाग दिखाये गये थे उसी तरह से यह सरकार भी कागजों में दिखा रही है कि हरिजनों को इतने प्लाट दिए गए, इतनी जमीनें दी गईं । एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो हरिजन हैं अगर उनके बारे में डिटेल्स में जाना जाय तो पता चलेगा कि न तो उनको जमीन दी गई है और न उनको प्लाट्स दिये गये हैं । अगर उनको जमीन या प्लाट नहीं मिलेंगे तो उनका स्टेट्स कैसे ऊँचा होगा और वे दूसरों के बराबर कैसे आयेंगे ? कैसे उनकी इकोनोमिक कंडीशन ऊपर आयेगी ?

इसी तरह से भंगियों के वेतन का मामला भी वैसा का ही वैसा ही है । कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ा है ।

मैं अन्त में मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि यह बड़ा अच्छा काम है लेकिन इसके स्रोतों को बढ़ाया जाए ।

इसकी जो सिफारिशें हैं उन पर तुरन्त अमल होना चाहिए और स्पेशल कोर्ट्स हों जिनमें दोषी जो लोग हैं उनका ट्रायल हो सके । उनका शोसल और इकोनोमिक स्टेट्स आपको ऊँचा करने की हर सम्भव कोशिश करनी चहिए । इसके लिये यह भी जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लैंड रिफार्म्ज लागू की जाएं ताकि यह जो प्राब्लम है चाहे माइनोरिटीज का या हरिजनों का जोकि फ्यूडल आउटलुक की निशानी है, उसको जल्दी से जल्दी हल किया जा सके ।

**श्री आर० एल० कुरील** (मोहनलालगंज) : माननीय सूरज भान जी ने कहा है कि इस कमिशन की जो सिफारिशें हों वे मांडेटरी हो और जो उसका टैन्योर हो उसको फिक्स किया जाय पांच या दस साल, इसका मैं समर्थन करता हूं । यह कमिशन इंडिपेंडेंट आफ होम मिनिस्ट्री भी होना चाहिए । पिछले समय में देखा गया है कि किसी आफिस से कमिशन अगर फाइलें या पेपर्ज मंगाता था तो रिफ्यूज कर दिया जाता था । इस तरह की बात अब नहीं होनी चाहिये । कमिशन को अधिकार हो किसी भी तरह की फाइल या पेपर मंगाने का या अफसरों को बुलाने का और उन से प्रश्न वगैरह करने का, पूछताछ करने का ।

[श्री आर० एल० कुरील]

इस कमिशन का आफिस भी बहुत इफैक्टिव होना चाहिये । अब तक जो कमिश्नर था वह पोस्ट मास्टर की तरह से था, डाक आई, डिसपैच कर दी और उस पर कोई एक्शन नहीं । इस वास्ते इसकी सिफारिशें रिकोमेंडेटरी न हो कर मेंडेटरी होनी चाहिये । सभी पर वे बाध्य होनी चाहिए । जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक महज वही शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के माइंड को डाइवर्ट करने वाली बात होगी और यही समझा जाएगा कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ही कमिशन बना दिया गया हैं । अगर वास्तव में आप चाहते है कि कुछ परिवर्तन हो तो इसकी सिफारिशें मैंडेटरी होनी चाहिये ।

कमीशन को यह अधिकार भी होना चाहिये कि वह ट्रिब्यूनल बना सके, उसके लिये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सके और उनको अधिकार होना चाहिए कि वे मामलों की छान-बीन कर सके और उनके जो निर्णय हों वे बाध्य हो ।

एक सैपरेट मंत्रालय की माँग भी यहाँ की गई है । अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया था कि इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होगा और यह होम मिनिस्ट्री से भी कमजोर होगा । हम अलग मंत्रालय की मांग क्यों करते है ? आप देखें कि जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय एक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमैंट बना था, जिस ने हर काम को स्पीडिली किया और रिफ्यूजीज के लिए जो आर्थिक व्यवस्था करनी थी की, जो मकान वगैरह बनाने थे बनाए और उनका पुनर्वास जल्दी से किया । आजकल होता यह है सैपेरेट मंत्रालय न होने की वजह से कि कोई फाइल होम मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है तो वहीं पड़ी रहती है, प्लानिंग में है तो वहां पड़ी रहती है और अर्थ विभाग में है तो वहीं पड़ी रहती है और हर डिपार्टमैंट अलग-अलग तरीके से और अपनी मर्जी के मुताबिक धीरे धीरे फाइल्ज को मूव कराता है । इसका नतीजा यह होता है कि जो स्पीडी एक्शन होना चाहिये वह नहीं हो पाता है । इसी उद्देश्य को सामने रखकर अलग मंत्रालय की हम लोगों ने डिमांड की है जो कि बहुत जायज मांग है और जिस को सरकार को मान लेना चाहिये ।

कमिश्नर और कमीशन में देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं है । केवल माइंड को डाइवर्ट करने की बात ही दिखाई देती है । कमिशनर के पास कोई अधिकार नहीं था, उसके पास कोई स्टाफ नहीं था । वह होना चाहिये । लोगों की बातों को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उसके पास साधन होने चाहिये । हर राज्य में और हर जिले में स्टाफ उसका होना चाहिये । एक जिले में उसका कम से कम एक अफसर न हो तो कमिशन या कमिश्नर क्या कर सकेगा ? तो पिछला जो अनुभव रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर केवल पोस्ट मास्टर की तरह ही रहा है, यह बात अब नहीं होनी चाहिये जो अब इस कमीशन का चेयरमैंन बनाया गया है उसको निराशा न हो और सब लोगों से न कहे कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ब्रान्चेज नहीं है । हर स्टेट में उसके विभाग उसके विभाग खोले जायें और हर जिले में उनके अधिकारी हों और उनकी नियुक्ति करने का अधिकार चेयरमैन को हो । वह अपनी इच्छानुसार जैसे चाहे उस तरह सैलैक्शन करें, चाहे यू० पी० एस० सी० के जरिये लें या कहीं और से लें, और ट्राइब्यूनल अपनी इच्छानुसार बना सके । जब तक उसकी आजादी से काम नहीं करने दिया जायगा तब तक वह अपने काम में सफल नहीं होगा ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का जो कमीशन बना है इसको पूरे साधन उपलब्ध कराये जायें। अगर कहीं कत्ल होता है। ऐट्रासिटीज होती हैं, तो तुरन्त उनके पास साधन होने चाहिये, गाड़ी होनी चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त ही जितना फोर्स चाहे उतना ले कर के मोके पर जा सके और उसकी जांच करा सके उनकी इन्क्वायरी फाइनल मानी जाय। जो भी वह सजेस्ट करें उसी के हिसाब से उसकी बात को आथन्टिक माना जाय।

शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोगों की हालत आप जानते हैं कि बहुत खराब है। कोटा, परमिट, लाइसेंस इन लोगों को नहीं मिलते हैं। कारण यह है कि उनके पास से अथोरिटी देने को कुछ नहीं होता, उनकी एप्रोच नहीं है। तो चेयरमैन को इस तरह के अधिकार दिये जायें कि उसकी सिफारिश पर उनका कोटा, परमिट और लाइसेंस मिल सके और उनसे सेक्योरिटी न मांगी जाय। हम देखते हैं कि बैंकों से जितना भी पैसा दिया जाता है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को नाममात्र भी नहीं मिल पाता है। इस दशा को वैसे समाप्त किया जा सकता है, इस पर गम्भीरता से हमें विचार करना चाहिये। इसलिये आवश्यक है किचेयरमैन और उसके स्टाफ को ऐसी पावर दी जाय कि उनकी सिफारिश पर सैक्योरिटी न मांगी जाय और बैंकों द्वारा उनको पैसा मिले कोटा, परमिट और लाइसेंस लेने के लिये।

इस कमिशन, उसके चेयरमैन, और अन्य अधिकारियों का क्या स्कोप, पावर्स और फंक्शन हैं यह सब डिफाइन करना चाहिये। और यह तभी सम्भव है जबकि ऐक्ट के रूप में पार्लियामैंट से इसको पास किया जाय। शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमीशन या उसका चेयरमैन अब केवल शो पीस की तरह न रहे, जैसा कि पहले होता था। इसको इफेक्टिव बनाया जाय जिससे वह हर क्षेत्र में देख सके और उसको ऐग्जामिन करा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : महोदय मैं कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बहुत गंभीर बात है। मैं "इवनिंग न्यूज" से पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसमें यह कहा गया है :

> "कांग्रेस (आई) रैली का समाचार लेने गये कुछ संवाददाताओं पर कांग्रेस (आई) के स्वयं सेवकों ने रामलीला मैदान में हमला किया।"
>
> "विरोध के बावजूद, कुछ संवाददाताओं को गर्दन से पकड़ा गया। उन्हें उस समय समय तक थप्पड़ और घूंसे मारे गये जब तक कि वे गिर नहीं गये। एक संवाददाता के कपड़े फट गये और एक अन्य का पहचान-पत्र और घड़ी खो गई। महिला संवाददाताओं को भी नहीं छोड़ा गया, उनके पुरुष साथियों ने उन्हें दुर्व्यवहार से बचाया।"

सभापति महोदय : मुझे खेद है—(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत गम्भीर मामला है।

कांग्रेस (आई) में गुंडे है और गुंडे··· (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। मुझे इसके नोटिस चाहिए। इसलिये इसे और आगे रिकार्ड नहीं किया जा सकता (**व्यवधान**) ××

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं इस ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ··· (**व्यवधान**) ××

**सभापति महोदय** : इसे और आगे रिकार्ड न किया जाये। कार्य चलने दीजिए श्री पासवान।

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी संविधान के 46वें संशोधन के बारे में विचार हो रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और जीवन में पहली दफा कोई सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों या माइनोरिटीज के लिये बहुत ही अच्छा काम करने जा रही है, इसलिये इसको गंभीरतापूर्वक रखना चाहिये और जितने भी दल के सम्मानित नेता हैं, उनको इस पर दिलचस्पी लेनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने जो इसके वक्तव्य में कारण दिये थे, उनको मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बात कही और कहा कि प्रधान और शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज के चेयरमेन की बातचीत हुई है, लेकिन चेयरमैन ने प्रधान मन्त्री को क्या सुझाव दिये हैं, यह हम लोगों के सामने नहीं आया है, हम बिल्कुल अंधकार में हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि जब वह बोलें तो यह अवश्य बतायें कि प्रधान मंत्री महोदय को क्या सुझाव दिए गए हैं।

आप देख रहे हैं कि वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में दो आर्टिकल हैं एक आर्टिकल है 338, जिसमें शडयूल्ड कास्ट्स और शडयूल्ड ट्राइब्ज के सम्बन्ध में कहा गया कि—

> "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।"

दूसरा एक है 350 (बी), जिसमें कहा गया है :—

> "भाषा जात अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

अब यह जरूरी है कि जो पहले से अभी तक आर्टिकल विद्यमान था माइनोरिटीज और शडयूल्ड कास्ट्स व शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए, प्रस्तावित संशोधन में दोनों को मिलाकर 338 (ए) (बी) किया गया है। (ए) में रखा गया है कमिश्नर, शडयूल्ड कास्ट्स एंड शडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए और माइनोरिटीज के लिए (बी) में बढ़ाया गया है। मुझे शंका है कि यह हो या नहीं,

××कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेकिन आगे चलकर कुछ बखेड़ा हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन दोनों आर्टिकलों को एक साथ रखने में क्या राज है? कोई बहुत बड़ी चीज हो जो हमारी जानकारी में न हो तो सरकार बतलाये कि यह क्यों कर दिया गया है?

अभी इन्होंने जो संविधान संशोधन के बारे में जो संशोधन रखा है, उसमें (सी) में इन्होंने रखा है :—

"उन सुरक्षोपायों के कार्य के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक, या जैसा भी आयोग उचित समझे रिपोर्ट देना।"

इस संशोधन में कहा गया है कि यह कमीशन शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए रखे गये सेफगार्ड्ज से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगा। कांस्टीट्यूशन में शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए मुख्यतया दो सोफगार्ड्ज हैं : एक तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के निषेध के बारे में हैं और दूसरा सेवाओं में आरक्षण के बारे में है। जब केवल इन दो सेफगार्ड्ज के बारे में जांच करनी थी, तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े कमीशन की कोई आवश्यकता थी। जब सरकार ने एक बहुत बड़े उद्देश्य से यह कमीशन बनाया है, तो उसके कार्यों में इन वर्गों से सम्बन्धित सभी बातों को जोड़ दिया जाना चाहिए। मैंने यह संशोधन दिया है कि सेफगार्ड्ज के आगे ये शब्द जोड़ दिये जायें:—

"और आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दूसरे कार्य।"

यह कमीशन जहां भी जाएगा, तो उसके सामने इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक प्राबलम्ज रखी जायेंगी। मगर इस विधेयक में उसके द्वारा इन समस्याओं पर विचार किए जाने पर रोक लगा दी गई है। मंत्री महोदय ने केवल यह कहा है कि वह कमीशन केवल सेफ़गार्ड्ज को देखेगा। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इसमें संशोधन करके इसके दायरे को और बढ़ायें, जिससे सरकार की नीतय बिल्कुल साफ हो जाये।

मैं इस विधेयक की एक सबसे बड़ी खामी, लैकुना, की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तरफ तो वह कहते हैं कि वह शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के हितों की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह कहते हैं:—

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा, कल्याण और उन्नति के लिए वे सभी कार्य करना जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जायें।"

एक तरफ तो मंत्री महोदय कहते हैं कि वह शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज कमीशन को सब पावर्ज दे रहे है, और दूसरी तरफ वह वही फंक्शन डिसचार्ज करेगा, जो प्रेजिडेंट समय समय पर नियमों के अनुसार स्पेसिफाई करें। जब कमोशन को राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही काम करना हैं, तो फिर संविधान में यह संशोधन करने की क्या आवश्यकता है। आज सत्ता में जनता पार्टी की सरकार हैं, जिसका मोटिव और नीयत साफ है, इसलिए कमीशन का काम ठीक ढंग से चलता रहेगा। लेकिन अगर कल कोई ऐसी सरकार आ

[श्री रामविलास पासवान]

जाए, जिसकी नीयत हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं के बारे में साफ न हों, तो कमीशन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। जब सरकार शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को इस कमीशन के माध्यम से सांविधानिक अधिकार देना चाहती है, तो फिर वह इस अधिकार को पोलिटिक्लाइज न करे। वह कमीशन को काम करने की पूरी स्वतंत्रता दे और राष्ट्रपति वाले इस बखेड़े को हटा दिया जाए। इस बारे में मैंने यह संशोधन दिया है:

"(ई) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा कल्याण और उन्नति के लिए वे सभी कार्य करना जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जायें।"

इस विधेयक में चेयरमैन और कमीशन को यह राइट नहीं दिया गया है कि वे किसी मामले का अनुसंधान कर सकें। शिडयूल्ड कास्ट्स कमिश्नर मुजफ्फरनगर गए हुए थे। उन्होंने एक अभियुक्त को हाजिर होने के लिए कहा। अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं हाजिर नहीं हूंगा और कमीशन के पास मुझे बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कमीशन को समन करने की पावर दे दी जाये क्योंकि यह छोटी जातियों, हरिजनों और आदिवासियों का मामला है और कमीशन को कई लोगों से पूछ-ताछ करनी पड़ेगी। माइनारिटीज कमीशन को कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में बेइज्जत कर दिया और वह कुछ न कर सका। अगर कमीशन बिहार में जायेगा, तो वहां तो लोग लाठी और बन्दूक लेकर तैयार रहते हैं, कोई रास्ते में रोक ले या मार दे, तो बेचारा कमीशन क्या करेगा ?

मैंने अपने एक संशोधन के द्वारा कहा है कि अनुसंधान करने के प्रयोजन के लिए आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो जाँच आयोग एक्ट, 1952 के अधीन किसी जांच आयोग को प्राप्त हैं। इस शक्ति को देना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि तीन बातें होंनी चाहिए।

सरकार की नीति साफ हो, नीयत साफ हो और इंप्लीमेंटेशन करने का इरादा हो। आपकी नीयत साफ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है लेकिन आप अपनी नीति को साफ कर दें। उसके लिए मैंने कहा है कि आप इसको रखिए कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज पर जो जुर्म करता है उस पर मुकदमा चलाया जाए और अगर वह हाजिर न हो तो उसको समन करने का भी अधिकार हो।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर) : सभापति महोदय 6 बज चुके हैं क्या हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लेंगे।

**सभापति महोदय** : मुझे मालूम है। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए यह अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं।

**श्री रामविलास पासवान** : मैं समाप्त कर रहा हूं।

यह इतना बड़ा कमीशन, है इसने बहुत अच्छी अच्छी रेकमेंडेशन्स दी हैं किन्तु आपने यह कहीं नहीं कहा है कि विभाग अपने सुझाव कहाँ से लेंगे। अगर शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के इन्ट्रेस्ट की बात हो तो फिर वह चाहे जिस विभाग का मामला हो, चाहे प्लानिंग का फाइनेन्स का हो या किसी भी विभाग का हो, निश्चित रूप से आयोग से उनको सुझाव मिलने

चाहिए और आयोग से उनको परामर्श मिलना चाहिए। जब आपने कमीशन बनाया है तो आप बिल्कुल पाक साफ करके सारी चीजें संविधान के तहत रखें ताकि जब कभी कोई मामला उठे तो संविधान की आड़ लेकर हम भी सरकार से लड़ सकें ।

**सभापति महोदय** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की लेने से पहले, मैं श्री कोडियन को बुलाता हूँ। मेरे पास आपका नाम है।

**श्री पी० के० कोडियन** (अडूर) : सभापति महोदय.....

**सभापति महोदय** : आप अगले दिन अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : वह बोल रहे हैं।

**सभापति महोदय** : हाँ, वह कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### मारीच झापी (पश्चिम बंगाल) के शरणार्थियों द्वारा दण्डकारण्य जाने से इन्कार

**श्री दिनेश भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : सभापति महोदय मैं निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्नलिखित अविलम्बनीय विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और उस पर एक वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करता हूं :

> "हजारों शरणार्थियों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निदेशों और परामर्श पर दण्डकारण्य वापस जाने से इंकार किये जाने के कारण पश्चिम बंगाल में मारीच झापी में उत्पन्न हुई स्थिति के समाचार।"

**निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : जैसा कि सदन को पहले ही मालूम है, लगभग 25,065 परिवार दण्डकारण्य और अन्य पुनर्वास स्थलों को छोड़ गए थे। इन परिवारों में से अब तक 19,699 परिवार दण्डकारण्य और अन्य स्थानों में अपने पुनर्वास स्थलों में वापस आ चुके हैं। भारत सरकार ने लौटने वाले परिवारों को, विशेष मामले के रूप में, अपने सामान्य कार्यकलाप आरंभ करने हेतु खाद्यानों, नकद बेकारी अनुदान तथा बैलों की जोड़ी, उर्वरक और बीज—मुख्य कृषि सामग्री—खरीदने के लिए ऋण के रूप में नवीकृत वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान कर दी है।

स्थल छोड़कर जाने वाले शेष परिवारों में से लगभग 2000 परिवारों के सुन्दरबन के मरीचझापी क्षेत्र में जाने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने सूचित किया था कि वह इन परिवारों को अपने-अपने पुनर्वास स्थलों को वापस जाने के लिए राजी करने हेतु प्रयत्नशील है।

यद्यपि पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारत सरकार के इस सुझाव के औचित्य की सराहना की थी कि इन शेष परिवारों के लिए परियोजना क्षेत्र में वापस आने के लिए 31 मार्च, 1979

[श्री सिकन्दर बख्त]

अंतिम तिथि निश्चित की जाए, उसने यह चाहा था कि इस तारीख का दृढ़ता से पालन न किया जाए। भारत सरकार ने इसके उत्तर में कहा था कि उसने इस मामले में बहुत लचीला दृष्टिकोण अपनाया है लेकिन स्थान छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई भूमियों और मकानों को अनिश्चितकाल के लिए खाली नहीं रखा जा सकता और अन्य विस्थापित व्यक्तियों को एलाट करना होगा और आशा की जाती है कि स्थल छोड़कर जाने वाले शेष परिवार खरीफ की फसल के अवसर का लाभ उठाने हेतु समय पर वापस आ जाएंगे।

पश्चिमी बंगाल की सरकार के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि वापस आने के लिए अंतिम तारीख 31 मई, 1979 रखी जाए। पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने टेलिफोन पर सूचित किया है कि 15-5-79 तक, मरीचझापी में रह रहे परिवारों में से 1050 परिवार हसनाबाद और मिदनापुर के शिविरों के लिए चल पड़े हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार आज से इन परिवारों को विशेष गाड़ी द्वारा परियोजना क्षेत्रों में वापस भेजने की व्यवस्था कर रही है। अभी भी शेष लगभग 1000 परिवारों के मरीचझापी क्षेत्र में रहने की सूचना है और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वे भी उस क्षेत्र को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को पहले ही यह सलाह दी है कि जोर-जबरदस्ती के उपाय न करना और स्थल छोड़कर जाने वालों को अपने-अपने पुनर्वास स्थलों या कार्यस्थलों को वापस आने के लिए समझा-बुझाकर राजी करना ही सर्वोत्तम होगा।

अपने-अपने परियोजना क्षेत्रों में वापस आने पर इन लौटने वाले परिवारों को भी, विशेष मामले के रूप में, भारत सरकार निःसन्देह नवीकृत राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त ऋणों के लिए सहायता प्रदान करेगी।

कुछ सूचना और है जिसे मैं आपकी अनुमति से देता हूँ।

हमने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ टेलिफोन पर संपर्क किया और हमें यह बताया गय है कि मारीच झापी में अब केवल 300 परिवार रह गए हैं और 1700 से अधिक परिवार मिदनापुरा तथा दूसरे शिविरों को लौट गये हैं। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल उन्हें भी सरकारी पुनर्वास क्षेत्रों में भेज देगी।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय तथा सभा का ध्यान कुछ स्वार्थी लोगों के शरारत-भरे प्रयासों की ओर दिलाना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में आज के समाचारपत्रों में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सी. पी. आई. (एम) पार्टी के सदस्य पुलिस के साथ मारीच झापी गये और शरणार्थियों के घरों को नष्ट किया और उन्हें मारीच झापी छोड़ने के लिए बाध्य किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ध्यान जब इन रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सी. पी. आई. (एम) का एक भी सदस्य मारीच झापी गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं 8 मई, 1979 को अभित्यागियों से दंडकारण्य

लौटने की अपील की थी और उसके बाद जिलाधीश तथा अन्य अधिकारियों ने भी इस दिशा में प्रयास किए। उद्बस्तु उन्नयन समिति के नेताओं, जिनकी बहुत से मामलों में तलाश थी और जो इच्छुक अभित्यागियों को लौटने से रोक रहे थे, की गिरफ्तारी के बाद, शरणार्थियों ने स्वेच्छा से मारीच झापी को छोड़ना शुरू कर दिया है और उन्हें सरकारी नौकाओं द्वारा संक्रमण राहत शिविर में भेजा जा रहा है।

**प्रो० समरगुह** (कन्टाई) : यह सही नहीं है··· (**व्यवधान**)

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : महोदय, वह पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए ध्यानाकर्षण नोटिस पर होने वाली इस प्रकार की चर्चा में भाग लेने का अवसर खोज लेते हैं। लेकिन अभी तक उन्हें अवसर नहीं मिला और इस वजह से वह शुरू से ही मेरे भाषण में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि शरणार्थियों ने दण्डकारण्य क्यों छोड़ा ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है। कांग्रेस शासन के दौरान हजारों शरणार्थियों ने अपना स्थान छोड़ा और ये लोग मौन धारण करे रहे।

**एक माननीय सदस्य** : भीगी बिल्ली की तरह।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : उस समय दण्डकारण्य के शरणार्थियों को जिस शोचनीय स्थिति में डाल दिया गया उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। शरणार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हमने गिरफ्तारी दी और हमारी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन शुरू किया, आपने नहीं··· (**व्यवधान**)

**श्री सिकन्दर बख्त** : ऐसा लगता कि वह प्रो० समरगुह का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मेरा नहीं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल में नयी सरकार बनने के बाद इन दो सरकारों के बीच इस मामले पर मतभेद का कोई कारण नहीं था। भारत सरकार यह चाहती थी कि शरणार्थी 31 मार्च तक लौट जायें; हमारी सरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने सोचा कि वह दबाव या बल का प्रयोग करने के नहीं बल्कि अनुनय द्वारा शरणार्थियों को दण्डकारण्य, जहां भारत सरकार ने उनके उचित प्रबन्ध करने का आश्वासन दिया था, लौटने के लिए कह सकती है।... ... (**व्यवधान**) शरणार्थियों के प्रति केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया सहानुभूति पूर्ण था। इन शरणार्थियों की स्थितियों के बारे में जो लोग एक अलग तसवीर पेश करना चाहते हैं, उनको स्थिति को समझना चाहिए··· (**व्यवधान**) अभित्यागियों पर चार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गयी। केन्द्र ने चेतावनी दी "यदि वे वापस नहीं जायेंगे तो अपने सभी लाभों को गंवा देंगे।" हमारी सरकार ने प्रधानमन्त्री महोदय और भारत सरकार पर इसके लिए जोर दिया और अनुरोध किया कि समय बढ़ाया जाना चाहिए और जब ये शरणार्थी लौटें तो उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न क्या है ?

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कुछ सदस्य प्रत्येक मामले के प्रति हमेशा दुराग्रही होते हैं और वे इन दुखी शराणार्थियों की परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं।

**सभापति महोदय** : आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं; प्रश्न नहीं कर रहे हैं ... (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।

**श्री एम० ए० हनान अलहाज** (बहिरहाट) : सभापति महोदय क्या यह भाषण का मैदान है ?

**सभापति महोदय** : भट्टाचार्य जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आप प्रश्न पूछिये अन्यथा मैं दूसरे सदस्यों को बुलाता हूँ। आप काफी भाषण दे चुके हैं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मुझे एक अवसर दिया जाये।

**सभापति महोदय** : किस लिए ? (**व्यवधान**)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : पीलिया दूषित पानी से होता है।

**सभापति महोदय** : यहाँ पीलिया का कोई प्रश्न नहीं है। भट्टाचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

**श्री दीनेन भट्टाचार्य**। मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

जनता पार्टी तथा कांग्रेस (आई) के कुछ सदस्यों ने पूरी-पूरी कोशिश की। लेकिन अब वे पछता रहे हैं, क्योंकि जब मंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि उनमें कुछ ही वहां पर हैं। सभी जा चुके हैं। अब वे क्या करेंगे ? इस प्रकार वे शरण ले रहे हैं ... ... (**व्यवधान**)

**प्रो० समर गुह** : 3,000 पुलिसमैनों ने उन्हें बाध्य किया है और वे ही उन्हें लाये हैं। (**व्यवधान**) उन्होंने उस द्वीप पर हमला किया है। 3,000 पुलिसमैनों ने उस द्वीप पर आक्रमण किया है और उन्हें बन्दी बनाया (**व्यवधान**) और वे उन्हें बल-पूर्वक ले गये हैं। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : सूची के बाहर के सदस्यों को यदि बोलने दिया गया ... ... (**व्यवधान**)

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मैं श्री समर गुह को चुनौती देता हूँ कि वह मेरे साथ मारिच झापी चलें ... ... (**व्यवधान**)

**प्रो० समर गुह** : वहां किसी सदस्य को नहीं जाने दिया जाता। भारत में यही हो रहा है। किसी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य को नहीं जाने दिया जाता ..... (**व्यवधान**)

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर) : खड़े हुये।

**सभापति महोदय** : हाल्दर जी, मैं बोल रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं। मैं बोल रहा हूं। मुझे कुछ कहने दीजिए। भट्टाचार्य जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप सारी प्रक्रिया को जानते हैं। एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। सभा का ध्यान आकर्षित करना होता है ... ... (**व्यवधान**)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : हमारे सभापति बहुत नम्र हैं।

**सभापति महोदय** : ठीक है, इससे आप आनन्द न लीजिये। भट्टाचार्य जी आपने काफी समय ले लिया है। आप सीधे-सीधे प्रश्न क्यों नहीं करते ? आप बहुत कह चुके हैं। मैं दूसरे माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा, आखिर कोई प्रक्रिया भी होती है। यदि उन्होंने अपने नाम नहीं भेजे हैं तो उन्हें खड़ा होकर कुछ कहना नहीं चाहिए।

भट्टाचार्य जी, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं मुझे दूसरों के नाम पुकारने के लिए बाध्य न कीजिये। आप नम्रता दिखाइये और केवल प्रश्न पूछिये। आप बहुत बोल चुके हैं।

**प्रो० समर गुह** : क्योंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए मुझे एक मिनट बोलने दीजिए ... ... (**व्यवधान**)

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं नहीं।

**प्रो० समर गुह** : मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : मैं देखूंगा और आपको समय दूंगा।

**श्री सिकन्दर बख्त** : सदस्यों में यदि कोई विवाद होना है, तो मुझे सोने दिया जाये।

**श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** (आदिलाबाद) : सभा में नहीं।

**सभापति महोदय** : उनका आशय सभा में सोने से नहीं है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : कुछ सदस्य सो जाना चाहते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस 20 वर्षों तक दण्डकारण्य के इन शरणार्थियों की तकलीफों से आंखें मूंदे रही। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इतने कठोर न बनें और स्वयं को सौंपे गये उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन न हों।

**श्री सिकन्दर बख्त** : मैं उत्तेजित न होने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मंत्री महोदय के मित्रों के तथा पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के बराबर कठोर नहीं।

**सभापति महोदय** : इस तरह से यदि आरोप-प्रत्यारोप चलता रहा, तो उससे कार्यवाही में बाधा पड़ेगी।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : आपके परामर्श के अनुसार, मैं प्रश्न करूंगा। अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछता हूँ कि इन अभित्यागियों—जिन लोगों को वे अभित्यागी कह रहे हैं—को उनके लौटने के फौरन बाद क्या वे सभी पुनर्वास सुविधायें दी जायेंगी जिनके बारे में उन्हें उस समय आश्वासन दिया गया था, जब उन्हें वहां ले जाया गया था। कृषि खेती करने वालों, फैक्टरियों में काम करने वालों और विद्यार्थियों को क्या सभी आवश्यक सुविधायें समुचित रूप से दी जायेगी। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

**सभापति महोदय** : ठीक है। इससे पहले कि दूसरे माननीय सदस्य बोलें मैं आज के क्रम-पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। दूसरा मामला सायं 6.30 बजे या जब कार्य-सूची का यह मामला पूरा हो जाये, जो भी पहले हो, लिया जायेगा। इसलिये सभी सरस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात करें।

**एक माननीय सदस्य** : समय बढ़ाया जाये।

**सभापति महोदय** : समय नहीं बढ़ाया जा सकता। अब मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। (**व्यवधान**)

**श्री सिकन्दर बख्त** : मेरा उत्तर सीधा-सादा है। माननीय सदस्य की इच्छा का सम्मान किया जायेगा।

**प्रो० समर गुह** : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि श्री दीनेन भट्टाचार्य ने मुझे अपने साथ मारीच झापी चलने को चुनौती दी है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी संवाददाता, किसी भी विधानसभा सदस्य या संसद सदस्य को वहाँ नहीं जाने दिया जाता। यहाँ तक कि उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी वहाँ नहीं जाने दिया जाता। जब विधानसभा सदस्यों और विपक्ष के नेताओं ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीन या चार लोगों ने वहां जाने का प्रयास किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। यह निर्दयी शासन है।

**सभापति महोदय** : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण क्या है ? इसका आपके साथ सम्बन्ध नहीं है।

**प्रो० समर गुह** : पुलिस के सिवाय वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता। संसद सदस्य संवाददाता, विधानसभा सदस्य और यहाँ तक कि वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि को भी वहां नहीं जाने दिया जाता। (**व्यवधान**)

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)**

**श्री एम० ए० हनान इलहाज** : हमने जो "कालिंग एटेंशन" का नोटिस दिया था उससे हमने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया था। इस कालिंग एन्टेशन में पुनर्वास मंत्री महोदय का ध्यान कैसे आकर्षित कर दिया गया गया है यह हमारी समझ में नहीं आया है।

भाषा भी जो हमारे कालिंग एटेंशन की थी वह यह नहीं है। यह भाषा इसके अन्दर कैसे बदल दी गई है ?

एक सप्ताह से हम लोग कालिंग एटेंशन का नोटिस लगातार देते आ रहे हैं। आपने कैसे इसको एडमिट कर लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें भी कुछ घोटाला है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि और भी मैम्बर थे, श्री समर गुह, श्री मंगल देव विशारद आदि जिन्होंने नोटिस दिया था और अगर हम दोनों का एडमिट हुआ तो उनका क्यों नहीं हुआ है और उनके नाम क्यों नहीं हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : कालिंग एटेंशन के बारे में आपको यह मालूम होना चाहिये कि चाहे जितने भी लोगों ने कालिंग एटेंशन का नोटिस दिया हो उन सब के नामों का बैलट होता है, अगर तीस ने दिया हो···

श्री **एम० ए० हनान इलहाज** : भाषा भी वह नहीं है। हमारी भाषा दूसरी थी। यह कैसे हो गई है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर तीस आदमियों ने दिया है तो उन सबके नाम बैलट होते हैं और पांच के नाम उसमें से निकाले जाते हैं। इन पांच ने अगर एक ही जैसे दिये हों तो वही लेंगुएज होगी और यह भी हो सकता है कि पांचों की लेंगुएज अलग-अलग हो लेकिन मैटर एक ही हो···।

**श्री एम० ए० हनान इलहाज** : विषय एक नहीं है। हमने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उसमें ऐसा हुआ है कि श्री दिनेन भट्टाचार्य का नाम पहले बैलट हुआ और उनकी जो लेंगुएज थी उसी को ऐडाप्ट किया। और बाकी लोगों का नाम जो बैलट हुआ वह ऐड हो गया।

**श्री एम० ए० हनान इलहज** : हमारा नाम ड्राप कर देना चाहिए था क्योंकि हमने मंत्री का ध्यान आकृष्ट नहीं किया था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप जो कहना चाहते हैं कहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी लेंगुएज में कहें।

**श्री एम० ए० हनान इलहाज** : एक साल पहले भारत वर्ष के विभिन्न शिविरों से एक लाख 30 हजार रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल में गये और वहां के मंत्री श्री राम चटर्जी उनको बहका कर ले गये थे वहां बसाने के लिए। उनको बडे रंगीन सपने दिखाये गये थे। लेकिन वह सारा झूंठ था। उन पर इतने अत्याचार किये गये·····

**श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

क्या झूठ शब्द संसदीय है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं रिकार्ड देखूंगा ।

**श्री एम० ए० हनान इलहाज** : उन पर इतने अत्याचार किये गए कि हमारे प्रधान मंत्री ने 19 फरवरी को पार्लियामेंट के सदस्यों की एक टीम भेजी आन दी स्पाट स्टडी करने के लिए और तीन मेम्बरों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह है, अगर हम चाहें तो मैं टेबिल पर प्रस्तुत कर सकता हूं । मुख्य मंत्री के पास प्रधानमंत्री ने यह रिपोर्ट भेजी है :

"ज्यादतियों की मर्मान्तिक घटनायें : जनवरी और फरवरी, 1979 में हरिजन शरणार्थियों पर ज्यादतियों की मर्मान्तिक घटनाओं ने पूरे देश में एक ऐसी लहर पैदा की कि प्रधानमंत्री को मारीच झापी के शरणार्थियों पर किये गए अमानवीय अत्याचारों के समाचार की जाँच के लिए लोकसभा के तीन सदस्यों का एक दल वहाँ भेजना पड़ा । इस रिपोर्ट के अनुसार हताहतों की स्थिति इस प्रकार है"

16.2.1979 तक मारीच झापी के निवासियों द्वारा उठाये गए नुकसान का सारांश :

| | | |
|---|---|---|
| भूख से मृत्यु | = | 43 व्यक्ति |
| विभिन्न बीमारियों से मृत्यु | = | 29 ,, |
| 31.1.79 को गोली चलाये जाने पर लापता | = | 128 ,, |
| 24.1.79 से 11.2.1979 के बीच पुलिस द्वारा छीने गए खाद्यान्न की मात्रा | = | 64 क्विंटल, 17 कि० |
| पुलिस द्वारा जब्त की गयी नावों की संख्या | = | 60 |
| 31.1.79 को गिरफ्तार किये गए गए व्यक्तियों की संख्या | = | 52 |
| खाने की तलाश में जाने पर गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या | = | 30 |
| पुलिस द्वारा छीना गया धन | = | 2778.00 रुपये |
| 31.1.79 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से मृत्यु | = | 12 व्यक्ति |
| आगजनी और झोपड़ियों का गिराया जाना | = | 100 परिवार |
| पुलिस द्वारा बलात्कार | = | 4 परिवार |

पुलिस द्वारा गिराये गए ट्यूबवैलों की संख्या = 2

गिरायी गई पाम केंडी दुकानों की संख्या = 1"

यह रिपोर्ट, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, उन्होने दी थी। उस टीम के एक माननीय सदस्य श्री मंगलदेव विशारद यहां बैठे हुए हैं।

**डा० सरदीश राय** (बोलपुर) : वह क्या पढ़ रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि आप किस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं ?

**श्री एम० ए० हनान अलहज** : टीम की प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से।

**श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** (बम्बई उत्तर-मध्य) : रिपोर्ट में ऐसा कुछ नही है।

**श्री एम० ए० हनान अलहज** : मैं इसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभापटल पर नहीं। आप उन्हें रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दे दें।

**श्री एम० ए० हनान अलहज** : यदि वह चाहती हैं, तो मैं उन्हें रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दूंगा। वह उसे पढ़ सकती हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हनान जी ने विभिन्न दस्तावेजों में से अपनी मर्जी के अनुसार बड़े गलत तरीके से बातें निकाल ली हैं। **(व्यवधान)**

**श्री अहिल्या पी० रांगनेकर** : श्री हनान इसे मुझसे छीन रहे हैं।

**श्री एम० ए० हनान अलहज** : आप मेरे पास बैठे माननीय सदस्य श्री मंगलदेव से पूछ सकते हैं। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : रांगनेकर जी और उनके अन्य समर्थकों, यदि आप सब खड़े हो गये तो रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : हनान जी ने विभिन्न दस्तावेजों से अपनी मर्जी के अनुसार बड़े गलत तरीके से बातें निकाल ली हैं। यदि आप नियम 41 (2) को देखें, तो आप पायेंगे —

"यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तर-दायी होना पड़ेगा।"

क्या वह तैयार हैं ?

**श्री एम० ए० हनान अलहज** : हाँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मंगलदेव दल के एक सदस्य है। वह चाहते हैं'''(व्यवधान)

आधा दर्जन सदस्य यदि इस खड़े होंगे और चिल्लायेंगे, तो कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा। (व्यवधान)

आप यदि व्यवधान डालेंगे···(व्यवधान)

कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए (व्यवधान)××

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होने यह काफी स्पष्ट कर दिया है कि यह संसदीय शिष्ट मंडल नहीं है। एक दल गया था। अपना मत व्यक्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र है। वह दल के मत को ही उद्धृत कर रहे हैं। यह टीम के···का अंश है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : परिशुद्धता पर संदेह व्यक्त न कीजिए। आप परिशुद्धता पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं और जब कोई सदस्य खड़ा होता है और कहता है कि मैं दल का सदस्य हूं, तो आपको उन्हें बोलने देना चाहिए। या तो आप परिशुद्धता पर संदेह न करें···(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कुछ संसद-सदस्यों, द्वारा व्यक्त किये गए मत को उद्धृत कर रहे हैं। जब आप परिशुद्धता पर संदेह करते हैं और कोई सदस्य उस पर सम्मति देता है, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? या तो आप उसकी उपेक्षा कर दें या उसकी ओर बहुत ध्यान न दें। रांगनेकर जी यदि आप इसे सरकारी दर्जा नहीं देना चाहतीं तो आप इसकी ओर ध्यान न दें। इसे लेकर इतने भावुक न होइये। तब यह होगा···(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हमारे पास दूसरा कार्य है। शाम के 6.30 से अधिक समय हो गया है।

**श्री मंगलदेव** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस रिपोर्ट की चर्चा पूर्व वक्ता ने की है, उस पर कुछ लोगों को शक है। वह रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री को सुपुर्द हो चुकी है, उसकी सैकड़ों कापी हैं। मुझे यह कहना है कि उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कुछ कहा है इसलिये चर्चा हो रही है कि वह नहीं है। वह दस्तावेज आपसे बाहर नहीं जा सकता, वह कापी आपको भी सुपुर्द हो सकती है, वह गलत है या सही है, उसका विवाद दूसरा है। लेकिन वह रिपोर्ट है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह गलत है या सही, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, खैर, शाम के 6.30 बज गये हैं, हमें दूसरा कार्य लेना है। श्री ज्योतिर्मय बसु को चर्चा आरंभ करनी है।

**श्री समर गुह** : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह चर्चा आधे घंटे के लिए बढ़ा दी जाये और सभा की बैठक भी आधे घंटे के लिए बढ़ा दी जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसके लिए निश्चित समय है।

**श्री समर गुह** : कई बार ऐसा हुआ है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे हम बाद में ले सकते हैं।

××कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री सिकन्दर बख्त** : यदि आप कई घंटों तक इसी प्रकार बोलते रहे··· (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं ।

**श्री शक्ति कुमार सरकार** (जयनगर) : मुझे मेरे बोलने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको वंचित नहीं किया गया है; सवाल सिर्फ समय का है, क्योंकि चर्चा कुछ समय के लिए निश्चित की गयी थी ।

**श्री सौगतराय** (बैरकपुर) : ऐसा कभी नहीं हुआ है, जब एक ध्यानकर्षण को बीच में छोड़ दिया गया हो ।

**श्री समर गुह** : क्या आप ऐसी एक भी मिसाल दे सकते हैं जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बीच में छोड़ दिया गया हो और किसी दूसरे मामले को ले लिया गया हो ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इस चर्चा के समाप्त होने के बाद ध्यानकर्षण प्रस्ताव को लेंगे । **बसु जी** ।

---

## ब्रिटेन में अश्वेतों पर हो रहे आक्रमणों के बारे में प्रस्ताव

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा को ब्रिटेन के नेशनल फ्रंट, ब्रिटिश सरकार और उसकी पुलिस जैसी विभिन्न शक्तियों द्वारा वहाँ अश्वेतों पर हो रहे बर्बर आक्रमणों पर गहरी चिन्ता है और सिफारिश करती है कि सभा को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु तथ्य एकत्र करने और साथ ही सरकार को उपचारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक सर्वदलीय संसदीय तथ्यान्वेषण प्रतिनिधिमंडल तुरन्त ब्रिटेन भेजा जाये ।"

मैंने एक एक संशोधन किया है जिसके बारे में सबको बता दिया गया है और मैं उसे प्रस्तुत करता हूँ । मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये—

"जैसे भारत में ब्रिटिश विनियोक्ताओं को दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया, जहां जातिभेद चलता है, में कार्य करने से रोकना ।"

**संसदीय कार्य और श्रम मंत्री** (**श्री रवीन्द्र वर्मा**) : यह प्रस्ताव एक ऐसे विषय पर है जिस परपूरे देश को चिन्ता है । विदेशमंत्री महोदय इस समय राज्यसभा में चर्चा में व्यस्त हैं और उन्होंने मुझ से यह प्रस्तावित करने के लिए अनुरोध किया है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में की जाए । मुझे आशा है कि माननीय प्रस्तुतकर्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं सहमत हूँ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार, इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित किया जाता है। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस जारी रखेंगे।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**श्री एम. ए. हनान अलहज** (बासिरहाट) : श्रीमन, मंत्री महोदय, ने अपने उत्तर में बताया है कि 25,000 परिवार दण्डकारण्य से चले गए हैं और उनमें से 19,699 वापिस चले गए हैं। बाकी रह गए हैं 2,000 लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो 5,000 परिवार रह गए हैं। बाकी 3,000 फैमिलीज कहां गई, इसका पता नहीं है। वह 3,000 परिवार हवा में गायब हो गए, खुदा ही यह जानता है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है:

> "केन्द्र सरकार राज्य को पहले ही यह परामर्श दे चुकी है कि दबाव का रास्ता अपनाना ठीक नहीं रहेगा, बल्कि अधिकारियों को अपने-अपने पुनर्वास स्थान या कार्य-शिविरों में लौटने के लिए मनाया जाये।"

पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाले पेपर "आनन्द बाजार पत्रिका" में एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3,600 पुलिसमैनों ने उस आईलैंड को घेर लिया, 2,000 सी० पी० एम० के कार्डस ने 5,000 शरणार्थियों को वहाँ से भगाया, उनकी 1,000 झोंपड़ियों को तोड़ दिया और 300 को जला दिया। उन्होंने 300 आदमियों को जख्मी किया और 200 को गिरफ्तार भी किया। इसके लिए गवर्नमैंट ने 30 लांच एंगेज किए थे, पश्चिम बंगाल गवर्नमैंट ने 50 लान्चेज किरायें पर लिए थे, जिनका किराया एक-एक लांच पर 7,000 रुपए के हिसाब से 14 लाख रुपए होता है। मंत्री महोदय ने बताया कि उन लोगों को शांतिपूर्वक वापिस भेजने की कोशिश की जाएगी। मैंने अभी जो रिपोर्ट पढ़ी है, क्या मंत्री महोदय को उसके बारे में मालूम है ?

**श्री सिकन्दर बख्त** : बुनियादी तौर पर जिस सवाल पर यह कालिंग अटैंशन उठाया गया है, उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है ही नहीं। वहाँ जो अन्दरूनी ला-एंड आर्डर का मामला है, वराहेरास्त उसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल गवर्नमैंट से है।

हमने खाली इतना बताया है कि जो खबर उनसे ले सकें वह हाउस के सामने रख सकें। हमने उनसे यह खबर ली है, 15 तारीख तक, कि 1050 फेमिलीज आ गई हैं जोकि भेजी जा रही हैं। और आज सुबह खबर मिली कि 1710 फेमिलीज वहाँ से आ गई हैं, 300 के करीब रह गई हैं। यह इत्तला वहां से मिली है लेकिन और किसी किस्म की इत्तला हमारे पास नहीं है।

**श्री एम० ए० हनान अलहज** : 25 हजार परिवार में 19 हजार वापिस चले गए तो उसमें कितने फेमिली के सदस्य थे ?

**श्री सिकन्दर बख्त** : जितनी फेमिलीज हमारे यहां से गई उसका हिसाब हमारे पास है, जितनी फेमिलीज वापिस आई उसका हिसाब हमारे पास मौजूद है। मारीच-झापी में कितनी है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट के पास उसका हिसाब मौजूद है, बाकी हिसाब हमारे पास नहीं है।

* **श्री ए० के० साहा** (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम वामपंथी लोग हमेशा से शरणार्थियों के लिए लड़ते रहे हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। लेकिन आज कुछ निहित स्वार्थ शरणार्थियों के मित्र होने का बहाना कर रहे हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के बिरुद्ध भड़का रहे हैं। वे शरणार्थियों की असली शत्रु है।

सत्ता में आने के बाद जनता सरकार ने शरणार्थी-समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाये हैं और वह अभी इस दिशा में प्रयत्नशील है। इसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। उसने अन्तिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। अब थोड़े शरणार्थी ही लौटने बाकी हैं। जनता पार्टी के एक वर्ग, कांग्रेस पार्टी या निहित स्वार्थों के उकसाये जाने पर शरणार्थियों के दण्डकारण्य लौटने में यदि कुछ अधिक समय लग जाये, तो मुझे आशा है, केन्द्र सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी।

कुछ देर पहले श्री हनान साहिब बहुत कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उस क्षेत्र के हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे सम्भवत: अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वामपंथी सरकार ने शरणार्थियों को सताया है और पुलिस ने उन्हें पीटा। यह सब मिथ्या है। ये बातें आनन्द बाजार पत्रिका में कही गई हैं जो पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही उसे हटाने का षडयन्त्र रच रही है।

**एम०ए० हनान अलहज** : उपाध्यक्ष महोदय, मि० साहा ने कहा कि मैंने जो कहा है, वह "मिथ्या" है। शब्द "मिथ्या" अनपार्लियामेन्ट्री हैं, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : जहाँ कहीं भी 'मिथ्या' शब्द आया है, वह असंसदीय है, क्योंकि यह संदर्भ पर निर्भर है, इसलिए हम इसे निकाल देंगे। हम रिकार्ड को देख लेंगे।

* **श्री ए० के० साहा** : मारीच झापी संरक्षित क्षेत्र है। वहां कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति वृक्ष नहीं गिरा सकता, लेकिन वृक्ष गिराये गये हैं और भेरियाँ बनाई गई हैं। श्री प्रफुल्ल सेन यह कहते हैं वहां कानून तथा व्यवस्था नहीं है। 10,000 व्यक्ति यदि बगैर अनुमति के नई दिल्ली में बोट क्लब के पास के मैदान में यदि बसना चाहें, तो क्या इसकी अनुमति दे दी जायेगी ? मारीच झापी के आगे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है और उसके आगे बंगला देश है। यह नाजुक क्षेत्र है। शरणार्थी यदि वहाँ बगैर अनुमति के चले जायें, समानान्तर सरकार बना लें और राज्य सरकार को चुनौती देने लगें, तो क्या राज्य सरकार चुप बैठी रहेगी। संसद भवन के पास बोट क्लब के मैदान में यदि लोग बस जायें तो क्या केन्द्र सरकार चुप बैठी रहेगी ? केन्द्र सरकार ने यह ठीक ही कहा है कि शरणार्थियों को दण्डकारण्य वापस जाना होगा। (व्यवधान)

* बंगला में दिये गये भाषण की अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**श्री सिकन्दर बख्त** : वह मेरी मदद कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझ रहा हूँ। लेकिन समस्या यह है कि वे जो कुछ कह रहे हैं, उसका आपके द्वारा उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री सिकन्दर बख्त** : पूरे भाषण में एक भी प्रश्न नहीं है।

**श्री ए० के० साहा** : मैं पहले ही प्रश्न कर चुका हूँ।

**श्री सिकन्दर बख्त** : प्रश्न क्या है ?

**श्री ए० के० साहा** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार जरूरत पड़ने पर बकाया शरणार्थियों के दण्डकारण्य लौटने की तारीख को 31 मई से आगे बढ़ायेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कुछ और समय देगी।

**श्री सिकन्दर बख्त** : वास्तव में, समय के एक बार 31 मार्च तक बढ़ाने के बाद उसे औपचारिक रूप में और नहीं बढ़ाया गया। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि 31 मई, 1979 के बाद, लोग यदि पुनर्वास के लिए आते हैं तो उन्हें खरीफ की फसल गंवानी पड़ेगी। इसलिए जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है, उन्हें 31 मई से पहले-पहले लौट जाना चाहिए।

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : महोदय, मुझे गत तीन दिनों से बुखार आ रहा है। इसलिए मुझे अपने प्रश्न पढ़ने की अनुमति दी जाए।

प्रारम्भ में, मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं अभिशप्त क्षेत्र मारीच झापी का बदनसीब संसद-सदस्य हूँ। यह अभिशप्त स्थान है, क्योंकि इसने 10,000 निर्दोष शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ये शरणार्थी न केवल गरीब सर्वहारा हैं, बल्कि हरिजन हैं।...(**व्यवधान**)।

उनका कसूर सिर्फ यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पौधारोपण के लिए एक दशक पूर्व वन-विहरित दल-दल वन भूमि में सरकार की मदद लिए बगैर अपने आप बसना चाहा। सम्भवतः उन गरीब हरिजन शरणार्थियों का यह कसूर राज्य तथा केन्द्र सरकार को अक्षम्य अपराध लगता है।

**श्री ए० के० साहा** : महोदय, वह वरिष्ठ सदस्य हैं, फिर भी वह अपना भाषण पढ़ रहे हैं...। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह कहकर कि उन्हें बुखार आ रहा है, उसके लिए पहले ही अनुमति ले ली है।

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : सभी प्रकार के उत्पीड़न और अत्याचारों, जिन्होंने फासिस्टों और नाजियों के अत्याचारों को भी पीछे छोड़ दिया है, का सहारा लेकर उन्हें सजा दी जा रही

है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है··· (व्यवधान)

मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं यह तसवीर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह 'आनसुकर' में छपी थी···(व्यवधान) "इण्डियन एक्सप्रैस" में भी इस बारे में एक समाचार छपा था जिसमें यह कहा गया है···(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : पता नहीं सभी लोग क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। बूढ़ों और बच्चों को पीटा और गोली से मारा जा रहा है और अश्रु गैस के गोलों से घायल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की हिदायतों पर निर्दोष व्यक्तियों को नदियों में फैंका जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उस क्षेत्र के आस-पास धारा 144 लगा दी और मुझे, विधायकों और पत्रकारों को तथा दूसरे लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया। रक्षा-संस्थानों के अलावा एक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने से नहीं रोका जा सकता।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)** : रक्षा सीमा क्या है ?

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : यदि यह उनकी समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता···(व्यवधान) इस भयावह दृश्य को देखने का प्रयास करने के लिए श्री के० के० मोइत्रा तथा जनता पार्टी के दूसरे विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। भयावह स्थिति यह है कि हजारों पुलिस कर्मियों और मोटर लांच की मदद से इन गरीब शरणार्थियों के सामने ऐसी आर्थिक अड़चन खड़ी कर दी गई है कि इन भूखे-प्यासे गरीब शरणार्थियों को अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद भी नहीं मिल पा रही है। आतंक का वातावरण बना दिया। इस प्रकार के प्रयास की तुलना चूहे पकड़ने की विधि से की जा सकती है जिसमें चूहों को बेरहमी से मारा जाता है। किसी भी सभ्य सरकार से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। भारतीय नागरिक के मूल अधिकार इस रूप में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक रद्दी कागज की तरह उपेक्षित किये जा रहे हैं। अंग्रेजों ने भी अपने 200 वर्ष के साम्राज्यवादी शासन में स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध आर्थिक अड़चन के इस असभ्य तरीके को अपनाने की हिम्मत नहीं की।

हम आपके माध्यम से तथा अभ्यावेदन करके केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि वह राज्य सरकार की योजना बद्ध ज्यादतियों से इन अभागे तथा बेघरबार लोगों को बचाये, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली है। राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है जिसके परिणामस्वरूप 1200 से भी अधिक शरणार्थियों को भूख से मरना

[श्री शक्ति कुमार सरकार]

पड़ा। यह पुलिस द्वारा हत्या तथा उत्पीड़न से हुई मौतों के अलावा है। इसे अभी तक नहीं रोका गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने समस्याओं के घटना स्थल पर अध्ययन के लिए लोकसभा के तीन सदस्यों का एक दल वहां भेजा था। आरोपों का खंडन किए बगैर उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि दल के लोग जब मोटर जाँच द्वारा मारिच झापी के लिए रवाना हुए तो उन्हें अवैध तरीके से रोका गया, उन्हें वहाँ पहुँचने से रोकने के लिए उनकी मोटर लांच को 2 रस्सों से बाँध दिया गया और क्या यह सही है कि 16-2-1979 तक भूख से 43 लोगों की मृत्यु हुई, विभिन्न बीमारियों और आत्महत्या से 29 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 31-1-79 को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बाद 128 व्यक्ति लापता हो गए, पुलिस ने 64 क्विंटल और 17 कि० ग्रा० खाद्यान्न छीना, पुलिस ने 60 नावें छीनीं, 31-1-79 को 60 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, भोजन की तलाश में गए 30 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये, पुलिस ने कुल 2,778 रुपये छीने, पुलिस की गोली से 12 व्यक्ति मरे। पुलिस ने 4 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, पुलिस ने 2 ट्यूबवैल तोड़े और खजूर-पाग की एक दुकान तोड़ी गयी। क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री के० के० मोइत्रा ने 13-5-79 के प्रैस-सम्मेलन में राज्य सरकार पर निम्नलिखित आरोप लगाये —24 जनवरी से अब तक मारिच झापी में 131 व्यक्ति भूख से मर गए हैं, घास तथा पौधों की जड़ों जैसे अखाद्य पदार्थों के खाने से 239व्यक्ति मरे, पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 128 व्यक्ति लापता है और 500 व्यक्ति जेलों मेंबन्द हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि पुलिस द्वारा लाठी चलाये जाने और अश्रु गैस छोड़े जाने से 150 व्यक्ति घायल हुए और 24 महिलाओं पर हमला किया गया।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दो महीने पहले मारिच झापी में बसन्ती पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले उसी क्षेत्र में सी० पी० आई० (एम) के सदस्यों को 3,500 एकड़ वनभूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी, जिसे अनधिकृत रूपो से जंगलों को काटने वाले उनके अपने सदस्यों में बाँटा जाना था और इस अवैध कार्य को रोकने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं। (व्यवधान) यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि शरणार्थी चूंकि हरिजन है, इसलिए उनके पुनर्वास को मान्यता नहीं दी जा रही है। दूसरी ओर कलकत्ता के आसपास बनी अनधिकृत कालोनियों को इसीलिए पास कर दिया गया है क्योंकि ये कालोनियाँ सामान्य वर्गों से सम्बद्ध हैं। क्या सरकार तीन सदस्यीय दल के सुझाव के अनुसार इस मामले पर सहानुभूति के साथ बिचार करेगी ताकि इस उत्पी नकड़ तुरन्त रोका जा सके और इस मारिच झापी कालोनी को मान्यता मिल सके जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं सभापति महोदय का निदेश चाहता हूं क्योंकि प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य ने जो बातें उठायी हैं वे न तो ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव से पैदा हुई है और न ही मेरे मंत्रालय के कार्य के साथ उनका कोई सम्बन्ध है।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि मंत्री महोदय का वक्तव्य समस्या के प्रति भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के सामान रवैये को उजागर करता है, क्योंकि केन्द्र सरकार इस बात के लिए सहमत हुई थी कि 1978 के प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल में आने वाले दण्डकारण्य के 1,20,000 लोगों को पश्चिम बंगाल में नहीं बसाया जा सकता। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि समस्या के प्रति केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल सरकार का सामान रवैया है और वे इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें दण्डकारण्य वापस जाना चाहिए।

वक्तव्य में इन असहाय शरणार्थियों को लेकर भारत सरकार की चिन्ता की झलक मिलती है जिन्होंने कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा गुमराह किये जाने पर अपने पुनर्वास क्षेत्र को छोड़ दिय और दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार की इन अभागे शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति है। पश्चिम बंगाल सरकार की भी उसके प्रति उतनी ही सहानुभूति है।

**प्रो० समर गुह** (कन्टाई) : उन्होंने गोली तथा लाठी द्वारा अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन किया है।

**श्री चित्त बसु** : मेरे ख्याल से प्रोफैसर साहब शिष्टाचार जानते हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उत्तेजित न हों। (व्यवधान)

**श्री चित्त बसु** : पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारे राज्य में तथा राज्य के बाहर इन अभागे शरणार्थियों को बसाने के लिए कहा है और हमें वास्तव में ही इस बात का अफसोस है कि उन्हें तरह-तरह की मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, उन्हें भूखा रहना पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार इससे परिचित है और जैसा कि बताया गया, बावजूद इस तथ्य के कि उस वर्ष पश्चिम बंगाल में बाढ़ का भारी प्रकोप रहा और बावजूद इसके कि पश्चिम बंगाल सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय दबाव रहा, इन शरणार्थियों के आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और उनके बच्चों के दूध के लिए 4 करोड़ रुपये खर्च किये गये। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उनको राहत पहुँचाने और उनकी मुशीबतों को कम करने के लिए भरसक प्रयास किया।

वक्तव्य का जहाँ तक संबंध है, मुझे यह देखकर ही वास्तव में धक्का लगा है कि मंत्री महोदय मारिचझापी में एक दल के रूप में अपने दल के पक्षपातपूर्ण राजनीतिक रवैये से नहीं बच सके हैं। यह कोई संसदीय शिष्टमंडल नहीं था अपितु इस माननीय सभा के जनता पार्टी के तीन सदस्यों का एक दल था, जिसने मरिचझापी जाने का कष्ट किया। इस रिपोर्ट का चूंकि उल्लेख किया गया है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आप मुझे उस पर कुछ टिप्पणियाँ करने की अनुमति देंगे। रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट के चार पहलू हैं।

एक पहलू यह है कि जब वे मरिचझापी जा रहे थे, तो सरकार या प्रशासनिक अधि-

[श्री चित्त बसु]

कारियों ने हस्तक्षेप किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को उन परिस्थितियों से अवगत कराया था जिनके अन्तर्गत 24 परगना जिले के जिलाधीश को एहतियाती उपाय करने पड़े और आप को याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के सदस्यों और पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दिया था कि जनता पार्टी का कोई भी महत्वपूर्ण नेता दल के साथ न जाये। उन्होंने निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल जनता पार्टी का कोई भी स्थानीय नेता दल के साथ न जाये। इस दल में इस माननीय सभा के ही सदस्य हों।

**एक माननीय सदस्य** : यह सही नहीं है।

**श्री चित्त बसु** : प्रधानमंत्री ने यही हिदायत दी थी। दुर्भाग्य से मोरारजी भाई एक ऐसे दल के नेता है जिसमें आज्ञापालन या अनुशासन बहुत कम है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : अपने नेता के प्रति बहुत कम सम्मान है।

**श्री चित्त बसु** : मैं यह नहीं कहता। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के जनता पार्टी के नेताओं से यह अनुरोध किया था कि वे जनता संसदीय पार्टी के सदस्यों के दल के साथ न जायें। आपकों यह जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार ...(**व्यवधान**)

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : आप उनसे प्रश्न पूछने के लिए कहिये (**व्यवधान**)। मैंने पांच प्रश्न पूछे थे।

**श्री चित्त बसु** : मेरा केवल एक प्रश्न होगा। लेकिन मुझे बोलने दीजिए। मुझे सुरक्षा चाहिए। जब वह बोल रहे थे, तब मैं धैर्य के साथ सुन रहा था। मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

**उपसभापति महोदय** : निश्चित रूप से।

**श्री चित्त बसु** : पश्चिम बंगाल सरकार यह चाहती थी ...(**व्यवधान**) वह इस सभा के तीन सदस्यों का अतिथ सत्कार करना चाहती थी ...(**व्यवधान**)

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : मुझे जांच की व्यवस्था करनी पड़ी।

**श्री चित्त बसु** : क्या उनके पास लांच है। उनके पास कितनी लांच है। मुझे इस बात की जानकारी न होने का खेद है कि माननीय सदस्य के पास लांच हैं।

खैर, पश्चिम बंगाल सरकार ने दल के प्रति बहुत सम्मान दिखाया।

**श्री शक्ति कुमार सरकार** : मैं आपको चुनौती दे सकता हूं।

**श्री चित्त बसु** : पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद के तीन माननीय सदस्यों का अतिथि-सत्कार करना चाहा। दुर्भाग्य से तीन माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार के अतिथि-सत्कार को

स्वीकार नहीं किया और जैसा कि मेरे मित्र श्री सरकार ने स्वीकार किया है उन्होंने अपनी निजी व्यवस्था की।

श्री **शक्ति कुमार सरकार** : इसमें गलत क्या है ?

श्री **चित्त बसु** : आपने कहा कि आपको लाँच की व्यवस्था करनी पड़ी।

इस सभा के तीन माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार के अतिथि-सत्कार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने श्री सरकार के अतिथि-सत्कार को स्वीकार किया, इसलिए, मुझे यह कहना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 31 मार्च, 1979 के अपने पत्र द्वारा प्रधानमंत्री को उन परिस्थितियों से अवगत करा दिया था, जिनमें प्रशासन को कुछ एहतियाती उपाय करने पड़े।

दूसरे, यह प्रश्न उठाया गया है कि शरणार्थियों को दण्डकारण्य वापस भेजने के लिए बल-प्रयोग किया गया। इसका उत्तर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं दल की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूँ। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मारीचझापी सघन वन नहीं था, वह वाटिका लगती थी। जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, 120,000 परिवारों में से 2000 परिवार सुन्दरवनों में बहुत आगे तक चले गये और पश्चिम बंगाल सरकार की वन-भूमि पर बल-पूर्वक कब्जा कर लिया। पश्चिम बंगाल सरकार व्यापक जन-निर्णय के बाद बनी थी। पश्चिम बंगाल सरकार यह कहती है कि उसे राज्य का प्रशासन चलाने का हक है, क्योंकि उसे व्यापक समर्थन मिला है। रिपोर्ट में यह कहा गया है "**उदबस्तु उन्नयन शील समिति**" एक महत्वपूर्ण संगठन है, एक दृढ़ संगठन हैं। इस संगठन का क्या उद्देश्य था ? यह उनको बचाने के लिए था। किससे बचाने के लिए ? जैसा कि वे कहते हैं पश्चिम बंगाल सरकार से बचाने के लिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा, पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार यह चाहती है कि शरणार्थियों को मारिच झापी में नहीं, बल्कि दण्डकारण्य में किसी स्थान पर समुचित रूप में बसाया जाना चाहिए। उनके अनुसार यह सघन वन है और भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाते बहुत नाजुक क्षेत्र है। सरकार को कोई न कोई कार्यवाही करनी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी कि पेडों को गिराने से मूल्यवान लकड़ी और अन्य वन-सम्पदा के रूप में राज्य के राजस्व को अनुमानत: कितना नुकसान हुआ।पश्चिम बंगाल सरकार प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी पहले ही दे चुकी है। जैसा कि स्वाभाविक है, पश्चिम बंगाल सरकार का कुछ अधिकार हैऔर राज्य के हित में, राज्य की वन-सम्पदा के हित में—यह केवल राज्य की वन सम्पदा नहीं है, अपितु पूरे राष्ट्र की वन सम्पदा है—सरकार को, यदि वह वास्तव में ही सरकार है, कोई दृढ़ कार्यवाही करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार अपना अधिवाद कायम करना चाहती थी और शरणार्थियों को दण्डकारण्य वापस जाने और वहां समुचित रूप से बसने के लिए मनाना चाहती थी।

[श्री चित बसु]

वास्तव में, मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार, केवल 300 परिवार बच गए हैं और वे दण्डकारण्य वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है ताकि वे दण्डकारण्य में अपने स्थानों को लौट सकें।

इस संदर्भ में क्या मैं मंत्री महोदय जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की ओर ध्यान देगी और इस बात की व्यवस्था करेगी, जिससे जनता पार्टी और उसके सहयोगी ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे पश्चिम बंगाल सरकार की बदनामी होती हो।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार यह आश्वासन देगी कि सम्बद्ध मंत्रालय प्राक्कलन समिति, छठी लोकसभा, अप्रेल 1979 के 30वें प्रतिवेदन में दण्डकारण्य परियोजना के विषय में की गयी सिफारिशों की जाँच करेगा और दण्डकारण्य के शरणार्थियों, विशेष रूप से वापस लौटे शरणार्थियों के पुनर्वास के अनुकूल वातावरण बनायेगा। मेरे पास समय नहीं है। मैं केवल इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि यह मंत्रालय प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की जाँच करे और ऐसे उचित कदम उठाये ताकि शरणार्थियों, विशेष रूप से मारिचझापी से लौटे शरणार्थियों के उचित पुनर्वास के लिए दण्डकारण्य में सही वातावरण बन सके।

**श्री सिकन्दर बख्त** : मारिच झापी के प्रश्न पर पहले भी विचार किया गया था और पहले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से भी इस प्रश्न की व्यर्थता सिद्ध हो गयी थी। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि आप किसी चर्चा से किसी सीमा तक अपना दिमाग लगाकर कैसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं।

मैं दो या तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। दण्डकारण्य परियोजना पर सन 1958 में किसी समय विचार किया गया था। परियोजना पर काफी लम्बे समय तक कार्य शुरू नहीं किया गया। इस परियोजना पर 1964 तक भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया और जब इसे शुरू किया गया तो उसमें बहुत धीमी प्रगति हुई। लेकिन मुझे सभा को यह जानकारी देते हुये प्रसन्नता है कि गत दो वर्षों में दण्डकारण्य परियोजना पर तेजी से कार्य हुआ है। गत दो वर्षों में हमने 13 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं, जबकि इसके पहले 1958 से 1977 तक एक वर्ष में अधिक से अधिक 95 लाख रुपए आबंटित किए गए। अतः दण्डकारण्य परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हम सभी आवश्यक कदम पहले ही उठा चुके हैं।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ —ऐसा मैं यहां कई बार कह चुका हूँ — यह है कि लोगों ने दण्डकारण्य पुनर्वास विभाग की ओर से किसी कमी के कारण नहीं छोड़ा। मैं स्वयं द्वारा एकत्र की गयी जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मंत्रियों के साथ दौरा किया। हमने बहुत से गांवों का दौरा किया। हम लोगों से अलग-अलग मिले। हम उनके प्रतिनिधि मंडलों से मिले। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा "हम यह स्थान इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम सन्तुष्ट नहीं हैं या हमें उतनी सहायता नहीं दी गयी है, जितनी की दी जानी चाहिए थी।" (**व्यवधान**)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों का रवैया इतना अच्छा नहीं है जितना कि बताया जाता है। उन्नयन शील समिति के श्री सतीश मंडल का इसमें हाथ रहा। यही नहीं, एक मंत्री ने भी बहुत अनुत्तरदायित्व पूर्ण वक्तव्य दिया। यह कोई सामान्य बात नहीं है, लोगों ने जब स्थान छोड़ना शुरू किया उस समय इस वक्तव्य ने बहुत भेदभाव पैदा किया। यह वक्तव्य श्री राम चटर्जी ने दिया। भारत सरकार उन्हें और पश्चिम बंगाल सरकार को इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करना चाहती।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा कल प्रात : 10-30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**मध्यान्ह पश्चात 7.16 बजे**

**तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 17 मई, 1979।**

**27 वैशाख, 1901 (शक) के**

**10.30 बजे तक के लिए**

**स्थगित हुई।**

---

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-11002